वार्षिक रिपोर्ट

1983-84

भारत सरकार

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग

नई दिल्ली

1984

विषय सूची
शिक्षा विभाग

अध्याय | पृष्ठ

प्रस्तावना . . . . (iii)
1. संगठन 1
2. स्कूल शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा . . . 3
3. उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान . . . 32
4. तकनीकी शिक्षा 47
5. प्रौढ़ शिक्षा 50
6. संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा 65
7. छात्रवृत्तियां 72
8. पुस्तक संवर्धन और कापीराइट . . . 76
9. भाषाओं का विकास 81
10. यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग . 99
11. अन्य कार्यकलाप 104

संस्कृति विभाग

प्रस्तावना

अध्याय

1. पुरातत्व 119
2. संग्रहालय 124
3. मानव विज्ञान और मानव जाति विज्ञान की संस्थाएं . 139
4. अभिलेखागार और अभिलेख . . . 143
5. तिब्बती बौद्ध और ऐतिहासिक अध्ययन की अन्य संस्थाएं 147
6. पुस्तकालय 149
7. अकादमियां और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय . . 154
8. संस्कृति का संवर्धन और प्रसार . . . 159
9. स्मारक 163
10. शताब्दियां और जयन्तियां 165
11. सांस्कृतिक संबंध 167
चर्चित विषयों का वित्तीय आवंटन . . . 169
प्रशासनिक चार्ट 177

शिक्षा विभाग

प्रस्तावना

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं:— (i) साक्षरता का प्रसार और (ii) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। छठी योजना में न्यूनतम आवश्यक शिक्षा पर जोर दिया गया है ताकि सभी नागरिकों को उनकी आयु, लिंग और आवास पर ध्यान दिए बगैर शिक्षा दी जा सके। अतः 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और 15–35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने से संबंधित कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इन कार्यक्रमों को नए 20–सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है जिसमें इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्षित तारीख सन् 1990 निर्धारित किया गया है। यद्यपि इन कार्यक्रमों को बुनियादी तौर पर राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है तथापि जहां तक इन कार्यक्रमों का संबंध है शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए हुए हैं। इन कार्यक्रमों के अनुसरण में लड़कियों और प्रौढ़ महिलाओं के नामांकन में श्रेष्ठता दिखाने के लिए राज्यों को पुरस्कारों की एक योजना आरम्भ की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्कूल न जाने वाले अधिकांश बच्चे कमजोर वर्गों से संबंधित होते हैं; अतः उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा पद्धति विकसित की जा रही है और उनके लिए उपयुक्त स्थान तथा समय की सुविधा के अनुसार ही उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

माध्यमिक स्तर पर, जमा दो स्तर पर व्यावसायीकरण के कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया जा रहा है जिससे कि शिक्षा लोगों की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल हो सके और स्नातकों को रोजगार प्राप्त करने के और अधिक योग्य बनाया जा सके और साथ ही उनके दिमाग में सामाजिक सेवा की भावना जागृत की जा सके।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, सांतराल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, सामुदायिक पालीटैक्नीक जैसी योजनाओं से तकनीकी शिक्षा और उद्योग के बीच और निकट सामंजस्य संबंध स्थापित होने और उनके बीच लाभदायक संबंध कायम होने की आशा है।

राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए सामूहिक गायन की एक नई योजना शुरू की गई है।

प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने और प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित नए-20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 का प्रचार कार्य आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रखा गया। मंत्रालय के आयोजना, अनुश्रवण और सांख्यिकीय ब्यूरो ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अपेक्षित सूचना एकत्र करके योजना आयोग और प्रधान मंत्री कार्यालय को आवधिक रिपोर्टें भेजी। इसके अतिरिक्त, इसने वार्षिक और पंच वर्षीय शैक्षिक योजनाओं के समन्वय संबंधी अपने कार्यों और केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति का अनुश्रवण करना जारी रखा। अनुश्रवण, मूल्यांकन और सांख्यिकीय व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का निश्चय किया गया है। तदनुसार, केन्द्रीय और राज्य दोनों ही क्षेत्रों में वार्षिक योजना 1984–85 में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं।

वार्षिक योजना, 1983–84 और 1984–85

1983–84 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया गया और शिक्षा के तुरन्त विकास के लिए 679.74 करोड़ रुपए की राशि जिसमें 155.30 करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्र में और 524.44 करोड़ रुपए राज्य क्षेत्र में हैं, प्रदान की गयी। वर्ष 1983–84 के लिए, शिक्षा संबंधी योजनागत परिव्यय, देश के कुल योजनागत परिव्यय का 2.67 प्रतिशत है; केन्द्रीय क्षेत्र में 1.12 प्रतिशत और राज्य क्षेत्र में 4.51 प्रतिशत। शिक्षा पर 1983–84 का योजनागत परिव्यय अनुपात छठी योजना के कुल परिव्यय की दृष्टि से 26.9 प्रतिशत है (केन्द्रीय क्षेत्र में 21.1 प्रतिशत और राज्य क्षेत्र में 29.3 प्रतिशत)। वर्ष 1984-85 के लिए मंत्रालय ने 335 करोड़ रुपए के परिव्यय के प्रस्तावों के स्थान पर 203.65 करोड़ रुपए का परिव्यय (एस० ए० सी० सी० के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विशेष योजनाओं के लिए 7 करोड़ रुपए सहित) मंजूर किया गया है। यह, शिक्षा के लिए छठी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय का 27.7 प्रतिशत है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और अनुसूचित जनजाति उप–योजना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के शैक्षिक विकास के लिए मंत्रालय ने वर्ष 1984–85 के लिए अनुसूचित जातियों की विशेष घटक योजना हेतु विभाज्य परिव्यय का 12.2 प्रतिशत और जन जातीय उपयोजना के लिए विभाज्य परिव्यय के 7 प्रतिशत के लगभग प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय की 1983–84 योजना में तदनुरूपी प्रतिशतता क्रमशः 20.25 और 10.90 थी।

शैक्षिक सांख्यिकी

देश में सम्पूर्ण शैक्षिक सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा अनुमोदित हो गई है और इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

प्रारम्भिक शिक्षा

सरकार के नए 20–सूत्री कार्यक्रम में सूत्र सं० 16 के रूप में प्रारंभिक शिक्षा को शामिल करना एक प्रमुख घटना है। नए 20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने से संबंधित संवैधानिक लक्ष्य को 1989–90 तक प्राप्त करने का प्रस्ताव है जो कि छठी योजना के लक्ष्य के अनुरूप है। इसके अलावा, प्रारंभिक शिक्षा योजना, योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अनिवार्य घटक के रूप में जारी रही।

शिक्षा को व्यापक बनाने का कार्यक्रम वर्ष के दौरान शिक्षा मंत्रालय और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा तीव्रता से जारी रखा गया। इस संबंध में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :––

वर्तमान स्थिति का जायजा लेने, समस्याओं का पता लगाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में निर्णय लेने के लिए राज्य शिक्षा सचिवों के क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन। इस वर्ष के दौरान ऐसे चार सम्मेलन आयोजित किए गए: उत्तरी क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 21 मई, 1983 को चण्डीगढ़ में, पश्चिम क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 27 अगस्त, 1983 को चण्डीगढ़ में, पश्चिम क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 27 अगस्त, 1983 को पुणे में, आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए 7 जनवरी, 1984 को नई दिल्ली में और बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 10 जनवरी, 1984 को कलकत्ता में।

6–7 जून, 1983 को नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक बैठक और 20–21 सितम्बर, 1983 को नई दिल्ली में शिक्षा सचिवों के सम्मेलन का आयोजन जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की स्थिति की समीक्षा की गई।

20–सूत्री कार्यक्रम अर्थात प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्षेत्र अधिकारियों के रूप में मंत्रालय के उच्च स्तरीय अधिकारियों को पदनामित करना।

शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा संबंधी राज्य कार्य बलों की बैठक।

प्रारम्भिक स्तर पर नामांकन बढ़ाने और छात्रों को बनाए रखने तथा साथ ही निष्पादन दक्षता में सुधार करने के लिए तीव्र प्रयासों हेतु, जैसा कि 1982–83 में किया गया था, प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापीकरण के लिए एक राष्ट्रीय अभियान का आयोजन करना। समूचे देश को शामिल करने का वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से संचालित इस अभियान में दाखिले को बढ़ाने, हाजिरी पर निगरानी रखने, अध्यापकों के रिक्त स्थानों को भरने, महिला अध्यापकों की भर्ती तथा प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने से संबंधित कार्यों पर ध्यान दिया गया। सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष में अनुवर्ती कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया।

वर्ष 1983–84 के दौरान कक्षा I–VIII में अतिरिक्त नामांकन की संख्या, 20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निश्चित 47.025 लाख के लक्ष्य से अधिक होने की आशा है। चालू योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर अधिक बल दिया गया है, अगली योजना अवधि के दौरान मिडिल स्तर पर अधिक बल दिया जाएगा। 1980–85 के दौरान प्राथमिक स्तर पर 117 लाख अतिरिक्त नामांकन की तुलना में योजना के पहले चार वर्षों के दौरान यह संख्या 95.95 लाख बच्चों तक की होने का अनुमान है। मिडिल स्तर पर 63 लाख के अतिरिक्त दाखिले की संख्या 60.77 लाख तक होने की संभावना है। प्रारम्भिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की उच्च दरों को कम करने तथा स्कूल में शिक्षा जारी रखने वालों की दरों में सुधार करने के लिए भी व्यापक उपाय किए गए हैं।

इसके अलावा, 1983–84 के दौरान गैर-औपचारिक शिक्षा की वैकल्पिक सहायक पद्धति के अन्तर्गत प्राथमिक तथा मिडिल दोनों स्तरों पर कुल 1,13,000 केन्द्रों में 26.64 लाख बच्चे दाखिल थे। शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में 1,02,494 केन्द्रों के माध्यम से ऐसे बच्चों की कुल संख्या 23.86 लाख थी।

व्यापीकरण का कार्यक्रम लक्षित वर्गोन्मुख है। लगभग सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने, लड़कियों को शामिल किए जाने पर विशेष बल देते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को शामिल करने से संबंधित अपनी-अपनी समस्याओं की मात्रा का निर्धारण कर लिया है। इस प्रयोजन के लिए बहुत से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने विशेष गहन प्रयासों के लिए पिछड़े क्षेत्रों/बस्तियों को चुन लिया है। जहां तक पूरे देश का संबंध है नौ राज्यों को, विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य निर्धारित किया गया है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में गहन प्रयत्नों के लिए उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं:—

अगस्त, 1980 में केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा समिति गठित की गई थी जिसके अन्य सदस्य थे—इन राज्यों के शिक्षा सचिव, योजना आयोग के (शिक्षा) सलाहकार, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (स्कूल) इसके सदस्य-सचिव थे। इस समिति को अब 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 संबंधी राष्ट्रीय समिति के रूप में पदनामित किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वित्तीय सलाहकार संयुक्त सचिव (पी०) और निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के भी प्रतिनिधि शामिल हैं।

इनमें से प्रत्येक राज्य में, प्रारम्भिक शिक्षा संबंधी एक-एक राज्य कार्य बल गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष राज्य के शिक्षा सचिव हैं, व अन्य सदस्य हैं: राज्य के संबंधित उच्च पदाधिकारी तथा भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान के प्रतिनिधि।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों को, उनके गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत एक समान हिस्से के आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस वर्ष के दौरान अनुदान के रूप में दी गई कुल राशि 7.47 करोड़ रुपए थी। 1980–81 से लेकर अब तक इन राज्यों द्वारा प्राप्त कुल सहायता 16.14 करोड़ रुपए है।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में गैर-औपचारिक केन्द्र चला रहे स्वैच्छिक शैक्षिक संगठनों को तथा किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र में उन शैक्षिक संस्थाओं को जो नई-नई तथा प्रायोगिक गैर-औपचारिक शिक्षा परियोजना चलाती है, राज्य सरकारों की सिफारिश पर केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है। चालू योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 19.12 लाख रुपए का कुल अनुदान दिया गया जिसमें 31 स्वैच्छिक संगठनों तथा 4 शैक्षिक संस्थाओं को 1983–84 के दौरान दिया गया 8.09 लाख रुपए का अनुदान भी शामिल है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे उन गैर-औपचारिक केन्द्रों की संख्या, जिनके लिए अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं, 1,240 है तथा अनुमानतः 31,000 व्यक्ति दाखिल हैं।

गै० औ० शि० केन्द्रों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि करने के उद्देश्य से शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में मात्र लड़कियों के लिए गै० औ० शि० केन्द्र खोलने के लिए बढ़ी हुई केन्द्रीय सहायता (90%) दी जा रही है। 1983–84 के दौरान प्राथमिक स्तर पर लगभग 10,000 गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

मार्च, 1983 से शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को भी 3–6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिशु शिक्षा केन्द्र चलाने हेतु केन्द्रीय सहायता की योजना के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। ये केन्द्र प्राथमिक/मिडिल स्कूलों के सहायकों के रूप में कार्य करेंगे। 210 शिशु शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के लिए 11.31 लाख रुपए की कुल राशि संस्वीकृत की गई थी।

गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले 22 राज्यों तथा पांच संघ शासित क्षेत्रों को, शिक्षण-अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए अब तक तीन किस्त का कुल 12,650 मीट्रिक टन कागज दिया गया। यह कागज, 20 जनवरी, 1980 को हस्ताक्षरित एक भारत-स्वीडन करार के अंतर्गत स्वीडन की नकद सहायता से खरीदा गया था।

स्कूल भवनों के निर्माण के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु बात-चीत के परिणाम स्वरूप यू० के० सरकार, आंध्र प्रदेश में 11 जिलों के 4 क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए वित्त व्यवस्था करने के वास्ते 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग की सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। संघीय जर्मन गणराज्य की सरकार, प्रारंभिक स्कूलों में प्रयोग के लिए विज्ञान किटों के निर्माण के लिए विज्ञान कार्यशालाएं स्थापित करने में सहायता देने के लिए सहमत हो गई है।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम को और बढ़ावा देने तथा लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिए निष्पादन में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए प्रोत्साहनों/पुरस्कारों की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। विभिन्न प्रशासनिक स्तरों, अर्थात् पंचायत, खण्डों/जन-जाति विकास खण्डों, जिलों तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान करने के लिए 7.00 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

"इनसेट" के माध्यम से सम्प्रेषण के लिए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी वहन करने के लिए "इनसेट" राज्यों में निर्माण केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इसी बीच, केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में "इनसेट" शैक्षिक दूरदर्शन सेवा के लिए दूरदर्शन के साथ प्रस्तुतीकरण की जिम्मेदारी में भाग ले रहा है।

जन संख्या शिक्षा कार्यक्रम

जन संख्या शिक्षा कार्यक्रम युवा पीढ़ी को जनसंख्या समस्याओं की जानकारी तथा राष्ट्र के प्रति उनमें उनके दायित्व की भावना पैदा करने के उद्देश्य से अप्रैल, 1980 में शुरू किया गया था और इसका यह चौथा वर्ष है। इस समय यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश तथा लक्षद्वीप के अलावा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

मूल्योन्मुख शिक्ष

मूल्यों में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए सभी स्तरों पर मूल्योन्मुख शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके लिए रा० शै० अनु० प्र० प० नई शैक्षिक सामग्री तैयार कर रही है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा मूल्योन्मुख शिक्षा शुरू करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्य में लगे कुछेक स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। मंत्रालय द्वारा मूल्मोन्मुख शिक्षा की प्रोन्नति के लिए एक संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए एक योजना भी तैयार की गई है।

शारीरिक शिक्षा

आज कल शारीरिक शिक्षा तथा खेलों को सभी जगह शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में माना जा रहा है। शारीरिक शिक्षा और खेल संबंधी एक नई राष्ट्रीय नीति सरकार के विचाराधीन है। नई नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक केन्द्रीय सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा की प्रोन्नति के कार्यक्रम को 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विस्तृत ढांचे के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के देशव्यापी कार्यक्रम की प्रोन्नति पर जोर दिया गया है। योग की क्षमताओं को एक पारम्परिक शारीरिक स्वस्थता कार्यकलाप के रूप में ध्यान में रखते हुए इसके शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

उच्च शिक्षा

वर्ष 1981-82 को छात्रों का नामांकन 29.52 लाख से बढ़कर 1982-83 में 31.37 लाख हो गया। यद्यपि 1981-82 में पंजीकृत वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष में 6.3 प्रतिशत रह गई, फिर भी, पिछले दशक में नामांकन में हुई 4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि को कायम रखा गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कोटि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा तथा नेहरू अध्ययनों पर विशेष ध्यान दिया गया। कुछेक चुनिन्दा कालेजों में संगणक सुविधाएं शुरू करने की योजनाएं हैं। वर्ष 1983-84 से एक परीक्षा सुधार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्रायः सभी विश्वविद्यालयों की विकासात्मक आवश्यकताओं की निरीक्षण समितियों द्वारा जांच कर ली गई है और उनमें बासठ को अनुमोदित कर दिया गया है। लगभग दो हजार कालेजों के लिए मूल विकास सहायता अनुमोदित कर दी गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के उच्च शिक्षा सम्बंधी विशेष कार्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता के जरिए जोर दिया जाना जारी रहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिए एक समिति स्थापित की गई है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कार्य विशेष रूप से उपयुक्त सुधारों के लागू करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर वि० अनु० आ० के पुनरीक्षणाधीन है।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा के विकास को आर्थिक आयोजन में उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र माना जाता है। अतः छठी पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष बल निम्नलिखित पर दिया जाएगा :

(क) समेकन

(ख) विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम उपयोग,

(ग) कमी वाले क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार,

(घ) देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के नए-नए क्षेत्रों में अवस्थापना का निर्माण,

(ङ) शिक्षा की कोटि तथा स्तर में सुधार और

(च) देश के सामाजार्थिक विकास के एक साधन के रूप में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए राष्ट्रीय प्रयत्नों में तेजी लाना।

नई चुनौतियों को पूरा करने के लिए सतत कार्यक्रमों पर उचित बल देने के अतिरिक्त, निम्नलिखित नई योजनाएं शुरू की गई हैं :—

(क) राष्ट्रीय जन शक्ति सूचना पद्धति,

(ख) उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम

(ग) उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रम,

(घ) अध्ययन संसाधन केन्द्र,

(ङ) संस्थागत तंत्र कार्य योजना,

(च) प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं का सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण,

(छ) पत्राचार पाठ्यक्रम संबंधी विशेष माडल परियोजनाएं, और

(ज) आत्म-निर्भरता का विकास तथा उत्पादक विकास आदि।

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जिसमें 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम तथा छठी पंचवर्षीय योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शामिल हैं, राजकीय शैक्षिक आयोजना में एक उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम के रूप में जारी रखा गया। जैसी कि छठी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई है सरकार ने 15–35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को शतप्रतिशत शामिल करने के लिए नई नीतियां तैयार की हैं। तदनुसार, सरकार की कार्रवाई योजना में महिलाओं, अनुसूचित जन जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लक्षित वर्ग को शामिल करने पर जोर दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस कार्यक्रम में छात्रों द्वारा व्यापक रूप में भाग लेने की योजनाएं तैयार की हैं। गैर साम्प्रदायिक स्वरूप के स्वैच्छिक संगठनों को प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यक्रमों को चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दी जा रही है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड जो प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर तथा उनके कार्यान्वियन के समन्वय की नीतियां प्रतिपादित करने के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए एक चोटी का निकाय है, की बैठक नवम्बर, 1983 में आयोजित की गई तथा कार्यक्रम को बेहतर तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। 30-9-1983 तक लगभग 46 लाख प्रौढ़ निरक्षर नामांकित किए गए। वर्तमान वित्तीय वर्ष तक 60 लाख के लक्ष्य तक पहुंचने की आशा है।

छात्रवृत्तियां

मंत्रालय ने राष्ट्रीय तथा विदेशी छात्रवृत्तियों की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन जारी रखा। इस पर विशेष ध्यान दिया गया है कि निर्धन प्रतिभाशाली वर्गों के छात्र स्कूल तथा उच्च दोनों स्तरों पर अपना अध्ययन जारी रख सकें। इन पर इस दृष्टि से भी विचार किया गया है कि कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को शैक्षिक रूप से समान स्तर पर लाए जाने के लिए शैक्षिक समानता के अधिक पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। मंत्रालय ने अन्य देशों के राष्ट्रिकों को भी उच्च तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति सुविधाएं देना जारी रखा।

पुस्तक प्रोन्नति

मंत्रालय ने सस्ते मूल्य पर अच्छे साहित्य का सृजन करने, लेखकों को प्रोत्साहन देने और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों में पुस्तकों के प्रति अभिरुचि पैदा करने के कार्य जारी रखे। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर पुस्तक अभिरुचि को प्रोत्साहन देने तथा भारतीय पुस्तकों के निर्यात को

बढ़ावा देने के लिए पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा उन्हें आयोजित करना जारी रखा। न्यास ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप किए: 11 से 14 नवम्बर, 1983 तक कलकत्ता में राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेला तथा 4 से 14 फरवरी, 1984 तक नई दिल्ली में VI विश्व पुस्तक मेला रजत जयंती वर्ष के समापन पर न्यास ने 2 से 4 अगस्त, 1983 तक नई दिल्ली में "रा० पु० न्यास के 25 वर्ष" नामक प्रदर्शनी आयोजित की। न्यास के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आदान प्रदान तथा नेहरू बाल पुस्तकालय के कार्यक्रम शामिल हैं। ये विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता तथा ग्रामीण प्रकाशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए है। इनकी प्रगति अच्छी रही। इस संबंध में एक कार्यक्रम था राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद्, (इसका पहला नाम राष्ट्रीय विकास बोर्ड था। इसने 1967 से 1974 तक कार्य किया) को फिर से चालू करना ताकि यह देश की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारतीय पुस्तक उद्योग के विकास के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित कर सके। 26 अगस्त, 1983 को समाप्त होने वाले वर्षाकालीन सत्र के दौरान संसद ने कापीराईट (संशोधन) विधेयक, 1983 पारित किया। कापीराइट कार्यालय ने (30 नवम्बर, 1983 तक) 5307 रचनाएं पंजीकृत की।

भारत सरकार की नीति श्रेण्य, आधुनिक और जनजातीय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन देने की है। आलोच्य वर्ष के दौरान शुरू किए गए कार्यकलापों और कार्यक्रमों का प्रयोजन त्रिभाषा सूत्र और विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की योजना में अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल देते हुए अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करना था ताकि अंग्रेजी के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जा सके। हिन्दी को किसी भी रूप में थोपे बिना अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षण के लिए निम्नलिखित सुविधाएं जारी रखी गई:—स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता, हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए सहायता, इन राज्यों के छात्रों को मैट्रिकुलेशन से आगे हिन्दी अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां, हिन्दी शिक्षण के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता ताकि वे हिन्दी शिक्षण कक्षाएं आयोजित कर सकें। हिन्दी सिखाने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम का आयोजन, प्रणाली विज्ञान तथा इसके शिक्षण पर अनुसंधान करना तथा विभिन्न संगठनों को हिन्दी की पुस्तकें प्रदान करना। इस मंत्रालय द्वारा जनजातीय श्रेण्य तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति तथा विकास हेतु इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों के माध्यम से पुस्तकें, शब्द-कोष अनुसंधान तथा शैक्षणिक सामग्री, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के प्रकाशन तैयार करने/निकालने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारत के विभिन्न भागों में बीस सुलेख केन्द्र कार्य कर रहे हैं। केवल महिलाओं के लिए एक सुलेख केन्द्र स्थापित करने की एक पृथक योजना विचाराधीन है। भारत-विदेश सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली ने जर्मन-हिन्दी, तथा हिन्दी-जर्मन, चैक-हिन्दी तथा हिन्दी-चैक, हंगरी-हिन्दी तथा हिन्दी-हंगरी शब्द कोष/वार्तालाप संदर्शिकाएं तैयार की जा रही हैं। "विदेशों में हिन्दी का प्रचार" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर हिन्दी अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। विदेशों में हिन्दी शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं तथा विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों/मिशनों के माध्यम से हिन्दी पुस्तकें वितरित की जाती हैं। विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को सभी भारतीय भाषाओं के प्रसार तथा विकास हेतु सहायता अनुदान भी दिए गए।

भारत ने यूनेस्को से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा और यूनेस्को के तत्वावधान में आयोजित किए गए अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में भाग लिया।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने जुलाई-अगस्त, 1983 में अपने पांच उप-आयोगों की बैठकें आयोजित की। इसके अतिरिक्त यूनेस्को, के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का सत्रहवां सम्मेलन 16 सितम्बर, 1983 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आयोग की अध्यक्ष की हैसियत से सम्मेलन की अध्यक्षता शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती शीला कौल ने की।

शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती शीला कौल के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कोरिया जनवादी गणतंत्र, पयोनग्यांग में 24 से 28 सितम्बर, 1983 तक आयोजित निर्गुट आन्दोलन तथा अन्य विकासशील देशों के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में भाग लिया।

श्रीमती शीला कौल, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने यूनेस्को के प्रारूप कार्यक्रम तथा 1984-85 के बजट पर विचार करने तथा इसका अनुमोदन करने के लिए 25 अक्तूबर से 26 नवम्बर, 1983 तक पेरिस में आयोजित यूनेस्को महा सम्मेलन के बाईसवें सत्र में भाग लिया।

संक्षेप में

शिक्षा वस्तुतः ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा मूल्यों के संवर्धन की एक तिहरी प्रक्रिया है। सरकार का इस दिशा में अपने प्रयासों को तेज करने का विचार है। तैयार किए गए इन कार्यक्रमों की शुरूआत अच्छी रही है तथा इनका विस्तार भी अच्छा रहा है और ये आने वाले वर्षों में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से प्रभावी सिद्ध होंगे।

संगठन

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में दो विभाग हैं, अर्थात् शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग। ये दोनों ही विभाग राज्य मंत्री के अधीन हैं, जिनकी सहायता एक उप-मंत्री करते हैं।

मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख, सचिव हैं जिनकी सहायता एक विशेष सचिव (उच्च शिक्षा), अपर सचिव तथा शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) करते हैं। मंत्रालय ब्यूरो, प्रभागों, डेस्कों, अनुभागों तथा एककों में विभाजित है। प्रत्येक ब्यूरों का प्रभारी एक संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार है जिसकी सहायता के लिए प्रभागाध्यक्ष हैं। दोनों विभागों का गठन, रिपोर्ट के साथ नत्थी प्रशासनिक चार्ट में दर्शाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत एक सम्बद्ध कार्यालय है और इसके प्रमुख महानिदेशक हैं जो अपर सचिव के प्रति जिम्मेदार हैं।

सम्बद्ध और अधीनस्त कार्यालय स्वायत्त संगठन

मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अन्तर्गत दो सम्बद्ध कार्यालय हैं, अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पिछले कई वर्षों में मंत्रालय के अधीन अनेक अधीनस्थ कार्यालय और संगठन खोले गए हैं। उच्च शिक्षा में स्तरों के निर्धारण और समन्वय के लिए, संसद द्वारा पारित एक कानून के अन्तर्गत विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दायित्वों को निभाने के लिए अनेक संगठन स्थापित किए गए हैं। उनमें से एक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, जो देश भर में स्कूल शिक्षा के गुणात्मक पहलुओं को बढ़ावा देने में कार्यरत है। अन्य महत्वपूर्ण संगठन हैं:—

(i) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
(ii) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला।
(iii) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
(iv) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
(v) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
(vi) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
(vii) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
(viii) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा
(ix) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर
(x) केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद
(xi) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली
(xii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
(xiii) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
(xiv) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर
(xv) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली
(xvi) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता
(xvii) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली

(xviii) राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी, नई दिल्ली

(xix) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

(xx) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता

(xxi) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पांच भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, पन्द्रह क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तीन भारतीय प्रबन्ध संस्थान, चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय खनन स्कूल, धनबाद, आयोजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई और राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची हैं।

कार्य

शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्य हैं—सभी पहलुओं से संबंधित शिक्षा नीति तैयार करना और उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के स्तरों का निर्धारण और उनमें समन्वय स्थापित करना, कापीराइट अधिनियम को लागू करना, पाठ्यपुस्तकों की कोटि में सुधार करना, छात्रवृत्तियों तथा अन्य योजनाओं का संचालन, यूनेस्को के साथ सहायता कार्यक्रमों तथा अन्य कार्यकलापों का समन्वय, सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान का विकास और समन्वय, संस्कृत तथा अन्य श्रेण्य भाषाओं में अध्ययन और अनुसंधान का विकास तथा प्रोत्साहन, गैर औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकलापों को बढ़ाना और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना।

संस्कृति विभाग के महत्वपूर्ण कार्य हैं—राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों का संचालन, प्रदर्शन रूपंकर और साहित्यिक कलाओं को बढ़ावा देना, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में छात्रवृत्तियों का संचालन और विदेशों के साथ सांस्कृतिक करार तथा विदेशी संधियां। विभाग यू० के० तथा फ्रांस में "भारत-उत्सव" जैसी विदेशों में जाने वाली तथा देश में आने वाली प्रदर्शनियों से संबंधित मामलों का समन्वय भी करता है। इस विभाग को, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय कला परिषद के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी नामोद्दिष्ट किया गया है।

अध्याय 2

स्कूल शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा

स्कूल शिक्षा

स्कूल शिक्षा के मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:—

(i) सर्व-सुलभ, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा;

(ii) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण;

(iii) कोटि सुधार

(iv) इन्सैट के संदर्भ में शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को तेज करना;

(v) जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम लागू करना; और

(vi) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रम।

अन्य कार्यक्रम हैं: केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों और भारत में आए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों के लिए स्कूल संबंधी सुविधाएं; महिला शिक्षा; राष्ट्रीय पुरस्कारों के माध्यम से स्कूल अध्यापकों का सम्मान; अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे अध्यापकों का कल्याण; बाल भवन केन्द्रों के माध्यम से बच्चों के लिए पाठ्येत्तर कार्यकलापों की व्यवस्था, रक्षा कार्मिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना

छठी योजना (1980-85) में शैक्षिक विकास के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य आगामी दस वर्षों में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य न्यूनतम शिक्षा की व्यवस्था करना है। यह अनुच्छेद 45 के अनुसार सर्वव्यापी प्रारम्भिक शिक्षा के संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया गया है। तदनुसार, छठी योजना में, प्रारम्भिक शिक्षा को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है जिसके लिए 905 करोड़ रुपये का कुल योजनागत परिव्यय रखा गया है (राज्य क्षेत्र में 851 करोड़ रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र में 54 करोड़ रुपये) अथवा शिक्षा के लिए 2524 करोड़ रुपये के कुल योजनागत परिव्यय का 36 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक शिक्षा घटकों योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (न्यू० आ० का०) का एक अनिवार्य घटक है। क्योंकि 1982 से प्रारम्भिक शिक्षा को भी सूत्र सं० 16 के रूप में सरकार के नए 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इसलिए नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य वर्ष 1989-90 अर्थात् अगली योजना अवधि का अन्तिम वर्ष है। 1981 की जनगणना अनुमानों के आधार पर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 1989-90 में कुल नामांकन 1630 लाख हो जाएगा। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार I–VIII की कक्षाओं में 1983-84 तक कुल नामांकन 1060.75 लाख तक हो जाने की सम्भावना है।

20-सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में देश में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य शिक्षा सचिवों के पांच क्षेत्रीय सम्मेलनों (जनवरी, 1984 में होने वाली निश्चित तीन बैठकों सहित); नई दिल्ली में हुए सभी राज्य शिक्षा सचिवों के दो सम्मेलनों (फरवरी, 1984 में होने वाले तयशुदा एक); और जून 1983 में नई दिल्ली में हुए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के एक सम्मेलन में कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी। इन सम्मेलनों का उद्देश्य वर्तमान स्थिति की जांच करना था ताकि समस्याओं का पता लगाया जा सके और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपायों का निर्णय किया जा सके।

3—812 Edu/83

कार्यक्रम की शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों के विशेष संदर्भ में, राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा समिति (जिसे अब 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 से संबंधित राष्ट्रीय समिति का नाम दिया गया है) की दो बैठकों में भी समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों के शिक्षा सचिवों की अध्यक्षता में प्रत्येक राज्य में स्थापित राज्य कार्य बलों ने अपने-अपने राज्यों में कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक बैठकें की। प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का एक राष्ट्रीय अभियान चालू वर्ष में भी शुरू किया गया था ताकि उद्देश्य को प्राप्त करने में सामूहिक सहयोग की आवयकता पर प्रकाश डाला जा सके। अभियान अवधि को पूरे वर्ष तक बढ़ा दिया गया ताकि संघ शासित क्षेत्र इसे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में शैक्षिक सत्रों के प्रारम्भ करने के अनुसार शुरू कर सकें। देश भर में अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु यह अभियान दाखिला बढ़ाने, उपस्थिति पर नजर रखने, शिक्षकों की रिक्तियां भरने, बड़े पैमाने पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति करने और अनौपचारिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के संबंध में चलाया गया था।

निःशुल्क शिक्षा

अनुच्छेद 45 में दिए गए संवैधानिक निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश में मिडिल स्तर पर 7-8 कक्षाओं में लड़कों को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के सभी स्कूलों में चाहे वे सरकारी, स्थानीय निकाय और सहायता प्राप्त हों, प्राथमिक स्तर पर (कक्षा I से V तक) तथा मिडिल स्तर (कक्षा VI से VIII) तक शिक्षा निःशुल्क है।

अनिवार्य शिक्षा अधिनियम

संवैधानिक निर्देश के अनुसार अनिवार्य शिक्षा के कानून 16 राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार दीपसमूह, चण्डीगढ़ और दिल्ली में लागू हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिनियम में सम्पूर्ण प्रारम्भिक स्तर (कक्षा I-VIII) शामिल हैं जबकि शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इसमें केवल प्राथमिक स्तर ही (कक्षा–I-V) शामिल है।

दाखिले के लक्ष्य और उपलब्धियां

छठी योजना के आधार वर्ष अर्थात् 1979–80 में प्राथमिक स्तर पर दाखिले की संख्या 710.2 लाख अथवा 6–11 आयु वर्ग की जनसंख्या का 83.72 प्रतिशत थी और मिडिल स्तर पर 194.01 लाख अथवा 11–14 आयु वर्ग की जनसंख्या की 40.16 प्रतिशत थी। छठी योजना के दौरान, अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य 6–14 आयु वर्ग की जनसंख्या में 180 लाख, प्राथमिक स्तर पर 117 लाख और मिडिल स्तर पर 63 लाख है। यदि लक्ष्य पूरा कर लिया गया तो 1984–85 तक नामांकन संख्या 1971 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार आयु वर्ग जनसंख्या अनुमानों के आधार पर प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर क्रमशः 95% और 50 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी। छठी योजना के दौरान नामांकन लक्ष्यों की प्राप्ति की उपलब्ध रिपोर्टों से स्थिति सुदृढ़ और प्रगतिशील प्रतीत होती है जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है:–

(लाख रुपए में)

(कोष्टों में दिए गए आंकड़े नामांकन अनुपात दर्शाते हैं)

	1979–80 (वास्तविक)	1980–81 (उपलब्धियां)	1981–82 (उपलब्धियां)	1982–83 (उपलब्धियां)	1983–84 (संभावित उपलब्धियां)	1984–85 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
6–11 आयुवर्ग नामांकन कक्षा I–V	710.02	727.16	753.25	775.93	805.97	836.77

1	2	3	4	5	6	7
आयु वर्ग जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में नामांकन	(83.72)	(85.23)	(87.76)	(89.87)	(93.3)	(95.73)
आयुवर्ग 11–14 नामांकन कक्षा VI से VIII	194.01	204.01	218.13	235.81	254.78	272.37
आयु वर्ग जनसंख्या की प्रतिशता के रूप में नामांकन	(40.16)	(41.72)	(43.96)	(46.90)	(50.7)	(53.23)
आयुवर्ग 6–14 नामांकन : (कक्षा I–VIII)	904.03	931.47	971.38	1011.74	1060.75	1109.14
आयुवर्ग जनसंख्या की प्रतिशता के रूप में नामांकन	(67.91)	(69.36)	(71.71)	(74.05)	(78.01)	(80.04)

वर्तमान संकेतों के अनुसार, चालू योजना अवधि तक प्रारम्भिक स्तर पर 180 लाख बच्चों के अतिरिक्त नामांकन लक्ष्य 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के सम्बन्ध में 25 लाख तक बढ़ जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक, मिडिल और प्रारम्भिक स्तरों पर नामांकन का छठी योजना के दौरान, मूलतः रखा गया अनुपात भी मूल अनुपातों से बढ़ जायेगा।

अनौपचारिक क्षेत्र

औपचारिक पद्धति द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट नामांकन स्थिति के अन्तर्गत वर्तमान योजना अवधि तक सारे देश में लगभग 35 लाख बच्चों के शामिल किये जाने की आशा है। इनमें से 31 लाख शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों के होंगे। यदि यह लक्ष्य पूरा हो जाता है तो प्रारम्भिक स्तर पर कुल अतिरिक्त नामांकन 240 लाख हो जाने की आशा है।

पहले बताये गये नामांकन लक्ष्य आंकड़े तथा प्रतिशतता दोनों 1971 की जनगणना जनसंख्या अनुमानों पर आधारित है। 1981 के जनणना अनुमानों के अनुसार नामांकन की वही प्रतिशता अर्थात् प्राथमिक स्तर पर 95 प्रतिशत तथा मिडिल स्तर पर 50 प्रतिशत प्राप्त करने के लिये न्यूनतम नामांकन 264 लाख हो जाना चाहिये।

दाखिले और स्कूलों में बच्चों की शिक्षा जारी रखने की नीति

प्रारम्भिक आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की अधिकतम संख्या विशेष रूप से प्राथमिक आयु वर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों जैसे कमजोर वर्गों की है। ऐसे बच्चे शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों/खण्डों में संकेन्द्रित हैं। इसके अतिरिक्त गैर-दाखिल बच्चों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों सहित लगभग 70 प्रतिशत संख्या लड़कियों की है। अतः शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का कार्यक्रम लक्ष्य वर्गोन्मुख है जिसके लिये शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों तथा क्षेत्रों/खण्डों में संकेन्द्रित प्रयास करने की जरूरत है। इस पृष्ठभूमि में, मूल नीति के हिस्से के तौर पर उठाये गये विशेष कदम निम्नलिखित हैं :—

(i) सम्पूर्ण देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्य हैं : आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(ii) अधिकांश राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने ध्यान संकेन्द्रित करने के लिये पिछड़े क्षेत्र/खण्ड निर्धारित किये हैं और गैर-दाखिल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के छात्रों की संख्या निश्चित की है और नामांकन के लिये वर्षवार लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

(iii) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों सहित लड़कियों का नामांकन बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

(iv) राज्यों द्वारा निशुल्क पाठ्यपुस्तकों और लेखन सामग्री की व्यवस्था, वर्दियों की निशुल्क सप्लाई, विशेष रूप से लड़कियों के लिये उपस्थिति छात्रवृत्तियां, विशेषतः लड़कियों के लिये और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन, कार्यक्रम जैसे प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अन्तर्गत नामांकन बढ़ाने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राज्यों को स्कूल छोड़कर चले जाने वाले बच्चों की दरों में कमी करने के विस्तृत तौर पर उपायों के सुझाव दिये गये हैं। ये निम्नलिखित हैं:--कक्षा VIII तथा "कोई फेल नहीं" सहित ग्रेड रहित स्कूल पद्धति, एकल अध्यापक प्राथमिक स्कूल को द्वि-अध्यापक स्कूलों में परिवर्तित करना, व्यवहार्य जनसंख्या वाली सभी बस्तियों में स्कूली सुविधाओं की व्यवस्था, प्राथमिक स्कूलों के सहायक स्कूलों के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु (पूर्व-स्कूल) शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, लड़कियों की शिक्षा की प्रोन्नति, पाठ्यचर्या सुधार, भौतिक सुविधाओं में सुधार, अध्यापकों की दक्षता में सुधार, सामूहिक सहयोग और इन सबसे अधिक उन बच्चों के लिये एक व्यापक अनौपचारिक अंशकालीन शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था जो समाजार्थिक कारणों से औपचारिक स्कूलों में दाखिल नहीं हो सकते हैं।

प्रारम्भिक आयुवर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक अंशकालीन शिक्षा

सभी राज्यों तथा पांच संघशासित क्षेत्रों ने अध्ययन प्रारम्भ न करने वाले और बीच में ही अध्ययन छोड़ देने वाले बच्चों सहित स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिये अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किये हैं। अनौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के प्रभावशाली व्यापक विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पर शैक्षिक रूप से पिछड़े उन नौ राज्यों में अधिकतम जोर दिया जा रहा है जिन्हें अनौपचारिक शिक्षा की एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। 1979-80 की अन्तिम तिमाही में शुरू की गई इस योजना के व्यय को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबरी के आधार पर वहन किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान अब तक 7.47 करोड़ रुपये का कुल अनुदान (अभी दिये जाने वाले अनुदानों सहित) संस्वीकृत किया गया है। 2.71 करोड़ रुपये की धनराशि उन्हें शीघ्र ही दूसरी किस्त के रूप में प्रदान की जायेगी जिससे कुल राशि 7.32 करोड़ हो जायेगी। 1980-81 से राज्यों को प्राप्त कुल सहायता 16.14 करोड़ रुपये है जो छठी योजना परिव्यय के 25 करोड़ रुपये में से है। इसके साथ-साथ राज्यों को इस कार्यक्रम के लिये 2 करोड़ रूपये की धनराशि 1979-80 की अन्तिम तिमाही में दी गई थी।

राज्य सरकार की पद्धति पर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने वाली स्वैच्छिक शिक्षा संस्थाओं तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में से किसी भी राज्य/संघशासित क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक और अभिनव परियोजनाओं को शुरू करने वाली सरकारी अथवा प्राइवेट, शिक्षा संस्थाओं को राज्य सरकारों की सिफारिश पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। अब तक 31 स्वैच्छिक संगठनों तथा 4 शैक्षिक संस्थाओं को कुल 19.12 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसमें इस वर्ष के दौरान 8.09 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम ने विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में अच्छी गति पकड़ ली है। 1983-84 के दौरान, कुल 1,13,000 से अधिक अनौपचारिक केन्द्रों के माध्यम से सम्पूर्ण देश में कुल अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रों में 26.64 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। वर्ष के दौरान, शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में 1,02,494 केन्द्रों के माध्यम से कुल 23.86 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे अनौपचारिक केन्द्रों की संख्या 1,240 है जिनमें अनुमानित 31,000 व्यक्ति लाभान्वित हैं।

शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में लड़कियों का नामांकन बढ़ाने के लिये बढ़ाई गई (90%) केन्द्रीय सहायता मात्र लड़कियों के लिये अनौपचारिक केन्द्र स्थापित करने हेतु दी जा रही है। वर्ष 1983–84 के दौरान लगभग 10,000 ऐसे अनौपचारिक शिक्षा प्राथमिक स्तरीय केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

अनौपचारिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय कागज सहायता

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, दादरा तथा नगर हवेली लक्षद्वीप और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में प्रारम्भिक आयु वर्गीय बच्चों के लिये व्यापक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के वास्ते शिक्षण अध्ययन सामग्री, सन्दर्शिकाओं आदि के निर्माण के लिये मंत्रालय कागज के रूप में सहायता दे रहा है। 1979—84 तक पांच वर्षीय अवधि के लिये भारत और स्वीडन के बीच 20 जनवरी, 1980 को हस्ताक्षर हुए एक करार के अन्तर्गत स्वीडन, 7.5 करोड़ स्वीडिस क्रोनर्स अथवा 14 करोड़ रूपये की नकद सहायता दे रहा है। अब तक कुल 12,650 मीट्रिक टन कागज प्राप्त किया गया है और राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को दिया गया है। भारतीय राज्य व्यापार निगम ने भारत सहित विश्वव्यापी पूछताछ के बाद कागज की तीन किस्म प्राप्त की थीं।

स्कूल भवनों के निर्माण के लिये विदेशी सहायता प्राप्त करने से संबंधित बातचीत के फलस्वरूप यू० के० सरकार आन्ध्र प्रदेश के 11 जिलों में 4 समूहों में प्राथमिक स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु वित्त व्यवस्था के लिये 10 लाख पाउण्ड स्टर्लिंग की सहायता देने के लिये सहमत हो गई हैं। संघीय जर्मन गणराज्य सरकार प्रारम्भिक स्कूलों में उपयोग के लिये विज्ञान किटों के निर्माण के सम्बन्ध में विज्ञान कार्यशालायें स्थापित करने में सहायता देने के लिये सहमत हो गई है।

प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापीकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिये तथा लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिये निष्पादन में श्रेष्ठता को मान्यता प्रदान करने के लिये प्रोत्साहन/पुरस्कारों की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। विभिन्न प्रशासनिक स्तरों, अर्थात् पंचायत, खण्डों, जिलों तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पुरस्कार देने के लिये 7.00 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध है।

लड़कियों के नामांकन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, जो एक गम्भीर लक्ष्य वर्ग है यह निर्णय किया गया है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों, विशेष रूप से ग्रामीण/पिछड़े/पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में महिला शिक्षकों को नियुक्त करने का 80% खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, बशर्तें कि शेष 20% राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाये। इस योजना के अन्तर्गत इन राज्यों में 8000 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के लिए केन्द्रीय अनुदान

बीच में ही अध्ययन छोड़ देने वालों बच्चों के लिए तथा बच्चों को स्कूल में ही रोके रखने के लिए एक विशिष्ट नीति के रूप में छठी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिशु (पूर्व-स्कूल) शिक्षा, विशेष रूप से प्रथम पीढ़ी के पढ़ने वाले परिवारों के लिए शिक्षा का सुझाव दिया गया था। तदनुसार, प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के सहायकों के रूप में शिशु शिक्षा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर की पहली दो कक्षाओं में कमजोर वर्गों के बच्चों के मामलों में बीच में ही स्कूल छोड़ देने वालों की दर सबसे अधिक है। ऐसे बच्चों के लिए शिशु शिक्षा, उनके सम्प्रेषणात्मक (भाषा) तथा ज्ञानात्मक (सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक एवं वैयक्तिक विकास) कौशलों में सुधार करने के उद्देश्य से तैयार की गई है जिससे कि इन बच्चों का प्राइमरी स्कूल में दाखिला सुनिश्चित हो सके। स्कूलों के सहायक के रूप में ऐसे केन्द्र, इन बच्चों की देखभाल करने वालों के लिए भी, जो आम तौर पर लड़कियां ही होती हैं, स्कूलों में

दाखिला लेकर पढ़ाई करने में सहायक हो सकेंगे और ये लड़कियां अपने छोटे भाई-बहनों को केन्द्रों में छोड़कर स्वयं भी पढ़ सकेंगी । इन दोनों ही लक्ष्यों से बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की दर में काफी कमी हो जाएगी । ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे शिशु शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए छठी योजना के अन्तर्गत एक करोड़ रु० के परिव्यय के साथ एक योजना बनाई गई थी । संशोधित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता उपलब्ध है । मार्च, 1983 के अन्त में आन्ध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 2,97,990 रु० के अनुदान मंजूर किए गए। 1983-84 के दौरान 8,32,785 रु० की राशि के अनुदान मंजूर किए गए।

यूनिसेफ की सहायता से पाठ्यचर्या सुधार की परियोजनाएं

प्राथमिक शिक्षा पाठयचर्या मुख्यत: ज्ञानोन्मुख है और इसी वजह से यह देश के विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों की जीवन पद्धतियो तथा आवश्यकताओं के न तो अनुरूप है और न ही रुचिकर, बीच में ही अध्ययन छोड़ देने वाले बच्चों की दर अधिक होने का यह भी एक प्रबल कारण है । प्राथमिक पाठ्यचर्या को विकेन्द्रित करने तथा उसे स्थानीय परिस्थितियों तथा बच्चों की जीवन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए यूनिसेफ की सहायता से पांच परियोजनाएं शुरू की गई हैं ये हैं :-(1) पोषण/स्वास्थ्य शिक्षा तथा पर्यावरण स्वच्छता (पो०/स्वा० शि० प० स्व०) (औपचारिक), (2) प्राथमिक शिक्षा पाठयचर्या नवीनीकरण (प्रा० शि० प० न०) (औपचारिक), (3) सामुदायिक शिक्षा तथा सहभागिता में विकासात्मक कार्यकलाप (सा० शि० स० वि० का०) (अनौपचारिक), (4) प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच (प्रा० शि० व्या० प०) (अनौपचारिक) तथा (5) शिशु शिक्षा (शि० शि०) (अनौपचारिक) पाठ्यचर्या सुधार मुख्यत: एक शैक्षिक कार्य है इसके लिए केन्द्रीय स्तर पर कार्यान्वियन एजेन्सी, रा० शै० अनु० तथा प्रशि० परिषद है । इसके प्रतिपक्ष संगठन, रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद/राज्य शिक्षा संस्थान हैं । सभी परियोजनाएं कार्यान्वियन के प्रयोगात्मक चरणों में हैं । उनके मूल्यांकन तथा उसमें शामिल सकंल्पनाओं तथा विकसित तकनीकों के प्रसार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

पोषण/स्वास्थ्य शिक्षा तथा पर्यावरण स्वच्छता

चालू मास्टर कार्य योजना के अन्तर्गत पांच क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ 1975-76 में शुरू की गई पोषण स्वाथ्य शिक्षा तथा पर्यावरण स्वच्छता की परियोजना को 14 अतिरिक्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लगभग 1400 प्राथमिक स्कूलों में प्रयोगात्मक रूप में शुरू करने का प्रस्ताव था । इस परियोजना के अन्तर्गत प्रायोगिक स्कूल के इर्द-गिर्द के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद छात्रों के लिए पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरणात्मक सफाई संबंधी पाठयचर्या सामग्री विकसित की जाती है । इस परियोजना में शिक्षण-प्रशिक्षकों तथा पर्यवेक्षकों का अनुस्थापन/प्रशिक्षण भी शामिल है । पांच क्षेत्रीय केन्द्रों ने मिलकर इसे एक ही साथ 2295 प्राथमिक स्कूलों में कार्यान्वित किया जिसमें 2.80 लाख बच्चे शामिल थे । चालू मास्टर कार्य योजना अवधि के दौरान, नए राज्यों में प्रयोगात्मक स्कूलों की संख्या 1400 प्राइमरी स्कूल होनी थी । 14 अतिरिक्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में से, 12 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ इस योजाना को कार्यान्वित करने के लिए समझौते किए गए थे।

प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण

यह परियोजना 1975-76 में शुरू की गई थी । प्राथमिक शिक्षा पाठयचर्या नवीकरण नामक परियोजना के प्रयोगिक कार्यान्वियन चरण में 1980 तक 13 राज्य तथा दो संघ शासित क्षेत्र शामिल थे जिनमें 450 प्रयोगात्मक प्राथमिक स्कूल तथा 45 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शामिल थे। इस समय, इसे एक संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका लाभ 180 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, 2470 प्राइमरी स्कूल, 11000 शिक्षक तथा 4 लाख छात्रों को पहुंच रहा है । राज्य/संघ शासित क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रीकृत तथा प्रासंगिक पाठ्यचर्या तैयार करने के उद्देश्य से, इस परियोजना के अन्तर्गत तैयार की गई

पाठ्यचर्या तथा शिक्षण सामग्री का प्रयोगात्मक प्राथमिक स्कूलों में परीक्षण कया जाता है, और परीक्षणों व प्राप्त सुझावों के आधार पर इसे संशोधित किया जाता है और तत्पश्चात् इसे सम्पूर्ण राज्य/संघ शासित क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है। इस परियोजना कार्य में क्षेत्र का सामाजार्थिक तथा शैक्षिक सर्वेक्षण, विभिन्न स्तरों पर प्रमुख तथा परियोजना कार्मिकों का प्रशिक्षण पाठ्यचर्या योजनाओं तथा पुस्तकों और गाइडों का विकास भी शामिल है। वर्ष 1983 के दौरान, 4500 भाग लेने वालों को प्रशिक्षण दिया गया। सफल प्रयोगों के पश्चात् कुछेक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, जैसे कि महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान तमिलनाडु, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा गुजरात, सिक्किम तथा मिजोरम में इसे व्यापक रूप से प्रचालित करने का काम शुरू किया गया है। कुछेक राज्यों, जैसे कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप ने प्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए अपनी आवश्यकता पर आधारित पाठ्यचर्या तथा शिक्षण सामग्री का विकास करना आरम्भ कर दिया है।

सामुदायिक शिक्षा तथा सहभागिता में विकासात्मक कार्यकलाप

इन्हीं राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण परियोजना के साथ-साथ 1975-76 में सामुदायिक शिक्षा में विकासात्मक कार्यकलाप और सहभागिता योजना आरम्भ की गई थी। इस समय एक संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर यह परियोजना प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण परियोजना की भांति सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं ऐसे बड़े वर्गों की न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवहार्य साधनों के रूप में नई प्रकार के शैक्षिक कार्यकलापों का विकास करना तथा उनकी जांच करना है जो आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की शिक्षा से वंचित हैं तथा इस बात की जांच करना है कि क्या स्कूलों तथा समाज के बीच द्विभाजन को दूर करके, स्कूल समाज की सहायता कर सकते हैं ताकि स्कूल समुदाय के अन्य वर्गों के बीच सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक बन सकें। प्रयोगिक चरण (1976-80) के अन्तर्गत, प्रत्येक सहभागी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए दो-दो केन्द्र स्थापित किए गए थे। इस समय, इस परियोजना के अंतर्गत 102 सामुदायिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं। जहां तक नामांकन का सम्बन्ध है, 102 केन्द्रों में से 80 केन्द्रों में, जिनके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है, कुल नामांकन 8383 था। परियोजना क्षेत्र में, सम्पूर्ण समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3-4, तथा 6-14, 15-35 आयु वर्ग को अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठयचर्या सामग्री का विकास किया जा रहा है। 6-14 और 15-35 आयु वर्ग के लिए तैयार की गई कुछ अच्छी सामग्री को अलग-अलग आयु वर्गों में अनौपचारिक शिक्षा के लिए केन्द्रों में व्यापक प्रयोग वास्ते सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

शिशु शिक्षा

शिशु शिक्षा परियोजना से पहले बाल संचार माध्यम प्रयोगशाला (बा० सं० मा० प्र०) थी जिसे 1977 में रा० शै० अनु० प्र० प० में केन्द्रीय स्तर पर शुरू किया गया था। वर्तमान मास्टर कार्य योजना अवधि के दौरान शिशु शिक्षा परियोजना में दो घटक शामिल हैं, अर्थात् बाल संचार माध्यम प्रयोगशाला के अन्तर्गत कार्यकलापों का जारी रखना और 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस परियोजना को प्रयोगात्मक चरण में आरम्भ करना। पहले घटक के अन्तर्गत पूर्व-स्कूल आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल सामग्री, चित्र पुस्तकें, रेखाचित्र तथा रेडियो और दृश्य-श्रव्य सामग्री तैयार की जाती है। दूसरे घटक के अन्तर्गत पूर्व-स्कूल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नई क्षमता का विकास करने, अनुसंधान और विकासात्मक कार्यकलापों का विस्तार तथा माडल पूर्व स्कूल केन्द्रों का विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि वर्तमान मास्टर कार्य योजना अवधि के दौरान बाल संचार माध्यम प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यकलाप जारी रखे गए हैं, तथापि 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इन राज्यों में से नौ राज्यों ने करार कर लिए हैं। यह परियोजना इन राज्यों में से प्रत्येक में एक-एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में तथा 65 शिशु शिक्षा केन्द्रों में कार्यान्वित की जा रही है। बिहार तथा उड़ीसा राज्यों के 113 पूर्व स्कूल

शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, बिहार उड़ीसा तथा कर्नाटक राज्यों में 103 पर्यवेक्षकों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में पूर्व स्कूल शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए 24 हस्त-पुस्तिकाओं का विकास किया गया, कर्नाटक, उड़ीसा तथा तमिलनाडु राज्यों में बच्चों के लिए 142 प्रारूप पुस्तिकाओं का विकास किया गया। महाराष्ट्र में पूर्व स्कूल बच्चों के लिए 7 हस्त-पुस्तिकाएं तथा पूर्व स्कूल शिक्षकों के लिए 13 हस्त-पुस्तिकाएं प्रकाशित की गईं।

प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच

29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वियन के लिए शुरू की गई प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच नामक परियोजना का उद्देश्य, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के इर्द-गिर्द के अनौपचारिक अध्ययन केन्द्रों में उपयोग के लिए प्रासंगिकता पर आधारित अध्ययन सामग्री तैयार करना है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक अनिवार्य भाग के रूप में व्यावहारिक शिक्षण जैसी प्रशिक्षण-एवं-उत्पादन पद्धति लागू करके, स्कूल न जाने वाले बच्चों की आवश्यकताओं और जीवन परिस्थितियों के अनुसार विकेन्द्रीकृत पाठ्यचर्या का विकास किया जाता है। यह परियोजना तीन चरणों में कार्यान्वित की जा रही है। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रचुर मात्रा में एवं विविधतापूर्ण अध्ययन, प्रसंगों का विकास तथा निर्माण शामिल है। दूसरे चरण के अन्तर्गत गैर-औपचारिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना/अंगीकरण तथा उनके संचालन सम्बन्धी कार्यकलाप शामिल हैं। तीसरे चरण के अन्तर्गत मूल्यांकन केन्द्रों की स्थापना तथा प्रत्यायन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यकलाप शामिल हैं। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एक सी प्रगति नहीं हो पाई है, परन्तु पर्याप्त कार्य हो चुका है। राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों के टीम सदस्यों, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपलों, शिक्षक–प्रशिक्षकों तथा शिक्षा अधिकारियों के लिए अनेक अनुस्थापन/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा कार्यशालाएं आयोजित की गई। देश के 30 राज्य शिक्षण संस्थान/राज्य शै० अ० तथा प्र० परिषद/एस० आई० ई० आर० टी०/डी० एस० ई० आर० टी०/ एस० आई० एस० ई० तथा 980 प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र इस परियोजना के कार्यान्वियन में लगे हुए हैं। परियोजना के आरम्भ से 150 आर० डी० आर० सी० (एस० आई० ई०/एस० सी० ई० आर० टी०) टीम सदस्यों को अध्ययन सामग्री तैयार करने सम्बन्धी प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षण दिया गया है, सी० ए० पी० ई० परियोजना के शैक्षिक तथा प्रशासनिक पहलुओं के बारे में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 893 प्रिंसिपलों को प्रशिक्षण दिया गया और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 5741 शिक्षक प्रशिक्षकों तथा 1201 सेवारत शिक्षकों को अध्ययन सामग्री तैयार करने सम्बन्धी प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षित किया गया जबकि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण परिषदों के 3,009 शिक्षक प्रशिक्षकों को अध्ययन सामग्री तैयार करने सम्बन्धी प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया गया। कम अथवा कोई भी अध्ययन क्षमता न रखने वाले नौसिखियों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने से सम्बन्धित प्रणाली विज्ञान में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 818 शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिला और ब्लाक स्तरों पर 1974 शिक्षा अधिकारियों को आयोजना तथा प्रबन्ध पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया, 337 कला शिक्षकों/कलाकारों को अध्ययन सामग्री के लिए चित्र तैयार करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया। 13 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों ने प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या को संशोधित कर दिया है तथा 15 राज्यों व 2 संघ शासित क्षेत्रों ने अध्ययन सामग्री के विकास तथा परीक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण एवं उत्पादन पद्धति लागू कर दी है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/आई० टी० टी० सी० के शिक्षक प्रशिक्षार्थियों, सेवारत शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए लगभग 400 माडयूलों के सम्बन्ध में प्रकाशन के लिए कार्रवाई की गई तथा आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा 209 अध्ययन प्रसंग प्रकाशित किए जा चुके हैं।

अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

1958–59 में शुरू की गई अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना को जारी रखा गया। इस पुरस्कार में एक रजत पदक, एक प्रमाण-पत्र तथा 1500/– रु० की नकद राशि शामिल होती है।

अध्यापकों को वर्ष 1982 के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित करने के लिए एक समारोह शिक्षक दिवस अर्थात् 5 सितम्बर, 1983 को सम्पन्न हुआ जिसमें राष्ट्रपति ने पुरस्कार वितरित किए। राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए देश भर से एक सौ पांच अध्यापकों का चयन किया गया इनमें से 57 प्राथमिक स्कूल अध्यापक, 43 माध्यमिक शिक्षक, 4 संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षक तथा एक अरबी/फारसी शिक्षक था।

वर्ष 1983 से इन पुरस्कारों की संख्या 124 से बढ़ाकर 186 कर दी गई है। अब तक वर्ष 1983 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए 140 अध्यापकों को चुना गया है। इनमें से 75 प्राथमिक स्कूल शिक्षक, 60 माध्यमिक स्कूल शिक्षक तथा 5 संस्कृत/अरबी शिक्षक हैं।

ब्रिटिश तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण पुरस्कार

अखिल भारतीय गणित शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च गणित में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए गणित शिक्षा विकास एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, लाफबोरो, इंग्लैण्ड में इस वर्ष 23 अधिछात्रवृत्तियां उपलब्ध थी। सभी 23 अधिछात्रवृतियों का उपयोग कर लिया गया है तथा चुने गए व्यक्ति यू० के० में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये व्यक्ति, पंजाब, गोआ, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा अजमेर, भोपाल और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों से चुने गए थे। अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बीस पुरस्कार उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से नौ-नौ अध्यापक तथा रा० शै० अ० तथा प्रशि० प० के क्षेत्रीय कालेजों से दो अध्यापक चुने गए थे। अध्यापक, प्रशिक्षण के लिए यू० के० के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, रा० शै० अ० तथा प्र० प०/ राज्य शै० अ० तथा प्र० प० के कर्मचारियों के लिए तीन अल्पावधि शिक्षा वृत्तियों की भी पेशकश की गई है जिससे कि उन्हें अनुवर्ती कार्यकलापों की सफलता के लिए कार्यक्रम से परिचित कराया जा सके।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश परिषद ने इस प्रयोजन के लिए 15 पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस वर्ष शैक्षिक प्रौद्योगिकी में सात व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ब्रिटिश परिषद के पास इस समय कई नामांकन विचाराधीन हैं जिन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिए जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय, पब्लिक और आवासीय स्कूलों में एन० सी० सी० जूनियर डिविजन ट्रुप्स

मंत्रालय, 60 : 40 के आधार पर रक्षा मंत्रालय के साथ इस कार्यकलाप पर होने वाला खर्च वहन करता है। इस कार्य के लिए महानिदेशक एन० सी० सी० को 5.60 लाख की राशि उपलब्ध की गई है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में 1972–73 में शुरू किया गया शैक्षिक प्रौद्यागिकी कार्यक्रम छठी योजना के दौरान भी चल रहा है। इसका उद्देश्य है : शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना तथा सभी शैक्षिक प्रौद्योगिकी के समेकित उपयोग द्वारा, जिसमें रेडियो तथा दूरदर्शन भी शामिल हैं। शिक्षा तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना। इस योजना को राज्यों में शैक्षिक प्रौद्यागिकी सैलों तथा रा० शै० अ० तथा प्र० परि० में शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र के जरिए कार्यान्वित किया जाता है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल

पुराने शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों की स्थापना तथा कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध थी जिसके पश्चात् ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बन गए। इस योजना के अन्तर्गत उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए तथा कार्यक्रम के प्रभाव को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, सभी राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। संघ शासित क्षेत्रों में भी शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल स्थापित किए जा रहे हैं। यह, संशोधित शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के माध्यम से किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत आवश्यक शैक्षिक तथा तकनीकी स्टाफ के साथ शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों को सीमित उत्पादन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इससे शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों को आकाशवाणी/दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण-कार्य में प्रयोग करने में मदद मिलेगी तथा इससे वे भविष्य में "इनसैट" परियोजना

4—812 Edu/83

में भाग लेने के लिए तैयार होने में समर्थ हो सकेंगे। संशोधित योजना, नवम्बर, 1982 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित की गई थी। संशोधित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता पांच वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है। अभी तक राज्यों का प्रत्युत्तर सीमित रहा है तथा केन्द्रीय सहायता का लाभ थोड़े से ही राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उठाया गया है।

"इनसेट"

शिक्षा परियोजना कार्यक्रम के लिए "इनसैट" के अन्तर्गत छः "इनसैट" राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमबद्ध रूप में निर्माण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। पांच एस० आई० ई० टी० के० स्थाई भवनों तथा साथ ही सी० आई० बी० टी० के भवन निर्माण का कार्य अन्तरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। चूंकि निर्माण केन्द्रों के स्थायी भवन केवल 1985 के अन्त तक ही उपलब्ध हो सकेंगे, अतः यह निर्णय किया गया है कि इस प्रयोजन के लिए किसी उपयुक्त भवन को एक स्टूडियो में बदल कर इन छः राज्यों में एक-एक अस्थायी स्टूडियो स्थापित किया जाए।

ये अस्थायी स्टूडियो सम्भवतः 1984 के मध्य तक अपना कार्य आरम्भ कर देंगे। अस्थायी स्टूडियो को शुरू करने के लिए रा० शै० अनु० तथा प्रशि० परि० द्वारा अपेक्षित उपस्करों का आर्डर दे दिया गया है, निर्माण केन्द्रों की स्थापना के लिए "इनसैट" राज्यों को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान

विद्यमान शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा शिक्षण साधन विभाग को मिलाकर तथा इसे पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करके रा० शै० अ० तथा प्र० परि० द्वारा एक केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना की गई है। इस समय "इनसैट" दूरदर्शन सेवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में चल रही है। इस सेवा के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण सी० आई० ई० टी० तथा दूरदर्शन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, अर्थात् सी० आई० ई० टी० द्वारा 160 कार्यक्रम तथा दूरदर्शन द्वारा 240 कार्यक्रम। सी० आई० ई० टी० अतिरिक्त कार्यक्रमों की अधिकाधिक जिम्मेदारी लेगा। एक बार राज्य निर्माण केन्द्रों द्वारा कार्य शुरू कर देने पर, अलग-अलग निर्माण केन्द्रों द्वारा अपने-अपने राज्यों द्वारा प्रयोग के लिए कार्यक्रम बनाए जाएंगे। गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में शैक्षिक दूरदर्शन सेवा अगस्त, 1984 से शुरू हो जाने की आशा है।

आकाशवाणी का उपयोग

शैक्षिक प्रसारण के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं मार्गदर्शन के लिए सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को परिचालित कर दी गई हैं। शिक्षा के लिए रेडियो का उपयोग करने के सम्बन्ध में एक कार्यदल का गठन किया गया है। इससे आशा है कि यह वर्ष 1983-84 की समाप्ति से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

शिक्षा में मूल्योन्मुख अनुस्थापन

आजकल नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर मूल्योन्मुख अनुस्थापन की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने दो कार्यदल नियुक्त किए, पहला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए, विशेषकर, छात्रों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्य पैदा करने के उद्देश्य से, दूसरा ऐसे माडल स्कूल आरम्भ करने के लिए जो पूर्णतः पुनर्निमित आधारों पर सामान्य शिक्षा के अंग के रूप में नैतिक शिक्षा प्रदान कर सके।

कार्य दलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। शिक्षा को मूल्योन्मुख बनाने की सामान्य नीति इस प्रकार है :—(क) नई शैक्षिणिक सामग्री तैयार करना, (ख) शिक्षा को मूल्योन्मुख बनाने के लिए शिक्षकों को विशेष रूप से तैयार करना, (ग) इस प्रयास को व्यावहारिक रूप देने के लिए विशेष संस्थाओं की स्थापना। 1982—83 के दौरान शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इन संस्थाओं के अनुरक्षण तथा संचालन के लिए नैतिक और

आध्यात्मिक संस्थान, मैसूर और बाल विकास शिक्षा न्यास, बम्बई के लिए अनुदान संस्वीकृत किए हैं। मंत्रालय ने मूल्योन्मुख शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के लिए अनुदान देने की एक योजना भी तैयार की है।

रा० शै० अनु० प्र० परि० नैतिक शिक्षा संबंधी एक माडल योजना पर काम कर रही है। स्कूलों के लिए नैतिक शिक्षा संबंधी पाठ्यचर्या के विकास हेतु एक गाइड तैयार कर ली गई है। रा० शै० अनु० प्र० परि० नैतिक शिक्षा पर पूरक पुस्तकें भी निकाल रही है। शिक्षण सामग्री को चार्टों और फिल्मों के रूप में विकसित करने के लिए कदम उठाये गए हैं।

मंत्रालय द्वारा मूल्योन्मुख शिक्षा के विकास के लिए एक संसाधन केन्द्र स्थापित करने हेतु एक योजना बनाई गई है।

स्कूली शिक्षा की 10+2+3 पद्धति

अब तक स्कूली शिक्षा की 10+2 पद्धति को 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में अपनाया गया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में अभी तक 11 वर्षीय शिक्षा पद्धति ही चल रही है, यद्यपि, पंजाब सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से 10+2 की नई पद्धति अपनाने का निर्णय किया है। मेघालय, नागालैण्ड, और मिजोरम में दसवीं कक्षा के बाद 2 वर्ष की पूर्व-विश्वविद्यालय पद्धति है।

अब तक 10+2 शिक्षा प्रणाली अपनाने वाले राज्य/संघशासित क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. जम्मू और कश्मीर
6. कर्नाटक
7. केरल
8. महाराष्ट्र
9. मणिपुर
10. मेघालय
11. नागालैण्ड
12. उड़ीसा
13. सिक्किम
14. तमिल नाडु
15. त्रिपुरा
16. उत्तर प्रदेश
17. पश्चिमी बंगाल
18. अण्डमान और निकोबार द्वीप
19. अरुणाचल प्रदेश
20. चण्डीगढ़
21. दादरा तथा नागर हवेली
22. दिल्ली
23. गोआ, दमन और द्वीव
24. लक्षद्वीप
25. मिजोरम
26. पांडिचेरी

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्याव-सायीकरण

वर्तमान शिक्षा प्रणाली के पुर्ननिर्माण में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण करना एक महत्वपूर्ण कदम है। स्कूली शिक्षा की 10+2 पद्धति के अन्तर्गत निम्नलिखित 12 राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों ने 10+2 स्तर पर व्यावसायीकरण की पद्धति अपनाई है :— आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पांडिचेरी।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालय संचालन समिति गठित की गई है जिसका उद्देश्य व्यावसायीकरण के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है। समिति ने सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से वार्षिक योजनाओं में शिक्षा के व्यावसायीकरण, जो स्कूली शिक्षा का प्रमुख अंग है, के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। समिति ने इस कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए कई सिफारिशें भी की हैं।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रा० शै० अनु० प्र० परि० के जरिए तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। परिषद व्यावसायिक सेवाओं के लिए कार्मिकों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या और शिक्षण सामग्री का विकास, शिक्षकों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण, अधिकारियों और शिक्षकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम और सेमिनार और कार्यशालाओं के आयोजन के रूप में कई सेवाएं प्रदान करती है। व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है।

जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1980 को आरम्भ किया गया था। यह कार्यक्रम अब अपने चौथे वर्ष में चल रहा है। इसकी रूप रेखा इस प्रकार बनाई गयी है जिससे युवा पीढ़ी में जनसंख्या की समस्या के प्रति पर्याप्त जागरूकता पैदा की जा सके और उन्हें राष्ट्र के प्रति उनके दायित्व के सम्बन्ध में जागरूक किया जा सके। यह कार्यक्रम लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी संघशासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इन संघ शासित क्षेत्रों को भी कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के पूर्ण समन्वयन एवं कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की गई है। इस समिति की छः बैठकें हो चुकी हैं।

कार्यक्रम की प्रगति के मूल्यांकन के लिए शिक्षा मंत्रालय, रा० शै० अनु० प्र० परिषद् और यू० एन० एफ० पी० ए० के अधिकारियों के प्रतिनिधियों की परियोजना प्रगति समीक्षा और त्रिपक्षीय विकास समीक्षा बैठकें समय-समय पर आयोजित की गयी हैं। इस कार्यक्रम का योजना परिव्यय 4.26 करोड़ रुपए है।

स्कूल पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा

राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की स्कूली पाठ्य-पुस्तकों की तत्काल समीक्षा करने का निर्णय किया गया है। आरम्भ में इतिहास और भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन किया जाएगा और बाद में इस प्रकार का मूल्यांकन अन्य विषयों में भी किया जायेगा। 1984–85 शैक्षिक सत्र में संशोधित पाठ्यपुस्तकें निकालने का प्रस्ताव है।

इस कार्य की विशालता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को विकेन्द्रित आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। रा० शै० अनु० प्र० परिषद् ने राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों के लिए पुस्तकें और मार्गदर्शन पुस्तिकाएं तैयार की हैं। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने का कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया है। राज्य/संघशासित क्षेत्रों में मूल्यांकन का कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। छः राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने पाठ्यपुस्तकों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संशोधित करने का कार्य पूरा कर लिया है। संघशासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अण्डमान निकोबार पड़ोसी राज्यों अथवा रा० शै० अनु० प्र० परिषद की पुस्तकों का उपयोग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड ने भी अपनी पुस्तकों का संशोधन कर लिया है।

भारत सरकार ने पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संचालन समिति का गठन किया है जो राज्य मूल्यांकन दलों/रा० शै० अनु० प्र. परि० की मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार करेगी । यह समिति इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा भी करेगी तथा भावी कार्रवाई के लिए नीति निर्देश भी देगी ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, (1860) के अन्तर्गत पंजीकृत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (रा० शै० अनु० प्र० प०) की स्थापना एक स्वायत्त संगठन के रूप में 1 सितम्बर, 1961 को की गई थी यह परिषद् शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के लिए एक शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है । परिषद् सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है । रा० शै०अनु०प्र०प० का उद्देश्य जैसा कि संस्था के ज्ञापन में निर्दिष्ट है, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय को शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों तथा प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के बारे में सहायता तथा सलाह प्रदान करता है ।

वर्ष के दौरान रा० श० अनु० तथा प्र० प० के कार्यकलाप निम्नलिखित से संबंधित थे :—पूर्व—स्कूली शिक्षा के नए रूपों का विकास, शिक्षा में अनुसंधान के तीसरे सर्वेक्षण को पूरा करना । पाठ्यचर्या अनुसंधान तथा मूल्यांकन, स्कूली पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों में संशोधन शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकों का विकास, स्वतन्त्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में नामिकाएं तैयार करना तथा शिक्षा में मूल्य अनुस्थापन । इसके अतिरिक्त, अन्य कार्यक्रम उर्दू पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने, विज्ञान क्लब किट विकास, अपंगों के लिए समाकलित शिक्षा, विज्ञान तथा गणित शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण, प्रोटोटाइप शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम, आदि से सम्बन्धित थे ।

पूर्व-स्कूली शिक्षा के नए रूप

एशिया और प्रशान्त में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकांक के सहयोग से परिषद ने 25 से 30 अप्रैल, 1983 के दौरान पूर्व-स्कूली शिक्षा के नए रूपों के विकास के सम्बन्ध में एक छ: दिवसीय द्विपक्षीय अध्ययन दल की बैठक आयोजित की । इस बैठक में अफगानिस्तान चीन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, तथा भारत के विशेषज्ञों ने भाग लिया । अलाभ प्राप्त पर्यावरणों बच्चों के विशेष संदर्भ में तथा व्यापक कार्यान्वियन के लिए पूर्व-स्कूली शिक्षा के नए रूपों का डिजाइन तैयार करने के लिए रूपरेखा विकसित की गई । बड़े पैमाने पर बच्चों को पढ़ाने में सक्षम वैकल्पिक मामलों पर चर्चा की गई ।

शिक्षा में अनुसंधान का तीसरा सर्वेक्षण

विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा की प्रवृत्ति जानने तथा शिक्षाविदों और शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करने के लिए, रा० शै० अनु० प्र० परिषद ने शिक्षा में अनुसंधान का तीसरा सर्वेक्षण आयोजित किया है । इस सर्वेक्षण में पी० एच० डी० शोध निबन्धों के लगभग 1500 सारांश हैं जो दर्शनशास्त्र, इतिहास, समाज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, माप, मार्गदर्शन, परामर्श, पाठ्यचर्या, भाषा, प्रौद्योगिकी, शिक्षक, व्यवस्था, प्रशासन तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित हैं। इसमें विदेश में भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में एक अलग अध्याय शामिल किया गया है । यह प्रकाशन 1984 के मध्य तक प्रकाशित हो जाने की आशा है ।

शैक्षिक सर्वेक्षण तथा आंकड़े संसाधन

लड़कियों के शैक्षिक पिछड़ेपन से सम्बन्धित एक यूनिसेफ वित्त पोषित अनुसंधान परि-योजना आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, में शुरू की गई । 19 से 23 अप्रैल, 1983 की अवधि के दौरान, रा० शै० अनु० प्र० प० ने, शैक्षिक सांख्यिकी के संग्रह तथा उनकी कोटि को नियंत्रित करने में नमूना सर्वेक्षणों के प्रायोगिक अनुप्रयोग के सम्बन्ध में यूनेस्को, पेरिस के सहयोग से एक सेमिनार आयोजित किया । प्राथमिक स्तरों पर नामांकन और स्कूल में ही रोके रखने के सम्बन्ध में केअर की

सहायता से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को पूरा किया गया । शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में प्राथमिकता स्तर पर गतिहीनता तथा स्कूल छोड़ देने का नमूना अध्ययन शुरू किया गया । राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का नमूना सर्वेक्षण भी किया गया ।

प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम के सर्वसुलभीकरण का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

तीन राज्यों में राज्य, जिला तथा खण्ड स्तरों पर आयोजित 3 योजना, 8 अनुस्थापन, 2 मासिक समीक्षा तथा त्रैमासिक बैठकों में जम्मू व कश्मीर से कुल मिलाकर 612 व्यक्तियों ने उड़ीसा से 311 व्यक्तियों ने, तथा राजस्थान से 557 व्यक्तियों ने भाग लिया, जहां पर औपचारिक स्कूलों तथा गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र के लिए प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सर्वसुलभीकरण के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए उपकरणों का प्रयोगिक अनुप्रयोग शुरू किया गया है । परियोजना से सम्बद्ध राज्यों के कार्मिकों की एक संयुक्त बैठक 12—13 अक्तूबर, 1983 के दौरान दिल्ली में, आयोजित की गई ।

प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच

सन 1979 में शुरू की गई प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच सम्बन्धी यूनिसेफ सहायता-प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत रा० शै० अनु० प्र० परि० ने तीस राज्य शै० अनु० प्र० प०/राज्य शिक्षा संस्थानों और 980 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/आई० टी० टी० ओ० आदि के सहयोग से अध्ययन सामग्री और स्थानीय विशिष्ट शिक्षण विषय-वस्तु का निर्माण जारी रखा । ये सामग्रियां आलोचनात्मक क्षमताओं और सम्भावित आचरण परिणामों पर आधारित हैं तथा 9—14 आयु वर्ग के लिए तैयार की गई है जिससे कि प्रत्येक पढ़ने वाला लगभग 2400 घण्टे तक पढ़ सकता है । यह शिक्षक सामग्री प्रसंग पर आधारित, समस्या केन्द्रित और कार्यान्मुख है ।

सामुदायिक शिक्षा सहभागिता कार्यकलाप

सामुदायिक शिक्षा और सहभागिता में विकास सम्बन्धी यूनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजना, के अन्तर्गत जिसे 1975—76 में शुरू किया गया था, सीखने वालों के चार विभिन्न आयु-वर्गों, अर्थात् 0—3 और माताओं, 3—6 आयु वर्ग, 6—14 और 15—35 आयु वर्ग के लिए शैक्षिक सेवाओं के एक मिले-जुले कार्यक्रम का विकास जारी रहा । इस परियोजना के अन्तर्गत कार्यकलापों के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के एक समुदाय की साक्षरता दर 30% से बढ़ाकर 60% संशोधित कर दी गई, मध्य प्रदेश के एक अन्य सम्प्रदाय से 6—14 आयु वर्ग में बच्चों का नामांकन 100% कर दिया गया । उड़ीसा के एक समुदाय के मामले में बताया गया है कि साक्षरता की प्रतिशतता तीन वर्षों के अन्दर 20% से 54 हो गई ।

पाठ्यचर्या अनुसंधान और मूल्यांकन

स्कूल शिक्षा की 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत पाठ्यचर्या के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में तीन राज्यों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से हाल ही में एक अध्ययन पूरा किया गया है । अभी हाल ही में एक प्रारम्भिक अनुसंधान अध्ययन इस उद्देश्य से शुरू किया गया है कि यह निश्चित किया जा सके कि प्रचलित पाठ्यचर्या के विभिन्न पहलुओं में नई प्रणाली के अन्तर्गत अपेक्षित भूमिका निभाने की क्षमता किस हद तक विद्यमान है । पाठ्यचर्या संसाधन केन्द्र ने पुस्तिकाओं के माध्यम से नवीनतम विचारों के प्रचारार्थ मूल्यवान और संगत सूचना सामग्री एकत्र की है ।

प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण परियोजना का प्रभाव

महाराष्ट्र और उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण सम्बन्धी रा० शै० अनु० और प्र० परि० की परियोजना के आधार पर राज्य पाठ्यचर्याएं तैयार की हैं । तमिलनाडु के इस परियोजना के अन्तर्गत तैयार की गई श्रेणी 1 और 2 की गणित की पुस्तकों को

स्वीकार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश द्वारा भाषा, गणित और पर्यावरणात्मक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों को अपना लिया गया है। सिक्किम ने कक्षा 1 के लिए तैयार की गई अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकों को अपनाने का निर्णय किया है। हरियाणा ने इस परियोजना के अन्तर्गत तैयार की गई शिक्षक गाइडों को अपनाने का फैसला किया है। मिजोरम द्वारा कक्षा 1 से 4 के लिए तैयार की गई भाषा पाठ्यपुस्तकों और कक्षा 2 से 5 तक के लिए तैयार की गई पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों को उत्तरोत्तर अपनाया जा रहा है। अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी ने इस परियोजना पद्धति के अनुसार प्राथमिक स्तर के लिए अपनी पाठ्यचर्याएं तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।

स्कूली पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का संशोधन

स्कूली पाठ्य विवरणों और पाठ्यपुस्तकों के संशोधन के लिए कार्यक्रम का प्रथम वर्ष शुरू कर दिया गया है। अगले वर्ष इन कार्यकलापों को और तेजकर दिया जाएगा ताकि संशोधित पुस्तकें एक चरणबद्ध रूप में शैक्षिक सत्र 1985 से उपलब्ध हो सकें। इस प्रयोजन के लिए समितियां बना दी गई हैं और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें

"उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक तथा शिक्षा" विषय पर पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित की गई। "स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और खेल" तथा "प्रारम्भिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण" पर पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं। "महत्वपूर्ण शिक्षण दक्षताएं माइक्रो शिक्षण दृष्टिकोण" पर एक लघु पुस्तिका तैयार की गई है। "पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन", "शैक्षिक मनोविज्ञान" और "गणित शिक्षण" की विषय वस्तु एवं प्रणाली-विज्ञान विषय पर प्रकाशन छप रहे हैं।

स्वतन्त्रता आन्दोलन परियोजना नामिकाएं

रा० शै० अनु० प्र० प० भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी एक एलबम तैयार कर रही है। इस एलबम में दृश्य सामग्री के 80 पैनल शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक पैनल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी और विभिन्न चरणों का प्रलेखन, मूल स्रोतों से स्वतन्त्रता संग्राम के पहलू और घटनाएं भी शामिल हैं। दृश्य भाग में 1000 से अधिक चित्र तथा प्रलेखन भाग में 2,00,000 शब्द शामिल हैं। यह स्वतन्त्रता आन्दोलन के शिक्षण में उपयोगी होगा तथा सामान्य पाठकों के लिए रुचिकर हो सकता है।

युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करना

परिषद ने, छात्रों तथा शिक्षकों द्वारा अपने-अपने स्कूलों में युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए उपयोग करने के वास्ते भारत सरकार के संसदीय कार्य विभाग के सहयोग से "युवा संसद आयोजित करना" नामक एक लघु, पुस्तिका की पाण्डुलिपि तैयार की है। संघशासित क्षेत्र, दिल्ली के स्कूलों के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए यह योजना 1965 से चल रही है और इसे अब देश के अन्य भागों में भी लागू किया गया है।

शिक्षा में मूल्य अनुस्थापन

शिक्षा में मूल्य अनुस्थापन सम्बन्धी कार्य दल की बैठक 11 अगस्त, 1983 को आयोजित की गई थी। नैतिक शिक्षा के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करने के लिए डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा तथा मूल्यों पर एक परामर्शदात्री समिति गठित करने का निर्णय किया गया है। कक्षा । से —।। तक के लिए नैतिक शिक्षा में वर्गीकृत पाठ्यचर्या करने का भी निर्णय किया गया है। माध्यमिक स्तर के स्कूली बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा सम्बन्धी दो पूरक रीडर तैयार किए जा रहे हैं।

उर्दू पाठ्यपुस्तकों का निर्माण

उर्दू की माडल पाठ्यपुस्तकें लिखने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार कर ली गई हैं तथा उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है कक्षा 6,7 तथा 9 के लिए पाठ्यपुस्तकों की पाण्डुलिपियों

पर विचार करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए मई, जुलाई, तथा सितम्बर, 1983 के महीनों में तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कक्षा 1 से 3 तक के लिए पाण्डुलिपियों के सम्बन्ध में विचार करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने का कार्य शुरू किया गया है।

विज्ञान क्लब किट विकास

रा० शै० अनु० प्र० परि० ने एक विज्ञान क्लब किट तैयार किया है जिसमें 58 हस्त उपकरण औजार, उपभोग्य वस्तुएं तथा प्राथमिक चिकित्सा की वस्तुएं शामिल हैं। इस किट से प्रयोगों तथा विज्ञान प्रदर्शों को तैयार करने तथा प्रयोग करने के लिए छात्रों और अध्यापकों द्वारा सामान्यतः अपेक्षित वस्तुएं/माडल तैयार करने में मदद मिल सकेगी। यह किट स्कूल शिक्षकों के बीच प्रदर्शित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी

13वीं वार्षिक राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 10 से 16 नवम्बर 1983 के दौरान लखनऊ में आयोजित की गई। इस वर्ष की प्रदर्शनी का विषय था "उत्पादकता का विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी" इन प्रदर्शों में, ऊर्जा बचत उपकरण ; अपशिष्ट को फिर से उपयोग के लायक बनाना तथा प्रदूषण का नियंत्रण : खाद्य उत्पादन तथा परिरक्षण ; प्राकृतिक तथा मानव निर्मित रेशे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, तथा अन्य नवीनताएं शामिल थीं। इस अवसर पर रा० शै० अनु० प्र० प० ने विज्ञान माडलों की 'संरचना तथा कार्यकरण' नामक एक पुस्तिका भी प्रकाशित की।

शिक्षा का व्यावसायीकरण

रा० शै० अनु० प्र० प० ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 20 पाठ्यचर्याएं तैयार तथा संशोधित करने, सुधार करने, न्यूनतम दक्षताओं का पता लगाने और दक्षता घटकों के लिए पाठ्यचर्याओं का विश्लेषण करने के लिए तीन-कार्यशालाएं आयोजित कीं। हरियाणा, उड़ीसा, तथा आंध्र प्रदेश के प्रमुख अधिकारियों के लिए तीन अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे कि उन्हें व्यावसायीकरण कार्यक्रम में शामिल वैचारिक रूपरेखा से परिचित कराया जा सके। शैक्षणिक सामग्री जिसमें कृषि, वाणिज्य, अर्ध-चिकित्सीय तथा प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक क्षेत्रों की शिक्षक गाईडें भी शामिल हैं को अन्तिम रूप दिया गया तथा उन्हें परीक्षण हेतु कुछ चुने हुए स्कूलों को उपलब्ध कराया गया।

सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य

राज्यों में वर्तमान स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सेमिनार अप्रैल, 1983 में दिल्ली में आयोजित किया गया। सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्य में 40 से अधिक प्रमुख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया तथा उज्जैन (मध्य प्रदेश) में अगस्त 1983 में एक अनुस्थापन कार्यक्रम में अनेक कार्यकलापों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अन्य कार्यक्रमों में, पंजाब में पाठ्यचर्या का विकास, अर्नाकुलम में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य सम्बन्धी क्षेत्रीय सेमिनार तथा मध्य प्रदेश का मूल्यांकन अध्ययन कार्यक्रम शामिल है।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम

जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी संशोधित कार्य योजना पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जून, 1983 में एक परियोजना प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रेडियो तथा टेलीविजन के लिए सामग्री विकसित करने हेतु अप्रैल तथा अक्तूबर, 1983 के दौरान राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 9–14 आयु वर्ग तक के स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए पाठ्यचर्या सामग्री विकसित करने हेतु 4 से 10 अप्रैल, 1983 के दौरान एक और कार्यशाला आयोजित की गई। जन संख्या जागरूकता के सम्बन्ध में अनेक परीक्षण आयोजित किए गए।

श्री पी. के. थुंगन, उपमंत्री, एक खिलौना निर्माण कार्यशाला में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और राजस्थान के सम्बन्ध में जन-जातीय क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की पद्धतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं का अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया। नागालैण्ड में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास में सामुदायिक सहभागिता की प्रकृति तथा सीमा और इसके प्रभाव का एक और अध्ययन पूरा किया गया। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और उनकी समाजार्थिक गतिशीलता के बीच पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन किया गया।

माप और मूल्यांकन

विज्ञान, गणित, अंग्रेजी युद्ध अध्ययन तथा वर्तमान समस्याओं के बारे में वस्तुनिष्ठ तथा नमूने के प्रश्न-पत्र विकसित करने के लिए नवम्बर, 1983 में, भारतीय वायुसेना के 21 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए शैक्षिक मूल्यांकन में एक तीन सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। व्यावसायिक विषयों में प्रश्न पत्र तैयार करने में सुविज्ञता विकसित करने के वास्ते श्रीलंका से एक यू० एन० डी० पी० प्रायोजित फैलो को दो मास की सदस्यता प्रदान की गई। थाईलैण्ड, बैंकाक के एक विशेषज्ञ को प्रतिभा खोज में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के परीक्षा सुधारों में अन्य अनुसंधान विकास, प्रशिक्षण परामर्श और प्रकाशन कार्यक्रम सामान्यतः जारी रहे।

राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन

रा० शै० अनु० और प्र० परिषद ने इतिहास तथा भाषा विषयों में राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूली पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन कार्य शुरू किया है। राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से कहा गया है कि वे भी रा० शै० अनु० और प्र० प० द्वारा तैयार की गई रूप-रेखाओं के आधार पर अपनी पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करें। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है। पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने वाली राज्य एजेंसियो का निर्धारण कर लिया गया है। मूल्यांकन के लिए साधनों तथा तकनीकों का निर्धारण कर लिया गया है। मूल्यांकन मापदण्ड निर्धारित कर लिए गए हैं।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति परीक्षा

स्कूल कक्षा 10, 11 और 12 के अन्तिम वर्षों में प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने और अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए मई में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की गई। 443 केन्द्रों में जिन छात्रों ने वार्षिक लिखित परीक्षा में भाग लिया तथा जिन्हें विभिन्न स्तरों पर छात्रवृति हेतु चुना गया उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

कक्षा	परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की सं०	चुने गए सामान्य उम्मीदवार	चुने गए अनु० जाति अनु० जनजाति	चुने गए कुल उम्मीदवार
X	42964	340	35	375
XI	5744	136	14	150
XII	25389	204	21	225
कुल	74097	680	70	750

शैक्षिक और व्यावसायिक मार्ग दर्शन

हाई स्कूल में नामांकित अनुसूचित जातियों के छात्रों की शैक्षिक और व्यावसायिक योजना की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन किया गया। जनजातीय हाई स्कूल छात्रों

5—812 Edu/83

की शैक्षिक और व्यावसायिक आयोजना, शैक्षणिक उपलब्धि और चुनिन्दा मनोवैज्ञानिक और घरेलू पृष्ठभूमि भिन्नताओं के बीच सम्बन्धों का अध्ययन किया गया। 32 परीक्षार्थियों ने शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में 23 वें डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भाग लिया।

सतत शिक्षा केन्द्र

देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 77 सतत शिक्षा केन्द्र कार्यरत थे। वे माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अनुस्थापन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक बजट 50–50 के आधार पर वहन किया जाता है। ज्यादातर केन्द्रों को सहायक अनुदान का रा० शै० अनु० और प्र० प० का अंश दे दिया गया है।

विकलांगों की समेकित शिक्षा

अप्रैल, 1983 में विकलांगों की समेकित शिक्षा के प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक छः मास के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। दृष्टि अक्षमता के सम्बन्ध में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक वर्षीय पाठ्यविवरण की पाठ्यवस्तु का 12 से 15 सितम्बर, 1983 तक एक कार्य दल में विकास किया गया। बी० एड० (विशेष शिक्षा) के लिए प्रारूप पाठ्य विवरण तैयार कर लिया गया है। 19 से 21 जुलाई, 1983 के दौरान पेशीतान्त्रिका तथा विकलांगता पर एक तीन दिवसीय आचरण सुधार कार्यशाला आयोजित की गई। मई––जुलाई 1983 के दौरान, विकलांगों की समेकित शिक्षा में प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक 12 सप्ताह का पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज

अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में अनेक सेवा-पूर्व और सेवा कालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। अप्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के लिए ग्रीष्म स्कूल एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन जारी रहा। एस० यू०पी० डब्ल्यू०, व्यावसायिकरण, अनुसंधान प्रणाली विज्ञान में विस्तार कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। अनुसंधान प्रकाशनों का काम शुरू किया गया। संघटक प्रदर्शन स्कूल सदैव की भांति कार्य करते रहे।

क्षेत्र एकक विस्तार कार्य

रा० शै० अनु० और प्र० प० के (17) सत्रह क्षेत्र एककों ने अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चण्डीगढ़, गोहाटी, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, पटना, शिमला शिलांग श्रीनगर और त्रिवेन्द्रम में कक्षा अध्यापन में व्यापक सुधार, अच्छे स्कूल प्रयोगों, नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने अध्ययन सामग्री की प्रदर्शनियों, प्रमुख व्यक्तियों की गोष्ठियों राज्य अधिकारियों के सम्मेलननों पर्यवेक्षकों के लिए कार्यशालाओं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए पाठ्यक्रमों, आजीविकाएं शिक्षकों के लिए कार्यदलों और शैक्षिक संस्थाओं के अध्यक्षों की बैठकों से सम्बन्धित विस्तार कार्यक्रम जारी रखे।

विज्ञान और गणित शिक्षा में अध्यापक प्रशिक्षण

विज्ञान और गणित अध्यापन की उन्नत विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अध्यापकों का चुनाव किया गया। लौकबोरो विश्वविद्यालय तथा विज्ञान और गणित शिक्षा केन्द्र, चैलशिआ कालेज चैलशिआ में 9 मास के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए गणित में 23 अध्यापक और भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान में 20 अध्यापक चुने गए। नव-विकसित चयन साधनों में एक पांच दिवसीय सेमिनार में उम्मीदवारों की योग्यताओं का गहन और व्यापक मूल्यांकन और उसके बाद साक्षात्कार शामिल था।

आदि रूप शिक्षा दूरदर्शन कार्यक्रम

आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के लिए निर्धारित रा० शै० अन० और प्र० परिषद दूरदर्शन कार्यक्रम 20 मिनट की अवधि

एक राष्ट्रीय एकता किट--रा.शै.अ.प्र.परि.

के होते हैं जिनसे प्रत्येक राज्य के 600 गांव लाभान्वित होते हैं। ये कार्यक्रम भू-केन्द्रों और इनसेट—1 बी० के माध्यम से प्रसारित होते हैं। इनके लिए फिल्म उत्पादन और दृश्य-श्रव्य शिक्षा में अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण गतिविधियों से सहायता प्राप्त होती है।

शिक्षण साधन

वर्ष 1983 के दौरान सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग फोटोग्राफिक बोध, फिल्म पट्टी निर्माण, आदि क्षेत्रों में नेपाल/अफगानिस्तान से चार डब्ल्यू० एच० ओ०/यू० एन०/यू० एन० डी० पी० फैलो के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और वीडियो कार्यक्रमों के निर्माण में इसके प्रयोग के संबन्ध में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 14 से 27 सितम्बर, 1983 तक संचालित किया गया। स्व: अध्ययन कार्डों, चार्टों, सस्ते शिक्षण साधनों, इन्सैट—1 बी के लिए फिल्मों टेप-स्लाइडों, वीडियो टेपों इत्यादि के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यशालाएं आयोजित की गई।

दृष्य-श्रव्य उपकरणों के संचालन और अनुरक्षण में जिसमें 16 मि० मी० फिल्म प्रोजेक्टर तथा अन्य श्रव्य-दृश्य वस्तुओं का परिचालन और अनुरक्षण भी शामिल है, अनुस्थापन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय एकता शिविर

विभिन्न राज्यों से बच्चों और शिक्षकों को एक जगह एकत्रित करने और उन्हें एक साथ रहने का अवसर प्रदान करने, एक-दूसरे को समझने और भारत की विविध सांस्कृतिक परम्पराओं को जानने के वास्ते स्कूलों के लिए राष्ट्रीय एकता शिविरों का आयोजन जारी रहा। जन-आन्दोलन के रूप में सामूहिक-गायन प्रारम्भ किया गया है। सामूहिक गायन में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के अतिरिक्त, स्कूलों में इस्तेमाल करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के चुने हुए गीतों के कैसेट वितरित किए गए।

रा० शै० अनु० और प्र० परिषद पत्र-पत्रिकाएं

"प्राइमरी टीचर" (अंग्रेजी) और "प्राइमरी शिक्षक" (हिन्दी) द्वारा अध्यापकों को नए विचारों एवं प्रयोगों के बारे में अवगत कराना जारी रहा। 'स्कूल साइंस' (स्कूल विज्ञान) से विज्ञान शिक्षा——इसकी समस्याओं और संभावनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। 'इंडियन एजूकेशन रिव्यू' (भारतीय शिक्षा समीक्षा) से शैक्षिक अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रसारित करने का एक माध्यम प्राप्त हुआ करता है। पाक्षिक 'जनरल आफ इंडियन एजूकेशन' (भारतीय शिक्षा की पत्रिका) से वर्तमान शैक्षिक समस्याओं और विचारों पर चर्चा के माध्यम से शिक्षा में मूल तथा आलोचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन मिला।

प्रकाशन

परिषद ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री, पूरक रीडरों, छात्रों की कार्य पुस्तकों, शिक्षक गाइडों/संहिताओं, अनुसंधान अध्ययनों/विनिबन्धों, पुस्तिकाओं/विवरणिकाओं और रिपोर्टों का प्रकाशन, वितरण तथा आपूर्ति जारी रखी। रा० शै० अनु० और प्र०क्र परि० ने अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में अपने प्रकाशनों को प्रदर्शित किया। कुछ राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को परिषद की पाठ्य पुस्तकों व अन्य प्रकाशनों को स्वीकार/अनुकूलन और प्रकाशित करने के लिए कापीराइट (प्रतिलिप्यधिकार) अनुमति प्रदान की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क

यूनेस्को गतिविधियों में भाग लेने के लिए वर्ष के दौरान रा० शै० अनु० और प्र० प० के अनेक अधिकारियों को भेजा गया। विशेषगता के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विदेशी व्यक्तियों ने परिषद का दौरा किया। रा० शै० अनु० और प्र० परि० ने, एशियाई शैक्षिक

नवीनताओं और विकास कार्यक्रम के लिए एक सहायक केन्द्र के रूप में कार्य करना जारी रखा और संसार के विभिन्न देशों के साथ अनेक द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा 1929 में राजपूताना हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसमें अजमेर, मेवाड़, मध्य भारत तथा ग्वालियर का क्षेत्र भी शामिल था। 1952 में इस बोर्ड का नाम "केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड" रखा गया। समय-समय पर इसके गठन में परिवर्तन किया गया तथा इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया ताकि यह बोर्ड माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक उपयोगी भूमिका निभा सके, अपनी सेवाएं देश की विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं को उपलब्ध करा सके तथा उन छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा कर सके जिन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। जुलाई, 1962 में इसका पुनर्गठन किया गया ।

बोर्ड के स्कूल देश के सभी भागों तथा विदेशों में भी स्थित हैं और इस प्रकार स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों से यह आशा की जाती है कि वे राज्य की सीमाओं और भाषा सीमा से ऊपर उठकर एक समान शिक्षा प्रदान करें। इसका उद्देश्य छात्रों की अन्तर्राज्यीय गतिशीलता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना है। इस व्यवस्था से स्थानान्तरणीय व्यक्तियों के बच्चों को बिना रुकावट के अपना अध्ययन जारी रखने में भी सहायता मिलती है ।

बोर्ड, एक नियंत्रक, प्राधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता है, यह अधिकार शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा सचिव में निहित है । बोर्ड, अनेक समितियों के माध्यम से कार्य करता है। इस समय बोर्ड की 7 प्रमुख समितियां हैं जो बोर्ड की जरूरतों के अनुसार भिन्न-भिन्न कार्य करती हैं ।

केन्द्रीय बोर्ड केवल परीक्षा लेने वाला निकाय ही नहीं है। यह एक शैक्षिक बोर्ड है जिसका कार्यक्षेत्र पूरे देश में फैला हुआ है । बोर्ड की कुछ प्रमुख भूमिकाएं तथा कार्य हैं : परीक्षा के उद्देश्य से पूरे देश में संस्थाओं को सम्बद्ध करना, सम्बद्धता प्रदान करने के लिए स्कूलों का निरीक्षण करना, परीक्षाएं संचालित करना, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या निर्धारित करना अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना, आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यपुस्तकों का विकास और प्रकाशन करना तथा शैक्षिक मामलों और नीतियों के सम्बन्ध में भारत सरकार को सलाह देना।

सन 1979 में खुले स्कूल का प्रयोग आरम्भ करने से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इस योजना के अन्तर्गत नामांकित प्रौढ़ों के लिए पाठ्यक्रम विकास तथा सामग्री तैयार करने के काम से भी प्रत्यक्षतः सम्बद्ध हो गया है। यह नवीन प्रयोग इस दृष्टि से अनूठा है कि इसके बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाने वालों, अर्ध-साक्षरों, काम-धन्धों में लगे व्यक्तियों तथा गृहणियों इत्यादि को भी शिक्षा की किसी औपचारिक पद्धति को रूढ़ता के बगैर अपने स्थान पर ही अध्ययन करने का अवसर मिल सकता है ।

पाठ्यचर्या का विकास

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक महत्वपूर्ण कार्य माध्यमिक, तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के लिए पाठ्यचर्या का विकास करना है । बोर्ड की परीक्षाएं, इससे सम्बद्ध स्कूलों में लागू तथा विकसित पाठ्यचर्या के आधार पर ही आयोजित की जाती हैं ।

शैक्षिक सत्र 1982-83 में हिन्दी (पाठ्यक्रम 'क' और 'ख'), विज्ञान तथा गणित में माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम दुबारा लिखे गये ।

प्रकाशन

बोर्ड द्वारा कुछ पाठ्यपुस्तकें और सामाजिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं । वर्ष 1983 के दौरान, बोर्ड ने माध्यमिक स्तर के लिए हिन्दी में सात नई पाठ्यपुस्तकें चार 'क' पाठ्यक्रम के लिए और तीन 'ख' पाठ्यक्रम के लिए प्रकाशित की । विज्ञान तथा गणित के सम्बन्ध में बोर्ड

ने यह तय किया है कि इनका एक ही पाठ्यक्रम होगा अर्थात् यह 'क' तथा 'ख' स्तरीय पाठ्य-क्रमों के रूप में अलग-अलग नहीं होगा। रा० शै० अनु० प्र० परिषद के सहयोग से संशोधित पाठ्यचर्या के लिए पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जा रही हैं तथा 1985 के शैक्षिक सत्र से इनके लागू हो जाने की आशा है।

शिक्षकों के लिए सहायक सामग्री

शिक्षकों की मदद की दृष्टि से, विज्ञान पाठ्यक्रम 'क' और 'ख' प्रयोजनों 'अध्ययन उद्देश्य', शोध/कार्यशाला रिपोर्ट जैसे कि निरीक्षकों की रिपोर्ट, 'मूल्यांकन में सुधार' 'प्रभावी स्कूल प्रबन्ध जैसी पाठ्यचर्या गाइडों के रूप में सहायक सामग्री प्रकाशित एवं परिचालित की गयी।

खुला स्कूल

6—14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए औपचारिक नीतियां अपर्याप्त हैं। इसके साथ ही यदि हम कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है, कि उत्पादक आयु के सभी प्रौढ़ों को कार्यात्मक किस्म का साक्षर-कौशल प्रदान किया जाए।

तदनुसार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जनसंख्या के असुविधा प्राप्त वर्गों, जैसे कि बीच में ही स्कूल छोड़ देने वालों, ऐसे काम करने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों, जिनके पास नियमित स्कूलों में उपस्थित होने का समय नहीं होता तथा समाज के ऐसे पिछड़े वर्गों तक पहुंचने से अपने उद्देश्यों के अनुसरण में जो कि परम्परागत दृष्टिकोण के भारत आधुनिक युग में मुद्रित कार्य शक्ति को समझने की स्थिति में नहीं है, जुलाई 1979 में खुले स्कूल की परियोजना शुरू की थी।

पाठ्यक्रम सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रदान करने के अलावा खुला स्कूल व्यावसायिक आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रमों का भी आयोजन कर रहा है ताकि रोजगार के सम्बन्ध में प्रौढ़ों के निष्पादन में सुधार लाया जा सके और उनकी तरक्की की सम्भावनाओं को बढ़ाया जा सके। माध्यमिक स्तरीय प्रमाणपत्र के लिए प्रथम पंजीकरण 1981 में शुरू किया गया और पहली परीक्षा 1983 में आयोजित की गई थी। खुले स्कूल में 70 % से अधिक छात्र 17—35 आयु वर्ग में हैं और 48 प्रतिशत के लगभग नियोजित हैं। इस अनौपचारिक स्कूल पद्धति की ओर राजस्थान, असम, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इत्यादि की जनजातीय और पिछड़े लोगों को आकर्षित करने के लिए ठोस प्रयत्न किए गए हैं।

I. कार्यशाला और सेमिनार इत्यादि :

इस वर्ष कनवर्सेजन के सहयोग से एस० यू० पी० डब्ल्यू० के सम्बन्ध में एक दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। संयुक्त राज्य शिक्षा विभाग द्वारा चुने गए 10 अमरीकी पाठ्यचर्या विशेषज्ञों के लिए पाठ्यचर्या निर्माण पर 26 मार्च से 5 मई 1983 तक एक 40 दिवसीय तीव्र कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला ने प्रतिभागियों को उनकी पाठ्यचर्या विकास की विशिष्ट परियोजना के सम्बन्ध में जानकारी को अद्यतन बनाने के अवसर प्रदान किए।

II. राष्ट्रीय खुला अध्ययन प्रणाली सम्मेलन :

(i) बोर्ड ने भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र 27 से 29 मई, 1983 तक एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जिसमें खुला अध्ययन पद्धति तथा पाठ्यचर्या, रूपरेखा, अध्ययन नीतियों और तकनीकी मूल्यांकन में संकल्पनाओं, क्षेत्र और दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में की गई मुख्य सिफारिशों में एक सिफारिश यह थी कि खुले अध्ययन को औपचारिक पद्धति के पूरक के रूप में शिक्षा का एक प्रभावी वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

III. सी० ओ० बी० एस० ई० का सम्मेलन

13वें सी० ओ० बी० एस० ई० के सम्मेलन की भरतीय अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में 13—15 दिसम्बर, 1983 को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मेजबानी की गई। कुल मिलाकर, 19 बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले 22 प्रतिनिधि मण्डलों की बैठक हुई और पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा की गई। उद्घाटन भाषण माननीय शिक्षा तथा संस्कृति उपमंत्री, भारत सरकार, द्वारा दिया गया था।

परीक्षा आयोजन में परिवर्तन

इस वर्ष दिल्ली में केन्द्रों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता तथा उनका समय पर वितरण सुनिश्चित करने हेतु बैंक शाखाओं में एकत्र किया गया था। यह प्रयोग सफल सिद्ध हुआ और इसे जारी रखने और भावी परीक्षाओं के दौरान अन्य क्षेत्रों में भी इसकी व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है। बोर्ड ने सीमित पैमाने पर केन्द्रित मूल्यांकन भी शुरू किया। इस तरीके से उत्तर-लिपियों का मूल्यांकन तीव्र पर्यवेक्षण के अन्तर्गत पूर्ण सावधानी और गोपनीयता के साथ सम्भव था।

के० मा० शि० बो० के पुनर्गठन पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्ययन की सिफारिश का अनुपालन करते हुए खुले स्कूल के निदेशक के पद को स्तरोन्नत किया गया और सचिव के समकक्ष बनाया गया। इसी प्रकार, एक परीक्षा नियंत्रक और एक अकादमी निदेशक समकक्ष स्तर के दो पदों का निर्माण किया गया है। आशा है कि विभागीय अध्यक्षों को सम्पूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने से यह बोर्ड एजेंसी के रूप में बेहतर सेवा कर सकेगा।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन नामक स्वायत्तशासी संगठन 1961 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट (1960 का XXI) के अन्तर्गत गठित किया गया था। प्रशासन का उद्देश्य भारत में आए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में संस्थानों की सहायता करना, संचालन करना तथा उनकी व्यवस्था करना है। प्रशासन के कार्यों की व्यवस्था एक शासी निकाय द्वारा की जाती है। के० ति० स्कू० प्र० के कार्य प्रभारी शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव के० ति० स्कू० प्र० के अध्यक्ष हैं। प्रशासन के सचिवशासी निकाय के सदस्य-सचिव हैं।

प्रशासन डलहौजी, दार्जिलिंग, मसूरी और शिमला में आवासीय स्कूलों और बिलेकुप्पे, कोलिगल, गोयनगांव, मिरिक धूम चौकुर, चन्द्रगिरि, मिआओ, गुरुपुरे, कलिपांग, कुरुसेयांग, मेनपैट, मुंडगोड, सोनाडा, तेन्जीगांव और तेजू में दिवस स्कूलों का संचालन करता है। प्रशासन, तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों के लाभ के लिए चलाई जा रही कुछ संस्थाओं को सहायक अनुदान के रूप में भी सहायता प्रदान करता है।

प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में अध्ययन कर रहे छात्रों की कुल संख्या 11,500 है जिनमें छात्रावासों में रहने वाले छात्र 1,735 हैं और 9735 दिवा छात्र हैं। आवासीय स्कूलों में भोजन और आवासी सुविधाओं के अलावा दैनिक आवश्यकताएं और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और लेखन सामग्री इत्यादि भी दिवा स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्रों सहित सभी छात्रों को प्रदान की जाती हैं। प्रशासन में 430 कर्मचारी हैं जिनमें 330 अध्यापक हैं। प्रशासन प्रत्येक वर्ष तिब्बती छात्रों के लिए उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए 15 छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है। ये छात्रवृत्तियां 3 वर्षों के लिए होती हैं।

इन स्कूलों में पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षा का माध्यम सामान्य है। कक्षा IX और इससे आगे की कक्षाओं वाले स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बद्ध किया गया है। ये स्कूल अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा और अखिल भारतीय सीनियर

स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए छात्र तैयार करते हैं। कक्षा VIII तक के छात्रों की पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम वही होते हैं जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए जाते हैं। इन स्कूलों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी तथा तिब्बती भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। 1983 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक स्कूल परीक्षा में तिब्बती स्कूलों का परीक्षा परिणाम 87.5 प्रतिशत और अखिल भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा का 65.8 प्रतिशत था।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन :

रक्षा कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए देश-भर में समान शिक्षा के सुविधाएं प्रदान करने हेतु समान पाठ्यचर्या और माध्यम वाले माध्यमिक स्कूलों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से केन्द्रीय स्कूल योजना भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 1962 में अनुमोदित की गयी थी। आरम्भ में शैक्षिक वर्ष 1963–64 के दौरान 20 रेजीमेन्टल स्कूलों से "सेन्ट्रल स्कूल" अथवा "केन्द्रीय विद्यालय" के रूप में शुरूआत की गई थी। बाद में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना तथा उनके संचालन के लिए स्वायत्त संगठन के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का गठन किया गया था।

केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह 1983–84 के दौरान 449 हो गई। इस प्रकार इसमें 1982–83 की संख्या में 46 विद्यालयों की वृद्धि हुई। 30 अप्रैल 1983 को कुल नामांकन संख्या 3,09,099 थी। सभी केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कुल संख्या 21,841 थी।

इस समय संगठन को अहमदाबाद, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मद्रास, पटना और रुड़की में स्थित 12 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में एक सहायक आयुक्त के प्रभार में रखा गया है जिसके साथ एक शिक्षा अधिकारी और अन्य उपयुक्त प्रशासनिक स्टाफ होता है।

संगठन ने सेवारत पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करके केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययन और पर्यवेक्षण स्टाफ को सभी श्रेणियों की व्यावसायिक योग्यता में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास जारी रखे हैं। संगठन ने मई,/जून 1983 में 64 सेवारत शिक्षा पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जो निम्नलिखित हैं :—

प्रतिभागियों के पदनाम	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रमों की संख्या
पी० ओ० टी० व पी० आर० टी० के लिए निदेशकों और संसाधन कार्मिकों के लिए अनुस्थापन पाठ्यक्रम .	220	4
उ० स्ना० अ०	357	6
प्र० स्ना० अ०	877	20
पी० आर० टी०	1190	34

के० मा० शि० बो०, एन० आई० ई० पी० ए० और रा० शै० अ० प्र० परि० द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों में भाग लेने के लिए अध्यापकों को भी प्रायोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, विदेश भ्रमण/प्रशिक्षण के लिए कुछ स्टाफ नियुक्त किया गया था जो निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	पदनाम	प्रतिनियुक्तियों की संख्या	प्रशिक्षता/दौरे	देश
1.	स० उप० .	1	शैक्षिक पद्धति का अध्ययन	रूस
2.	प्रिंसिपल .	1	स्कूल प्रबन्ध	आस्ट्रेलिया
3.	शा० शि० अ० .	2	शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अध्ययन	आस्ट्रेलिया

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि कमजोर छात्र और आगे बढ़ें और मेधावी छात्र शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करें। इन प्रयासों के फलस्वरूप, केन्द्रीय विद्यालयों के केन्द्रीय बोर्ड, अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल (कक्षा X) परीक्षा, 1983 में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता, 1982 की परीक्षा का 90.8% के स्थान पर 92.3% थी। आठ छात्रों को योग्यता सूची में स्थान मिला। केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों ने हिन्दी, गणित (पाठ्यक्रम "क") विज्ञान (पाठ्यक्रम "क") और सामाजिक विज्ञान में उच्चतम अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा में केन्द्रीय विद्यालय के उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध सभी स्कूलों की कुल पास प्रतिशतता 75.5 के स्थान पर 86.7 थी। 13 छात्र बोर्ड की योग्यता सूची में आए—7 विज्ञान में, 3 वाणिज्य में और 3 मानविकी में। इंजीनियरी और चिकित्सा कालेजों तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। केन्द्रीय विद्यालय के 35 छात्रों ने रा० शै० अ० प्र० परि० की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाओं में अपेक्षित स्थान प्राप्त करके छात्रवृत्तियां हासिल कीं।

शैक्षिक उत्कृष्टता के अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व-विकास के लिए खेल तथा अन्य क्रियाकलापों पर जोर दिया जाता है। स्कूल, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। संगठन ने छात्रों के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया। छात्रावासों में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 225 रुपया प्रतिमास की दर से और दिवा छात्रों को 50 रुपए की दर पर वजीफे दिए गए। इसके अतिरिक्त, उन छात्रों को नकद पुरस्कार दिए गए जिन्होंने एस० जी० एफ० आई० प्रतियोगिताओं में पहले तीन स्थानों में कोई भी स्थान प्राप्त किया।

स्काउटों और गाइड अभियान की उन्नति और विकास के लिए भारत स्काउट और गाइड का के० वि० सं० राज्य संघ और राष्ट्रीय मुख्यालय बी० एस० एण्ड जी० के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में एक शिबिर स्थल का निर्माण करने के लिए सहमत हो गए हैं जिस पर लगभग 3 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी।

छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में 132 साहसिक कार्य क्लब आरम्भ किए गए हैं। 15 शा० शि० अ० के लिए एक साहसिक पाठ्यक्रम और पिन्डेरी तथा जमादार गलेसियर, चम्बा-मनाली और नीलगिरि पर्वतों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 3624 छात्रों ने एच० एस० ई० पर्वतारोहण तथा प्रयुक्त खेल संस्थान पंचमढ़ी द्वारा आयोजित चट्टान पर चढ़ने के पाठ्यक्रमों में भाग लिया। छात्रों को प्रकृति के करीब लाने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में 120 प्रकृति क्लबों का भी आयोजन किया गया है।

के० वि० सं० को पुनर्गठन के सम्बन्ध में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्ययन के परिणामस्वरूप मुख्यालयों और क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कुछ पदों का निर्माण किया गया है।

बाल भवन सोसाइटी

बाल भवन सोसायटी (भारत) एक स्वायत्त संगठन है। यह 1956 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। यह सृजनात्मक, मनोरंजनात्मक तथा शारीरिक कार्यकलापों के जरिए बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करती है ताकि उनमें ऐसे विचार पैदा किए जा सकें जिससे उनके आधार पर आधुनिक भारतीय व्यक्तित्व विकसित हो सके। इसके विभिन्न लक्ष्यों में एक लक्ष्य रचनात्मक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना, कला और वैज्ञानिक अनुभव के माध्यम से राष्ट्र के लिए एक प्रोटोटाइप व्यापक बाल संस्था उपलब्ध कराना और छात्रों को राष्ट्रीय विचारधारा के मुताबिक विकसित होने में सहायता करना है।

1982–83 के दौरान, 12000 बच्चों का रिकार्ड है जिन्होंने अपने नाम संस्था को सदस्यता के लिए लिखाए। गर्मियों में, विशेष भीड़भाड़ की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोहरी शिफ्टें चलाई गई।

राष्ट्रीय बाल संग्रहालय ने स्कूली शिक्षा को पूरा करने, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जरिए विवेकी तथा विचारों की ग्रहणशीलता की भावना पैदा करने के लिए बाल भवन में 25 प्रदर्शनियां (विज्ञान तथा मानविकी दोनों में) आयोजित की। इन प्रदर्शनियों को लाखों बच्चों ने देखा।

बाल भवन के राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र (रा० प्र० सं० केन्द्र) ने बाल भवन के कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों में सृजनात्मक भावना पैदा करने के लिए मण्डलीय राष्ट्रीय स्तर पर सृजनात्मक कलाओं से सम्बन्धित 43 कार्यशालाएं आयोजित कीं। इन कार्यशालाओं में कालेज, निर्माण, गुड़िया बनाना, मुखावरण बनाना, स्कूल सजावट, कागज काटना तथा कागज चिपकाने से सम्बन्धित सृजनात्मक कलाओं में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन कार्यशालाओं में 2500 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

संस्था ने रूपंकर कलाओं, शारीरिक शिक्षा वायु प्रतिरूपण, संग्रहालय तकनीकें तथा विज्ञान के सम्बन्ध में बच्चों के लिए 11 कार्यशालाएं भी आयोजित की। इन कार्यशालाओं में 800 छात्रों ने भाग लिया।

बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 16 एकता शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों मे उनमें मिलकर कार्य करने, समाज में रहने तथा आत्मविश्वास का अनुभव जागृत हुआ।

पांचवीं राष्ट्रीय बाल सभा नवम्बर, 1983 में आयोजित की गई, जिसमें केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा असम के राज्य बाल भवनों से 300 क्षेत्रों ने भाग लिया तथा सभी छात्र बाल भवन में ठहरे। इस कार्यक्रम में बच्चों को निजी तथा भाईचारे के वातावरण में खुलकर बातचीत करने का अवसर मिला। सभा का विषय, एकता, सृजनात्मकता तथा शांति था। इससे बच्चे, एक साथ रहने, एक दूसरे की भाषा तथा संस्कृति को समझने के लिए अपने विचारों तथा अनुभवों के आदान-प्रदान कर सकें।

बच्चों के लिए बारह संगोष्ठियां तथा सम्मेलन आयोजित किए गए। इसमें महा-सागर तथा अंतरिक्ष––हमारा भविष्य, थिएटर उत्सव वैज्ञानिक साहित्य सम्मेलन आदि विषय रखे गए थे। अन्य उल्लेखनीय कार्यकलाप थे : कवि गोष्ठी, युवा परिस्थिति विज्ञान, सम्मेलन, आवासीय डिजाइन तथा निर्माण, वैज्ञानिक मेला, माडल निर्माण, अर्थात सोलर विन्ड मिल, मशीन प्रतिरूपण, एलेक्ट्रानिक्स, वायु प्रतिरूपण तथा संग्रहालय तकनीक बच्चों को खगोलीय विद्या, तारों तथा नक्षत्रों की जानकारी दी गई। अधिक साहित्यिक निवेश प्रदान करने के लिए बच्चों ने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर वाद-विवाद तथा चर्चाएं कीं। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम से उनके दैनिक जीवन में आने वाली सम-स्याएं तथा घटनाओं की जानकारी मिली। इस प्रकार, स्केट, शतरंज, फुटबाल, क्रास-कन्टरी, साइकिल रैली तथा बैडमिन्टन आदि की 9 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और इससे 1800 बच्चों ने लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त बैडमिन्टन तथा टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं में 500 छात्रों ने भाग लिया।

बाल भवन के बच्चों ने विभिन्न अवसरों पर तीन विशाल पद यात्राओं में भाग लिया ताकि लोगों में पशुओं और पौधों के प्रति उदारता की भावना जाग्रत की जा सके। इन पद यात्राओं में जो दिल्ली की मुख्य बस्तियों में आयोजित की गई, 1200 बच्चों ने भाग लिया।

अहमदाबाद में बाल भवन की संकल्पना सम्प्रेषण पद्धतियों और विस्तार सेवाओं के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के बाद अहमदाबाद में बाल भवन अभियान के विकास के लिए अखिल भारतीय बाल भवन निदेशकों का तृतीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

6—812 Edu/83

बच्चों को देश की वर्तमान प्रगति से अवगत कराने के लिए उन्हें विभिन्न संग्रहालयों, विज्ञान और शिल्प केन्द्रों, संगणक केन्द्रों, कारखानों और कला संग्रहालयों में ले जाया गया । इस उद्देश्य के लिए बाल भवन में सृजनात्मक मेले, विज्ञान मेले और कला मेले आयोजित किए गए जिनमें हजारों भारतीय और विदेशी बच्चों ने भाग लिया ।

कार्यशालाएं

विज्ञान शिक्षा, मार्डलिंग, संग्रहालय तकनीकों संगोष्ठियों और सम्मेलन आदि पर 15 दिवसीय पैकेज कार्यशालाएं, ऋषि वैली शिक्षा केन्द्र (ए० पी०) बंगलौर और मैसूर में आयोजित की गई । इसी प्रकार की एक कार्यशाला सृजनात्मक कलाओं पर राजघाट शिक्षा केन्द्र, बनारस में दिसम्बर में आयोजित की गई । हैदराबाद और मद्रास स्थित जवाहर बाल भवनों में भी एन० टी० आर० सी०, प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित की गई । अहमदाबाद में दो प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गयीं ।

बाल भवन केन्द्र

इस वर्ष के दौरान विभिन्न बस्तियों में सात और बाल केन्द्र खोले गये जिनसे इनकी संख्या बढ़कर 27 हो गई । ये केन्द्र पिछड़े क्षेत्रों में बाल कार्यकलापों का प्रसार कर रहे हैं । प्रत्येक केन्द्र 1,000 से अधिक बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करता है ।

बच्चों की पत्रिका 'बाल संसार' का प्रकाशन नियमित रूप से हो रहा है ।

बाल भवन के छात्रावास में समय-समय पर आयोजित शिविरों के दौरान 750 से भी अधिक बच्चे और प्रौढ़ रहे । इस अवसर पर गृह विज्ञान की कक्षाएं भी आयोजित की गईं जो ग्रीष्म काल में बहुत लोकप्रिय रहीं ।

बाल भवन ने विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में रा० शै० अनु० एवं प्र० परि० केन्द्रीय वि० संगठन और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों को सहयोग दिया । रा० शै० अनु० एवं प्र० परि० ने बाल भवन पर एक टी० वी० फिल्म का निर्माण किया जिसे उपग्रह के माध्यम से प्रसारित किया गया । समाज कल्याण मंत्रालय की निधि से बाल भवन पर एक 16 एम० एम० फिल्म भी तैयार की गई है जो प्रदर्शन के लिए लगभग तैयार है ।

सामूहिक गान अभियान

सामूहिक गान से न केवल कलात्मक प्रतिभा को दर्शाने का अवसर ही मिलता है बल्कि यह साथ ही साथ एकता, सामन्जस्य और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी बढ़ावा देती है । अतः यह निश्चय किया गया है कि सामूहिक गान को एक जन अभियान के रूप में विकसित किया जाए । शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने स्कूली बच्चों में जन-अभियान के रूप में सामूहिक गान के प्रसार के लिए 1983–84 से शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए योजनागत स्कीम शुरू की है और इसके लिए 173.05 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया है । यह योजना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्र० प० के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत के० विद्यालयों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों को सामूहिक गान का प्रशिक्षण देने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा । रा० शै० अनु० प्र० परि० द्वारा स्कूलों को टेप रिकार्ड और रिकार्ड किए हुए टेप भी दिए जाएंगे ।

सामूहिक गान अभियान के प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए शिक्षा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से, दिल्ली प्रशासन के स्कूलों और दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के 10,000 बच्चों के सामूहिक गान का एक कार्यक्रम बाल दिवस अर्थात 14 नवम्बर, 1983 को जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम में आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम को 45000 बच्चों तथा लगभग 5000 अन्य अतिथियों ने देखा ।

सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से यह आग्रह किया गया है कि वे बाल दिवस के अवसर पर अपने-अपने राज्यों में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्कूलों

को निश्चित कर, बच्चों को चुने तथा अन्य कदम भी उठाएं । इस सम्बन्ध में राज्यों की प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहवर्धक है ।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे शिक्षकों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से तथा शिक्षकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना 1962 में की गई थी।

शिक्षक कल्याण योजनाओं के लिए ठोस वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई । यह लक्ष्य पूरा हो गया है और अब प्रतिष्ठान की राशि वास्तव में बढ़कर 8.00 करोड़ रुपये हो गई है। जहां तक कुल राशि की उपयोगिता का संबंध है यह मामला समिति को भेजा गया तथा इसे संस्वीकृति के लिए सामान्य कार्यकरण समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायगा।

प्रतिष्ठान की निधि में संघ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एकत्र की गई राशि शामिल है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एकत्रित की गई राशि में से 20 प्रतिशत राशि प्रतिष्ठान निधि में दी जाती है। जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि शिक्षकों के सहायतार्थ उनके पास रहती है ।

इस वर्ष, पूर्व वर्षों की भांति, शिक्षक दिवस पर, जो 5 सितम्बर को मनाया जाता है, शिक्षा मंत्रालय तथा राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा राशि एकत्रित करने हेतु एक अभियान शुरू किया गया । इस वर्ष काफी राशि एकत्र की गई ।

प्रतिष्ठान भी प्रत्येक वर्ष तीन शिक्षकों को उनकी दीर्घ एवं प्रतिभाशाली सेवा के लिए 1,000 रुपये का नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करता है । यह पुरस्कार विशिष्ट शिक्षाविद् तथा प्रतिष्ठान के एक संस्थापक सदस्य स्वर्गीय प्रोफेसर डी० सी० शर्मा की याद में रखा गया है। 1981 में यह पुरस्कार तीन शिक्षकों को प्रदान किया गया।

स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

यह मंत्रालय विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवों तथा विभिन्न देशों द्वारा अनुभव की गई समस्याओं तथा उनकी पद्धतियों की जानकारी अच्छी तरह प्राप्त की जा सके ।

चालू वर्ष के दौरान, दो प्रतिनिधि मण्डलों ने रूस का दौरा किया, इनमें एक का कार्य उस देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण का मौके पर अध्ययन करना तथा दूसरे का कार्य व्यावसायिक शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, स्कूल से बाहर के कार्यकलाप, माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा आदि का अध्ययन करना आदि था ।

पाठ्य पुस्तकें शैक्षिक पद्धति से सम्बन्धी पुस्तकें तथा अन्य सम्बद्ध साहित्य का विभिन्न देशों के साथ विनिमय हो चुका है।

मंत्रालय ने, यमन गणतंत्र के साथ सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने तथा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव विनिमय करने हेतु यमन जनवादी गणराज्य का दौरा करने के लिए एक विशेषज्ञ भी प्रायोजित किया । केन्या से श्री जे० ए० लिजम्बे ने पूर्व स्कूल शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण तथा पाठ्यचर्या विकास के क्षेत्र में अनुभव विनिमय हेतु एक रा० शै० अनु० प्र० प० का एक सप्ताह का दौरा किया।

विकलांग बच्चों की समाकलित शिक्षा की योजना

विकलांग बच्चों की समाकलित शिक्षा की योजना स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करती है । यह योजना जो 1974 में शुरू की गई थी उसे और उदार कर दिया गया है तथा इस समय शिक्षकों तथा छात्रों के लिए पर्याप्त लाभ उपलब्ध है । राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र को 100 प्रतिशत सहायता उपलब्ध है। यह योजना जो प्रारम्भ में समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई थी, अक्तूबर, 1982 से शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय को स्थानांतरित कर दी गई है ।

राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को अनुदानों के अतिरिक्त, विशिष्ट विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को विकलांग बच्चों के शिक्षण तथा भावी विस्तार कार्यक्रमों में प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग को पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का सुप्रशिक्षित संवर्ग की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी अनुदान दिए जाते हैं ।

रक्षा कार्मिकों को शैक्षिक रियायतें

यह योजना जो 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान अथवा 1965 और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान मारे गए अथवा स्थायी रूप से विकलांग हुए सैनिक अथवा अर्ध सैनिक सदस्यों के बच्चों के लिए है, इस वर्ष भी कार्यान्वित की गई।

इस योजना के अन्तर्गत बच्चों को विभिन्न रियायतें दी जाती हैं ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। इस वर्ष के दौरान 34 छात्रों को ऐसी रियायतें प्राप्त हुईं।

शारीरिक शिक्षा

शारीरिक शिक्षा नीति एवं कार्यक्रम

शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद को आज सारे विश्व में शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाता है। 1968 में, भारतीय संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद संबंधी एक देश व्यापी कार्यक्रम के विकास पर काफी बल दिया गया। शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद सहित एक नई राष्ट्रीय खेल-नीति अभी सरकार के विचाराधीन है। इसी बीच नई नीति अपनाए जाने तक शारीरिक शिक्षा की प्रोन्नति के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम का कार्यान्वियन 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के व्यापक ढांचे के अंदर जारी है। वर्तमान कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य जारी रहे, अर्थात्—शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद संबंधी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ-साथ देश की परंपरागत शारीरिक शिक्षा गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और व्यापक आधार पर बड़े पैमाने पर भाग लेना। परंपरागत शारीरिक स्वस्थता कार्यकलाप के रूप में योग की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, योग में शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना भी जारी रहा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) में शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के संबंध में एक कार्यदल गठित किया गया है। आशा है कि यह कार्य दल शारीरिक शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा करने और पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिए कार्यक्रमों की सिफारिश करने के अलावा 2000 ए० डी० तक के विकास की व्यवहार्य संभावनाओं का भी सुझाव देगा, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बुनियादी न्यूनतम अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो सकें और युवक शारीरिक स्वस्थता तथा खेलों में अपनी श्रेष्ठता दिखा सकें तथा आधुनिक समाज के विकास में अपना अधिकतम योगदान दे सकें।

इस वर्ष के दौरान कार्यान्वित शारीरिक शिक्षा और योग संबंधी कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :—

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर

इस कालेज का मुख्य उद्देश्य जो भारत सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद के क्षेत्र में स्थापित दो राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है, शैक्षिक संस्थाओं तथा अन्य संगठनों के लिए शारीरिक शिक्षा में उच्च कोटि के नेतृत्व के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। वर्ष के दौरान, इस कालेज ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने और देश में शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को नेतृत्व प्रदान करने की अपनी मुख्य जिम्मेवारी को निभाना जारी रखा।

शैक्षिक सत्र 1983–84 के दौरान कालेज में छात्रों की कुल संख्या 366 थी जिनमें 81 महिलाएं शामिल थीं। कालेज में नौ विदेशी छात्र भी शामिल थे। सन् 1957 से जबकि इस कालेज की स्थापना की गई थी, इस कालेज ने अब तक 2237 स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षक तैयार किए हैं जिनमें 405 महिलाएं शामिल हैं।

अपने नियमित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त, कालेज द्वारा शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद के क्षेत्र में सेवारत कार्मिकों के लिए विस्तार सेवाओं तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन जारी रहा। अनुसंधान कार्यक्रमों पर पर्याप्त बल देने के विचार से कालेज में एक परिपूर्ण अनुसंधान विभाग स्थापित किया गया है जिसने अनेक अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, कालेज ने केन्द्रीय सरकार की ओर से राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद संबंधी प्रकाशित साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता जैसे केन्द्रीय कार्यक्रमों का एक एजेंसी के रूप में कार्यान्वयन जारी रखा।

कालेज ने शारीरिक शिक्षा में एक राष्ट्रीय संसाधन तथा प्रलेखन केन्द्र की स्थापना की है जो सामान्य जनता के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद में व्यावसायिक सूचना के लिए एक निकासी गृह के रूप में कार्य करेगा। इस वर्ष के दौरान कालेज द्वारा शुरू एक अनुसंधान ब्लाक और कालेज अतिथि गृह का निर्माण कार्य दो अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो वर्ष के दौरान कालेज द्वारा शुरू की गई।

शारीरिक शिक्षा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करना

यह योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि से चली आ रही है और इसके अंतर्गत सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार की शारीरिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को, जो व्यायामशाला कक्ष, छात्रावास भवन, प्रशासनिक खंड, अनुसंधान प्रयोगशाला के निर्माण, खेल के मैदानों के विकास, खेल-कूद/प्रयोगशाला अनुसंधान उपकरणों को खरीदने और पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें जैसी भौतिक सुविधाओं के सुधार और अन्य विकासात्मक खर्चों के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार अनुदान की निर्धारित सीमा को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट परियोजनाओं के खर्च के 50 से 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के स्वरूप तथा कार्य क्षेत्र को और अधिक व्यापक तथा इसके कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पद्धति को हाल ही में संशोधित किया गया है। योजना की पद्धति संशोधित होने से अब विभिन्न शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही है।

योग की प्रोन्नति

शारीरिक स्वस्थता को प्रोत्साहित करने में योग की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, दूसरी पंच वर्षीय योजना से ही देश में शारीरिक शिक्षा के विस्तार से संबंधित मंत्रालय के समग्र कार्यक्रम के एक भाग के रूप में योग प्रोन्नति की योजना का कार्यन्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, अखिल भारतीय स्वरूप की योग संस्थाओं को उनके अनुरक्षण तथा मूल अनुसंधान की प्रोन्नति संबंधी विकासात्मक खर्च के लिए और/अथवा चिकित्सीय पहलुओं को छोड़कर योग के विभिन्न पहलुओं में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योग चिकित्सा विज्ञान की प्रोन्नति के लिए योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जाती है।

कैवल्यधाम श्रीमन माधव योग मंदिर समिति लोनावला (पुणे) को उसके रख-रखाव तथा अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यकलापों के विकासात्मक खर्च के लिए इस योजना के अंतर्गत सहायता जारी रही।

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसाइटी (रा० शि० खे० सं० सो०)

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी ने, जिसकी स्थापना सन् 1965 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में दोनों, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान संस्थानों अर्थात लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के अनुरक्षण और प्रशासन की देख-भाल करने तथा साथ ही राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से खेल-कूद के स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए की गई थी, इस वर्ष के दौरान, अपना कार्य जारी रखा। इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान, सोसायटी की तीन बैठकें हुई। इसके अतिरिक्त, इसकी स्थायी समितियों की बैठकें भी समय-समय पर आयोजित की गई।

अध्याय 3

उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान

उच्च शिक्षा के स्तरों का समन्वय तथा निर्धारण करना संघ सूची का विषय है और यह केंद्रीय सरकार का विशेष दायित्व है । यह दायित्व मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से निभाया जाता है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी । इस समय संसद अधिनियमों के अन्तर्गत सात विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान प्रयासों की प्रोन्नति तथा समन्वय के लिए एजेंसियों की स्थापना की है । इस समय तीन ऐसी राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, अर्थात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, भारतीय ऐतिहासिक अनुसधान परिषद् और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् । केंद्रीय सरकार उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में, भारत तथा अन्य देशों के बीच शैक्षिक सहयोग से संबंधित अन्य योजनाओं सहित अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है ।

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उच्च शिक्षा की अभिवृत्तियां तथा संवर्धन

विश्वविद्यालय तथा कालेजों में दाखिला संख्या 1981–82 में 29.52 लाख से बढ़कर 1982–83 में 31.37 लाख हो गई । वृद्धि की प्रतिशतता पिछले वर्ष की 7.3 प्रतिशत के मुकाबले में 6.3 प्रतिशत थी। विश्वविद्यालय विभागों में छात्रों की संख्या 5.50 लाख तथा कालेजों में 25.87 लाख थी।

कला संकायों में नामांकन कुल नामांकन का 39.7 प्रतिशत था । विज्ञान तथा वाणिज्यक सकायों में प्रतिशतता क्रमशः 19.7 तथा 21.8 था। प्रथम डिग्री स्तर पर नामाकन 27.45 लाख (87.5 प्रतिशत); स्नातकोत्तर स्तर पर 3.07 लाख (9.8 प्रतिशत) अनुसंधान स्तर पर 0.38 (1.2 प्रतिशत) तथा डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र स्तर पर 0.46 लाख (1.5 प्रतिशत) था । 1981–82 की तुलना में, मुख्य वृद्धि केवल प्रथम डिग्री स्तर पर ही थी।

अध्यापकों की संख्या 2.11 लाख तक बढ़ गई। इनमें 0.46 लाख अध्यापक विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों में तथा शेष सम्बद्ध कालेजों में थे । विश्वविद्यालयों में 46343 में से, 4616 प्रोफेसर, 10294 रीडर, 29499 लेक्चरर तथा 1934 अनुशिक्षक तथा प्रदर्शक थे । सम्बद्ध कालेजों में वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या 16,436 थी तथा 1,41,211 व्याख्याता थे।

1982–83 के दौरान, 4 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए जो निम्नलिखित हैं—अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती (महाराष्ट्र), गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (मध्य प्रदेश), श्री पदमावती विश्वविद्यालय, तिरूपति (आंध्र प्रदेश) तथा गांधी जी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, (केरल) । सम्बद्ध कालेजों की संख्या 1982–83 में 4886 से बढ़कर 5012 हो गई ।

महिलाओं में उच्च शिक्षा

महिला छात्रों का नामांकन 1981–82 के दौरान 8.17 लाख के मुकाबले 1982–83 में 8.93 लाख था । महिला छात्रों की प्रतिशतता 1981–82 में 27.7 प्रतिशत से 1982–83 में बढ़कर 29.8 प्रतिशत हो गई । स्नातकोत्तर स्तर पर, महिलाओं का नामांकन कुल नामांकन का 29.8 प्रतिशत था। महिला छात्रों का नामांकन केरल में सबसे अधिक (48.2 प्रतिशत) तथा इसके पश्चात्, दिल्ली (47.7 प्रतिशत) पंजाब (41.9 प्रतिशत), तथा जम्मू तथा काश्मीर (41.8 प्रतिशत) था । बिहार में प्रतिशतता सबसे कम थी (15.4 प्रतिशत) ।

1982-83 के दौरान किए गए कार्यकलाप

आयोग द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रमुख वर्गों के अन्तर्गत आते हैं :—

(1) कोटि सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम

(2) अनुसंधान के लिए सहायता

(3) विश्वविद्यालयों का विकास

(4) कालेजों का विकास

(क) उच्च अध्ययन केन्द्र तथा विशेष सहायता विभाग

कोटिसुधार के लिए विशेष कार्यक्रम

आयोग इस समय 19 उच्च अध्ययन केंद्रों तथा विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में 60 विशेष सहायता विभागों तथा 10 उच्च अध्ययन केन्द्रों तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान में 23 विशेष सहायता विभागों को सहायता दे रहा है। 1983–84 के दौरान, आयोग ने विशेष सहायता के लिए विज्ञान तथा इंजीनियरी के 54 प्रस्तावों की जांच की तथा उन्हें स्वीकार किया।

(ख) विभागीय अनुसंधान सहायता

इस समय विज्ञान में 42 विभागीय अनुसंधान परियोजनाएं तथा मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम, कालेज मानविकी तथा सामाजिक सुधार कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम

इस समय आयोग कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 191 कालेजों तथा विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान में 40 विश्वविद्यालय विभागों की सहायता कर रहा है। इसी प्रकार मानविकी और सामाजिक विज्ञान में कालेज मानविकी तथा सामाजिक सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 188 कालेज तथा 16 विश्वविद्यालय विभाग आयोग से सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(घ) विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान पैनल

प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और जीव विज्ञान में अभिनव पाठ्यक्रमों के विकास सहित विस्तृत पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए विशेष समितियों तथा कार्यदलों का गठन किया गया है। गृह विज्ञान में अवर स्नातक पाठ्यचर्या को अन्तिम रूप दिया गया है।

(ङ) सामान्य सुविधाएं तथा सेवाएं

आयोग, विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सुविधाओं के विकास का प्रयत्न कर रहा है। एक विविध ऊर्जा साईकलोलियन सुविधा कलकत्ता में पहले से ही उपलब्ध है। इन सुविधाओं के उपयोग से 19 प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में 1983–84 के दौरान विज्ञान सूचना केंद्र स्थापित किया जाना है। केन्द्र अनुसंधान वैज्ञानिकों को उनके विषय क्षेत्रों में वर्तमान विश्व प्रकाशनों के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करेगा तथा अनुरोध किए जाने पर पत्रिकाओं में प्रकाशित सम्बद्ध दस्तावेजों की भी प्रतियां प्रदान करेगा।

एक प्रमुख अन्तर-विश्वविद्यालय अनुसंधान सुविधा के रूप में न्यूक्लियर विज्ञान केंद्र के रूप में हाल ही में मंजूर किया गया है। यह जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित होगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना संचालन समिति का भी गठन किया गया है।

आयोग एक बहु-विभाग/एजेंसी कार्यकलाप के रूप में "इंडियन मिडिल एटमोस-फियर प्रोग्राम" नामक समेकित भारतीय वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्यकलापों को सहायता देने के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी सहमत हो गया है।

आयोग इस समय निम्नलिखित राष्ट्रीय संकाय केन्द्रों की स्थापना की सम्भावना पर विचार कर रहा है :—(i) सामग्री अनुसंधान; (ii) लासेस/फाईबर ऑप्टिक्स; और (III) सिनक्रोट्रोन रेडिएशन अनुसंधान।

(च) वन्य जीवन अध्ययन

आयोग ने वन्य जीवन अध्ययन के लिए पाठ्यपुस्तकें तथा पाठ्यचर्या और अवर-स्नातक शिक्षण के लिए अपेक्षित अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु कदम उठाए हैं। वन्य जीवन अध्ययन में शिक्षण कार्यक्रमों के लिए दस विश्वविद्यालयों का पता लगाया है। ये कार्यक्रम अन्य एजेंसियों जैसे कि वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, पर्यावरण विभाग तथा कृषि मंत्रालय के सहयोग से आरम्भ किए जाएंगे।

(छ) पर्यावरणीय अध्ययन

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में पर्यावरण विज्ञान में विकास, शिक्षण अनुसंधान तथा विस्तार कार्य से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है। पर्यावरण संबंधी इंजीनियरिंग तथा प्रदूषण में विशेष कार्यक्रमों के ब्यौरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ज) विज्ञान शिक्षा

आयोग, विज्ञान शिक्षा की चार त्रैमासिक पत्रिकाओं अर्थात् भौतिकी शिक्षा, रसायन शिक्षा, जीव-विज्ञान शिक्षा तथा गणित शिक्षा के प्रकाशन में सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। इन पत्रिकाओं के प्रथम अंक की 1984 के प्रथम अर्द्ध में प्रकाशित हो जाने की आशा है। आयोग ने विज्ञान में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रतिभाशाली तथा अभिप्रेरित छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। रा० शै० अ० तथा प्र० परि० की प्रतिभा खोज परीक्षा की सूची के छात्रों को एक सौ छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

(झ) नेहरू अध्ययन

आयोग ने नेहरू अध्ययन की प्रोन्नति से संबंधित प्रस्तावों की सहायता करने का निर्णय किया है। शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं। नेहरू पर गहन अध्ययन शुरू करने के लिए एक वरिष्ठ अध्येता को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय छात्रवृत्ति देना; नेहरू पर पूर्व डाक्ट्रोल तथा उत्तर डाक्ट्रोल अध्ययन के लिए अनुसंधान एसोसिएट-शिप तथा जूनियर शिक्षावृति ; इतिहास तथा राजनीति के पाठ्यक्रमों में एम० ए० स्तर पर विशेष वैकल्पिक पेपर आरम्भ करना तथा नेहरू और उनके योगदान पर सेमिनार, संगोष्ठी आदि का आयोजन आदि।

(ञ) शिक्षावृत्ति कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियों की संख्या बढ़ाकर 20 से 30 कर दी गई है। राष्ट्रीय एसोसिएटशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत अब उपलब्ध स्थानों की संख्या एक वर्ष के लिए 100, 3 वर्षों के लिए 150 तथा 5 वर्षों के लिए 150 है। वर्ष 1983–84 के दौरान 56 अध्यापकों को राष्ट्रीय लेक्चररशिप के लिए चुना गया है।

(ट) परीक्षा सुधार

आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को 1983–84 की परीक्षा शुरू से ही परीक्षा सुधारों का एक न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वित करना चाहिए। अधिकांश विश्वविद्यालयों ने इस सुझाव का अनुकूल उत्तर दिया है।

(ठ) संगणक सुविधाएं

आयोग चुनिन्दा कालेजों में 100 से 200 तक छोटे कम्प्यूटर प्रदान करने पर तथा इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चुनिन्दा केंद्रों पर आरंभ करने की सम्भावना पर विचार कर रहा है ।

(ड) जनसंचार तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी

आयोग शिक्षा की कोटि में सुधार लाने तथा इस तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली; केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद और पूना, उस्मानिया, गुजरात तथा रुड़की विश्वविद्यालयों में 6 शैक्षिक साधन तथा दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है । इन केन्द्रों ने काम करना आरम्भ कर दिया है । इन्सेट-1बी के जरिए प्रसारण के लिए उच्च शिक्षा के सन्तुलित तथा प्रभावी कार्यक्रम चुनने तथा तैयार करने की सम्भावना पर विचार करने के लिए एक कार्यक्रम समिति स्थापित की गई है, इनसैट-1बी द्वारा उपयोग के लिए उनकी उपयुक्तता के संबंध में उपलब्ध वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक विडियो टेप; श्रव्य टेपों तथा फिल्मों की जांच करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में सैल स्थापित करने की स्वीकृति भी मिल गई है तथा सैल ने काम करना आरम्भ कर दिया है ।

(ढ) शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन

आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों की समीक्षा के लिए एक समिति स्थापित की है ।

(ण) द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम

विभिन्न विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के तीस अध्यापक विदेशों में गए तथा 48 विदेशी अध्येता भारत आए । 1983–84 के दौरान, भारत-संयुक्त राज्य फैलोशिप कार्यक्रमों के अन्तर्गत, भारत के 8 अध्येता 10 महीनों की शिक्षावृत्ति के लिए तथा 12 अध्येता प्रत्येक 13 सप्ताह की विजिटरशिप के लिए नामजद किए गए । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका, शिक्षावृत्तियों के लिए 11 अध्येता तथा अल्प अवधि भ्रमणों के लिए 12 अध्येता नामजद करेगा । 1983–84 के दौरान चार संयुक्त सेमिनार आयोजित किए गए जो निम्नलिखित हैं : शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर भारत-कनाडा कार्यशाला; इतिहास पर भारत-कनाडा कार्यशाला; अर्थ-शास्त्र में भारत-हंगरी गोलमेज सम्मेलन तथा अपंगों की शिक्षा से संबंधित भारत-संयुक्त राज्य सेमिनार ।

अनुसंधान के लिए सहायता

(क) प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं

आयोग ने वर्ष के दौरान विज्ञान विषयों की 202 प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं तना मानविकी और सामाजिक विज्ञान की 29 परियोजनाओं की स्वीकृति दी जिनमें 217.11 लाख रु० का कुल अनुदान शामिल है ।

(ख) लघु अनुसंधान परियोजनाएं

विज्ञान की 1082 लघु अनुसंधान परियोजनाएं तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान की 432 परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिनमें वर्ष के दौरान 93.82 लाख रु० की सहायता शामिल है ।

विश्वविद्यालयों का विकास

छठी योजना के दौरान लगभग सभी विश्वविद्यालयों के संस्थागत/सामान्य विकास संबंधी विकास आवश्यकताओं का मूल्यांकन विजिटिंग समितियों द्वारा कर लिया गया है । 62 विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विजिटिंग समितियों की सिफारिशें मंजूर कर ली गयी हैं । छठी योजना में पहले मंजूर किए गए कार्यक्रमों सहित इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर 80 करोड़ रु० खर्च होने की आशा है ।

7—812 Edu./83

कालेजों का विकास

लगभग 2000 कालेजों के लिए मूल सहायता मंजूर कर ली गई है। आशा है कि अगले वर्ष तक यह संख्या 3000 तक बढ़ जाएगी। लगभग 900 कालेजों की अवर स्नातक शिक्षा के विकास प्रस्ताव मंजूर कर दिए गए हैं। चालू योजना के अन्त तक इस संख्या की 1500 तक बढ़ने की संभावना है। स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए चालू योजना के दौरान लगभग 500 कालेजों को सहायता दी जाने की सम्भावना है

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उच्च शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जाति और जनजाति सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए 59 विश्वविद्यालयों में विशेष सैलों की स्थापना की है। आयोग ने एकक स्थापित करने की भी एक योजना बनाई है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षण देना, उपचारी शिक्षण देना, उनकी कमियों को पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और विभिन्न विषयों जैसे भाषा गणित और विज्ञान में उनके निष्पादन में सुधार लाना है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए डिग्री स्तर पर प्रथम वर्ष से एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत चालू वर्ष में 115 छात्रवृत्तियां प्रदान की जायेंगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करवाने हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के संबंध में एक समिति गठित की गई है। समिति की सिफारिशों पर आयोग ने यह तय किया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की आवश्यकताओं को व्यापक पैमाने पर पूरा करने वाले कालेज और संस्थाओं को विशेष विकास सहायता देने की श्रेणी में रखा जाये। शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जांच और बार-बार होने वाले झगड़ों के कारणों के लिए उपचारात्मक उपाय और नागरिक जीवन को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाने और अन्य सुधारों के लिए जनवरी 1983 में डा० (श्रीमति) माधुरी आर० शाह की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने नवम्बर 1983 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश की और 23 दिसम्बर, 1983 को हुई आयोग की बैठक में इस पर विचार किया गया। रिपोर्ट में दी गई कई सिफारिशों पर इस समय कार्यवाही की जा रही है।

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

1982–83 के दौरान छात्रों की कुल संख्या 16921 थी। इनमें 5783 छात्र स्कूलों में, 4509 छात्र कालेज और संस्थाओं में, 6629 छात्र विश्वविद्यालय विभागों में नामांकित थे। 1983–84 के दौरान, 95 छात्रों को पीएच० डी०, 93 छात्रों को एम० फिल० डिग्री और 2 छात्रों को डी० लिट० डिग्री प्रदान की गई।

1983–84 शैक्षिक सत्र अगस्त के मध्य से आरम्भ हुआ और आशा की जाती है कि यह नियत समय पर समाप्त होगा। विश्वविद्यालय परिसर में फिर से शिक्षा का सामान्य वातावरण लाया जा रहा है और छात्रावासी जीवन की कोटि में काफी सुधार हुआ है। हिंसा और अनुशासनहीनता की कुछ छोटी-मोटी घटनाएं हुई हैं परन्तु इनसे शैक्षिक कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं आई है।

विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाए गए परीक्षाओं में सुधार के न्यूनतम कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भूगोल, भौतिकी और गणित विभागों को विशेष सहायता श्रेणी के अंतर्गत रखा है। नर्सों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नर्सिंग विद्यालय खोला गया है। पैट्रोलियम पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक योजना मंजूर की है। इतिहास विभाग ने फतेहपुर सीकरी के पास अंतरंजिया खेरा की खुदाई में सक्रिय भाग लिया। संगणक विज्ञान और उर्दू सुल्लेखन पर नए पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। 1983–84 से स्कूल स्तर पर विश्वविद्यालय ने +2 स्तर आरम्भ किया।

मेडिकल कालेज अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 350 से बढ़ाकर 500 कर दी गई। मेडिकल कालेज में स्थित मनोरोग अनुसंधान केंद्र और इम्यूनोलोजी केंद्र ने अपने कार्यों में महत्वपूर्ण उन्नति की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 500 लड़कों और 200 लड़कियों के लिए एक अतिरिक्त छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी है। वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय ने भारतीय मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार की समस्याओं पर एक सेमिनार का आयोजन किया। विश्व खाद्य व्यवस्था पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार और अखिल भारतीय भूगोल कांग्रेस का भी आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद और विश्वविद्यालय कोर्ट के संविधान का कार्य संशोधित अधिनियम 1981 की धाराओं के अनुसार लगभग पूरा कर लिया गया। तथापि, इन निकायों की बैठकें, संविधान की मान्यता पर याचिका दर्ज किए जाने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई हैं।

वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय टीमों ने खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कीं। विश्वविद्यालय ने फुटबाल और हाकी में उत्तर-क्षेत्रीय अन्तर-विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप जीती।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

कुछ संकायों में विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र पिछले कुछ समय से समय-सारणी से पीछे चल रहा है। विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र को नियमित करने तथा परीक्षाएं आयोजन करने के लिए प्रयत्न कर रहा है।

प्रौद्योगिकी संस्थान के खनन इंजीनियरी, इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी और मृतिक शिल्प इंजीनियरी विभागों और चिकित्सा विज्ञान संस्थान के विज्ञान संकाय के भौतिकी विभाग तथा जीव रसायन विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विशेष सहायता मिली है और अब इनका स्तर चुनिन्दा विभागों में हो गया है। प्रौद्योगिकी संस्थान के तीन विभागों को 5 वर्ष के लिए एक करोड़ रुपए से अधिक राशि की सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त, कई अनुसंधान परियोजनाएं भी स्वीकृति की गई हैं। संगणक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है और इनके अगले शैक्षिक सत्र से प्रारम्भ होने की सम्भावना है। जीव रसायन (आई० एम० एस०), भौतिकी वनस्पति और जीव विज्ञान विभागों को "सी०ओ०आई० एस० टी०" कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने का विचार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय संग्रहालय भारत कला केंद्र को इसके विकास के लिए 16.70 लाख रु० की राशि दी गई है।

सांख्यिकी विभाग के तत्वावधान में जीव विज्ञान विभाग में डी० एन० ए० रिपेयर और कोमोसन एप्रिरेशन्स और सांख्यिकी पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। बौद्ध एवं पालि विभाग द्वारा "पूर्व बोद्ध और महायणा" पर एक अखिल भारतीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन 10 नवम्बर 1983 को परम पावन दलाई लामा द्वारा किया गया। 19 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 1983 तक भारत कला केंद्र द्वारा 16वां अखिल भारतीय संग्रहालय शिविर का आयोजन किया गया।

धातुकर्मीय इंजीनियरिंग विभाग के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रो० टी० आर० अनन्तारमण को टॉप स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इन समारोहों को 21वां राष्ट्रीय धातुकर्मीय दिवस और भारतीय धातु संस्थान की 37वीं वार्षिक तकनीकी बैठक और हल्की धातु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ सम्मिलित रूप में मनाया गया।

जिन अनुसंधान अध्यताओं को वित्तीय सहायता नहीं मिलती, उन्हें देश के किसी भी भाग में वर्ष में दो बार पुस्तकालय का दौरा करने के लिए सुविधा दी जाती है। 152 जरूरत मंद और योग्य छात्रों को उपकुलपति की विवेकाधीन निधि से 11000 रु० की राशि स्वीकृत की गई।

विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्वरूप को बनाए रखा गया तथा कृषि विज्ञान संस्थानों और स्नातकोत्तर प्रबन्ध अध्ययनों में दाखिले अखिल भारतीय स्तर पर किए गए।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों ने प्रशंसनीय कार्य करना जारी रखा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत समाज-विज्ञान संकाय भवन केन्द्रीय पुस्तकालय का विस्तार, 212 स्वीकृत स्थानों वाला छात्रों का छात्रावास तथा 50 स्थानों वाला लड़कियों का छात्रावास निर्माण के अन्तिम चरण पर हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

वर्ष 1983–84 के दौरान, विश्वविद्यालय तथा कालेजों के नियमित पाठ्यक्रमों में कुल नामांकन 88,922 था। इसके अलावा, गैर-कालेज महिला बोर्ड द्वारा 8240 छात्रों तथा पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल में 14,248 छात्रों का नामांकन किया गया। इसके अतिरिक्त बाह्य छात्र सेल में 17114 छात्रों को पंजीकृत किया गया। इस प्रकार वर्ष 1983–84 के दौरान, विश्वविद्यालय ने कुल 128,524 छात्रों का दाखिला किया है। पीएच०डी० पाठ्यक्रमों के लिए 2,061 छात्रों तथा एम० फिल० पाठ्यक्रमों के लिए 616 छात्रों को दाखिला दिया गया।

वर्ष 1983 के दौरान, अध्यापन स्टाफ की कुल संख्या 626 थी जिसमें 111 प्रोफेसर, 273 रीडर, 228 लेक्चरार तथा 14 अनुसंधान एसोशिएट थे।

वर्ष 1983–84 के दौरान, फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा आधुनिक अरबी तथा फारसी में एक-वर्षीय उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए। व्यापार अर्थव्यवस्था का एक पृथक विभाग शुरू किया गया। विश्वविद्यालय ने स्लाविक अध्ययन में मेडम "लिअडमिला जिवकोवा" के नाम पर एक पीठ स्थापित करने का निर्णय किया। वर्ष के दौरान, भूटान के शेरुवट्से कालेज को विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया गया।

विश्वविद्यालय ने, जनवरी 1984 में अपनी रजत जयन्ती मनाई।

हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद

1983–84 के दौरान, विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़कर 690 हो गई। वर्ष के दौरान, 364 छात्रों को दाखिला दिया गया। इनमें 48 छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तथा 4 शारीरिक रूप से विकलांग थे। कमजोर वर्गों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया गया तथा छात्रों के लिए संचार कौशल सम्बन्धी सुधार के लिए शिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया। 20 छात्रों को पीएच०डी० की डिग्रियां प्रदान की गईं।

वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षकों की संख्या 100 थी जिनमें 19 प्रोफेसर 36 रीडर तथा 44 लेक्चरार थे। संकाय सहयोगी अनुसंधान का कार्य जारी रखा तथा उनमें से कुछ शिक्षकों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय ने 30 छात्रों के साथ निष्ठात संगणक प्रयोग पाठ्यक्रम आरम्भ किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के रसायन स्कूल को एक विशेष सहायता विभाग के रूप में पुनर्गठित किया है।

नए विश्वविद्यालय की अपेक्षाकृत, हैदराबाद विश्वविद्यालय में अभी सभी भौतिक सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। इन भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था सन्तोषजनक है। वर्ष के दौरान, और अध्ययन कक्ष तथा शिक्षक छात्रावास भी बनाए गए। छात्रों के छात्रावास विज्ञान स्कूल (कम्पलेक्स) परिसर, पुस्तकालय तथा प्रशासनिक भवनों के निर्माण का कार्य भी शीघ्र आरम्भ होने वाला है। नवम्बर 1983 के अन्त में छात्रों के आन्दोलन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। विश्वविद्यालय, 2 जनवरी, 1984 को दुबारा खुला। अब दिसम्बर में होने वाली सेमिस्टर परीक्षा जनवरी, 1984 में होगी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

अप्रैल-मई 1983 के दौरान, छात्र-आन्दोलन ने विश्वविद्यालय के सामान्य कार्य प्रणाली में रुकावट डाली। 12 मई 1983 को, विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया तथा विश्वविद्यालय 22 जुलाई, 1983 को दुबारा खोला गया। विश्वविद्यालय के बंद रहने के परिणामस्वरूप दाखिले की प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा। इसकी वजह से, जुलाई 1983 में नए दाखिले नहीं किए जा सके।

वर्ष के दौरान, छात्रों की कुल संख्या 1541 थी।

1,478 छात्रों को डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान किए गए जिनमें 69 पीएच०डी०, 157 एम० फिल० तथा 490 एम०ए०/एम०एससी० डिग्रियां शामिल थीं।

वर्ष के दौरान शिक्षण स्टाफ की कुल संख्या 316 थी, जिनमें 68 प्रोफेसर, 97 ऐसोशियेट प्रोफेसर तथा 151 सहायक प्रोफेसर थे।

1983–84 के दौरान विश्वविद्यालय को संगणक प्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री आरंभ करने के लिए एक केन्द्र के रूप में स्वीकृति दी गई है।

"जैनेटिक इंजीनियरिंग" में अनुसंधान एकक की स्थापना के लिए पर्यावरण विज्ञान स्कूल का चयन किया गया है।

वर्ष के दौरान, संकाय ने विभिन्न एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित 20 अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया।

विश्वविद्यालय ने परिसर में सामूहिक जीवन के विकास का प्रयास जारी रखा। विश्वविद्यालय में 30 खेल-कूद तथा सांस्कृतिक क्लब कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शी कार्यालय छात्रों को सहायता प्रदान कर रहा है।

उत्तर-पूर्वीय पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग

1983–84 के दौरान, विश्वविद्यालय में कुल 1175 छात्र थे जिनमें 1020 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में तथा 155 अनुसंधान कार्यक्रम में दाखिल थे।

शिलांग के प्रमुख परिसर में इस समय 16 उत्तर स्नातक विभाग ह जबकि नागालैण्ड तथा मिजोरम परिसरों में 3 उत्तर स्नातक विभाग तथा प्रत्येक में 2–2 संबद्ध कालेज है। इसके आलावा, मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम के 38 कालेज विश्व-विद्यालय से संबध हैं।

विश्वविद्यालय ने शिक्षा की 10+2+3 पद्धति भी शुरू कर दी है। पाठ्यचर्या में कई प्रतिष्ठान पाठ्यक्रम तथा कई गैर–परम्परागत पाठ्यक्रम जैसे नए पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। भू-विज्ञान तथा मनोविज्ञान में भी नए पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं।

विश्वविद्यालय सेमिनारों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, क्षेत्रीय अध्ययनों, अनुसंधान परियोजनाओं तथा विभागीय सम्मेलनों के माध्यम से अध्ययन पाठ्यक्रमों में अन्तर-विषयक परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अनवरत प्रयास कर रहा है।

विश्वविद्यालय ने नवम्बर, 1983 में हुए अपने दीक्षान्त समारोह में 22 पीएच०डी० डिग्री, 20 एम० फिल० डिग्री तथा 155 एम०ए०, एम०एससी०, एम०एड० डिग्री प्रदान की।

अप्रैल, 1983 में भारत के राष्ट्रपति तथा विश्वविद्यालय के विजिटर ने शिलांग में विश्वविद्यालय के भवनों की आधारशिला रखी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से संबंधित पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करने तथा क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित अनुसंधान कार्य पत्रिकाएं प्रकाशित करने हेतु प्रकाशन एकक की स्थापना की है। विश्वविद्यालय ने आकाशवाणी के जरिए एक खुला विश्वविद्यालय कार्यक्रम भी शुरू किया है। पत्राचार पाठ्यक्रमों के 1984 के आरम्भ में शुरू हो जाने की सम्भावना है।

विश्व भारती शांति निकेतन

आलोच्य वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 3253 थी। अध्यापकों की कुल संख्या 488 थी जिनमें 35 प्रोफेसर तथा 81 रीडर थे।

विश्व भारती की आचार्या श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 17 दिसम्बर, 1983 को हुए इसके 29वें वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की।

विश्वविद्यालय ने विशेष व्याख्यानों, सेमिनारों तथा सम्मेलनों का आयोजन किया जिसमें भारत तथा विदेशों के प्रसिद्ध शिक्षाविदों तथा अध्येताओं ने भाग लिया। इनमें नंद लाल शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में कला भवन द्वारा आयोजित "आधुनिक संदर्भ में भारतीय कला" पर अखिल भारतीय सेमिनार उल्लेखनीय था। पल्ली समगाथना विभाग, शान्तिनिकेतन के ग्रामीण पुस्तकालय सेवा ने पहले की तरह राज्य सामाजिक शिक्षा निदेशालय तथा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के सहयोग से पुस्तकालय सेवाएं प्रदान कीं। विश्वविद्यालय के ग्रंथ विभाग (प्रकाशन विभाग) ने विभिन्न पुस्तक प्रदर्शनियों में भाग लिया।

ग. विशिष्ट अनुसंधान संगठन

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना सन 1965 में वरिष्ठ विद्वानों को मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान की सुविधा प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त आवासीय संस्था के रूप में की गई थी।

सरकार के इस निर्णय के अनुसरण में कि संस्थान को पुनर्गठित रूप में कार्य करना जारी रखना चाहिए, संस्थान के पुनर्गठन तथा पुनर्व्यवस्था सम्बन्धी विवरणों की सिफारिश करने के लिए सितम्बर, 1980 में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1981 में प्रस्तुत की।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर तैयार की गई पुनर्गठन योजना स्वीकार कर ली गई है और इसके कार्यान्वियन की प्रक्रिया जारी है। वर्ष 1983 के दौरान, संस्थान में केवल दो फैलो थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से इलाहाबाद के निकट श्री गेवेशपुरा संस्थान में "रामायण स्थलों का पुरातत्व" नामक राष्ट्रीय पुरातत्व परियोजना पर कार्य जारी रहा।

भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद्

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना मार्च, 1977 में की गई थी तथापि, इस परिषद् को जुलाई, 1981 में ही सक्रिय बनाया गया तथा इसका पुनर्गठन किया गया और प्रो० डी० पी० चटोपाध्याय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। परिषद् की स्थापना मुख्यत: समय-समय पर दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करने, दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों को प्रायोजित अथवा सहायता करने के लिए तथा अनुसंधान में लगी संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने, तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करने, अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलापों के समन्वय तथा ऐसे सभी उपाय करने जिन्हें दर्शन शास्त्र तथा सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए आवश्यक समझा जाए, के लिए की गई है।

वर्ष 1982-83 के दौरान, परिषद् ने एक राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति, 2 सीनियर शिक्षावृत्ति, 5 साधारण शिक्षावृत्ति, तथा 5 जूनियर शिक्षावृत्ति प्रदान की। परिषद् ने निम्नलिखित पर 3 सेमिनार आयोजित किए (1) विश्व दर्शनशास्त्र के सन्दर्भ में भारतीय दर्शनशास्त्र की उत्पत्ति; (2) भारतीय संस्कृति में सहनशीलता की भावना तथा भूमिका; और (3) समकालीन दर्शनशास्त्र की अभिवृत्तियां। परिषद् ने इन तीन सेमिनारों के अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा सेमिनारों, सम्मेलनों आदि के आयोजन के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता दी। परिषद् ने 'दर्शनशास्त्र, विज्ञान तथा मूल्य' सार पर 20–25 आयु-वर्ग के युवा विद्वानों के लिए अखिल भारतीय निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की। परिषद् ने अनुसन्धान परियोजनाओं के लिए यात्रा अनुदानों, प्रकाशन अनुदानों तथा अनुदानों के रूप में संगठनों तथा व्यक्तियों की वित्तीय सहायता भी की। "फिलासफी आफ एजूकेशन फार दि कन्टेम्पोरेरी यूथ-लर्निंग टू बी" पर एक प्रदर्शनी बटलर पैलेस, लखनऊ में आयोजित की गई।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्

भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद् की स्थापना इतिहास के वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य की प्रोन्नति, ऐतिहासिक अनुसन्धान कार्यक्रमों को प्रायोजित करने तथा देश की राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक सम्पदा की सुव्यवस्थित सूचना देने के उद्देश्य से स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। वर्ष के दौरान, पिछले वर्षों की तरह परिषद् के मुख्य कार्यकलाप थे: ऐतिहासिक अनुसन्धान की प्रोन्नति तथा सरलीकरण जिनमें

सहायक अनुदान कार्यक्रम, स्रोत कार्यक्रम, विशेष परियोजनाओं का निष्पादन, सेमिनारों का आयोजन, पत्रिकाओं/पुस्तकों का प्रकाशन/अनुसन्धान के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आदि आलोच्य वर्ष के दौरान, परिषद् ने 14 अनुसन्धान परियोजनाएं, 75 शिक्षा-वृत्तियां तथा 54 अध्ययन एवं यात्रा/आकस्मिक अनुदान मंजूर किए । उपरोक्त के अतिरिक्त, 35 अनुसन्धान कार्य/शोध निबन्ध/पत्रिकाएं आर्थिक सहायता के लिए मंजूर की गईं तथा इतिहासकारों के 19 व्यावसायिक संगठनों को अनुदान मंजूर किए गए ताकि वे सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित कर सकें। परिषद् द्वारा दो सेमिनार—एक श्रीनगर में तथा दूसरा मणिपुर में, प्रायोजित किए गए । परिषद् ने टोक्यो में हुए अन्तर्राष्ट्रीय मानव विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने के लिए 9 इतिहासकारों को भेजा । इसके अतिरिक्त, 5 अध्येताओं को उनके अनुसन्धान कार्यों/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों के सम्बन्ध में विदेशों के भ्रमण के लिए अनुदान मंजूर किए गए।

उच्च अध्ययन की अखिल भारतीय संस्थाएं

इस योजना का उद्देश्य कुछ ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देना है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं तथा परम्परागत पद्धति से भिन्न शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं । यह योजना कुछेक ऐसे संगठनों की सहायता करती है जो विश्वविद्यालय पद्धति में नहीं हैं तथा जो अपने रखरखाव तथा विकास के लिए धन नहीं जुटा सकते यद्यपि, उनमें से कुछेक तो ग्रामीण समुदाय की विशेष रुचि के बहुत ही लाभदायक कार्यक्रम अथवा नए नए कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समय, पांच संस्थाएं अर्थात् श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी; तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे; लोक भारती, सनोसरा; कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, देहरादून; तथा लास्ट स्कूल ओरविल इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रही हैं।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् की स्थापना 1969 में, देश में सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान को प्रोत्साहित तथा समन्वित करने के लिए की गई थी। परिषद् द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों को आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रखा गया।

अक्तूबर, 1983 तक 42 नई अनुसन्धान परियोजनाएं अनुमोदित की गईं । इसी अवधि के दौरान परिषद् को पहले से मंजूर की गई 37 परियोजनाओं के सम्बन्ध में पूरी रिपोर्ट प्राप्त हुई । नवम्बर, 1983 तक, परिषद् ने विभिन्न शिक्षावृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत 94 नए पुरस्कार तथा 39 आकस्मिक अनुदान भी मंजूर किए। पहले से प्रदान की गई 24 शिक्षावृत्तियों से सम्बन्धित पूरी रिपोर्टें प्राप्त हुईं । परिषद् ने उद्यमी तथा उत्तर-पूर्व भारत दो अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता देना जारी रखा । परिषद् ने 29 सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की ।

वर्ष के दौरान, परिषद् ने सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के 17 अनुसन्धान संस्थानों को सहायता देना जारी रखा। इसके अतिरिक्त, परिषद् ने 6 क्षेत्रीय केन्द्रों को सहायता देना जारी रखा । 14 व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई तथा 11 संगठनों को परिषद् से वृत्तिदान के रूप में अनुदान प्राप्त हुए।

परिषद् के प्रलेखन कार्यक्रमों से, कुछेक विदेशियों सहित सारे भारत के लगभग 8000 अध्येताओं ने पुस्तकालय सुविधाओं का उपयोग किया । 170 शोध निबन्धों तथा 105 अनुसन्धान रिपोर्टों सहित 950 प्रकाशन प्राप्त किए गए । पत्रिकाओं के लगभग 3700 अंक विनिमय/भेंट/चन्दा के रूप में प्राप्त किए गए। विभिन्न विश्वविद्यालयों के 250 पीएच० डी० छात्रों को अनुसन्धान सामग्री एकत्र करने हेतु पुस्तकालयों का भ्रमण करने के लिए अध्ययन अनुदान दिए गए। तेरह संगठनों को उनके पुस्तकालयों के रख-रखाव के लिए वित्तीय सहायता दी गई । प्रलेखन केन्द्र ने यूनेस्को क्षेत्रीय सामाजिक विज्ञान सलाहकार, बैंकाक, को उनके कार्यालय में प्रलेखन केन्द्र आयोजित करने के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कीं । यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय के अनुरोध पर एशिया तथा प्रशान्त के लिए सामाजिक विज्ञान में सूचना पद्धति से सम्बन्धित एक क्षेत्रीय योजना भी तैयार की गई।

क्षेत्र अध्ययन ग्रन्थ सूची परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में अनुसन्धान सामग्री एकत्र करने का कार्य गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु और बिहार में पूरा किया गया। गुजराती भाषा में सामग्री का ग्रन्थ सूची का कार्य पूरा कर लिया गया है।

पत्रिकाओं के पहले से चल रहे सूचीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 अतिरिक्त समाज विज्ञान पत्रिकाएं पूरी की गईं।

आंकड़े अधिग्रहण कार्यक्रम के अन्तर्गत, परिषद् के आंकड़ा अभिलेखागार ने मशीनी सुपाठ्य रूप में 10 आंकड़े सेट अधिग्रहण किए। 1951 से देश के विभिन्न अनुसन्धान संस्थानों द्वारा तैयार की गई आंकड़ों की सूची तैयार की जा रही है। 42 अध्येताओं ने मार्गदर्शन तथा परामर्शी सेवाओं के अन्तर्गत आंकड़ा प्रक्रिया सुविधाओं का लाभ उठाया।

परिषद् ने वर्ष के दौरान, 4 प्रकाशन निकाले। इसने देश में आयोजित कई पुस्तक मेलों में अपने प्रकाशन प्रदर्शित किए। वर्ष के दौरान परिषद् ने 5 डाक्टोरल शोध-प्रबन्धों के प्रकाशन में सहायता दी। विभिन्न विषयों में जैसे कि सार्वजनिक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान तथा भूगोल में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् के 8 अंक प्रकाशित किए गए हैं तथा मार्च, 1984 तक 8 और अंकों के निकाले जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, परिषद् द्वारा 8 पत्रिकाओं को वित्तीय सहायता दी गई।

डाक्टोरल शोध प्रबन्ध तथा अनुसन्धान कार्य/दस्तावेजों के लिए प्रकाशन अनुदानों की संशोधित योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान दो अध्येताओं को अनुदान मंजूर किए गए।

17 सामाजिक विज्ञान विषयों के 7531 समाज विज्ञानियों से सम्बन्धित सूचना देने वाला भारत में समाज विज्ञानियों का राष्ट्रीय रजिस्टर प्रकाशित हो गया है। जिन समाज विज्ञानियों के नाम पहले खण्ड में शामिल नहीं हो सके, उनका संकलन किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान परिषद् ने भारत के बाहर के संगठनों और सामाजिक अनुसन्धान संस्थानों के साथ सम्पर्क, विनिमय सहयोग बनाए रखा व उनका विकास किया। भारत-फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान तीन भारतीय विद्वानों ने फ्रांस का दौरा किया। एक विद्वान ने भारत-चेकोस्लोवाकिया कार्यक्रम के अन्तर्गत चेकोस्लोवाकिया का दौरा किया। परिषद् की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने और आंकड़े एकत्र करने के लिए तीस भारतीय विद्वानों ने विभिन्न देशों का दौरा किया। भारत-सोवियत सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत मद्रास में "राज्य की प्रकृति और विकासशील देशों में इसकी पद्धति" के सम्बन्ध में एक संगोष्ठी 6 से 10 अप्रैल, 1983 तक मद्रास विकास अध्ययन संस्थान के साथ संयुक्त रूप में आयोजित की गई। विकास के विकल्पों के सम्बन्ध में भारत--उच्च कार्यक्रम का प्रथम चरण, जिसमें 13 भारतीय और उच्च परियोजनाएं शामिल थीं, पूरा किया गया और वर्ष के दौरान उसका मूल्यांकन किया गया। दूसरे चरण के लिए कार्य की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। "यूरोप में कल्याणकारी राज्य : उद्भव कठिनाइयां और वर्तमान प्रवृत्तियां" विषय से सम्बन्धित एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, हेग में "इडपेड" के तत्वावधान में 13 से 15 जून, 1983 तक आयोजित किया गया जिसके लिए परिषद् ने एक 4-सदस्यीय शिष्टमण्डल भेजा। वर्ष के दौरान वेनुगुला में हुए अवधारणाओं और शब्दावली सम्बन्धी विश्लेषण से सम्बन्धित आयोग की बैठक में तथा कोलम्बो में आयोजित सामाजिक विज्ञान संगठनों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ के छठे महासम्मेलन में परिषद् का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी प्रतिनिधि भेजे गए।

पिछले वर्ष भारतीय शिष्टमण्डल द्वारा चीन के दौरे के बदले में चीन से एक 14 सदस्यीय समाज विज्ञानियों के दल ने जनवरी, 1984 में भारत का दौरा किया।

(घ) द्विपक्षीय/विदेशी सहयोग कार्यक्रम

शास्त्री भारत-कनाडा स्थान, नई दिल्ली

वर्ष 1983–84 के दौरान संस्थान ने, मानविकी में अनुसन्धान करने, भारतीय भाषा सीखने और निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में 11 कनाडाई विद्वानों को अधि-छात्रवृत्तियां प्रदान कीं। संस्थान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और जामिया मिलिया इस्लामिया के सहयोग से मई, 1983 में नई दिल्ली में आयोजित शैक्षिक प्रौद्योगिकी में एक सप्ताह की कार्यशाला में भाग लेने के लिए कनाडाई छात्रों को यात्रा अनुदान दिया। संस्थान द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में दिसम्बर, 1983 में आयोजित किए जा रहे––कानाडाई इतिहास से सम्बन्धित सेमिनार में भाग लेने के लिए चार और कनाडाई छात्रों को यात्रा अनुदान प्रदान किया गया। कनाडा अध्ययन विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने के लिए भारत का दौरा करने के वास्ते टोरन्टो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर को भी यात्रा अनुदान दिया गया। संस्थान द्वारा अपने समाज विज्ञान और मानविकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत कनाडा का दौरा करने के लिए दो भारतीय विद्वानों को चुना गया।

भारत सोवियत रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

रूसी भाषा और साहित्य पढ़ाने के लिए 39 रूसी अध्यापकों को विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में तैनात किया गया।

भारत में बर्कली व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम

औषधि विधि, इंजीनियरी, वस्त्र उद्योग, वास्तुकला, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अध्ययन/इन्टर्नशिप के लिए सात अध्येता भारत आए।

भारतीय अध्ययन का अमरीकी संस्थान, नई दिल्ली

यह संस्थान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन में रुचि रखने वाले अमरीकी कालेजों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से स्थापित एक सहकारी संगठन है। संस्थान ने सन् 1962 से भारत में अपना कार्य आरम्भ किया। संस्थान ने विज्ञानों, मानविकी आदि में अनुसंधान करने के लिए शैक्षिक वर्ष 1983–84 के दौरान 125 छात्रों को अधिछात्रवृत्तियां संकाय/जूनियर/तदर्थ अल्पकालीन और भाषा द्वारा प्रदान कीं।

भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

प्रतिष्ठान कार्यक्रम के अन्तर्गत डाक्टोरल और उत्तर डाक्टोरल अनुसंधान कार्य करने और भारतीय विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से कार्य करने के लिए 1982-83 के दौरान 55 अमरीकी विद्वान/छात्र भारत आए। इसी प्रकार, अमरीका जाने वास्ते 48 भारतीय छात्रों को व्याख्यान/अनुसंधान और छात्र अधिछात्रवृत्ति प्रदान की गई।

भारत में शैक्षिक जीवन और संस्कृति के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अल्प अवधि के वास्ते 60 शिक्षाविदों के चार दल जिसमें अमरीका के प्रोफेसर, अध्यापक, शैक्षिक प्रशासक शामिल थे, भारत आए। उनके कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय विश्वविद्यालयों के सहयोग से किया गया।

अमरीकी अध्ययन अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद

अमरीकी अध्ययन अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद भारतीय विद्वानों और छात्रों को अमरीकी अध्ययनों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। केन्द्र को, पड़ोसी एशियाई देशों के विद्वानों को भी बुलाने और केन्द्र में इन सुविधाओं का स्वयं लाभ उठाने की भी अनुमति दे दी गई है बशर्ते कि भारतीय रुपयों में पड़ी अमरीकी रुपया निधि का इस प्रयोजन के लिए उपभोग न किया जाए।

अनुसंधान के लिए विदेशी छात्रों का भारत दौरा

अपनी ओर से या अपने विश्वविद्यालय से अनुदान के आधार पर डाक्टोरल और उत्तर डाक्टोरल अनुसंधान कार्य करने के लिए विभिन्न देशों से 45 विदेशी छात्रों के आवेदन प्राप्त हुए।

(ङ) अन्य कार्यकलाप

विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन

विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने के एक भाग के रूप में केन्द्रीय सरकार, पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के वेतनमानों को भी संशोधित करने के लिए सहमत हो गई है। तथापि, इन वर्गों के कर्मचारियों के लिए 1-1-1973 से अनुमोदित संशोधित वेतनमान, अध्यापकों के लिए अनुमोदित वेतनमानों से भिन्न थे। इस सम्बन्ध में निरन्तर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा निदेशकों/अनुदेशकों के वेतनमानों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और उन्हें अध्यापकों के समतुल्य किया जाना चाहिए। तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय पर पुनर्विचार किया और पुस्तकाध्यक्षों/शारीरिक शिक्षा निदेशकों/अनुदेशकों के वेतनमानों को 1 अप्रैल, 1980 से बढ़ाने के लिए सहमत हो गई। यह निर्णय सभी राज्य सरकारों को दिसम्बर, 1982 में प्रेषित कर दिया गया था। राज्य सरकारों को, वेतनमान बढ़ाने पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के 80 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता की भी पेशकश की गई थी, जो 1-4-80 से 31-3-1985 तक की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इस निर्णय के अनुपालन में अब तक पंजाब, तमिलनाडु कर्नाटक और गुजरात की राज्य सरकारों ने वेतनमानों को बढ़ाने के बारे में सहमति व्यक्त की है। इसी बीच कुछ राज्य सरकारों के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता के बकाया दावों को भी केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है।

डा० जाकिर हुसैन कालेज, दिल्ली

सरकार ने दिल्ली कालेज के अनुरक्षण और प्रबन्ध का दायित्व संभालने के लिए सन् 1973 में डा० जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास की स्थापना की थी, जिसके साथ स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन का घनिष्ट सम्बन्ध था। इसका उद्देश्य कालेज को डा० जाकिर हुसैन के एक स्मारक के रूप में विकसित करने का है। न्यास द्वारा कार्यान्वियन के लिए प्रस्तावित एक प्रमुख कार्यक्रम यह है कि कालेज को वर्तमान स्थान से हटाकर नए स्थान पर ले जाया जाए। जहां कालेज का और विकास करना संभव है, कालेज के भवन निर्माण के प्रथम चरण की योजना और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। निर्माण कार्य के० लो० नि० वि० को सौंप दिया गया है। निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है।

जामिया मिलिया इस्लामिया

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था है। इसे अपने विश्वविद्यालय खण्ड के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान प्राप्त होता है। जहां तक इसके गैर-विश्वविद्यालय खण्ड का सम्बन्ध है, इसे भारत सरकार से अनुदान मिलता है। इस संस्थान के गैर-उच्चतर शिक्षा खण्डों को हाल में सुदृढ़ किया गया है। संस्थान को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी गई है। जामिया को वाणिज्य और इंजीनियरी विषयों के अन्तर्गत सीनियर माध्यमिक स्कूलों के +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। वाणिज्य विषय पहले ही शुरू कर दिया गया है और इंजीनियरी शैक्षिक वर्ष 1984 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। सिविल इंजीनियरी के अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रमों को नियमित कर दिया गया है। मिडिल और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यमान भवनों के विस्तार की मंजूरी भी दे दी गई है। प्रौद्योगिकी विभाग के लिए एक नये भवन के निर्माण की भी मंजूरी दी जा चुकी है। इंजीनियरी के विद्यमान डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को सुदढ़ करना भी भाव लिया गया है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

भारतीय विश्वविद्यालय संघ भारतीय विश्वविद्यालयों का एक स्वैच्छिक संगठन है। यह संघ विश्वविद्यालयों को अपनी सामान्य समस्याओं पर विचार विमर्श करने और उनका समाधान निकालने के लिए एक मंच बन गया है और इस प्रकार, यह बहुत उपयोगी कार्य कर रहा है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा इसके अनुरक्षण के लिए प्रति वर्ष एक सांकेतिक अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इसके कार्यालय

में एक कोर अनुसंधान संसाधन सैल के वित्त पोषण की भी मंजूरी दी है। यह सैल विश्वविद्यालयों के सामान्य हितों के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यकलाप शुरू करेगा और उन्हें कार्यान्वित करेगा। सरकार ने इसके भवन के लिए वित्तीय सहायता भी दी है।

अप्रैल 1983 में इस संगठन के सदस्यों की संख्या 131 थी। इस वर्ष आठ नए विश्वविद्यालय इस संगठन के अस्थायी सदस्य बने हैं। इस संगठन ने पहली बार "कृषि शिक्षा पुस्तिका" प्रकाशित की है। वर्ष के दौरान, आठ अनुसंधान परियोजनाओं का जांच कार्य पूरा किया गया। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर स्तर पर कवक विज्ञान, कृषि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक प्रकाशित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न, विश्वविद्यालयों, कालेजों और संस्थाओं में कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम परीक्षा सुधार, प्रश्न बैंक, आन्तरिक मूल्यांकन और प्रश्न पत्र बनाने आदि के क्षेत्रों से संबंधित थे। मद्रास विश्वविद्यालय में "उच्च शिक्षा की समकालीन शिक्षण पद्धतियां और प्रौद्योगिकियां" विषय पर एक राष्ट्रीर सेमिनार भी आयोजित किया गया।

पंजाब, विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

1966 में पंजाब राज्य में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत एक अन्तरराज्यीय निगमित निकाय घोषित किया गया। इस विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय इस समय पंजाब सरकार और संघशासित क्षेत्र चण्डीगढ़ की सरकारों द्वारा 40 : 60 के अनुपात में वहन किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय के विकासात्मक व्यय का काफी अंश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूर किए गये अनुदानों से पूरा किया जाता है। इन अनुदानों के बराबर की राशि तथा विकास कार्यक्रमों का व्यय आयोग से अनुदान के रूप में नहीं मिलता, इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्वीकृत विश्वविद्यालय की वार्षिक ऋणराशि से पूरा किया जाता है। 1983–84 के दौरान, इसके लिए इस विश्वविद्यालय को 25 लाख रु० का ऋण मंजूर किया गया।

राष्ट्रीय अनुसन्धान, प्रोफेसरशिप स्कीम

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना प्रख्यात शिक्षाविदों और विद्वानों को उनके संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान के लिए दिए गये योगदान को मान्यता देने हेतु 1949 में शुरू की गई थी। 1965 से 1981 के बीच, राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में कोई नियुक्ति नहीं की गई। 1981 में डा० सलीम अली जो एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक हैं और डा० टी० एम० पी० महादेवन जो एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, को राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। प्रोफेसर महादेवन की मृत्यु हो जाने के कारण अब केवल एक ही राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं। एक और राष्ट्रीय प्रोफेसर की नियुक्ति विचाराधीन है।

व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना

भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों और मानविकी के क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों को सम्मेलनों और सेमिनारों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता देने की एक नई योजना छठी योजना में तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को जो शिक्षण अनुसंधान अथवा विद्वत्ता पूर्ण कार्यो में लगे हुए हैं, के बीच सम्प्रेषण को बेहतर बनाना और उनको एक दूसरे के करीब आने, विचारों का आदान-प्रदान करने, नए-नए कार्यक्रमों पर चर्चा करने, नई खोजों की जानकारी लेने और अपने ज्ञान को समृद्ध बनाने के अवसर प्रदान करना है। 1983–84 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत दस संगठनों को वित्तीय सहायता मंजूर की गई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति विशेष सैल

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति द्वारा इसकी 42वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार, यह सैल जनवरी, 1977 में स्थापित किया गया था। यह कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नियुक्तियों की आरक्षण नीति के पुनरीक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त और संसद को आरक्षण सम्बन्धी जानकारी देने के लिए एक सम्पर्क एकक के रूप में भी कार्य करता है। इसके द्वारा कालेजों और विश्वविद्यालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच की जाती है और जहां आवश्यक होता है उन पर प्राधिकारियों से लिखा-पढ़ी भी की जाती है।

वर्ष के दौरान, एकक ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच से सम्बन्धित प्रमुख कार्य किया । यह कार्य (सातवीं लोक सभा की) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के निर्देशों के अनुसार किया गया । समिति द्वारा इस सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से एकत्र करके संकलन के पश्चात् समिति को प्रस्तुत की गई। समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और जिन सिफारिशों को मंत्रालय ने स्वीकार किया उन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वियन कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, एकक ने विश्वविद्यालय शिक्षा में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षण नीति विषयक पत्रों पर कार्यवाही करना जारी रखा। एकक को वर्ष के दौरान विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों से 45 प्रतिवेदन शिकायतें प्राप्त हुईं इस सम्बन्ध में उपयुक्त उपचारी कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालय को लिखा गया ।

अध्याय 4

तकनीकी शिक्षा

देश की तकनीकी शिक्षा पद्धति का लक्ष्य, अर्थव्यवस्था की प्रोद्योगिकीय आवश्यकताओं को अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों आधारों पर पूरा करना है। अतः आर्थिक आयोजना में तकनीकी शिक्षा के विकास को उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र माना जाता है। राष्ट्र की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तकनीकी शिक्षा की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कुछ पहलुओं पर विशेष बल दिया जाता है। छठी योजना अवधि में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जायेगा : (क) विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम उपयोग, (ख) समेकन (ग) उन क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार जहां इनकी कमी है, (घ) देश के विकास के लिये अनिवार्य प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में अवस्थापना का निर्माण (ङ) शिक्षा की कोटि तथा स्तर में सुधार तथा (च) देश की सामाजार्थिक प्रगति के लिये एक साधन के रूप में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को विकसित तथा प्रयुक्त करने के राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाना। तकनीकी शिक्षा की सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। समेकन, आधुनिकीकरण, कोटि तथा स्तरों में सुधार, अपेक्षित क्षेत्रों में सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अवस्थापना तैयार करने पर बल दिया जाना जारी रहेगा, परन्तु योजना का वास्तविक लक्ष्य इस विषय के अध्ययन के पश्चात् ही प्राप्त किया जा सकेगा।

छठी योजना के पहले वर्षों में आरंभ की गई योजनाओं तथा पहले से चल रही योजनाओं के अतिरिक्त आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई योजनायें आरंभ की गई हैं।

राष्ट्रीय जन शक्ति सूचना पद्धति

1978 में हुई अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय जनशक्ति सूचना पद्धति योजना को भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप दे दिया गया है। राष्ट्रीय जनशक्ति सूचना पद्धति का उद्देश्य है सतत् आधार पर अद्यतन तथा अर्थपूर्ण जनशक्ति सूचना प्रदान करना ताकि सम्बन्धित प्राधिकारी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास क्षेत्रों का अनुमान लगा सकें तथा फलस्वरूप उपयुक्त रेखाओं पर तकनीकी जनशक्ति विकास की योजना बनाई जा सके। यह पद्धति राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वैज्ञानिक आधार पर आवश्यक विकास योजनायें तैयार करने के सम्बन्ध में जनशक्ति सूचना संग्रह, भण्डारण, अद्यतन बनाने, सुधार करने के साथ-साथ कई प्रकार से सहायता करेगी। इस योजना में प्रायोगिक जन शक्ति अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली में एक लीड केन्द्र तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की चुनिन्दा संस्थाओं में 17 ग्रंथिल केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है।

जनशक्ति सूचना पद्धति की स्थापना के लिये भारत सरकार की मंजूरी के परिणामस्वरूप, लीड केन्द्र तथा 14 ग्रन्थिल केन्द्रों को तदर्थ अनुदान जारी किये गये हैं ताकि वे प्रस्तावित पद्धति के लिये स्टाफ नियुक्त कर सकें। इस पद्धति को यथाशीघ्र अमल में लाने के लिये लीड केन्द्र, ग्रन्थिल केन्द्रों तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

कोटि सुधार कार्यक्रम

भारत में तकनीकी शिक्षा पद्धति की कोटि तथा स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से कोटि सुधार कार्यक्रम 1970–71 में शुरू किया गया था। इस योजना में तकनीकी संस्थाओं में संकाय विकास और पाठ्यचर्या विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। कोटि सुधार कार्यक्रम में निम्नलिखित योजनायें शामिल हैं :—

(i) संकाय विकास

(क) दो वर्षीय एम० टेक० कार्यक्रम;
तीन वर्षीय डाक्टोरल कार्यक्रम;

(ख) कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्रों में अल्पकालिक कार्यक्रम;

(ग) भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी के माध्यम से ग्रीष्म संस्थान कार्यक्रम; और

(ii) पाठ्यचर्या विकास जिसमें शैक्षिक सामग्री, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण और प्रयोगशाला विकास शामिल है।

एम० टेक० और डाक्टोरल कार्यक्रम पांच प्रौद्योगिकी संस्थानों, रुड़की विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, कुछेक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों, इंजीनियरी कालेज, गुण्डी तथा जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं। अल्प अवधि पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यक्रम विभिन्न चुनिन्दा केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की विश्व विद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान तथा इलाहाबाद पालिटेक्निक, इलाहाबाद शामिल हैं। अल्पकालिक उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रम, मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यक्रमों द्वारा आयोजित किया जाता है। इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों के अध्यापकों के लिये ग्रीष्म तथा शरद स्कूल तथा अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन भी भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी के माध्यम से किया जाता है।

1970–71 से 1981–82 तक की अवधि के दौरान, लगभग 730 अध्यापकों को एम० टेक० तथा 800 अध्यापकों को पी० एच० डी० पाठ्यक्रम के लिये प्रशिक्षित किया गया। डिग्री स्तर पर कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्रों द्वारा लगभग 500 अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 7,500 अध्यापकों ने भाग लिया। डिप्लोमा स्तर पर लगभग 1000 पाठ्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें लगभग 17,000 अध्यापकों ने भाग लिया। उद्योगों में अल्पकालिक कार्यक्रम के अन्तर्गत, डिग्री स्तर पर 1,525 अध्यापक तथा डिप्लोमा स्तर पर 3,500 अध्यापक लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी द्वारा 800 ग्रीष्म/शरद स्कूलों का आयोजन किया गया जिनमें 16,500 अध्यापकों ने भाग लिया।

1983–84 में पिछले वर्षों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के अलावा 95 नये अध्यापकों को एम० टेक० और 110 अध्यापकों को पी० एच० डी० का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था। ग्रीष्म स्कूल कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1,500 अध्यापकों के लाभान्वित होने की आशा थी। कोटि सुधार केन्द्रों में 14 दलों द्वारा पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उद्योग सम्बन्धी अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1,400 डिग्री/डिप्लोमाधारी अध्यापकों को उद्योग प्रशिक्षण दिये जाने की आशा है।

सीधी केन्द्रीय सहायता

वर्ष 1976–77 में आरम्भ की गई इस योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा की कोटि और स्तरों में सुधार के लिये संगत तथा महत्वपूर्ण निर्धारित परियोजनाओं के विकास के लिये चुनिन्दा 12 इंजीनियरी कालेजों तथा 22 पालिटेक्निकों को विशेष सीधी केन्द्रीय सहायता वर्ष 1983–84 में भी जारी रही। डिग्री तथा डिप्लोमा दोनों स्तरों को तकनीकी संस्थाओं और उचित क्षेत्रों का पता लगाने के लिये गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु 17 इंजीनियरी कालेजों तथा 29 पालिटेक्निको को चुना।

सामुदायिक पोलिटेक्निक

यह योजना वर्ष 1978–79 में आरम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत 36 पालिटेक्निकों को सामुदायिक पालिटेक्निकों के रूप में विकसित करने के लिये चुना गया था। इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी को विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने के अतिरिक्त, ये पोलिटेक्निक पार्यावरण के अनुसार भी कार्य करते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण को बढ़ावा देने के लिये मुख्य केन्द्र के रूप में भी। यह योजना आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रही तथा आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये वर्ष 1982–83 में 43.36 लाख रु० के अनुदान जारी किये गये।

उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिश पर वर्ष 1981–82 से उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम की एक योजना आरम्भ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डिप्लोमाधारियों को उन्नति के अवसर प्रदान करना तथा उच्च स्तर पर उच्चतर पाठ्यक्रम प्रदान करना भी है ताकि तकनीशियन अपने-अपने व्यवसाय में व्यवसायिक रूप में उन्नति कर सकें। शुरू शुरू में, यह योजना निम्नलिखित केन्द्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(i) वाई० एम० सी० ए० इंजीनियरी संस्थान, फरीदाबाद

(ii) सी० एम० कोठारी प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

(iii) भगुभाई मफतलाल पालिटेक्निक, बम्बई

(iv) इंजीनियरी तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।

आलोच्य वर्ष के दौरान, इस योजना ने अच्छी प्रगति की । कुछेक चुनिन्दा संस्थाओं के अनुभव के आधार पर इस महत्वपूर्ण कार्य को आरम्भ करने के लिये कुछ और संस्थानों को चुनने का प्रस्ताव है।

संस्थागत तन्त्र-योजना

1981-82 में आरम्भ की गई संस्थागत तंत्र योजना 1983-84 के दौरान कारगर ढंग से जारी रही। प्रयोगशाला विकास तथा संकाय विनियम कार्यक्रम के क्षेत्रों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के बीच सहयोग जारी रहा। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के अतिरिक्त, राज्य इंजीनियरी कालेजों/राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा पता लगाए गए निजी स्वायत्त इंजीनियरी कालेजों को भी वित्तीय सहायता दी गई। वर्ष 1981-82 दौरान, 25 प्रयोगशालाओं के लिए संस्वीकृत 62.50 लाख रु० के मुकाबले में वर्ष 1982-83 के दौरान 32 प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए 80 लाख रु० की राशि संस्वीकृत की गई ।

1983-84 के दौरान, 80 लाख रुपये की बजट व्यवस्था का उपयोग वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समग्र रूप से किया जाएगा।

कमी वाले क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार

यह योजना कमी वाले क्षेत्रों में सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने तथा उनके विस्तार के लिए वर्ष 1981–82 में बनाई गई थी। योजना का प्रमुख उद्देश्य था संगणक विज्ञान, इलेक्ट्रानिक अनुरक्षण इंजीनियरी, डिजाइन, उत्पादन विकास तथा जीव-विज्ञान तथा प्रबन्ध विज्ञान आदि क्षेत्रों में सुधार लाना। 1982–83 के दौरान, 29 परियोजनाओं के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों/प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालयों तथा सरकारी/निजी इंजीनियरी कालेजों को 280 लाख रु० का सहायक अनुदान दिया गया। 1983–84 के लिए 220 लाख रु० कीबजट व्यवस्था है जिसके वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समग्र रूप से उपयोग कर लिए जाने की आशा है।

रिपोर्ट लिखते समय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों सहित 26 संस्थानों को 187.50 लाख रु० के अनुदान पहले ही मंजूर कर दिए गए हैं।

नए-नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अवस्थापना का निर्माण

यह योजना 1981 में आरम्भ की गई थी तथा वर्ष 1983–84 में भी जारी रही। इस योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी के नए-नए क्षेत्रों में अनुसन्धान तथा शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के सृजन तथा विकास के लिए 100% आधार पर सहायक अनुदान दिए जाते हैं जो देश के विकास तथा प्रोन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग, दूरस्थ ज्ञान (रिमोट सेंसिंग) लेसर प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण इंजीनियरी, ऊर्जा विज्ञान, तथा जल संसाधन प्रबन्ध शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सुविधायों के निर्माण तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने से देश के विकास की गति को तेज करने में बहुत सहायता मिलेगी। 1982–83 के दौरान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजो तथा अन्य प्रौद्योगिकीय संस्थानों सहित 35 संस्थानों को 384.50 लाख रुपये के सहायक अनुदान दिए गए। 1983–84 के दौरान, 350 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है परन्तु आज तक मंजूर की गई परियोजनाओं में 380 लाख रुपये शामिल है। 23 इंजीनियरी कालेजों को 261 लाख रुपये पहले ही मंजूर किए जा चुके है तथा वित्तीय वर्ष के अन्दर ही सभी स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अनुदान जारी किए जाएंगे बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

इंजीनियरी प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण

यह योजना 1981–82 में आरम्भ की गई थी तथा सन्दर्भाधीन वर्ष के दौरान भी जारी रही। योजना में उद्योग तथा पाठ्येतर परिवर्तनों में बदलती हुई परिस्थितियों की जरूरतों को पूरा करने की परिकल्पना की गई है। अधिक संगत तथा लाभदायक उपकरणों से प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। इस योजना से स्थिति में सुधार होने की आशा है। 1982–83 के दौरान विभिन्न इंजीनियरी कालेजों तथा निजी स्वायत्त इंजीनियरी कालेजों के 24 प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए 120 लाख रुपये का सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया। 1983–84 के दौरान 150 लाख रुपये की निधियों की व्यवस्था की गई है जिनमें से 125 लाख रुपये 21 संस्थानों को पहले ही जारी कर दिए गए हैं। अन्य 23 प्रयोगशालाओं के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा इस वर्ष के दौरान इन सभी को अनुदान जारी कर दिए जायेंगे यदि बजट पुनर्विनियोजन के द्वारा अतिरिक्त निधियां उपलब्ध होंगी। अतिरिक्त निधियों के उपलब्ध न होने के मामले में, बजट में उपलब्ध 150 लाख रुपये की शेष राशि का समग्र रूप से उपयोग किया जाएगा।

तैयार की जा रही अन्य नई योजनाएं

कुछेक अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर, जिन्हें योजना आयोग द्वारा मंजूर कर लिया गया है तथा जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है पर्याप्त राशि खर्च की गई है। इन योजनाओं के ब्यौरे भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालययों/विभागों के परामर्श से तैयार किए जा रहे हैं। योजनाओं का सारांश नीचे दिया गया है :–

(1) नए कोटि सुधार कार्यक्रम :

(क) डिप्लोमाधारी पोलिटेक्निक अध्यापकों के लिए इंजीनियरी में डिग्री पाठ्यक्रम ;

(ख) पोलिटेक्निक शिक्षकों के लिए स्नातकोत्तर उद्योगन्मुख पाठ्यक्रम ;

(ग) अध्ययन संसाधन केन्द्र ।

(2) तकनीकी संस्था सोसाइटी परस्पर–क्रिया

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कानपुर, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित चार प्रशिक्षुता बोर्डों के माध्यम से जारी रहा, 30 नवम्बर, 1983 को प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 10862 थी जिनमें 3335 इंजीनियरी स्नातक तथा 7527 डिप्लोमाधारी थे। इन बोर्डों द्वारा कुछेक इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निको के अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रशिक्षुता तथा रोजगार मार्गदर्शन कार्यक्रमों के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की कोटि सुधारने के लिए कई पर्यवेक्षात्मक विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्य सरकारों के साथ कई बैठकों के पश्चात् 10+2 व्यावसायिक विषय से पास होने वाले उम्मीदवारों को छः महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण योजनाएं शुरू की गई हैं।

शैक्षिक परामर्शदाता भारत लिमिटेड

इस मंत्रालय का पहला राजकीय/सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम, शैक्षिक परामर्शदाता भारत लिमिटेड, 17–6–1981 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य, चिकित्सा, कृषि तथा तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण से क्षेत्रों में अनेक एजेन्सियों, विदेशी सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान करना है। निगम शैक्षिक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करता है, शैक्षिक परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों पर सम्भावित/मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है, निष्पादन के आधार पर शैक्षिक संस्थाओं की योजना बनाता है तथा उन्हें स्थापित करता है। उच्च उत्कृष्टता के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करता है तथा निवेशों के विशिष्टीकरण के सम्बन्ध में सलाह देता है ; पाठ्यचर्या शिक्षण साधनों, मूल्यांकन पद्धतियों, शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा अध्ययन संसाधन केन्द्रों का विकास करता है; शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबन्ध के लिए संगठनात्मक संरचना को विकसित करता है ; विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं तथा जनशक्ति आयोजना के सम्बन्ध में अध्ययन तथा अनुसन्धान करता है ; विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध तथा सहयोग बढ़ाता है।

निगम का प्रबन्ध एक अंशकालीन अध्यक्ष, बोर्ड के आठ निदेशकों तथा अन्य कर्मचारियों सहित एक पूर्णकालीन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

इंजीनियरी और प्रयुक्त विज्ञान में शिक्षा तथा प्रशिक्षण के प्रमुख केन्द्रों के रूप में कार्य करने तथा उत्तर-स्नातक अध्ययन और अनुसन्धान के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए खड़गपुर, बम्बई, मद्रास कानपुर और दिल्ली में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इन संस्थानों ने विकसित हो जाने पर, कोटि सुधार कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या आयोजन, संकाय विकास, अन्तर-विषयक अनुसन्धान, अन्तर-संस्था सहयोग तथा परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए अपने-अपने कार्य क्षेत्रों का विस्तार किया है।

संस्थान इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी स्नातक कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। ये भौतिकी, रसायन और गणत में पांचवर्षीय समेकित मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम, विभिन्न विशेषज्ञताओं में दो वर्षीय एम० टेक० डिग्री पाठ्यक्रम तथा चुनिन्दा क्षेत्रों में एक वर्षीय उत्तर-स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थान, इंजीनियरी विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पी० एच० डी० कार्यक्रम प्रदान करते हैं। प्रत्येक संस्थान में निर्धारित विशेषज्ञता क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसन्धान के उच्च केन्द्र भी हैं।

1982–83 के दौरान इन पांच संस्थानों में दाखिल और सफल हुए छात्रों की संख्या इस प्रकार रही :—

भा० प्रौ० सं०	अवर स्नातक	उत्तर—स्नातक तथा अनुसंधान	कुल	उत्तीर्ण
1	2	3	4	5
खड़गपुर . .	1,628	834+270	2,732	724
बम्बई . . .	1,508	583+646	2,737	615
मद्रास . . .	1,191	1,383	2,574	672
कानपुर . . .	1,126	765+573	2,464	449
दिल्ली . . .	1,130	891+828	2,849	560

वर्ष 1982–83 के दौरान, इन संस्थाओं ने अपनी अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया और नए-नए परिष्कर अनुसंधान उपस्कर प्राप्त करने और नए-नए अन्तरविषयक शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ करने तथा अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करने में पर्याप्त प्रगति की। इन संस्थाओं ने देश भर के छात्रों, कार्यरत इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी-विदों और वैज्ञानिकों के लाभार्थ अनेक अल्पकालिक, दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा सतत शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने कार्यकलापों को तेज किया। वर्ष के दौरान, भा० प्रौ० सं० दिल्ली ने संगणक विज्ञान और इंजीनियरी के लिए एक नये शैक्षिक केन्द्र का निर्माण किया और इंजीनियरी में संगणक विज्ञान सम्बन्धधी बी० टैक० कार्यक्रम आरम्भ किया। भा० प्रौ० सं० बम्बई ने अपनी स्थापना का 25वां वर्ष (रजत जयंती) मनाया। भा० प्रौ० सं० मद्रास ने देश भर के इंजीनियरी कालेजों में एम० टैक०/एम० ई० कार्यक्रमों में दाखिले के लिए स्नातक इंजीनियरी अभिरुचि परीक्षा आयोजित की।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं के विजीटर ने सभी पांचों भा० प्रौ० संस्थाओं के लिए एक शैक्षिक समीक्षा समिति नियुक्त की है। समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:—

(क) विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान केन्द्र के रूप में व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी संस्था की वर्तमान प्रगति की समीक्षा करना;

(ख) इस बात की जांच करना कि इन संस्थानों ने अध्ययन पाठ्यक्रमों, अनुसंधान तथा संकाय विकास के कार्यक्रमों के विशेष संदर्भ में अन्य तकनीकी संस्थाओं के साथ कहां तक पारस्परिक संबंध बनाए हैं;

(ग) देश के प्रौद्योगिकी विकास के लिए उच्च वर्गीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण पर संस्था के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करना ;

(घ) ऐसी रूपरेखाओं की सिफारिश करना जिनसे पांचों संस्थान अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में हुई गतिविधियों अथवा अपनाई गई परियोजना को ध्यान में रखते हुए उच्च अध्ययन और अनुसंधान में आगे और विकास कर सकें।

समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान

भारत सहित विभिन्न देशों के सदस्यों के एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अधिशासित एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान बैंकाक की स्थापना स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर-स्नातक इंजीनियरी संस्थान के रूप में 1967 में की गई थी। संस्थान से इसके शैक्षिक विकास के साथ साहचर्य पर प्राप्त एक प्रस्ताव पर यह निर्णय किया गया है कि भारत से प्रत्येक वर्ष 1.00 लाख रुपये की कीमत के देशी उपस्कर दान देकर सहायता दी जाएगी और संस्थान के संकाय में अल्पकालिक अवधि के लिए भारतीय विशेषज्ञों की प्रति नियुक्ति की जाएगी। 1983–84 के दौरान 5.00 लाख रुपये (योजनेत्तर) का बजट प्रावधान किया गया है। आशा है कि वर्ष के दौरान आठ भारतीय विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त किए जाएँगे।

भारत सरकार ने 1984–85 के दौरान संस्थान के लिए 2.00 लाख रुपये के अनुदान की व्यवस्था करने का भी निश्चय किया है ताकि भारत में इसके कुछ विशिष्ट कार्यकलापों की वित्तीय व्यवस्था हो सके।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

दूसरी और तीसरी योजना अवधियों के दौरान प्रत्येक प्रमुख राज्य में एक–एक करके 14 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना की गई ताकि देश में उत्तरवर्ती योजना अवधि के दौरान प्रशिक्षित कार्मिकों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सके। सिल्चर (असम) स्थित 15वां कालेज ने नवम्बर, 1977 में छात्रों का प्रथम बैच दाखिल किया। जबकि इन सभी कालेजों में सिविल, मैकेनिकल तथा विद्युत इंजीनियरी के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है, कुछेक कालेजो में रसायन, धातुकर्मीय, इलैक्ट्रोनिकी, खनन और वास्तुकला इंजीनियरी के पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था है। इनमें से 13 कालेज, उच्च दबाव के बायलरों और उपकरणों का डिजाइन और निर्माण, इस्पात संयंत्रों के लिए बड़ी–बड़ी मशीनों, परिवहन इंजीनियरी, औद्योगिक तथा समुद्री संरचनाओं, समेकित ऊर्जा पद्धतियों इत्यादि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रमों का संचालन भी कर रहे हैं।

छठी योजना अवधि के दौरान क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के विकास में विद्यमान सुविधाओं के समेकन, चुनिन्दा कालेजों में संगणक केन्द्रों की स्थापना, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, जिसमें अनावश्यक उपस्करों को बदलना भी शामिल है तथा सभी कालेजों में छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण और छात्र कार्यकलाप केन्द्रों के विकास पर बल दिया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों ने अपनी विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति की है। भा०प्रौ०सं० के साथ संस्थात्मक कड़ी स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत इन कालेजों में 64 प्रयोगशालाओं को विकसित किया जा रहा है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला में एक संगणक लगाया है और इलाहाबाद, वारंगल और दुर्गापुर क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए तीन उपकरण खरीदे जा रहे हैं। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए संगणकों की व्यवस्था करने की योजना है। इलाहाबाद, राउरकेला और तिरुचिरापल्ली के तीन क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में एम० सी० ए० पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे दी गई है।

उत्तर–स्नातक पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्य का विकास

भारत सरकार इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों और अनुसंधान के कार्य के विकास की योजना के अन्तर्गत सतत् योजना के एक भाग के रूप में 12 राज्य सरकारों और 20 गैर-सरकारी संस्थाओं को उनके उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए सीधे सहायता दे रही है।

डा० वाई० नायुदम्मा की अध्यक्षता में गठित इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में उत्तर-स्नातक शिक्षा और अनुसंधान समीक्षा समिति ने जून, 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन तथा आयोजन, नए-नए क्षेत्रों के निर्धारण सहायता के मानदण्डों में संशोधन, संकाय सुधार इत्यादि की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है। इस अधिकार प्राप्त समिति ने सरकार से कुछ मामूली संशोधनों के साथ उक्त समीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने की सिफारिश की थी। आलोच्य वर्ष के दौरान, अधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख सुझावों तथा सिफारिशों पर कार्यान्वियन के लिए कार्रवाई की गई है। उन दो क्षेत्रों को छोड़कर जिन्हें यथा समय जी० ए० टी० ई० में शामिल कर लिया जाएगा। 1984–85 से इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के सभी उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले स्ना० इंजी० अभि० परी० के आधार पर किए जाएंगे। उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों की अवधि को भी घटाकर तीन सेमिस्टर तक कर दिया गया है।

कोलम्बो प्लान स्टाफ कालेज फार तकनीशियन एजूकेशन, सिंगापुर

यह कालेज इस क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा कार्यक्रम के विकास के लिए 27 सदस्य देशों द्वारा स्थापित किया गया है। अंशदायी देशों में भारत एक है। और अपने हिस्से का वार्षिक अंशदान देने के अतिरिक्त (यह अर्थ विभाग द्वारा दिया जाता है) भारत ने दो संकाय भी प्रदान किए हैं।

यह कालेज वरिष्ठ प्रशासकों पोलिटैक्निक अध्यक्षों, तकनीकी शिक्षा निदेशकों तथा तकनीशियन संस्थाओं के संकाय के लाभार्थ कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन करता है। मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के पश्चात् इस कालेज द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नामांकन करता है।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

मद्रास, कलकत्ता, भोपाल और चण्डीगढ़ में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इन संस्थानों की स्थापना 1966–67 में इंजीनियरी कालेजों तथा पोलिटैक्निकों के डिप्लोमा और डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए की गई थी। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि इंजीनियरी में डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए 18 मास और इंजीनियरी में डिप्लोमाधारी शिक्षकों के लिए 24 मास की थी। बाद में, इन पाठ्यक्रमों की अवधि घटा कर क्रमशः 12 और 18 मास कर दी गई। ये संस्थान अनेक विषयों और क्षेत्रों में अल्पकालिक कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं इसके अतिरिक्त, ये संस्थान इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति और संबंधित शाखाओं में ज्ञान प्रसार और पोलिटैक्निक शिक्षा में नए–नए सुधारों के लिए अनुसंधान कार्य भी करते हैं। ये संस्थान पोलिटैक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या विकास और संस्थागत सामग्री तैयार करने का भी काफी कार्य करते हैं।

इन संस्थानों का वित्त पोषण पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और ये सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक संस्था का संचालन एक शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, उद्योगों तथा अन्य संबंधित हितों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

हाल ही में इन संस्थानों ने माड्यूलों के आधार पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए सुविधाएं प्रदान करना आरम्भ किया है। प्रशिक्षणार्थी विस्तृत सूची से माड्यूलों का चयन करते हैं और अपनी इच्छानुसार चुने माड्यूल में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। विभिन्न माड्यूलों के उपयुक्त संयोजन से संस्थान का डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र मिल जाता है।

दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक पाठ्यक्रमों द्वारा पोलिटैक्निकों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त, संस्थानों ने नए-नए प्रयोगों को प्रोत्साहन देने तथा पोलिटैक्निक शिक्षा के स्तरों और कोटि में सुधार लाने के लिए विविध कार्यकलाप भी आरम्भ किए हैं। सरकार द्वारा यूनेस्को के साथ किए गए करार के अनुसार इन संस्थानों के हाल ही में शैक्षिक फिल्म निमाण, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा, शैक्षिक पैकेज आदि जैसी विभिन्न संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजनाओं पर भी कार्य शुरू किया है।

आलोच्य वर्ष के दौरान, संस्थाओं ने उक्त क्षेत्रों में अपने-अपने कार्यकलापों को तेज किया और यूनेस्को, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं इत्यादि के अनुरोध पर विभिन्न विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित किए।

आयोजना और वास्तु-कला विद्यालय, नई दिल्ली

1959 में स्थापित यह स्कूल वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता है। इस स्कूल मे 3 दिसम्बर 1979 से भूदृश्य वास्तुकला, आवास, नगर और क्षेत्रीय आयोजना, परिवहन आयोजना, नगर डिजाइन और भवन इंजीनियरी तथा अन्य प्रबन्ध में भी मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। 1983–84 सत्र के दौरान स्कूल ने स्नातक वास्तुकला में 20 छात्रों की संख्या वाला एक अंशकालिक पाठ्यक्रम शुरु किया है। स्कूल को वि० अ० आ० अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्थाओं का दर्जा दिया गया है। मानवीय बस्तियों और पर्यावरण से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों को आगे और विस्तृत करने और साथ ही अनुसंधान और विस्तार कार्य को भी प्रोन्नत करने के लिए स्कूल ने वर्ष के दौरान अपने सभी कार्यकलापों/कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से जारी रखा।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई

यह संस्थान, औद्योगिक इंजीनियरी और सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सं० रा० वि० का० की सहायता से 1963 में स्थापित किया गया था। यह निम्नलिखित का आयोजन करता है—(I) प्रशासी विकास कार्यक्रम (II) यूनिट आधारित कार्यक्रम (III) औद्योगिक इंजीनियरी में उत्तर-स्नातक कार्यक्रम (IV) परामर्शी सेवाएं (V) अनुसंधान कार्यक्रम और (VI) सेमिनार तथा सम्मेलन।

राष्ट्रीय ढलाई और गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची

इस संस्थान की स्थापना, ढलाई तथा गढ़ाई उद्योग के अपेक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए सं० रा० वि० का०/यूनेस्को की सहायता से 1966 में की गई थी। संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यों का आयोजना किया (क) अल्पकालिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (ख) डिप्लोमा पाठ्यक्रम और (ग) अनुसंधान कार्यक्रम। संस्थान ने नेपाल में स्थापित किए जा रहे प्रयोगिक संयंत्र के संचालन के लिए यू० एन० आई० डी० ओ० के अनुरोध पर गढ़ाई प्रौद्योगिकी में 12 नेपाली राष्ट्रिकों के लिए 12 सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की।

भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद

इस कालेज की स्थापना भारत सरकार और उद्योग के संयुक्त उद्यम के रूप में 1957 में की गई थी। विशेष उत्पादन, विपणन, वित्त, कार्मिक, सामग्री प्रबन्ध तथा निवेश आयोजन जैसे सामान्य प्रबन्ध तथा कार्यात्मक क्षेत्रों में उत्तर-अनुभव प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना इस कालेज की प्रमुख विशेषता है। 1982–83 में कालेज ने अपनी रजत जयन्ती पूरी की और 58 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें अस्पतालों, विश्वविद्यालयों इत्यादि सहित सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के 1352 प्रशासकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, कालेज ने ऊर्जा व तेल क्षेत्र, बन्दरगाह और गोदी इत्यादि में 25 परामर्शी कार्य और 15 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैं जिनमें पर्याप्वरण और ऊर्जा के रूप में प्रबन्ध के कुछ मुख्य क्षेत्र भी शामिल हैं।

1983–84 वर्ष के दौरान, शिक्षा मंत्रालय ने कालेज के लिए अपने अंशदान की सीमा 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी ताकि कालेज कार्यक्रमों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से प्रतिभागियों को देय लागत और वास्तविक शुल्कों के अंतर को पूरा किया जा सके।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान

अहमदाबाद, बंगलौर और कलकत्ता स्थित तीन प्रबन्ध संस्थान क्रमश: 1962, 1972 और 1961 में स्थापित किए गए थे। इनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं—प्रबन्ध व्यवसाय के लिए युवा पुरुषों और महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना, प्रबन्ध तकनीकों में अनुसंधान करना और प्रबन्ध व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना। संस्थानों ने अपने उत्तर-स्नातक कार्यक्रमों, शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों और अन्य अनुसंधान

तथा विकास कार्यकलापों में तजी लाना जारी रखा। इन संस्थानों से उत्तर-स्नातक डिप्लोमा तथा शिक्षावृत्ति डिप्लोमा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या इस प्रकार है :—

भारतीय प्रबन्ध संस्थान	उत्तर-स्नातक डिप्लोमा	शिक्षा वृत्ति डिप्लोमा
कलकत्ता	102	6
अहमदाबाद	170	6
बंगलौर	95	5

भा० प्र० संस्थाओं की समीक्षा समिति की सिफारिशों पर सचिवों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया है और उच्च अधिकार प्राप्त समिति के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड

शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की देखरेख में केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में भर्ती के लिए डिग्रियों/डिप्लोमाओं(भारतीय तथा विदेशी) को मान्यता प्रदान करने की सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है।

प्रबन्ध शिक्षा

प्रबन्ध पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए निर्धारित स्वीकृत संस्थाओं को स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार सहायता दी गई ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएं

इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी शिक्षा संबंधी विश्वविद्यालय केन्द्रों/विभागों ने समेकन तथा आधुनिकीकरण की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे। पहले से चल रही विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवश्यक अनुदान दिए गए। वि० अ० आ० की सभी योजनाओं के विस्तृत ब्यौरे रिपोर्ट के पहले अध्याय में दिए गए हैं।

अध्याय 5

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में, 128 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, जिसमें 60 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में तथा 68 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा नवीन 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के एक घटक के रूप में शामिल करके उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में समस्त प्रौढ़ निरक्षर जनसंख्या को जो 1990 तक लगभग 11 करोड़ हो जाने की संभावना है इस कार्यक्रम से लाभान्वित करने की परिकल्पना की गई है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, स्वैच्छिक एजन्सियों, विश्वविद्यालयों/कालेजों, नेहरू युवक केन्द्रों आदि जैसी विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। विभिन्न एजेन्सियों द्वारा 1,50,969 केन्द्र भारत सरकार की वित्तीय सहायता से अथवा उसके बगैर इस समय चल रहे हैं। इनका ब्यौरा इस प्रकार है:—

(i) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम	69,574
(ii) राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	59,015
(iii) स्वैच्छिक एजेन्सियां	5,873
(iv) नेहरू युवक केन्द्र	527
(v) विश्वविद्यालय/कालेज	644
(vi) अन्य	3,087
कुल	1,38,720
(*) जम्मू व काश्मीर	2,926
(*) मेघालय	1,195
(*) कर्नाटक	8,123
कुल योग	1,50,969

*इन राज्यों से कार्यक्रम-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हो सके।

इन केन्द्रों में कुल नामांकन 43.62 लाख था जिसमें 24.85 लाख पुरुष और 18.76 लाख महिलाएं थीं। इसके अतिरिक्त 3.52 लाख महिलाओं को साक्षरता अध्ययन के लिए फलाव (प्रौढ़ महिला कार्यात्मक साक्षरता) कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया। कुल नामांकन में 11.49 लाख अनुसूचित जाति और 7.31 लाख अनुसूचित जन-जाति के थे।

इस समय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए निम्नलिखित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं:—

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना

इस योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए राज्य स्तर और जिला स्तरों पर अपने-अपने क्षेत्रों में स्वीकृत पद्धति के अनुसार आवश्यक प्रशासनिक संगठनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1983–84 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 18 राज्यों और 7 संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है। इस प्रयोजन के लिए दो और राज्यों को वित्तीय सहायता शीघ्र ही संस्वीकृत की जाने की आशा है। वर्ष 1983-84 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 221 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं (ग्रा० का० सा० परि०)

इस योजना में 100 से 300 केन्द्रों वाली प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं शुरू करने की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक केन्द्र में औसतन 30 प्रौढ़ निरक्षरों का नामांकन होगा। धीरे-धीरे देश के सभी जिलों को इन केन्द्रीय परियोजनाओं में शामिल कर लिया जाएगा।

1983-84 के दौरान 316 परियोजनाएं जारी रखी गयी इनमें से 139 परियोजनाएं उन जिलों में है जहां साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत में कम हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 62 नई परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिससे इन परियोजनाओं की कुल संख्या 316 से बढ़कर 378 हो गई हैं। सरकार की नीति के अनुसार नई संस्वीकृत परियोजनाओं में से अधिकांश उन क्षेत्रों में होगी जहां साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। सभी 378 परियोजनाओं के चल जाने से इस योजना के अन्तर्गत शामिल प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या एक वर्ष में 34 लाख के लगभग हो जाएगी।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता की योजना

स्वैच्छिक एजेन्सियों को, कार्यात्मक साक्षरता, उत्तर-साक्षरता, प्रकाशन तथा संसाधन विकास, कार्यशालाओं और सेमिनारों इत्यादि के आयोजन जैसी परियोजनाएं शुरू करने के लिए, वित्तीय सहायता दी जाती है। 1983-84 के दौरान 16 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 350 स्वैच्छिक एजेन्सियों को कार्यात्मक साक्षरता और उत्तर-साक्षरता कार्य के लिए 16,340 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र मन्जूर किए गए हैं। ये एजेन्सियां लगभग 4.90 लाख व्यक्तियों को शामिल करेंगी। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा इन स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए 288 लाख रुपये की राशि अनुदान स्वरूप संस्वीकृत की है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में छात्रों का सहयोग

नए 20-सूत्री कार्यक्रम में भी छात्रों के सहयोग से प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन की परिकल्पना की गई है। डा० (श्रीमती) माधुरी आर० शाह (वि० अ० आ० की भी अध्यक्ष) की अध्यक्षता में एक कार्य दल विश्वविद्यालयों और कालेजों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे विद्यमान प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार कार्यक्रम की समीक्षा करने और कठिनाइयों को निर्धारित कर निरक्षरता उन्मूलन में छात्रों और अध्यापकों को शामिल करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से गठित किया गया था। इस कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसके द्वारा की गई सिफारिशों को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया हैं। आयोग ने 31 मार्च, 1983 तक सम्बन्द्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और लगभग 1500 कालेजों द्वारा 15000 केन्द्र संचालित करवाने और 31 मार्च, 1990 तक सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा 50,000 केन्द्र शुरू करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। सभी विश्वविद्यालयों से आयोग द्वारा निर्धारित नई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार कार्यक्रम तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तर-साक्षरता और अनुवर्ती कार्यक्रम

उत्तर साक्षरता और अनुवर्ती कार्यकलाप प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है दैनिक जीवन में साक्षरता दक्षताओं का लाभप्रद प्रयोग, व्यावसायिक दक्षताओं का विकास, और पूरक रोजगारों अर्थात् ग्रामीण उद्योग दुग्धशाला, मुर्गीपालन और सूअर पालन से संबंधित शिक्षा प्रदान करना।

इस कार्यक्रम को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई सरकार की नई नीतियों के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। तदनुसार, उत्तर-साक्षरता और अनुवर्ती कार्यकलापों को शुरू करने के लिए 1983-84 के दौरान 22 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 89.13 लाख रुपये की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को गत वर्ष के अनुदान में से उनके पास बची हुई लगभग 100 लाख रुपये की खर्च न की गई राशि का उपयोग करने की भी अनुमति दे दी गई है।

श्रमिक विद्यापीठ

ये विद्यापीठ शहरी क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं।

1983-84 के दौरान एक नया विद्यापीठ पश्चिम बंगाल में संस्वीकृत किया गया है। इस प्रकार देश में इन विद्यापीठों की संख्या 17 से बढ़कर 18 हो गई है। दो और विद्यापीठ शीघ्र ही स्थापित हो जाने की आशा है। इस वर्ष के दौरान इन विद्यापीठों ने श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल पाठ्यचर्या पर आधारित बहुसंयोजक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

राज्य संसाधन केन्द्र

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए देश में विभिन्न भागों में 15 राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये केन्द्र पाठ्यचर्या निर्माण, शिक्षण तथा अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने, प्रसार के तौर-तरीकों के विकास, पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुसंधान और नए-नए प्रयोग करने का कार्य करते हैं। दो नए राज्य संसाधन केन्द्र विशेषकर देश के उत्तर-पूर्वी भागों में इन क्षेत्रों में उनकी विशेष आवश्कताओं को पूरा करने के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

कलकत्ता, मद्रास, पटना और जयपुर स्थित चार राज्य संसाधन केन्द्रों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए सामग्री तैयार करने के लिए विशेष कक्ष खोले गए हैं।

1983-84 के दौरान इन केन्द्रों के लिए 43 लाख (लगभग) रुपये की राशि अनुदान स्वरूप मंजूर की गई है।

मूल्यांकन

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की पद्धति में मूल्यांकन का तत्व अन्तर्निहित है। तथापि, कार्यक्रम की विश्वसनीयता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि उसकी कोटि न गिरे समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं से इस कार्यक्रम का मूल्यांकन भी कराया जाता है। 6 राज्यों में चल रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन कार्य ऐसी सात संस्थाओं को सौंपा गया है।

1983-84 वर्ष के दौरान राजस्थान, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए इन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए गए। इस वर्ष उड़ीसा में भी इसी प्रकार का मूल्यांकन शुरू करने की आशा है इस उद्देश्य के लिए, अभी तक 5.0 लाख रुपए अनुदान राशि जारी की गई है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक चोटी का निकाय है जिसका कार्य प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी सभी मामलों पर नीतियां तैयार करना तथा उनके कार्यान्वयन के समन्वय पर सरकार को परामर्श देना है। बोर्ड ने, शिक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में अपनी पहली बैठक नवम्बर, 1983 में आयोजित की। बोर्ड की सिफारिशें संक्षिप्त में नीचे दी गई गई हैं :—

(I) निरक्षर महिलाओं को शामिल करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, महिला समितियों, ग्राम पंचायतों तथा अखिल भारत स्तर के प्रमुख महिला संगठनों को भी शामिल करना है।

(II) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में छात्रों तथा स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने में वृद्धि की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के साथ साथ हाई स्कूल के छात्रों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके लिए पंचायतों तथ नगर पालिकाओं को स्वैच्छिक संगठनों के रूप में समझा जाना चाहिए। यदि एक बार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किसी स्वैच्छिक संगठन का चयन कर लिया जाता है, तो ऐसे संगठनों को प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघशासित सरकारों के माध्यम से मंत्रालय को संपर्क किए बिना 3-4 वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

(III) कार्यक्रम को विकसित विभागों के कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण बात कार्यक्रम को आर्थिक कार्यक्रम के साथ जोड़ने की है। ताकि अधिक लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके।

(IV) राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा तैयार की गई अध्यापन/अध्ययन सामग्री अधिक शिक्षाप्रद, रुचिकर तथा नौसिखियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। महिला नौसिखियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पृथक सामग्री तैयार की जानी चाहिए।

(V) इनसेट आई० बी० के संदर्भ में जन साधनों सहित जन माध्यम तथा मौखिक परम्परा का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

एक महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में कक्षा चल रही है।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

निम्नलिखित कार्यकलाप प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा किए गए जो प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित मामलों में शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के तकनीकी खंड के रूप में कार्य करता है ।

पाठ्यचर्या तथा सामग्री का निर्माण

(क) मूल साक्षरता सामग्री

निम्नलिखित मूल साक्षरता सामग्री मुद्रण के लिए तैयार की गई तथा इसे अन्तिम रूप दिया गया :—

(I) 'खिलती कलियां' नामक एक सेट—इसमें प्राइमर, एक वर्कबुक तथा शिक्षक गाइड शामिल है ।

(II) 'धरती के लाल' नामक शिक्षक तथा गाइड तथा प्राइमर—इसमें 'धरती के लाल' के सन्दर्भ में साधन शामिल हैं ।

(ख) महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की यूनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजना

विद्यमान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की एक परियोजना आरम्भ की गई है । 'माता तथा शिशु' देख-रेख पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा तैयार की गई सामग्री की समीक्षा करने के लिए परियोजना के सम्बन्ध में दो बैठकें आयोजित की गई ।

3.76 लाख रु० की कुछ सामग्री यूनिसेफ से प्राप्त की गई है तथा इसे उनके उपयोग के लिए सम्बन्धित राज्य संसाधन केन्द्रों/राज्य सरकारों आदि को वितरित किया गया है ।

(ग) उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम

(i) तैयार की जाने वाली श्रेणीकृत सामग्री के लिए मार्गदर्शी रेखाएं तथा नमूना साहित्य का निर्माण ।

नव-साक्षरों के लिए श्रेणीकृत सामग्री तैयार करने के लिए, मार्गदर्शी रेखाओं का विकास किया गया तथा इनके उपयोग को दर्शाने के लिए नमूना सामग्री प्रकाशित की गई ।

(ii) नवसाक्षरों के लिए पाण्डुलिपियों की राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता ।

नव साक्षरों के लिए पाण्डुलिपियों की 24वीं राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता इस वर्ष आयोजित की गई और 14 भाषाओं में 40 पाण्डुलिपियां पुरस्कार के लिए चुनी गईं । पाण्डुलिपियों के प्रत्येक लेखक को 1000/- रु० पुरस्कार के रूप में दिए गए । 25वीं पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की गयीं ।

पुनश्चर्या तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम

(क) जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए दो पुनश्चर्या सेमिनार—एक लिटरेसी हाउस, लखनऊ के सहयोग से तथा दूसरा क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र चंडीगढ़ के सहयोग से आयोजित किए गए । इस सेमिनार में मुख्य जोर इस बात पर दिया गया कि भाग लेने वालों को जिले में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुखों के रूप में उनकी भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों की जानकारी प्रदान करना था । वैचारिक, कार्यान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन और उत्तर साक्षरता से सम्बन्धित पहलुओं का विशेष रूप से अनुस्थापन किया गया ।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासना संस्थान के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा के प्रमुख कार्मिकों का एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था । सेमिनार के उद्देश्य निम्नलिखित थे :—

(i) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रबन्ध के प्रमुख मुद्दों का पता लगाना और उन पर विचार-विमर्श करना ।

(ii) अनुभव तथा विभिन्न राज्यों/संघ प्रशासनों द्वारा अपनाए गए नए विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक कोरम तैयार करना ।

10—812Edu./83

(iii) खास तौर पर क्षेत्र स्तर पर, विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और इसे सबल बनाने, उपयुक्त नीति विकसित करना ।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं की कार्य स्थिति का पता लगाने के मानदण्ड से सम्बन्धित कार्य । इससे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को उन्नत करने में सहायता मिलेगी ।

आयोजना, अनुश्रवण मूल्यांकन और सांख्यिकी

(i) गुजरात राज्य संसाधन केन्द्र के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा के लिए उत्तर साक्षरता के अनुश्रवण और अनुवर्ती कार्यक्रमों से सम्बन्धित सेमिनार अहमदाबाद में आयोजित किया गया ।

विभिन्न स्तरों पर उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए मार्गदर्शी रेखाएं और फार्मों का एक सेट तैयार किया गया और उसे अन्तिम रूप दिया गया ।

(ii) सांख्यिकी कार्मिकों के लिए क्षेत्रीय अनुस्थापना कार्यशाला प्रौढ़ शिक्षा और विस्तार केन्द्र, केरल विश्वविद्यालय, केरल के सहयोग से आयोजित की गयी । इसका उद्देश्य कार्यक्रमों को एकत्र करने की प्रक्रिया और तकनीक इसकी जांच, संकलन और इसकी सत्यता, विशुद्धता तथा विश्वसनीयता की जांच करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में कार्यक्रम के अनुश्रवण से सम्बन्धित कार्मिकों की स्थापना करना ।

(iii) तिमाही अनुश्रवण रिपोर्ट तैयार करना

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम का अंग है । निदेशालय ने योजना आयोग के उपयोग तथा सामान्य वितरण के लिए तिमाही रिपोर्ट और सार सूचना एकत्र, संकलित और तैयार की । राज्यों/संघ प्रशासनों द्वारा उनके अनुश्रवण रिपोर्ट में बताई गई समस्याओं के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की और शिक्षा सचिवों के सम्मेलनों, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक और प्रमुख कार्मिकों के लिए अनुस्थापना कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखाएं तैयार कीं ।

(iv) "प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम :––वर्तमान स्थिति तथा भावी सम्भावनाएं" शीर्षक से एक "स्थिति" दस्तावेज तैयार किया गया जिसे बाद में "प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम : संदर्श नीति तथा कार्यान्वयन नीतियां" नामसे प्रकाशित किया गया ।

(v) सातवीं पंच-वर्षीय योजना के लिए प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कार्यदल को सचिवालयीय सेवाएं प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदान की गई । निदेशालय ने पृष्ठ भूमि सम्बन्धी कागजात तैयार किए, बैठकों की विस्तृत कार्रवाईयां तैयार की तथा योजना आयोग के प्रयोग के लिए, अन्तिम रिपोर्ट भी तैयार की । दस्तावेज के तैयार हो जाने पर यह सातवीं पंचवर्षीय योजना इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नीति सम्बन्धी का अंग बन जाएगा ।

(vi) यह निदेशालय, प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता है । राज्य संसाधन केन्द्रों के कार्यकलापों से संबंधित सूचना नियमित रूप से प्रसारित की जाती है ताकि सामग्री निर्माण, प्रशिक्षण और अध्ययन के क्षेत्रों में उनके योगदान को समझने के साथ-साथ उनके कार्यकलापों की जानकारी अन्यत्र स्थित वैसी ही संस्थाओं तक पहुंच सके ।

(vii) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रम के कार्यकरण पर नजर रखने और उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने के लिए निदेशालय के एक-एक अधिकारी को एक-एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सौंपा गया है । जिसके सम्बन्ध में वे पूरी जानकारी रखते हैं और तकनीकी मामलों में उन्हें मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करते हैं ।

(viii) इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के मूल्यांकन में कार्यरत बाहर की एजेंसियों से निम्नलिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई और इस कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए सम्बन्धित सरकारों और परियोजना से सम्बन्धित संस्थाओं के साथ अनुवर्ती बैठकें आयोजित की गई। जो मुख्य-मुख्य निष्कर्ष निकले वे प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार किए गए सारांशों के माध्यम से प्रचारित किए गए।

1. जिला झुनझुनू, राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम-तीसरा मूल्यांकन।	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत
2. गुजरात में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम——तीसरा मूल्यांकन	
3. तमिलनाडु में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम——राज्य सरकार की भूमिका का मूल्यांकन	मद्रास विकास अध्ययन संस्थान
4. तमिलनाडु में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण का मूल्यांकन	मद्रास द्वारा प्रस्तुत
5. तमिलनाडु में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम——आन्तरिक मूल्यांकन पद्धति का मूल्यांकन	
6. बिहार में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन——गुरूआ ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट	ए० एन० सिह्ना विशेष अध्ययन संस्थान, पटना द्वारा प्रस्तुत
7. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं की प्रेरणा——एक प्रकरण अध्ययन	
8. प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक चेतना——दो मामलों का अध्ययन	
9. बिहार में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन——धानवर ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट	
10. सिमारियन खण्ड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	जेवियर श्रमिक सम्बन्ध संस्थान, जमशेदपुर द्वारा प्रस्तुत
11. चन्दनकियारी खण्ड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	
12. जामुआ खण्ड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	
13. पुम्पो खण्ड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	
14. गुजरात में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम——तीसरा मूल्यांकन	सरदार पटेल सामाजिक आर्थिक शोध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत।

प्रकाशन

निम्नलिखित सामग्री प्रकाशित की गई :-

(1) पोस्टर

निम्नलिखित पोस्टरों को हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया।

— भविष्य ही उनका है।

— साक्षरता जीवन में रस घोलती है।

— साक्षर युवक: देश की शक्ति

— राष्ट्र के युवकों की सेवा में श्रमिक विद्यापीठ

निम्नलिखित दो पोस्टरों को 13 भाषाओं में प्रकाशित किया गया

— महिला साक्षरता-प्रगति की कुंजी

— अपने ज्ञान में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाइए ।

(ii) फोल्डर

निम्न पांच फोल्डरों को हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया :—

— प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

— प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

— श्रमिक विद्यापीठ

— प्राथमिक स्वास्थ्यरक्षा

(iii) समाचार पत्रिका

राज्य संसाधन केन्द्र "प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय समाचार पत्रिका" जो कि एक द्विमासिक पत्रिका थी सितम्बर, 1983 से मासिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित कर दी गई है ।

IV. राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता

निदेशालय ने पहली बार राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की । प्रविष्टियों पर कार्रवाई की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत तीन पुरस्कार—पहला पुरस्कार 5000/– रुपए का, दूसरा पुरस्कार 3000/– रुपए तथा तीसरा पुरस्कार 2000/—रुपए का प्रदान किया जाएगा ।

पहले से ही संस्वीकृत चार अनुसंधान प्रस्तावों पर कार्रवाई जारी है तथा निदेशालय के निम्नलिखित दो अध्ययन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिन पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं में प्रसार-हेतु कार्यवाई की जा रही है ।

(i) "महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा"—चार प्रकरण अध्ययनों द्वारा एक अनुसंधान आधार का निर्माण ।

(ii) पश्चिम बंगाल के ग्रामीण समाज के लिए होलिस्टिक स्वास्थ्य देखभाल के शिक्षा सम्बन्धी घटक पर कार्य अनुसंधान ।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग

— निदेशालय ने विभिन्न भाषाओं में 30 सैकेण्ड की अवधि के रेडियो स्पाट्स हेतु दृ० श्र० प्र० निदे० की सामग्री प्रदान की । ये स्पाट्स निरक्षर प्रौढ़ों को प्रेरणात्मक संदेश प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं ।

— एक हिन्दी फिल्म "लिख के दे दो" सभी हिन्दी भाषी राज्यों को भेजी गई । प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु इस फिल्म को दिखाने की सलाह इन राज्यों को दी गई है ।

जन-संख्या शिक्षा

(i) विभिन्न चरणों (बुनियादी साक्षरता, उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्य) पर प्रौढ़ शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा को मिलाने के सम्बन्ध में एक स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय व्यापी सर्वेक्षण शुरू किया गया । विभिन्न राज्य संसाधन केन्द्रों, राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशकों तथा अन्य प्रसिद्ध संगठनों को एक अनुसूची भेजी गई । प्राप्त सामग्री का विश्लेषण किया गया तथा रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया गया ।

(ii) "प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा—प्रारम्भिक परियोजना" नामक एक परियोजना यू० एन० एफ० पी० ए० से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु बारह माह की अवधि के लिए तैयार कर ली गई है। इस परियोजना की अवधि के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यचर्या विकास सामग्री निर्माण तथा प्रलेखन और निकासी गृह कार्यकलाप राज्य संसाधन केन्द्रों के साथ मिलकर आयोजित किए जायेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

(क) सेमिनार का आयोजन

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने 3 से 15 अक्तूबर, 1983 तक नई दिल्ली में आयोजित आजीवन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में नव-साक्षरों को उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा सम्बन्धी एक एशियाई अनुस्थापन सेमिनार के आयोजन में यूनेस्को शिक्षा संस्थान, हम्बर्ग तथा जर्मन प्रतिष्ठान को सहयोग दिया। इस सेमिनार में 16 देशों के सैंतीस प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त बैंकांक स्थित एशिया तथा प्रशांत ए० सी० सी० यू० क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय और यूनेस्को पेरिस जैसे क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस सेमिनार में भाग लिया। यह सेमिनार, प्रतिभागी देशों में उत्तर-साक्षरता तथा बुनियादी शिक्षा की प्रोन्नति के लिए आवश्यक अध्ययन नीतियां तैयार करने के लिए किया गया था तथा इसमें स्थानीय स्तर पर कार्रवाई हेतु रूपरेखाएं तैयार करने में सहायता मिली।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के विदेशी दौरे

(i) एक यूनेस्को फैलोशिप के अन्तर्गत एक उप-निदेशक ने प्रौढ़ शिक्षा तथा उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम के अध्ययन करने का दौरा किया।

(ii) एक सहायक निदेशक एशिया तथा प्रशान्त यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय द्वारा प्रायोजित एक तीन सप्ताह के सम्बद्ध कार्यक्रम के लिए थाइलैण्ड भेजा गया।

(iii) साक्षरता कार्यक्रम की आयोजना एवं प्रबन्ध पर यूनेस्को प्रायोजित एक कार्यशाला में जो इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में हुई एक सहायक निदेशक को भेजा गया।

(iv) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विचारों तथा अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु भारत-मैक्सिको सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत, मन्त्रालय के एक अवर सचिव ने दो सप्ताह तक मैक्सिको का दौरा किया।

(ग) विदेशी अतिथि

— अफगानिस्तान के पांच यूनेस्को अध्येताओं ने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया। भारत में उनके प्रवास के दौरान, क्षेत्र दौरे, जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी प्रदर्शन, विषय अध्ययन, सामग्री प्रदर्शनियों जैसे विभिन्न कार्यकलाप आयोजित किए गए। अंग्रेजी तथा अफगानिस्तान की दारी भाषा में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी एक पुस्तिका तैयार की गई।

— न्यू बाल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति तथा अध्यक्ष, डेम रेसे मेर्री मर्री ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया।

— श्री पीटर जेम्स सत्त्न, भाषा तथा उदार अध्ययन अध्यक्ष, साउथ ग्रीनविच इंस्टीट्यूट, यू० के० ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया।

— श्री रुथ जे० केलविन, संस्थापक अध्यक्ष अनुसंधान तथा विकास साक्षरता स्वयंसेवक अमरीका ने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया।

— प्रो० ऐलन राजर्स निदेशक न्यू अलस्टर विश्वविद्यालय संस्थान लन्दन डेरी ने स्थानीय समाज, प्रौढ़ शिक्षा तथा विकास में विश्वविद्यालय सहयोग सम्बन्धी प्रौढ़ शिक्षा संरचनाओं के शिक्षण तरीकों के अध्ययन के लिए निदेशालय का दौरा किया ।

— केनिया के दो प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षकों ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया ।

— श्रीलंका के दो प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षकों ने भारत के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया ।

— सम्बद्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनेस्को द्वारा प्रायोजित एक सात सदस्यीय अफगान प्रतिनिधिमंडल ने जनसंख्या शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दौरा किया ।

अध्याय **6**

संघ शासित क्षेत्र में शिक्षा

संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना केन्द्रीय सरकार का विशेष दायित्व है। गोवा, दमन व दीव, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्षेत्रों में अपने-अपने विधान-मण्डल हैं और वे संघ शासित क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 में निर्दिष्ट अधिकारों का उपयोग करते हैं। दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 के अनुसार दिल्ली में एक महानगर परिषद् और एक कार्यकारी परिषद् होनी चाहिए। दूसरे क्षेत्रों अर्थात् अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप में कोई विधान मण्डल नहीं है। इस अध्याय में आलोच्य वर्ष के दौरान प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र में किए गए कार्यकलापों और शैक्षिक सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया है।

1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

अण्डमान और निकोबार प्रशासन में 1950 नामांकन वाले 16 पूर्व-प्राथमिक स्कूल, 36,000 छात्रों का नामांकन वाले 184 प्राथमिक स्कूल, 11,600 छात्रों का नामकन वाले 39 मिडिल स्कूल और 6,800 छात्रों का नामांकन वाले 34 माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्कूल हैं। 1983-84 के दौरान, 6 प्राथमिक स्कूल, 8 मिडिल स्कूल, 5 माध्यमिक स्कूल और एक सीनियर माध्यमिक स्कूल खोले गए थे। अण्डमान और निकोबार क्षेत्र की कुल साक्षरता प्रतिशतता 51.27 है (1981 की जनगणना के अनुसार)।

अण्डमान और निकोबार संघ शासित क्षेत्र में छात्रों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन (43,000 लाभान्वित), निःशुल्क वर्दियां (2,000 लाभान्वित), निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें (25,000 लाभान्वित), निःशुल्क यात्रा रियायतें (3,500 लाभान्वित), सभी जनजातीय छात्रों को निःशुल्क लेखन सामग्री (4,500 लाभान्वित) और साथ ही जनजातीय छात्रों को उपस्थिति छात्रवृत्तियां भी तथा छात्रावासियों को वजीफे जैसी रियायतें स्वीकृत की जा रही हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,716 छात्रों के नामांकन वाले 200 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। अनौपचारिक शिक्षा भी आरम्भ की गई है और इस समय 670 छात्रों के नामांकन वाले 19 केन्द्र हैं।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित पाठ्य-पुस्तक कक्ष ने अब तक (1980 से 1983 तक) 12 पाठ्य-पुस्तकें अनुदित और मुद्रित की हैं।

संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार के माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बद्ध किया गया है। 1983 में आयोजित वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्तर पर उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 57.67 और 70.39 थी।

2. अरुणाचल प्रदेश

1947 में अरुणाचल प्रदेश में केवल दो प्राथमिक स्कूल थे और साक्षरता दर 1 प्रतिशत से कम थी। तथापि, 1971 और 1981 की जनगणना से ज्ञात हुआ कि साक्षरता दर तेजी से बढ़कर क्रमशः 11.29 और 20.87 हो गई। 1947 से 1983 तक की इस थोड़ी सी अवधि में ही शैक्षिक संस्थाओं की संख्या बढ़कर 1,317 तक हो गई जिनमें कुल नामांकन संख्या 95,666 थी। संस्थाओं और नामांकन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

1. पूर्व-प्राथमिक	199
2. प्राथमिक	941
3. मिडिल	120
4. माध्यमिक	39
5. उच्चतर माध्यमिक	18
	1,317

1983–84 के दौरान I—XII कक्षाओं में नामांकन संख्या 99,666 रही जिसमें 61,737 लड़के और 33,929 लड़कियां हैं ।

1983–84 के दौरान खोली/स्तरोन्नत की गई संस्थाओं की स्थिति इस प्रकार है :—

पूर्व-प्राथमिक	100
प्राथमिक	17
छात्रावास सुविधाओं सहित I—V स्कूल	7
I से V में बदले गए प्राथमिक स्कूल	9
मिडिल तक स्तरोन्नत प्राथमिक स्कूल	11
माध्यमिक स्कूलों तक स्तरोन्नत मिडिल स्कूल	15
उच्चतर माध्यमिक तक स्तरोन्नत माध्यमिक स्कूल	1

राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना सम्बन्धी नामांकन वर्ष 1983–84 के दौरान क्रमशः 6,830 और 10,986 रहा है ।

अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से चौबीस स्काउट्स और 24 गाइडों ने प्रथम कक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया । कुछ छात्रों ने एन० सी० सी० द्वारा आयोजित एन० सी० सी० कैम्पों और अन्य नेतृत्वपरक पाठ्यक्रमों में भी भाग लिया ।

वहां केवल दो ही डिग्री कालेज हैं जिनकी इस समय नामांकन संख्या 560 है ।

स्कूलों में अधिक बच्चों को आकर्षित करने और उन्हें अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक वहां बनाए रखने के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, निःशुल्क लेखन सामग्री, स्कूल वर्दियों और मध्याह्न भोजन की स्कूलों में प्रोत्साहन के रूप में व्यवस्था की जाती है । ये योजनाएं स्थिरता और बीच में स्कूल छोड़ने की दर को काफी हद तक कम करने में सहायक हुई है । योग्यता छात्रवृति योजना दूसरा ऐसा प्रोत्साहन है जिसे 1983–84 से लागू किया गया है ।

विभिन्न उच्चतर माध्यमिक स्कूलों से 244 छात्रों ने 14 नवम्बर, 1983 को बाल दिवस पर आयोजित सामूहिक गायन कार्यक्रम में भाग लिया ।

बाल दिवस—14 नवम्बर, 1983

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट के सहयोग से अक्तूबर-नवम्बर, 1983 में जोरहाट और इटानगर में विज्ञान प्रेरणात्मक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया । इस पाठ्यक्रम में इक्कीस छात्रों ने भाग लिया ।

3. दादरा तथा नागर हवेली

पिछड़े क्षेत्र जैसे कि दादरा तथा नागर हवेली में शिक्षा का बहुत महत्व है जहां मुख्यतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग रहते हैं । बच्चों को स्कूलों में नियमित रूप से उपस्थित होने में अभ्यस्त बनाने के लिए, वर्ष 1983–84 के दौरान 13 पूर्व-प्राथमिक स्कूलों में 562 बच्चे दाखिल किए गए हैं । 157 प्राथमिक स्कूलों में 16237 बच्चे दाखिल हैं जिनमें से 528 अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित हैं । 5 हाई स्कूल हैं जिनमें छात्रों की कुल संख्या 1983 है जिनमें से 140 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित हैं ।

संघ शासित दादरा तथा नागर हवेली द्वारा चलाए जा रहे 9 समाज कल्याण छात्रावास हैं जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्र दाखिल किए जाते हैं तथा उन्हें निःशुल्क आवास तथा भोजन प्रदान किया जाता है । वर्ष 1982–83 के दौरान इस छात्रावासों में 555 छात्र दाखिल थे ।

संघशासित क्षेत्र दादरा तथा नागर हवेली में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, प्रारम्भिक शिक्षा तक सभी छात्रों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है, सभी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से

सम्बन्धित छात्रों को निःशुल्क नोटबुक/पाठ्यपुस्तकें तथा अन्य शैक्षिक सामग्री प्रदान की जाती हैं, प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र को प्रत्येक वर्ष दो जोड़ी कपड़े दिए जाते हैं, तथा प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित प्रत्येक छात्र को एक जोड़ी कैन्वास जूते दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की नियमित उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन नकद पुरस्कार तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रतिभाशाली छात्रों को नकद पुरस्कार प्रदान करना, तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा कम आय वाले वर्ग के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां देना 1983–84 के दौरान जारी रहा।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संघशासित क्षेत्र में 30 केन्द्रों सहित जिनमें 1333 प्रौढ़ प्रशिक्षार्थी दाखिल थे, 1978-79 में आरम्भ किया गया था। वर्ष 1983-84 के दौरान, केन्द्रों की संख्या 62 तथा प्रशिक्षार्थियों की संख्या 1877 तक पहुंच गई है। शारीरिक शिक्षा तथा अन्य सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यूनिसेफ कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या तथा नवीनीकरण तथा सामुदायिक शिक्षा से सम्बन्धित विकासशील कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। वर्ष के दौरान, एक अन्य परियोजना अर्थात् जनसंख्या शिक्षा संघशासित क्षेत्र में शुरू की जा रही है।

4. दिल्ली

दिल्ली संघशासित क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 1485 स्क्वेयर किलोमीटर है, का आबादी का घनत्व बहुत अधिक है। वर्ष 1982 में इसकी आबादी 64,57,740 थी, इसका औसतन घनत्व प्रति स्क्वेयर किलोमीटर 4278 व्यक्ति था। वर्तमान जनसंख्या में, स्कूलों में दाखिल किए जाने वाले बच्चों की संख्या काफी अधिक है।

दिल्ली संघशासित क्षेत्र में बच्चों का स्तरवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(क) प्राथमिक स्तर (कक्षा I–V) 7.41 लाख

(ख) मिडिल स्तर (कक्षा VI–VIII)—3.80 लाख

(ग) माध्यमिक स्तर (कक्षा IX–X)—1.80 लाख

(घ) सीनियर माध्यमिक स्तर (XI–XII) — 1.01 लाख

शिक्षा निदेशालय प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 छात्रों के अतिरिक्त नामांकन की कमी को पूरा करता है। विद्यमान 15,406 अनुभागों में निम्नलिखित के द्वारा लगभग 800 अनुभाग 1983-84 के दौरान जोड़े गए :—

(i) दस नए राजकीय मिडिल स्कूल खोलकर;

(ii) सात राजकीय स्कूलों का विभाजन करके;

(iii) 12 राजकीय मिडिल स्कूलों को माध्यमिक विद्यालयों तक स्तरोन्नत करके।

(iv) 19 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को सीनियर, माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत करके।

अनुसूचित जातियों के छात्रों आदि के लिए खेलों की प्रोन्नति, योग्यता तथा खुली योग्यता छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों (1000 लाभग्राही) को कई सुविधाएं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए निःशुल्क परिवहन (2800 लाभग्राही), वर्दियों की निःशुल्क सप्लाई (23500 लाभग्राही), पाठ्यपुस्तकों की निःशुल्क सप्लाई (12,500 लाभग्राही) तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए उपचारी/विशेष प्रशिक्षण आदि प्रदान की जाती है।

दिल्ली प्रशासन ने अपने स्कूलों में अल्पसंख्यक लोगों की भाषाओं जैसे कि उर्दू, पंजाबी आदि के शिक्षण के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की है। शिक्षा वाणिज्य, विज्ञान तथा मानविकी जैसे विभिन्न विषयों में भी दी जाती है।

शिक्षा निदेशालय ने 78 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए हैं तथा इन केन्द्रों में 2016 बच्चे दाखिल किए गए हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत, शिक्षा निदेशालय ने 20 शहरी परियोजनाएं तथा ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में समाज को शामिल करना है।

माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा एक पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय चलाया जाता है।

इस स्कूल को प्रत्येक वर्ष अधिकाधिक लोकप्रियता मिलती जा रही है। वर्ष 1983-84 के दौरान स्कूल का नामांकन 25,000 तक पहुंच गया है।

विभाग, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए व्यापक प्रयास कर रहा है। शिक्षा निदेशालय के अबाध रूप से कामकाज करने हेतु दिल्ली के पूरे संघीय क्षेत्र को चार शैक्षिक जिलों में बांट दिया गया है। प्रत्येक जिला एक लघु निदेशालय है जिसके प्रमुख उप शिक्षा निदेशक हैं जिसके काम में दो प्रशासनिक अधिकारी तथा कई शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी सहायता करते हैं।

शिक्षा से सम्बन्धित विषयों पर शिक्षा विभाग को सलाह देने के लिए विख्यात शिक्षा-विदों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक शैक्षिक सलाहकार बोर्ड है।

दिल्ली की अभिलेखागार योजना प्रलेखों, पाण्डुलिपियों तथा अन्य रिकार्ड सामग्री के रूप में दिल्ली की सांस्कृतिक संपत्तियों के परिरक्षण से सम्बन्धित है। जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध ऐतिहासिक अनुसंधान तथा प्रशासनिक संदर्भों की महत्वपूर्ण सूचना शामिल है। 10–11–83 से 15–11–83 तक अभिलेखागार सप्ताह मनाया गया और इस अवसर पर विभाग द्वारा "दिल्ली एक उद्यान नगर" विषय पर ऐतिहासिक रिकार्डों तथा फोटोग्राफों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी 1858 से 1947 तक की अवधि के मौलिक रिकार्डों तथा फोटोग्राफों पर आधारित थी जिसमें मुगल और अंग्रेजी काल के दिल्ली के विभिन्न उद्यानों का इतिहास विशेष रूप से दर्शाया गया था।

5. गोआ, दमन तथा दीव

गोआ, दमन और दीव के संघीय क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर अधिकांश स्कूल सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और माध्यमिक स्तर पर अधिकांश हाई स्कूलों को निजी प्रबन्धकों द्वारा सरकारी वित्तीय सहायता से चलाया जाता है। वर्ष 1983-84 के दौरान कक्षा I से V में अनुमानित नामांकन की संख्या 1, 41, 060 है, जबकि 1982-83 के दौरान यह संख्या 1,38,815 थी। कक्षा V–VII में नामांकन की अनुमानित संख्या 76,590 है जो 1982-83 में 75,059 थी। माध्यमिक शिक्षा में यह संख्या जो 1982-83 के दौरान 51,501 थी, बढ़कर 53,600 तक पहुंच जाने का अनुमान है। क्षेत्र में 22 उच्चतर माध्यमिक स्कूल (राजकीय तथा सहायता प्राप्त) हैं, जो उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं (XI–XII) के छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनमें छात्रों की नामांकन संख्या अनुमानतः 8,525 है, जबकि 1982-83 में यह संख्या 8,381 थी। इस समय इस संघीय क्षेत्र में सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए 18 कालेज हैं। वर्ष 1983-84 के दौरान इन कालेजों में कुल नामांकन संख्या अनुमानतः 7,065 है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाना इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत, 3–6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। 1983-84 के दौरान प्रायोगिक आधार पर ऐसे 11 पूर्व प्राथमिक स्कूल खोलने का विचार है और 1984-85 के दौरान ऐसे अधिक से अधिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

आश्रमशालाओं की योजना के अन्तर्गत, दो आश्रमशालाएं पूरी हो चुकी हैं। इस प्रकार के स्कूल केवल बेहतर शिक्षा सुविधाएँ ही प्रदान नहीं करेंगे बल्कि जनजातीय बच्चों को स्कूल

जाने की प्रेरणा भी प्रदान करेंगे । इस योजना के अन्तर्गत जनजातीय बच्चों के लिए निःशुल्क खान-पान और आवास की व्यवस्था होती है ।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में 318 केन्द्र खोले गए हैं जिनमें 4,770 प्रौढ़ नामांकित हैं जबकि लक्ष्य 540 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में 8,100 प्रौढ़ों के नामांकन का था । यह लक्ष्य इस वर्ष की समाप्ति से पूरा हो जाने का अनुमान है ।

गोआ, दमन और दीव के संघीय क्षेत्र में 10वीं कक्षा तक सभी छात्रों के लिए शिक्षा निःशुल्क है । कक्षा XI से XII तक के उन सभी छात्रों के लिए भी शिक्षा निःशुल्क है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 4800/– रु० प्रतिवर्ष तक है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कक्षा XI तथा XII में कुल 1,136 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई । वर्ष 1983-84 के दौरान यह संख्या लगभग 2,254 हो जाएगी । प्राथमिक तथा उच्चतर स्कूल शिक्षा स्तर पर आर्थिक प्रेरणाओं से 1983-84 के दौरान लगभग 10,000 छात्र लाभान्वित हो सकेंगे । 1982-83 के दौरान मिडिल तथा माध्यमिक स्कूल स्तर पर आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के 40,688 बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई तथा 1983-84 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 11,250 छात्रों को शामिल किए जाने का अनुमान है ।

राज्य शिक्षा संस्थान, शिक्षा की कोटि सुधारने के लिए कार्य करता है । मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल स्तर पर कार्य अनुभव प्रारम्भ करने के कार्य का समन्वय तथा पर्यवेक्षण भी राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाता है ।

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत 6 से 11 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है । इससे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने में सहायता मिलती है ।

6. मिजोरम

मिजोरम संघ शासित क्षेत्र में शिक्षा की संरचनात्मक पद्धति निम्न प्रकार है :—

प्राथमिक स्कूल खण्ड के अन्तर्गत कक्षा I से IV तक 6–11 आयु वर्ग मिडिल स्कूल खण्ड के अन्तर्गत कक्षा V से VII तक 11–14 आयु वर्ग हाई स्कूल खण्ड के अन्तर्गत कक्षा VIII X तक 14 से 16 आयु वर्ग ।

1982–83 के दौरान स्कूलों और उनमें नामांकन की संख्या निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	स्तर	स्कूलों की संख्या	छात्रों की संख्या
1.	प्राथमिक स्कूल	808	81072
2.	मिडिल स्कूल	360	27313
3.	हाई स्कूल	141	13522
4.	कालेज/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, पोलिटेक्निक इत्यादि	17	5753

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए मिजोरम प्रशासन को अभी बहुत कुछ करना बाकी है, यद्यपि 65 बस्तियों में 65 स्कूल खोले जा चुके हैं । लोगों द्वारा अपना स्थान बदलते रहने के कारण अभी ऐसे और अधिक स्कूल खोले जाने हैं ।

प्रशासन ने, 4204 जनजातीय छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां व अन्य कई छात्र वृत्तियां और शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के अतिरिक्त 3346 उम्मीदवारों की पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्तियां भी प्रदान कीं ।

प्रौढ़ शिक्षा (सामाजिक) कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 स्थानों पर साक्षरता सेमिनार और अभियान कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस समय 290 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और 60 उप-केन्द्र हैं। इस वर्ष दो प्रायोगिक प्रौढ़ स्कूल खोले गए। मिजोरम प्रशासन ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कई स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान भी दिए।

15 छात्रों को विज्ञान अभिप्रेरणा पाठ्यक्रम के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहट भेजा गया। विज्ञान और गणित शिक्षण के सम्बन्ध में 1025 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने शैक्षिक प्रणाली में सुधार करने के लिए 49 पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित कीं। परिषद ने 18 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित कीं जिसमें कई अधिकारियों और शिक्षकों ने भाग लिया।

7. पांडिचेरी

पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र, पांडिचेरी कराईकल, माही और यमन क्षेत्रों के सम्बन्ध में तमिलनाडु, केरल और आन्ध्र प्रदेश की शिक्षा पद्धति का अनुसरण कर रहा है। इस समय वहां पूर्व-प्राथमिक से लेकर कालेज स्तर तक की 611 शैक्षिक संस्थाएं हैं। कुल मिलाकर पूर्व-प्राथमिक स्तर से लेकर कालेज स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या 1,51,479 है।

इस समय सरकार और प्राइवेट प्रबन्धकों द्वारा 98 पूर्व-प्राथमिक स्कूल चलाए जा रहे हैं जिनमें 3–5 आयु वर्ग के कुल 4640 बच्चे दाखिल हैं। 339 ऐसी बस्तियां हैं जहां एक कि० मी० की दूरी के अन्दर एक प्राथमिक स्कूल तथा दो कि० मीड़ की दूरी के अन्दर एक मिडिल स्कूल स्थित है। सरकार और प्राइवेट प्रबन्धकों द्वारा चलाए जाने वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या 326 तथा मिडिल स्कूलों की संख्या 101 है। प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में बच्चों की कुल नामांकन संख्या क्रमश: 84,850 और 39,409 है जिनमें से क्रमश: 14,010 और 4735 छात्र अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या केवल 15.05 प्रतिशत है। वर्ष 1983-84 के लिए 6–14 आयु वर्ग के लिए 5,000 अतिरिक्त छात्रों के नामांकन का लक्ष्य था परन्तु नामांकित छात्रों की संख्या 5,290 थी।

बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले, विशेष तौर से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित छात्रों की प्रतिशतता को कम करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन के रूप में लेखन सामग्री और पाठ्यपुस्तकों की नि:शुल्क आपूर्ति की जाती है। दो जोड़ी मुफ्त वर्दियां दी जाती हैं। मिडिल स्कूलों में लड़कियों को उपस्थिति छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। प्राथमिक स्कूलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को विशेष छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है।

हाई स्कूलों की कुल संख्या 64 है जिनमें दाखिल छात्रों की संख्या 14,567 है जिनमें से 1,322 छात्र अनुसूचित जनजाति के हैं। प्रत्येक बस्ती में तीन कि० मी० दूरी के अन्दर एक माध्यमिक स्कूल स्थित है। इस समय पांडिचेरी और कराईकल क्षेत्रों में 18 उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं जिनमें छात्रों की कुल संख्या 4,886 है, जिनमें से 234 छात्र अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं ? उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा नि:शुल्क है। पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र में 'यूनिसेफ' सहायता प्राप्त परियोजाना II और III कार्यान्वित की जा रही है।

9 कालेजों में उच्च अध्ययन के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। पांडिचेरी में दो कालेजों में तथा कराईकल में एक कालेज में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है। इन कालेजों में छात्रों की कुल संख्या 3,980 है। व्यावसायिक क्षेत्र में एक विधि कालेज और एक पोलिटक्निक है जो तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

फ्रेंच भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा संचालित चार हाई स्कूल, एक मिडिल स्कूल और दो प्राथमिक स्कूल हैं। पांडिचेरी में फ्रांस सरकार द्वारा संचालित एक फ्रेंच कालेज है।

उच्चतर माध्यमिक/अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों के लिए राज्य की ओर से प्रदान की जाने वाली तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की संख्या लगभग 218 है। इस क्षेत्र में अन्य कार्यकलापों जैसे कि स्काउट्स और गाइड्स, एन० सी० सी०, शारीरिक शिक्षा और बाल भवन की गतिविधियों आदि को यथोचित महत्व दिया जाता है।

संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सतत रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। 1978-79 के दौरान इस कार्यक्रम को शुरू करने के समय इस क्षेत्र में 15—35 आयु वर्ग में साक्षर लोगों की संख्या 85,000 आंकी गई थी। राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों की संख्या 148 है। इसके अलावा 412 केन्द्र, कल्याण विभाग सहित अन्य एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्ष 1983-84 के लिए लक्ष्य 18,000 रखा गया है और अब तक लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत प्राप्त किया जा चुका है। सतत प्रयासों के फलस्वरूप 1981 की जनगणना के अनुसार संघीय क्षेत्र पांडिचेरी की साक्षरता प्रतिशतता 54.23 प्रतिशत तक बढ़ गई है। तथा सरकार इस प्रतिशतता को और बढ़ाने के लिए कठोर प्रयास कर रही है।

8. **चण्डीगढ़**

भारत में चण्डीगढ़ ही केवल एक ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जहां प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जा चुका है। विद्यार्थियों के अतिरिक्त नामांकन की मांग को पूरा करने के लिए विद्यमान स्कूलों में कुछ और सेक्शन खोले गए हैं।

अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों से सम्बन्धित बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है जिससे शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या को कम करने में पर्याप्त सहायता मिली है। समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित छात्रों को वर्दियां और लेखन सामग्री प्रदान की गई। इन छात्रों को पाठ्यपुस्तकें भी मुफ्त दी गई।

विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों/रियायतों से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित बच्चों की संख्या 7000 है। 25000 बच्चो को निःशुल्क पुस्तकें और लेखन सामग्री प्रदान की गई तथा 31000 बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई।

इस संघ शासित क्षेत्र में एक राज्य शिक्षा संस्थान भी है जो स्कूल स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कार्यरत है।

व्यस्कों में गरीबी, निरक्षरता के विरुद्ध अभियान को तेज करने के लिए क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। छात्रों के बीच खेल कूद तथा अन्य कार्यकलापों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

9. **लक्षद्वीप**

लक्षद्वीप के आबादी योग्य सभी द्वीपों में प्राथमिक स्कूल शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 1983-84 के दौरान इस संघ शासित क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

इस द्वीप में सभी स्तरों पर शिक्षा निःशुल्क है। स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को पाठ्य-पुस्तकें तथा लेखन सामग्री प्रदान की जा रही है। नर्सरी, प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में छात्रों को मध्याह्न भोजन मुफ्त प्रदान किया जाता है। हाई स्कूल और कालेजों में छात्रों को छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती है। सरकारी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के मामले में भोजन का खर्च प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है। उच्च अध्ययन हेतु जिसके लिए इस द्वीपसमूह में कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, देश के मुख्य भूभाग में संस्थाओं में छात्रों के लिए स्थान आरक्षित है और उच्च अध्ययन के लिए चुने गए छात्रों को प्रशासन द्वारा छात्रवृत्तियां एकमुश्त अनुदान तथा अन्य शैक्षिक रियायतें प्रदान की जाती हैं हाई स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। खेलों व अन्य कार्यकलापों जैसे कि स्काउट्स और गाइड्स की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

अध्याय 7

छात्रवृत्तियां

मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्तियों के कई कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इनमें वे कार्यक्रम भी शामिल हैं जिनकी पेशकश अन्य देशों द्वारा की गई है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है शैक्षिक अवसरों को समान बनाना और इसके साथ-साथ भारतीय छात्रों को उच्च तथा विशिष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करना। मंत्रालय द्वारा अन्य देशों के राष्ट्रिकों की छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां द्विपक्षीय आधार पर भी दी जती है और अन्यथा भी। महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है :—

राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां योग्यता एवं आय के आधार पर दी जाती है। यह योजना राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। छात्रवृत्तियों की संख्या 1982-83 में 25,000 थी, 1983-84 में बढ़ाकर 26,000 कर दी गयी है। जुलाई 1981 से छात्रवृत्तियों की राशि भी बढ़ा दी गई है तथा अध्ययन पाठ्यक्रम के आधार पर दिवा छात्रों के लिए 60/—रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 120/— रुपए प्रतिमाह तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 100/— रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 170/— रुपए प्रतिमाह कर दी गई है।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत 1983—84 में 20,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। ये छात्रवृत्तियां योग्यता एवं आय के आधार पर दी जाती है। यह योजना राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

स्वीकृत आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां

इस योजना का उद्देश्य कम आय वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है क्योंकि ऐसे बच्चे अन्यथा अपने खर्चे से अच्छे आवासीय स्कूलों में शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं कर पाते।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 11—12 आयु वर्ग के एसे 500 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके अभिभावकों/संरक्षकों की आय 500/—रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं है। इनमें 15 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए और 5 प्रतिशत छात्रवृत्तियां वस्त्र भत्ते अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित होती है।

छात्रों का चयन दो परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है। प्रारम्भिक परीक्षा राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा आयोजित की जाती है और अन्तिम परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा किया जाता है। 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर दी जाती हैं और शेष 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां राज्य/संघशासित क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर आबंटित की जाती हैं बशर्ते कि न्यूनतम निर्धारित शर्तें पूरी हों।

ये छात्रवृत्तियां स्वीकृत आवासीय स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा, जिसमें शिक्षा का +2 स्तर भी शामिल है, तक उपलब्ध रहती है। छात्र विद्यालय शुल्क, आवास, व्यय, पुस्तकों और लेखन सामग्री के समग्र खर्च के अतिरिक्त जेब खर्च और वस्त्र भत्ते के हकदार होते हैं।

हिन्दी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

1955—56 में प्रारम्भ की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना तथा उन राज्यों की सरकारों के शिक्षण तथा ऐसे पदों के लिए जिनमें हिन्दी का ज्ञान जरूरी है, उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध करना है। इस योजना के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं बशर्ते कि वे पाठ्यक्रम में हिन्दी को एक विषय के रूप में लेकर पढ़ें। 1983-84 के दौरान विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 2500 नई छात्रवृत्तियां आबंटित की गई। छात्रवृत्तियों की राशि 50 रु० प्रतिमाह से लेकर 125 रु० प्रतिमाह है। इनकी दर अध्ययन पाठ्यक्रम और राज्य/संघशासित क्षेत्र, जहां पर हिन्दी

को प्रोत्साहन दिया जा रहा है के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह योजना राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों द्वारा चलाई जाती है। तमिलनाडु के मामले में मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्तियों का भुगतान उस राज्य की संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 180 छात्रवृत्तियां चुनिन्दा अफ्रीकी, एशियाई तथा दूसरे देशों के राष्ट्रिकों को भारत में उच्च अध्ययन के लिए दी जाती है। यह योजना अन्य देशों के राष्ट्रिकों का भारत में उपलब्ध उच्च शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करा कर भारत और अन्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए बनायी गई है। इसके अन्तर्गत अधिकांश छात्रवृत्तियां उन्हीं देशों के राष्ट्रिकों को दी जाती है, फिर भी, कुछ छात्रवृत्तियां इन देशों में स्थायी रूप से रह रहे भारतीय मूल के ऐसे छात्रों को दी जाती है जो इन देशों की राष्ट्रीयता प्राप्त कर चुके होते हैं।

अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों की राशि 500 रुपए प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 600 रुपए प्रतिमाह है। इसके अतिरिक्त, छात्रों को योजना की शर्तों के अन्तर्गत अनुमत्य 500 रुपए ग्रीष्म अवकाश भत्ते के रूप में दिये जाते हैं। पुस्तकों और उपस्करों के खर्चे के लिए पी०एच०डी०, चिकित्सा तथा इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र 400 रुपए की एक मुश्त राशि और दूसरे पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र 300 रुपए प्रति वर्ष दिये जाते हैं। छात्रों द्वारा अपने चिकित्सा उपचार तथा अध्ययन दौरों पर किये गये खर्चों की प्रतिपूर्ति भी योजना के नियमों के अनुसार की जाती है। विद्यालय-शुल्क और अन्य अनिवार्य खर्चों का वहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है परन्तु छात्रावास और खाने के खर्च का वहन छात्रों को स्वयं करना पड़ता है।

बंगलादेश के राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियां शिक्षा छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत बंगला देश के राष्ट्रिकों को प्रतिवर्ष 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। छात्रवृत्तियों के लिए चयन बंगलादेश सरकार द्वारा ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के परामर्श से किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि व्यवहारिक रूप से "सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति" के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि के बराबर है।

विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत 50 छात्रों को चुना जाना था परन्तु 49 को ही छात्रवृत्तियों के लिए चुना गया। ये छात्रवृत्तियां मुद्रण प्रौद्योगिक में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए, नौ सैनिक वस्तुकला में उत्तरस्नातक तथा मानविकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डाक्टोरल और उत्तर डाक्टोरल अध्ययन के लिए दी जाती है। केवल वही उम्मीदवार जिनको अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय (सामान्य करों रहित) 1,000 रु० प्रति माह अथवा इससे कम है, इन छात्रवृत्तियों के पात्र हैं।

संस्कृत के अतिरिक्त अरबी और फारसी जैसी क्षेण्य भाषाओं के अध्ययन में कार्यरत परम्परागत संस्थाओं के अध्ययन करके निकले व्यक्तियों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 1982-83 में इन छात्रवृत्तियों के लिए 20 उम्मीदवारों को चुना गया।

ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

इन छात्रवृत्तियों की संख्या जो 1982-83 में 28,000 थी, 1983-84 में बढ़ाकर 33,000 कर दी गई है। इन छात्रवृत्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित है :—

(क)	सामान्य श्रेणी	हर सामुदायिक खण्ड के लिए 3 छात्रवृत्तियां	15,000
(ख)	भूमिहीन श्रमिकों के बच्चों के लिए	हर सामुदायिक खण्ड के लिए 2 छात्रवृत्तियां	10,000
(ग)	अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए	हर सामुदायिक विकास खण्ड के लिए एक छात्रवृत्ति और 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाद हर सामुदायिक विकास खण्ड के लिए एक अतिरिक्त छात्रवृत्ति	6,500

(घ) अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए — हर अनुसूचित जनजाति सामुदायिक विकास खण्ड के लिए 3 छात्रवृत्तियां — 1,500-

यह योजना राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के जरिए चलायी जा रही हैं ।

दूसरे देशों की सरकारों/संगठनों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत मंत्रालय ने निम्नलिखित देशों द्वारा किये गये नामांकन स्वीकार कर लिये है :—

यूनान 3, स्वीडन 3, स्विटजरलैंड 5, इण्डोनेशिया 2, जापान 9, अमरीका 6, नीदरलैण्ड 14, तुर्की 1, आयर लैण्ड 2, इटली 21, जर्मन जनवादी गणराज्य 5, रूस 20, आस्ट्रिया 4, जर्मनी 10, आस्ट्रेलिया 5, न्यूजीलैण्ड 5, त्रिनिदाद और टोबाको 1, ब्रिटिश तकनीकी सहकारिता कार्यक्रम यू० के० 10, ब्रिटिश उद्योग संघटन यू० के० 2, ब्रिटिश काऊंसिल छात्रवृत्तियां, यू० के० 10, नार्वे 11, डेनमार्क 8 ।

निम्नलिखित देशों से नामांकनों की स्वीकृति की प्रतीक्षा है :—

यूनान 1, हंगरी 6, नीदरलैण्ड 22, मत सुमाई फाउंडेशन फैलोशिप, जापान 2, होसी अन्तर-राष्ट्रीय निधि विदेशी छात्रवृत्तियां, जापान 8, चेकोस्लोवाकिया 2, मिस्र, अरब गणराज्य 6 ।

यू० के०/कनाडा सरकार द्वारा प्रदान की गई राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

किये गए 93 नामांकनों में से दिसम्बर तक 54 उम्मीदवारों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा इसमें से 27 उम्मीदवार यू० के०/कनाडा के लिए पहल ही रवाना हो चुके है ।

पोलैण्ड सरकार की छात्रवृत्तियां

पोलैण्ड द्वारा 15 छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

आंशिक वित्तीय सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत विदेशों में अध्ययन के इच्छुक उन भारतीय छात्रों/शिक्षाविदों को ऋण के रूप में 6,000/– रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिन्होंने, अन्य स्रोतों से छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता पहले प्राप्त कर ली है परन्तु उनके पास धन की कमी है । आलोच्य अवधि के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत 6 उम्मीदवारों को सहायता दी गई ।

भारत में शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां

भारत में आलोच्य वर्ष के दौरान, द्विपक्षीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के लिए निम्नलिखित "देशों को 300 छात्रवृत्तियां प्रदान कीं" ।

सेनेगल, फ्रांस, संघीय जर्मन गणराज्य, रूस, फिलीपाइन्स, बेल्जियम, नार्वे, ईराक, मिस्र अरब गणराज्य, पोलैंड, तुर्की, चेकोस्लावाकिया, मैक्सिको, अफगानिस्तान, यूनान, सोमालिया, इटली, योगोस्लाविया, सीरिया, यमन गणराज्य, हंगरी, वियतनाम, रोमानिया, बलगारिया, तूनीशिया, क्यूबा, पुर्तगाल, मलेशिया, कतार, श्रीलंका, बहरीन, बर्मा, ईरान, कीनिया, कोरियाई प्रजातांत्रिक लोक गणराज्य, मारिशस, जापान, अल्जीरिया, आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमारात, साईप्रस, सूडान ।

राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां योजना/राष्ट्रमण्डल शिक्षा योजना

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित देशों से आये विभिन्न छात्रों को 50 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है :—आस्ट्रेलिया, बारबादोस, कनाडा, साईप्रस, बोतस्वाना, फिजी, घाना, कीनिया, लेसोको, मलेशिया, मारीशस, नाईजीरिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, सीरीलियोने, सेल्वज, स्वाजीलैंड, सैंट लूसिया, ग्रीनाडा, डोमीनिका, तनजानिया, टोंगा, न्योरा, मालवी, पपूआ, न्यूमिनी और अन्य दक्षिण प्रशान्त द्वीप समूह जिनमें पश्चिमी समोआ, त्रिनीडाड और टोबागो, यू० के० उगान्डा और जाम्मिबया शामिल नहीं है ।

डा० अभिलकार कैब्रल छात्रवृत्तियां

डा० अमिलकार कैब्रल छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत एक छात्रवृत्ति अफ्रीकी छात्र के लिये प्रदान की गई है ।

डा० अनयूरिन बेवन मेमोरियल शिक्षावृत्ति

डा० अनयूरिन बेवन मेमोरियल शिक्षावृत्ति योजना के अन्तर्गत यू० के० के लिये एक छात्रवृत्ति की पेशकश की गई ।

कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग स्कीम

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित देशों से आये छात्रों के लिये सहायता की पेशकश की गई है :—

अफगानिस्तान, बर्मा, बंगलादेश, भूटान, फिजी, ईरान, इण्डोनेशिया, लाओस, मलेशिया—मालद्वीप, नेपाल, फिलीपाइन्स, पपुआ, न्यू गिनी, कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर तथा थाइलैंड।

विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीकी सहायता योजना

विशेष राष्ट्रमण्डल अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित देशों के छात्रों को सहायता की पेशकश की गई, बोनस्वाना, जाम्बिया, घाना, लेसोथे, मालवी, मारीशस, नाइजीरिया, सीयरे, लाचान, तनजानिया, यूगांडा, स्वाजीलैंड, सेद्वज, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे।

पारस्परिक छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 16 देशों को 1983-84 के लिये 25 छात्रवृत्तियों की पेशकश की गई है—आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टीना, ब्राजील, चाईल, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नार्वे, पानामा, फोगुवे, पीरू, पेन स्वीडन, स्विटजरलैंड, उरूगुवे, वेनीज्यूला।

शिल्प अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रमण्डल शिक्षा सहकारिता योजना

इस योजना के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के शिल्प, अनुदेशकों को प्रशिक्षण के लिये एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका स्थित राष्ट्र-मण्डलीय देशों के राष्ट्रिकों को विशेष छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। ये विशेष छात्र-वृत्तियां किसी विशेष देश के लिये नहीं है।

राष्ट्रमण्डल शिक्षा सहकारिता योजना 1983-84, वरिष्ठ शिक्षा-विदों का अल्प-कालीन दौरा

इस योजना के अन्तर्गत तीन वरिष्ठ शिक्षा विदों का भारत आने का प्रस्ताव था। इनमें से एक शिक्षाविद ने भारत का दौरा कर लिया है और दूसरे की 1 फरवरी, 1984 को आने की संभावना है।

12—812 Edu/83

अध्याय 8

पुस्तक संवर्धन और कापीराइट

पुस्तकें, शिक्षा का एक अनिवार्य साधन हैं। पुस्तक संवर्धन के लिये मंत्रालय द्वारा उठाये गये कदम, सस्ते मूल्यों पर अच्छे साहित्य के निर्माण, स्वदेशी लेखन को प्रोत्साहन तथा लोगों में पढ़ने की आदत को लोकप्रिय बनाने से संबंधित हैं। इस सम्बन्ध में संचालित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना, सस्ते मूल्यों पर अच्छी पठन सामग्री प्रकाशित करने और ऐसी सामग्री के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने तथा लोगों में पुस्तकों के प्रति अभिरुचि जागृत करने के उद्देश्य से, सन् 1957 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से न्यास, भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में अच्छी कोटि की पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है और इसके साथ-साथ पुस्तक मेलों (देश तथा विदेशों में) प्रदर्शनियों, सेमिनारों तथा संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन कर रहा है और उन में भाग लेता रहता है। इसके अतिरिक्त न्यास द्वारा छात्रों को भारतीय लेखकों द्वारा अंग्रेजी तथा हिन्दी में लिखित पुस्तकें सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिऐ, उच्च शिक्षा की पुस्तकों के सहायता-प्राप्त प्रकाशन की एक योजना भी चलाई जा रही है।

प्रकाशन कार्यक्रम

ऐसी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक मालायें जिनके अन्तर्गत न्यास द्वारा पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, वे हैं :—भारत-भूमि, तथा लोग, राष्ट्रीय जीवनियां, यंग इण्डिया लायब्रेरी, भारत की लोक कथाएं, लोकप्रिय विज्ञान तथा आज का विश्व। अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1983 तक न्यास ने इन पुस्तक मालाओं के अन्तर्गत 1141 पुस्तकें (शीर्षक) (368 अंग्रेजी में तथा 773 भारतीय भाषाओं में) प्रकाशित की हैं। 1983-84 के दौरान, न्यास का प्रस्ताव लगभग 40 पुस्तकें प्रकाशित करने का है, जिनमें से नवम्बर, 1983 के अन्त तक 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

उपरोक्त पुस्तक मालाओं के अतिरिक्त न्यास के पास, राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति के लिये, **आदान-प्रदान और नेहरू बाल पुस्तकालय**, नामक दो प्रमुख प्रकाशन कार्यक्रम भी हैं। आदान प्रदान माला के अन्तर्गत, न्यास ने अब तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में 577 पुस्तकें प्रकाशित की हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान 8 और पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। नेहरू बाल पुस्तकालय माला के अन्तर्गत 31 मार्च, 1983 तक 846 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, अप्रैल-नवम्बर, 1983 के दौरान 52 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

ग्राम्य प्रकाशन :

न्यास द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के सहयोग से मध्य प्रदेश की पत्तन तहसील में, नव-साक्षरों को पठन जरूरतों से संबंधित एक मौके पर सर्वेक्षण किया गया, जो कि अब न्यास का एक निरन्तर कार्यक्रम बन गया है, इनमें बुन्देलखण्ड के बहुत से लेखकों ने भाग लिया।

विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का सहायता-प्राप्त प्रकाशन

उचित मूल्यों पर विश्वविद्यालय स्तर की मानक पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना न्यास द्वारा 1970 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के शुरू होने से (मार्च, 1983 तक) न्यास द्वारा जिन पुस्तकों के लिये सहायता दी गई है उनकी कुल संख्या 509 है तथा अप्रैल-नवम्बर, 1983 के दौरान, 81 और पुस्तकों के लिये सहायता प्रदान की गई है। इस योजना का कार्य-क्षेत्र बढ़ा दिया गया है ताकि इसमें हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तथा अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में पोलिटेक्निक स्तर की तकनीकी पुस्तकें भी शामिल की जा सकें।

पुस्तक मेले :

न्यास द्वारा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर पुस्तक मेलों तथा पुस्तक समारोहों का आयोजन भी किया जाता है। न्यास ने अब तक भारत के महत्वपूर्ण महानगरों में 11 राष्ट्रीय पुस्तक मेले तथा 98 क्षेत्रीय पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की हैं।

न्यास द्वारा 11 से 14 नवम्बर, 1983 तक कलकत्ता में एक राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर, बाल पुस्तक लेखकों का तीन दिन का एक शिविर, जिसमें तीन भाषाएं, अर्थात् असमी, बंगला तथा उड़िया शामिल थीं, आयोजित किया गया और इसके अतिरिक्त एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें विदेशी बाल फिल्मों का प्रदर्शन भी शामिल था, आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की रजत जयन्ती

न्यास की रजत जयन्ती के समापन समारोह के उपलक्ष्य में, 30 जुलाई, 1983 की शाम को नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, के सभा भवन तीन मूर्ति, नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। ए० आई० एफ० ए० सी० एस० हाल, नई दिल्ली में 2 से 4 अगस्त, 1983 तक "राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के 25 वर्ष" नामक एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें न्यास की स्थापना से लेकर आज तक प्रकाशित पुस्तकें प्रदर्शित की गई।

विश्वविद्यालय स्तर की सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन और विदेशी पुस्तकों का प्रकाशन

भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को विदेशी मूल की मानक पुस्तकें, सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये, मंत्रालय द्वारा यू० के० अमरीका, और सोवियत रूस की सरकारों के सहयोग से तीन द्विपक्षीय कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल करने के लिये पुस्तकों के नवीनतम संस्करणों पर विचार किया जाता है और उनका मूल्यांकन, यह देखने के लिये उपयुक्त विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा किया जाता है कि पुस्तकें भारतीय छात्रों के लिये उपयुक्त हैं अथवा नहीं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक लगभग 716 ब्रिटिश, 1620 अमरीकी तथा 435 रूसी पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् :

देश की समग्र जरूरतों के सन्दर्भ में पुस्तक उद्योग के विकास के लिये मार्गदर्शी-रूपरेखाएं निर्धारित करने हेतु सरकार ने 1967 में एक राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की स्थापना की थी। 1970 में इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया तथा इसने फरवरी, 1974 तक कार्य किया।

पुस्तक क्षेत्र में गम्भीर चुनौतियों का सामना करने के लिये सरकार ने इस बोर्ड में अब संशोधन किया है। राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् नामक इस नये निकाय का पुनर्गठन किया गया है तथा अन्यों के साथ साथ इसके निम्नलिखित कार्य हैं:—

(i) देश की समग्र जरूरतों के सन्दर्भ में पुस्तक उद्योग के विकास के लिये मार्गदर्शी रूप रेखायें निर्धारित करना;

(ii) लोगों के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना;

(iii) साहित्य, विशेषकर बच्चों तथा ग्रामीण निरक्षरों के लिये उपयुक्त साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहित करना;

(iv) लेखन, विशेषकर, भारतीय भाषाओं में लेखन को बढ़ावा देना और लेखकों के हितों की सुरक्षा के लिये उपाय सुझाना;

(v) राष्ट्रीय पुस्तक नीति का प्रारूप तैयार करना; तथा

(vi) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अनुसन्धान, सर्वेक्षण, अध्ययन तथा विशेष परियोजनायें आरम्भ करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना।

इस परिषद् की पहली बैठक 9 जनवरी, 1984 को नई दिल्ली में हुई थी।

वर्ष 1982–83 के लिये भारत सोवियत रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय लेखकों के एक दो सदस्यीय शिष्टमण्डल ने 3 से 18 मई 1983 तक सोवियत रूस का दौरा किया तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय लेखकों के एक दो सदस्यीय शिष्टमण्डल ने 27 सितम्बर, से 10 अक्तूबर, 1983 तक फ्रांस का दौरा किया।

पुस्तकों का आयात तथा निर्यात

1983–84 के दौरान, उदार आयात नीति को जारी रखा गया और खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा भाषाओं के सीखने के लिये रिकार्डों के आयात की अनुमति दी गई। इस सुविधा के साथ यह शर्त थी कि यदि किसी एक पुस्तक की 1000 से अधिक प्रतियों को आयात करने का प्रस्ताव है तो इस मंत्रालय की अनुमति आवश्यक होगी। मान्यता-प्राप्त संस्थायें, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत, अध्यापन उपस्कर, माइक्रो फिल्में तथा शैक्षिक माइक्रो फिल्में आयात कर सकती हैं। ऐसी पुस्तकों के सम्बन्ध में, जिनके भारतीय पुनर्मुद्रण उपलब्ध हैं, विदेशी संस्करणों के आयात की अनुमति नहीं दी गई। आयात लाइसेंस प्रस्तुत किये बिना आयातकर्त्ताओं को पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं वाले डाक पार्सल छुड़ाने के सम्बन्ध में रियायत देना 1983-84 के दौरान भी जारी रहा।

वे पुस्तक विक्रेता जिनकी कुल खरीद 3 लाख रुपये या इससे अधिक की रही हो, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली पुस्तकों को छोड़ कर अन्य पुस्तकों के आयात के लिये, अपनी कुल खरीद के 10 प्रतिशत के आधार पर आयात लाइसेंस के लिये आवेदन करने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, मान्यता-प्राप्त स्कूलों, कालेजों तथा पुस्तकालयों को यह अनुमति दी गई कि वे प्रति संस्था 25,000 रुपये के हिसाब से ऐसी वस्तुओं के आयात के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं जिनके लिये लाइसेंस की जरूरत है।

पुस्तक निर्यात संवर्धन कार्यकलाप

भारत विश्व के पुस्तक प्रकाशन वाले दस मुख्य देशों में से एक है तथा अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन में इसका तीसरा स्थान है। विदेशों में भारतीय पुस्तकों को प्रोत्साहित करने तथा अनुवाद/पुनर्मुद्रण अधिकारों की बिक्री और विदेशों से छपाई का काम प्राप्त करने के उद्देश्य से, अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेकर और भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करने, विदेशों में बाजार के अध्ययन तथा सटिप्पण सूचीपत्रों और पुस्तिकाओं इत्यादि के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचार करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

1983–84 में भारत ने, पाकिस्तान, तुर्की, इन्डोनेशिया, जोर्डन, सिंगापुर, सोवियत रूस, मलेशिया, फ्रेंकफुर्त, बेल्ग्रेड, मैक्सिको, बहरीन तथा मिश्र में हुई अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया। विदेशों में भारतीय दूतावासों की सहायता से नाइजीरिया, चीन लोक गणतन्त्र, मारीशस तथा इण्डोनेशिया में भी भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गई। ईरान, इथोपिया, बंगलादेश तथा बर्मा में भी पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करने का प्रस्ताव है।

विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के परिणामस्वरूप, वर्ष 1983-84 में हमारा पुस्तक निर्यात, जिसमें-पत्र पत्रिकायें भी शामिल हैं, लगभग 20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान केन्द्र

यह केन्द्र विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का देश में ही प्रकाशन करने तथा भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिये एक सूचना एवं अनुसन्धान केन्द्र के रूप में कार्य करता है। इस प्रयोजन के लिये केन्द्र के पास देश में 1965 से लेकर अब

तक विभिन्न विषयों पर सभी भाषाओं में प्रकाशित विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। यह केन्द्र, स्वदेशी पुस्तकों का, विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिये उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में जांच करने के लिये, मौके पर मूल्यांकन करता है, और इन पुस्तकों को भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करता है। वर्ष 1983–84 के दौरान, केन्द्र ने क्रमशः चण्डीगढ़, शिमला, बंगलौर, हैदराबाद तथा कोचीन में पांच प्रदर्शनियों का आयोजन किया। केन्द्र ने, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के राष्ट्रीय सूची-पत्र के तीन त्रैमासिक परिशिष्ट प्रकाशित किये। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक अंकन पद्धति को चलाने के लिये इस केन्द्र को एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस पद्धति को आरम्भ करने के लिये प्रकाशकों से आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं।

केन्द्र ने, वर्ष 1981–82 के दौरान 82 प्रमुख पुस्तक आयात कर्ताओं द्वारा आयात की गई पुस्तकों के संक्षिप्त विवरणों पर आधारित नमूना सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट भी तैयार की है। वर्ष 1983-84 के दौरान ऐसी दो और रिपोर्टें तैयार करने का प्रस्ताव है।

कापीराइट

कापीराइट कार्यालय की स्थापना, कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14वां) की धारा 9 के अनुसरण में जनवरी, 1958 में की गई थी। वर्ष 1983 के दौरान (30 नवम्बर, 1983 तक) कापीराइट कार्यालय ने 5,307 कृतियां पंजीकृत कीं।

भारत, बर्न अभिसमय (1948) तथा यूनिवर्सल कापीराइट अभिसमय (1952) नामक दो अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट अभिसमयों का सदस्य है। इन अभिसमयों का जुलाई, 1971 में पेरिस में संशोधन किया गया था जिसके अनुसार विकासशील देशों को विशेष रियायतें दी गई थीं ताकि वे विदेशी मूल की कृतियों के पुनः प्रकाशन/अनुवाद के लिये अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकें।

26 अगस्त, 1983 को समाप्त हुए वर्षा ऋतु सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा कापीराइट (संशोधन) विधेयक, 1983 पारित कर दिया गया। संशोधन विधेयक के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) अपने कापीराइट अधिनियम को, अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट अभिसमयों, जिसका कि भारत एक सदस्य है, के 1971 के पेरिस पाठ के अनुरूप बनाने के लिये, इसमें धाराओं को समाविष्ट करना ताकि हम इस पाठ के अन्तर्गत विकासशील देशों को दिये गये पुनः प्रकाशन/अनुवाद अधिकारों की सुविधाओं का लाभ उठा सकें;

(ii) लेखकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त उपायों की व्यवस्था करना; तथा

(iii) कापीराइट अधिनियम, 1957 को लागू करने में पेश आई कुछ कमियों और व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना।

वर्ष 1983 के दौरान भारत ने निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट बैठकों में भाग लिया :

(i) विश्वबौद्धिक सम्पदा संगठन (वाइपो) की स्थायी समिति का 5वां अधिवेशन तथा लोक साहित्य के संरक्षण के सम्बन्ध में यूनेस्को/वाइपो सेमिनार जनवरी, फरवरी, 1983।

(ii) प्रसारणों तथा मुद्रित सामग्री की साहित्यिक चोरी के सम्बन्ध में वाइपो के विश्वव्यापी मंच की बैठक 16–18 मार्च, 1983।

(iii) बजट समिति की दूसरी बैठक, 20–22 अप्रैल, 1983।

(iv) संयुक्त आविष्कारशील/कार्यकलाप विशेषज्ञ समिति, 2–6 मई, 1983।

(v) कापीराइट द्वारा संरक्षित कृतियों तक विकासशील देशों की पहुंच 4–8 जुलाई, 1983

(vi) वाइपो द्वारा संचालित वाइपो/यूनियनों के शासी निकायों की जेनेवा में हुई बैठकें, सितम्बर-अक्तूबर, 1982।

(vii) विकासशील देशों में लेखक अधिकारों का संचालन करने वाली संस्थाओं के लिये आदर्श संविधियों का प्रारूप तैयार करने हेतु अक्तूबर, 1983 के दौरान जेनेवा में हुई सरकारी विशेषज्ञों की बैठक।

(viii) नवम्बर-दिसम्बर, 1983 के दौरान पेरिस में हुई अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट अभिसमय की अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी समिति की चौथी असाधारण बैठक

(ix) आई० एल० ओ०, यूनेस्को/वाइपो की उप-समितियां, टेलीविजन की केबिल द्वारा कार्यक्रम के प्रसारण से पैदा होने वाली समस्याओं से संबंधित 5–7 दिसम्बर, 1983 को जेनेवा में हुई बैठकें।

(x) प्रदर्शन फोनोग्रामों के निर्माताओं के संरक्षण के लिये 8 से 12 दिसम्बर, 1983 तक जेनेवा में हुई अन्तर सरकारी समिति की 9वीं आम बैठक।

(xi) जेनेवा में 12 से 16 दिसम्बर, 1983 तक हुआ अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट सम्मेलन।

विदेशी प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

वाइपो के वार्षिक कापीराइट प्रशिक्षण कार्यक्रम, 1983 के अन्तर्गत, कापीराइट तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिये इन्डोनेशिया से तथा फिलीपाइन्स से एक एक, दो प्रशिक्षार्थी 1 से 10 नवम्बर, 1983 तक भारत आये।

भारतीय प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

वर्ष 1983 के लिये वाइपो/यूनेस्को शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दो अधिकारियों को निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये प्रतिनियुक्त किया गया :

(i) 5 से 20 मई, 1983 तक प्रतिवेशी अधिकार (नेबरिंग राइट) तथा कापीराइट के प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ प्रशिक्षण।

(ii) 10 अक्तूबर से 10 नवम्बर, 1983 तक पश्चिम जर्मनी, यू० के० तथा स्विट्जरलैंड में 1983 के लिये वाइपो शिक्षावृत्तियों के अन्तर्गत सामान्य आरम्भिक कापीराइट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

अध्याय 9

भाषाओं का विकास

भाषाओं के क्षेत्र में किये गये कार्यकलापों और कार्यक्रमों को मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप से वर्गबद्ध किया जा सकता है :—

(क) हिन्दी की प्रोन्नति (संविधान के अनुच्छेद 351 में की गई परिकल्पना के अनुरूप)।

(ख) आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में की गई व्यवस्था के अनुसार)

(ग) अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की प्रोन्नति (शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में की गई व्यवस्था के अनुसार)।

(घ) संस्कृत और अरबी तथा फारसी जैसी अन्य श्रेण्य भाषाओं की प्रोन्नति।

मंत्रालय द्वारा सीधे ही कार्यान्वित योजनाओं के अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा स्थापित निम्नलिखित संस्थाओं/संगठनों द्वारा भाषाओं के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रखा गया:—

1. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली;
2. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली;
3. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा;
4. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर;
5. केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद; और
6. उर्दू विकास ब्यूरो, नई दिल्ली।

(क) हिन्दी की प्रोन्नति

मंत्रालय ने अपनी निम्नलिखित योजनाओं द्वारा अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के शिक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराना जारी रखा (1) अहिन्दी भाषी राज्यों को उनके स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिये वित्तीय सहायता (2) हिन्दी शिक्षण कक्षाओं के संचालन और पुस्तकालयों तथा वाचनालयों के अनुरक्षण के लिये स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता (3) हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिये सहायता (4) मैट्रिक के बाद हिन्दी के अध्ययन के लिये अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां (5) हिन्दी के शिक्षण के लिये पत्राचार पाठ्यक्रमों के आयोजन से संबंधित कार्यक्रमों को जारी रखना और उनका विस्तार करना (6) विभिन्न संगठनों को हिन्दी पुस्तकें प्रदान करना, और (7) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा के माध्यम से हिन्दी शिक्षण प्रणाली विज्ञान में अनुसन्धान का आयोजन।

अहिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्तियां

हिन्दी के प्रचार के लिये केन्द्रीय योजनागत स्कीम के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिये 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1983-84 के लिये 27.00 लाख रुपये की कुल बजट व्यवस्था में से आज तक 12.00 लाख रुपये की राशि मुक्त की जा चुकी है।

अहिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना

इस योजना के अंतर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को 100 प्रतिशत के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1983-84 के लिये 10.00 लाख रुपये की बजट व्यवस्था में से अब तक 6.00 लाख रुपए की राशि पहले ही मुक्त की जा चुकी है। अहिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में अब तक 19 प्रशिक्षण कालेज स्थापित किये जा चुके हैं।

स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता

पिछले कुछ वर्षों से इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मांगने वाले संगठनों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इनमें से कुछ संगठन सरकारी सहायता से इतने विशाल बन गये हैं कि वे एक साथ ही अनेक राज्यों में कार्य कर रहे हैं। गत वर्षों में सामान्यतः हिन्दी कक्षायें चलाने, हिन्दी टंकण और आशुलिपि कक्षाओं के संचालन, पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना आदि के लिये अनुदान मांगे जाते थे जबकि अब काफी संगठनों से शिक्षकों के प्रशिक्षण, हिन्दी पत्रिकाओं के प्रकाशन, हिन्दी परीक्षाओं के संचालन, पुरस्कार प्रदान करने तथा हिन्दी में उच्च कार्य के लिये अनुदान हेतु भी अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार, हम देखते हैं कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी प्रगति पथ पर अग्रसर है।

1983-84 वर्ष के दौरान लगभग 130 स्वैच्छिक संगठनों को 47.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय हिन्दी के प्रचार और प्रसार से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में कार्यरत है। ऐसी कुछ योजनायें हैं :—अहिन्दी भाषी भारतीयों और विदेशियों के लिये पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दी का शिक्षण, भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के द्विभाषी और त्रिभाषी शब्दकोशों और वार्तालाप संदर्शिकाओं आदि का निर्माण। निदेशालय ने अपने विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनायें भी शुरू की हैं।

1983-84 के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वियन में हुई प्रगति इस प्रकार हैं :—

पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दी शिक्षण

पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दी शिक्षण का कार्य वर्ष 1968 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के उन भारतीयों और विदेशियों को हिन्दी सिखाना था जो नियमित कक्षाओं में जाकर हिन्दी नहीं पढ़ सकते। शुरू में इन पाठ्यक्रमों का माध्यम अंग्रेजी था लेकिन बाद में तमिल, मलयालम और बंगला के माध्यम से भी हिन्दी पढ़ाई जाने लगी है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 14333 छात्रों को दाखिल किया गया। इनमें से 3458 को अंग्रेजी, 5701 तमिल, 568 को मलयालम और 494 को बंगला माध्यम के अन्तर्गत दाखिल किया गया। इस योजना के अन्तर्गत दो दो वर्ष की अवधि के दो प्रारम्भिक पाठ्यक्रम हैं अर्थात् "हिन्दी प्रवेश" और "हिन्दी परिचय"। सरकारी कर्मचारियों के लिये एक विशेष पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है और गृह मंत्रालय द्वारा संचालित तीन हिन्दी परीक्षाओं अर्थात् "प्रबोध", "प्रवीण", और "प्राज्ञ" के हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था की गई है। ये सभी पाठ्यक्रम एक वर्ष की अवधि के हैं। इस वर्ष इन पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत दाखिल छात्रों की संख्या 4112 है।

निदेशालय हिन्दी के उच्चारण, वर्तनी आदि के बारे में छात्रों को अवगत कराने के लिये देश के विभिन्न भागों में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। ये पाठ्यक्रम पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दी के शिक्षण की प्रमुख योजना को और अधिक कारगर बनाने के लिये आश्वयक है। आलोच्य वर्ष के दौरान 19 कार्यक्रम आयोजित किये गये-दुर्गापुर (3), भिलाई, मदुरै, तिरूचिरापल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, सेलम, त्रिवेन्द्रम, मद्रास (2) बंगलौर आसनसोल, बम्बई पांडिचेरी तिरूनेलवेली, गोहाटी और कन्नानूर। इसके अतिरिक्त चार और व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम तिरूनेलवेली में आयोजित होने जा रहे हैं।

निदेशालय ने बोलचाल की हिन्दी के उच्चारण और लहजे को सही प्रकार से समझाने में सहायक हिन्दी रिकार्डों के तीन सैट भी तैयार किये हैं। निदेशालय ने द्वि-भाषी वार्तालाप संदर्शिकाएं, द्विभाषी स्व-अध्ययन पुस्तकें और विदेशियों के लिये प्राईमर भी प्रकाशित किये हैं। परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार भी

दिये जा रहे हैं। इन पत्राचार पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वालों छात्रों को सहायक साहित्य भी उपलब्ध कराया जा रहा है। 1983 के दौरान, नवम्बर, 1983 में आयोजित हिन्दी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षाओं में बैठने के लिये 2117 छात्रों के लिये व्यवस्थायें की गई थीं। इन परीक्षाओं के परिणाम अभी निकलने हैं। इसके अतिरिक्त 1983 की हिन्दी प्रवेश और परिचय परीक्षाओं में 824 छात्र बैठे जिनमें से 690 छात्र उत्तीर्ण घोषित किये गये।

ये कार्यक्रम अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी छात्रों, हिन्दी लेखकों, हिन्दी विद्वानों और अनुसन्धान छात्रों तक पहुंचने के लिये आयोजित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं के नव-हिन्दी लेखकों के लिये कार्यशालाओं, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी छात्रों के लिये अध्ययन दोरों तथा हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी प्रोफेसरों के लिये व्याख्यान दौरों का आयोजन किया जाता है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों को पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं।

आलोच्य वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में नव-हिन्दी लेखकों की कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इन कार्यशालाओं में 136 प्रशिक्षार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी छात्रों के दो अध्ययन दौरे आयोजित किये गये जिनमें कुल मिलाकर 73 छात्रों ने भाग लिया प्रत्येक छात्र को 400 रुपये का मात्र अनुदान दिया जाता है।

आलोच्य वर्ष के दौरान हिन्दी भाषी विश्वविद्यालयों में विख्यात विद्वानों द्वारा अहिन्दी भाषी विश्वविद्यालयों में और अहिन्दी भाषी विश्वविद्यालयों के विद्वानों द्वारा हिन्दी भाषी विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दौरों का आयोजन किया गया। इस प्रकार के दौरों से उन्हें एक दूसरे की समस्याओं और विकास की प्रगति को समझने में सहायता मिलती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत सात विद्वानों ने भाग लिया।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों को पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के ऐसे हिन्दी लेखकों को, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक को 2500 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। आलोच्य अवधि के दौरान 16 लेखकों को 1981–82 में पुरस्कार प्रदान किये गये।

हिन्दी, संस्कृति और लेखक की अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत लेखक की मातृभाषा और हिन्दी तथा संस्कृत के अलावा किसी भी अन्य भारतीय भाषा में मूल पुस्तक लिखने के लिये 2000 रुपये और अनुदित कृति के लिये 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। आलोच्य अवधि के दौरान 1980–81 और 1981–82 वर्षों के लिये 6 लेखकों को (मूल लेखन के लिये 4 पुरस्कार और अनुवादित कृतियों के लिये 2 पुरस्कार) पुरस्कृत किया गया।

अनुसंधान छात्रों को यात्रा अनुदान देने की योजना

आलोच्य अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत अहिन्दी विश्वविद्यालयों के 15 छात्रों में से प्रत्येक को हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में अपने अनुसन्धान कार्य के लिये 350 रुपये का यात्रा अनुदान दिया गया।..

13—812Edu/83

हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता

हिन्दी के प्रचार में अनेक स्वैच्छिक संगठन कार्यरत हैं। ये परीक्षाओं का भी संचालन करते हैं। उनके कार्यकलापों को बढ़ावा देने और इन संगठनों की सहायता करने के उद्देश्य से उनकी परीक्षाओं को मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। इस मंत्रालय ने कार्मिक विभाग और संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से 17 स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों द्वारा संचालित हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की है। अधिकांश परीक्षाओं को इस शर्त पर स्थाई मान्यता प्रदान की गई है कि इन संस्थाओं का नियमित रूप से प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जायेगा। ये निरीक्षण केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा हैदराबाद मद्रास, कलकत्ता और गोहाटी स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किये जाते हैं।

प्रकाशनों

निदेशालय द्वारा "भाषा" नामक एक त्रैमासिक पत्रिका और "यूनेस्को दूत" नामक एक मासिक पत्रिका जो विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित "यूनेस्को कोरियर" का हिन्दी संस्करण है, प्रकाशित की जा रही है। "भारतीय साहित्य माला" नामक योजना के अन्तर्गत एक पुस्तक माला प्रकाशित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत "भारतीय भाषा का इतिहास", और "भारतीय कहानियां" प्रकाशित हो चुकी है और "भारतीय निबन्ध" मुद्रणाधीन है। "भारतीय कविता" की पांडुलिपि तैयार की जा रही है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान "यूनेस्को दूत" तथा "भाषा" के सभी अंक विधिवत् प्रकाशित किये गये हैं।

1983 में "भाषा" नामक पत्रिका एक का विशेष अंक (विश्व हिन्दी सम्मेलन) प्रकाशित किया गया।

प्रकाशकों के सहयोग से लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत, 13 पुस्तकें प्रकाशित की गई और आठ पुस्तकें मुद्रणाधीन हैं।

हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हिन्दी पुस्तकों की चार प्रदर्शनियां आयोजित की गई जिनमें निदेशालय तथा हिन्दी ग्रंथ अकादमियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें प्रदर्शित की गई।

वितरण के लिए हिन्दी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद

भारत के अहिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों, कालेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों में वितरण के लिए इस वर्ष 5,84,800.00 रुपये की हिन्दी पुस्तकें तथा पत्रिकाए खरीदी गई। 2,87,900.00 रुपए की हिन्दी पुस्तकें खरीदी गई तथा विदेश स्थित हमारे मिशनों को भेजी गई। इस योजना का उद्देश्य हिन्दी जानने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करना तथा उन्हें हिन्दी भाषा की नवीनतम अभिवृत्तियों तथा समृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी प्रगति से अवगत कराना है। इसके अलावा, इस वर्ष केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निकाले गए प्रकाशनों का भी वितरण किया गया।

शब्दकोषों का निर्माण

छब्बीस द्विभाषी शब्दकोष निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार के 9 शब्दकोषों की पाण्डुलिपियां को प्रेस भेज दिया गया है और शेष शब्दकोषों का कार्य प्रगति पर है।

त्रिभाषी शब्दकोष

चौबीस त्रिभाषी शब्दकोष निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार के 7 शब्दकोषों की सम्पूर्ण पाण्डुलिपियों को प्रेस भेज दिया गया है।

भारतीय भाषा कोष

इस शब्दकोष की पाण्डुलिपि प्रेस भेज दी गई है।

जर्मन-हिन्दी और हिन्दी–जर्मन शब्दकोशों का प्रकाशन

जर्मन विद्वानों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् अब तक 18350 प्रविष्टियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

चेक–हिन्दी और हिन्दी–चेक शब्दकोषों का प्रकाशन

इस शब्दकोश की प्रेस प्रतिलिपि तीन प्रतियों में तैयार की जा रही है।

द्विभाषी वार्तालाप संदर्शिकाओं के निर्माण तथा प्रकाशन की योजना

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसरण में, हिन्दी-क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा-हिन्दी की 26 द्विभाषी वार्तालाप संदर्शिकाएं तैयार तथा प्रकाशित की जानी हैं। प्रत्येक संदर्शिका में लगभग 800 वाक्य तथा सामान्य शब्दों की उपयोगी शब्दावली होगी। तमिल-हिन्दी संदर्शिका प्रकाशित हो चुकी है और हिन्दी-तमिल, हिन्दी-मलयालम, हिन्दी-बंगला, हिन्दी-तेलुगू, हिन्दी-कन्नड़, हिन्दी-असमी तथा हिन्दी-कश्मीरी संदर्शिकायें प्रेस भेजने के लिए तैयार हैं।

चेक–हिन्दी और हिन्दी–चेक वार्तालाप संदर्शिकाएं

इस संदर्शिका की प्रेस प्रति को तीन प्रतियों में तैयार कर दिया गया है।

हिन्दी-हंगेरियन तथा हंगेरियन–हिन्दी वार्तालाप संदर्शिका

हंगेरियन पक्ष ने इस संदर्शिका की प्रारूप प्रति कुछ संशोधनों के साथ भेजी है। आगे की कार्रवाई के लिए इनका अध्ययन हो रहा है।

हिन्दी–रूसी और रूसी–हिन्दी संदर्शिका

रूसी-हिन्दी वार्तालाप संदर्शिका सोवियत रूस द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है और सोवियत रूस से प्राप्त सुझावों के अनुसार, हिन्दी-रूसी संदर्शिका को, जहां भी आवश्यक है, संशोधित कर दिया गया है।

हिन्दी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ भाषाओं के द्विभाषी शब्दकोश

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय की मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर, हिन्दी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ भाषाओं के द्विभाषी शब्दकोष तैयार करने का निर्णय किया गया है। ये भाषाएं हैं—स्पेनिश, चीनी, अरबी तथा फ्रेंच। प्रत्येक द्विभाषी शब्दकोष में लगभग 2500–3000 प्रविष्टियां होंगी। इन शब्दकोषों में हिन्दी के मूल शब्द तथा कूटनीति के शब्द शामिल होंगे। सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड का गठन कर दिया गया है।

तत्सम शब्दकोष

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय/वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के कार्य के पुनरीक्षण के लिए मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर एक तत्सम शब्दकोष तैयार तथा प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है। इस योजना पर वर्ष 1983 में बाद के महीनों में कार्य आरंभ किया गया था। लगभग 2500 शब्दों की मूल शब्दावली तैयार कर ली गई है। यह शब्दकोश 13 भाषाओं में होगा और संस्कृत कार्य मुख्य प्रविष्टि के रूप में होगा। इस परियोजना की 2 वर्षों में पूरी होने की आशा है।

सिन्धी में मानक साहित्य का निर्माण

सन् 1975 में शुरू की गई इस योजना के उद्देश्यों में सिंधी में मानक साहित्य का निर्माण जिसमें दुर्लभ, श्रेण्य पुस्तकों और माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयों स्तरों की शैक्षिक पाठ्य-पुस्तकों का पुनर्मुद्रण भी शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 18 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं जिनमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान सभी पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। बारह पुस्तकें प्रकाशन के लिए प्रेस में हैं। 6 पुस्तकों की

पाण्डुलिपियां लगभग तैयार हैं। वर्ष 1983 के दौरान बम्बई में, रहस्यवादी श्रेष्ठ कवि "शाह अब्दुल लतीफ" पर अखिल भारतीय स्तर का एक सेमिनार और एक सिंधी कविता पर तथा एक सिंधी नाटक व मंच पर नव-लेखकों की दो कार्यशालाएं आयोजित की गई। फरवरी/मार्च, 1983 में पूना में, सिंधी भाषा की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्धारण पर भी एक सेमिनार आयोजित किया गया था।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के कार्य हैं: भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली विकसित करना; भारतीय भाषाओं में संदर्भ सामग्री तैयार करना; भारतीय भाषाओं में उपलब्ध शब्दावली का सर्वेक्षण, पुनरीक्षण तथा एकत्र करना और अखिल-भारतीय शब्दावली विकसित करना; क्षेत्रीय स्तरों पर भाषा निकायों की स्थापना को प्रोत्साहन देना, और पारिभाषिक शब्दकोषों, शब्दसंग्रहों तथा कोषों को तैयार और प्रकाशित करना।

वर्ष 1983–84 के दौरान वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति निम्न प्रकार है:—

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत, अब तक 30 विषयों में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में 6170 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं जिनमें मानविकी, समाज विज्ञान, मूल विज्ञान तथा प्रयुक्त विज्ञान के लगभग सभी विषय शामिल हैं। इनमें 1560 पुस्तकें हिन्दी ग्रंथ अकादमियों, विश्वविद्यालयों सैलों तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आयोग द्वारा अब तक हिन्दी में कृषि, चिकित्सा शास्त्र और इंजीनियरी से संबंधित 193 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। वर्ष के दौरान, उपरोक्त विषयों की लगभग 34 पुस्तकें प्रकाशित की गई और कुछ मुद्रण प्रक्रिया में हैं। इन पुस्तकों में अनुवाद तथा मूल लेखन–दोनों शामिल हैं।

पारिभाषिक शब्दकोष

विभिन्न विषयों की शब्दावली तैयार किए जाने के पश्चात् यह महसूस किया गया कि संकल्पनाओं को व्यापक बनाने के लिए, उन्हें परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट करना आवश्यक है। तदनुसार, मूल विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी, चिकित्सा-विज्ञान, औषध विज्ञान, कृषि तथा इंजीनियरी की सिविल, यांत्रिकी तथा विद्युत् शाखाओं के विभिन्न विषयों में पारिभाषिक शब्दकोषों के निर्माण का कार्य जारी रहा। अब तक विज्ञानों में 14 पारिभाषिक शब्दकोष, वनस्पति विज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिकी, गणित तथा गृह विज्ञान में दो दो और प्राणि विज्ञान, भूगोल, भूविज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान में एक-एक और शिक्षा, अर्थशास्त्र, अर्थमिति, समाज कार्य, वाणिज्य, मनोविज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, शारीरिक नृविज्ञान तथा इतिहास जैसे विषयों में समाज विज्ञान और मानविकी में 9 पारिभाषिक शब्दकोष प्रकाशित किए जा चुके हैं। कुछ शब्दकोश प्रेस में हैं।

परिभाषाओं पर चर्चा करने और उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए सेमिनार आयोजित किए गए। विज्ञान तथा समाज विज्ञान विषयों में बुनियादी पारिभाषिक शब्दकोशों पर समेकन, समन्वय तथा संकलन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

प्रकाशनाधिकार प्राप्त करना

आयोग को, ग्रंथ अकादमियों, आयोग तथा पुस्तक निर्माण बोर्डों द्वारा अनुवाद की जा रही पुस्तकों के प्रकाशनाधिकार प्राप्त करने का काम सौंपा गया है। अब तक 1540 पुस्तकों के प्रकाशनाधिकार प्राप्त किए गए हैं। प्रकाशनाधिकारों के नवीकरण का कार्य भी समय-समय पर किया जाता है।

शब्दावली

अवशिष्ट शब्दावली के संदर्भ में केवल उन्हीं विषयों के शब्दों के हिन्दी पर्याय तैयार किए गए जिनके पर्याय अभी तक नहीं तैयार हुए थे, जैसे कि पशुचिकित्सा, अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रबन्ध।

विभागीय शब्दावली

विभागीय शब्दावली का कार्य अब प्रगति पर है। वर्ष के दौरान लगभग 6000 शब्दों को तैयार, अनुमोदित/अन्तिम रूप दिया गया है।

शब्दावली का समेकन तथा सरलीकरण

अब तक तैयार तथा प्रकाशित की गई सम्पूर्ण हिन्दी तकनीकी शब्दों का समेकन तथा सरलीकरण का कार्य बैठकों तथा सेमिनारों के माध्यम से किया जा रहा है। अक्षर "ज (एच)" तक की सम्पूर्ण शब्दावली का समेकन तथा सरलीकरण पूरा कर लिया गया है। आशा है कि अक्षर "य (जेड)" तक के अन्तर्गत समन्वय अपेक्षित शब्दों का निर्धारण शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

हिन्दी–अंग्रेजी शब्दसंग्रह

अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्यायों के प्रकाशन के साथ-साथ इनके प्रतिरूपी हिन्दी-अंग्रेजी शब्द-संग्रह तैयार करना भी आवश्यक समझा गया क्योंकि लोग इनका अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। मूल विज्ञानों से संबंधित एक ऐसा हिन्दी-अंग्रेजी शब्दसंग्रह पहले प्रकाशित किया गया था और मानविकी तथा समाज विज्ञान का दूसरा हिन्दी-अंग्रेजी शब्दसंग्रह इस वर्ष प्रकाशित किया गया। प्रयुक्त विज्ञान में इस माला का तीसरा हिन्दी-अंग्रेजी शब्द-संग्रह तैयार किया जा रहा है।

डायजेस्ट/रीडिंग/मोनोग्राफ

निम्नलिखित विषयों में डायजेस्ट/रीडिंग/मोनोग्राफ या तो प्रकाशित किए जा चुके हैं या प्रकाशन के अग्रिम चरण में हैं:—(1) प्राणिविज्ञान, भूविज्ञान, गृहविज्ञान, भौतिकी, वनस्पतिविज्ञान (3 अंक), मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र (4 अंक), वाणिज्य-1, शिक्षा-1, स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए डायजेस्ट (4 अंक), चिकित्सा-विज्ञान (छः अंक), तकनीशियनों के लिए डायजेस्ट (4 अंक), तकनीशियनों के लिए डायजेस्ट (4 अंक), शारीरिक नृविज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान (2 अंक), भूविज्ञान तथा राजनीति विज्ञान।

दक्षिण तथा अन्य राज्यों में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले चिकित्सा सम्बन्धी शब्दों तथा वाक्यों का संकलन

दक्षिण भारतीय तथा अन्य राज्य भाषाओं में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले चिकित्सा संबंधी शब्दों तथा वाक्यों के संकलन से संबंधित कार्य तेलुगु, कन्नड़ तथा मराठी भाषाओं में शुरू किया गया था। इस वर्ष मलयालम तथा तमिल भाषाओं के लिए क्रमशः त्रिवेन्द्रम और मद्रास में दो बैठकें आयोजित की गई।

अखिल भारतीय सम्मेलन

नवम्बर, 1983 के अन्तिम सप्ताह में, "शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाएं" विषय पर एक अखिल भारतीय सेमिनार का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया। कई प्रख्यात वैज्ञानिकों ने, जिनमें देश के सभी भागों के समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर, तथा भाषाविज्ञानी भी शामिल थे, अपने मौलिक विचार रखे तथा कार्य बैठक में अपने पूरी तरह से तैयार किये हुए निबन्ध प्रस्तुत किए। यह सम्मेलन बहुत सफल रहा। इस सम्मेलन की तमाम कार्रवाई एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जाएगी।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान

भारत सरकार द्वारा सन् 1961 में स्थापित केन्द्रीय हिन्दी संस्थान एक स्वायत्त संगठन है तथा इसका प्रबंध केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल द्वारा किया जाता है। यह संस्थान, हिन्दीशिक्षण, शिक्षण तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान के संबंधित क्षेत्रों तथा सामग्री निर्माण, भारत तथा विदेशों में कार्य करता है। संस्थान हिन्दी की प्रोन्नति तथा विकास के लिए कार्यात्मक भाषा कार्यक्रम भी चलाता है। यह संस्थान प्रयुक्त भाषाविज्ञान, हिन्दी भाषा शिक्षण तथा तुलनात्मक साहित्य के उच्च अध्ययन के लिए एक उच्च केन्द्र का कार्य भी करता है।

शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस वर्ष के दौरान 113 अप्रशिक्षित सेवारत हिन्दी अध्यापकों को संस्थान के विभिन्न पूर्णकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इसके सम्बद्ध कालेजों/संस्थाओं में 250 अहिन्दी भाषी अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।

"शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विदेशों में हिन्दी के प्रचार की योजना तथा विभिन्न देशों के साथ हुए विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्त चवालीस विदेशी छात्रों को 4 विभिन्न स्तरों पर हिन्दी में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इस वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के 765 अहिन्दी-भाषी शिक्षकों को संस्थान के आगरा, हैदराबाद तथा गौहाटी स्थित केन्द्रों में पुनश्चर्या उपचारी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भाषा जागरूकता शिविर

संस्थान ने अपने सम्बद्ध हिन्दी शिक्षक अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों/संस्थानों के 140 शिक्षक छात्रों को सांस्कृतिक-मुख्य धारा तथा देश के भाषाई-वातावरण में घुलने-मिलने के अवसर प्रदान करने तथा उनके प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए।

पारंगत पत्राचार एवं सम्पर्क पाठ्यक्रम

संस्थान ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए बी० एड० स्तर का एक पारंगत पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया है। दूसरे पाठ्यक्रमों में 340 शिक्षकों को प्रवेश दिया गया है। दिल्ली, आगरा, हैदराबाद, नागपुर, पूना, अहमदाबाद, मैसूर, गौहाटी आदि में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम के लिए व्यवस्था की जा रही है। पहले पाठ्यक्रम में 179 अध्यापकों को प्रवेश दिया गया था तथा अन्तिम परीक्षा मई, 1983 में हुई। तीसरे पाठ्यक्रम में 500 शिक्षकों को प्रवेश देने का प्रस्ताव है।

सामग्री निर्माण तथा अनुसंधान

मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर संस्थान में शिक्षण सामग्री निर्माण योजना के अन्तर्गत कूरुख, कोरकू, गोंडी, भीली तथा हलबी जनजातियों की जनजातीय भाषाएं बोलने वाले बच्चों के लिए एक पाठ्य पुस्तक आदि भारती भाग-2 इसकी अभ्यास पुस्तिका गणित की एक पुस्तक तथा एक शिक्षक मैन्युल तैयार किया है। कुल मिलाकर 20 पुस्तकें तैयार की गई हैं तथा इस समय इनका प्रयोग स्कूलों में किया जा रहा है।

"आदि भारती भाग-3" तथा इसकी अभ्यास पुस्तिका तथा शिक्षक मैन्युल चालू सत्र के दौरान तैयार हो जाएगे।

100 अध्यापकों को, जो इस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, मई-जून, 1983 के दौरान आगरा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

6 उत्तर-पूर्वी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए बनाई गई योजना के अन्तर्गत मिजो-हिन्दी शब्द-कोष तैयार किया गया है। इस क्षेत्र की जनजातीय भाषाओं के लिए चार और शब्दकोश भी तैयार किये जा रहे हैं। अखिल-भारतीय केन्द्रीय सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिए हिन्दी शिक्षण देने के लिए तैयार की गई सामग्री के मुद्रण की शुरुआत की गई है। संस्थानों ने सिक्किम सरकार के अनुरोध पर सिक्किम राज्य की 5 भाषाओं में भाषा शिक्षण सामग्री के मूल्यांकन तथा संशोधन के कार्य में सहायता देने का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। ऐसी ही योजना के अन्तर्गत आवश्यक संशोधन करने के लिए, नागालैण्ड तथा मणीपुर की हिन्दी शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन का कार्य भी किया जा रहा है।

संस्थान ने हंगरी की भाषा बोलने वालों के लिए हिन्दी उच्चारण पाठों का प्रथम प्रारूप तथा पठन सामग्री का एक चयन भी तैयार किया है।

इस समय, आगरा स्थित संस्थान के मुख्यालय के पुस्तकालय तथा इसके विभिन्न केन्द्रों में 33,000 पुस्तकें हैं।

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित करने के लिए मुख्य मंत्रालय के अनुरोध पर संकाय सदस्यों, अनुसंधान सहायकों तथा प्रशासनिक कार्मिकों ने सम्मेलन में भाग लिया तथा उन्होंने पुस्तक प्रदर्शनी तथा तकनीकी सहायक सामग्री की प्रदर्शनी आयोजित की।

संस्थान ने इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की:

1. प्रेमचन्द और भारतीय साहित्य
2. आधुनिक एकांकी संग्रह
3. हिन्दी काव्य संग्रह
4. आधुनिक निबन्ध संग्रह
5. आधुनिक कहानी संग्रह
6. हिन्दी का सामाजिक संदर्भ
7. गवेषणा 40, 41, 42
8. संस्थान बुलेटिन 58—61, 62—63

सेमिनार/कार्यशालाएं

संस्थान ने दिसम्बर, 1983 में द्विभाषी भाषा शिक्षा से संबंधित एक सेमिनार आयोजित किया।

दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण के लिए शिक्षण विषय तैयार करने के लिए एक सेमिनार एवं कार्यशाला आयोजित की गई।

विस्तार व्याख्यानों की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान शिव मंगल सिंह "सुमन" "काव्य" भाषा तथा प्रो० विद्या निवास मिश्र सम्प्रेषणपरक व्याकरण और भारतीय परम्परा" पर व्याख्यान देंगे।

विनिमय कार्यक्रम

राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में 1983—84 के दौरान 40 अध्यापकों और मूल्यांककों ने भाग लिया। संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में इस के केन्द्रों पर ही व्याख्यान देने के लिए इस वर्ष के दौरान 56 विद्वानों को आमंत्रित किया गया। लगभग 250 विशेष रूप से आमंत्रित अतिथियों ने संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।

विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार

विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की योजना सम्प्रति कैरेबियन देशों, अर्थात् दक्षिण-पूर्व और पश्चिम एशिया और यू० के० अमरीका और रूस, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों में चल रही हैं।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली में हिन्दी अध्ययन के लिए विभिन्न देशों के छात्रों को प्रत्येक कार्य 50 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत है। वर्ष 1983–84 के दौरान लगभग 44 छात्रों को संस्थान में छात्रवृत्ति के आधार पर दाखिला दिया गया और 6 छात्र अपने खर्चे पर अध्ययन कर रहे हैं। चुने गए छात्र प्रति माह 650/- रु० और अपने देश से दिल्ली तथा वापसी के लिए वायुयान भाड़े के पात्र हैं।

मंत्रालय ने सूरीनाम, गुयाना और त्रिनीदाद में 3 हिन्दी अध्यापकों, श्रीलंका में दो अंशकालिक अध्यापकों और भारतीय दूतावास, काठमांडू में एक पूर्ण-कालिक पुस्तकाध्यक्ष को बनाए रखा।

भारत-जर्मन जनवादी गणतंत्र सांस्कृतिक विभिन्न कार्यक्रम के अन्तर्गत फरवरी, 1984 में, वार्तालाप गाइडों और जर्मन-हिन्दी हिन्दी-जर्मन शब्दकोश के निर्माण-कर्ता के संबंध में दो सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल को जर्मन जनवादी गणतंत्र (पूर्वी बर्लिन) भेजने का भी प्रस्ताव है।

(ख) आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति

क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का निर्माण

विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं को विभिन्न विषयों की शिक्षा के माध्यम के रूप में शीघ्र अपनाने में सहायता देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण का कार्यक्रम 1968–69 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6170 पुस्तकें 1 नवम्बर, 1983 तक प्रकाशित की जा चुकी हैं जिसमें से 1455 अनुवाद हैं। बहुत सी पुस्तकें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

कोर पुस्तक निर्माण कार्यक्रम]

औषधि की कोर पुस्तकें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से प्रकाशित की जा रही हैं। औषधि में 6 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। उष्ण प्रदेशीय त्वचा विज्ञान से संबंधित रंगीन एटलस, जिसका निर्माण 1980–81 में आरम्भ किया गया था, पूरा किया गया। औषधि से संबंधित दो और पुस्तकें निर्माणाधीन हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा शैक्षिक संस्थाओं को सहायता

इस योजना के अन्तर्गत, भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति तथा विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों/शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती हैं। इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जा रहा है। यह बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है चूंकि इससे न केवल उन लोगों का सहयोग ही प्राप्त होता है जो भारतीय भाषाओं के प्रसार तथा विकास में कार्यरत हैं। अपितु, इससे उनकी सहायता भी हो जाती है। यहां भारतीय भाषाओं से अभिप्राय है हिन्दी तथा संस्कृत को छोड़कर वे सभी भाषाएं जो संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित है तथा अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं (जनजातीय भाषाओं सहित) जो भारत में प्रचलित हैं।

उर्दू में पुस्तकों का निर्माण

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड की स्थापना सन् 1969 में, उर्दू में शैक्षिक साहित्य के निर्माण के संबंध में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी। शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इस बोर्ड का दिसम्बर, 1983 में पुनर्गठन किया गया है। यह बोर्ड शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है।

बोर्ड के मार्गदर्शन में पांच-पांच खंडों में तीन शब्द कोष (अंग्रेजी-उर्दू, उर्दू-उर्दू तथा उर्दू-अंग्रेजी) पूरे किए गए तथा 42,000 शब्दों का छात्र-उर्दू-शब्दकोष प्रेस में है। विभिन्न विषयों के 1,35,000 तकनीकी शब्दों को अंतिम रूप दिया गया है। 12 खण्डों वाले उर्दू विश्व कोष का संकलन किया गया है जिसके खंड-1 को मुद्रण के लिए भेजा जाएगा। रा० शै० अ० तथा प्र० परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा पुनर्मुद्रणों विभिन्न विषयों की 410 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। 18 शब्द संग्रहों में से छः पहले ही पूरे हो चुके हैं। विभिन्न विषयों के दस बिषय पेनल गठित किए गए हैं।

देश के विभिन्न मुकामों पर बीस सुलेखन केन्द्र चल रहे हैं। केवल महिलाओं के लिए ऐसे सुलेखन केन्द्र स्थापित करने की एक योजना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। आलोच्य अवधि के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर पांच पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। 3,45,000 रु० मूल्य की उर्दू पुस्तकें/प्रकाशन बेचे गए।

सिन्धी पुस्तकों की प्रोन्नति

1975 में आरम्भ की गई इस योजना का उद्देश्य है सिन्धी छात्रों के लाभार्थ सिन्धी में शिक्षाप्रद पुस्तकें प्रकाशित करना। सिन्धी भाषा के विकास के लिए किए गए कुछेक महत्वपूर्ण कार्य-कलाप हैं:––वर्ष 1982–83 के दौरान तैयार की गई सिन्धी पुस्तकों की लगभग 8,000 प्रतियां स्वीकृत स्कूल/कालेज पुस्तकालयों में निःशुल्क वितरित की गईं। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 18 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं जिनमें से 11 पुस्तकें चालू वर्ष के दौरान प्रकाशित की गईं। प्रकाशकों से सहयोग की योजना के अन्तर्गत सिन्धी प्रकाशकों को प्रेरणा देने के लिए 1983 के दौरान छः पुस्तकें प्रकाशित की गईं। जहां तक सिन्धी शब्दावली का संबंध है, अब तक लगभग 40,000 तकनीकी शब्द निश्चित किए जा चुके हैं तथा सिन्धी शब्दावली के निर्माण का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जा रहा है। मई, 1983 में हुए विश्व सिन्धी सम्मेलन के लिए 1,25,000 रु० की राशि मंजूर की गई इसके अतिरिक्त वे संस्थाएं जो सिंधी भाषा तथा साहित्य के विकास और प्रचार के कार्य में लगी हुई हैं, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे सिन्धी सेमिनारों, मुशायरों, सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों का आयोजन कर सकें।

सिन्धी लेखकों को नकद पुरस्कार देने की योजना 1979 से चल रही है। लेखकों को 2500/2500 रु० के पांच पुरस्कार प्रति वर्ष दिए जाते हैं। वर्ष 1983–84 के लिए शीघ्र ही घोषणा की जानी है।

जनजातीय तथा सीमावर्ती भाषाएं :

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र

इस संस्थान ने अब तक भाषायी विवरण तथा सामग्री निर्माण के लिए 52 जनजातीय भाषाओं पर कार्य शुरू कर दिया है। इस कार्य में जनजातीय भाषाओं के लेखकों तथा अध्यापकों को जनजातीय भाषाओं के प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त ध्वन्यात्मक रीडर, व्याकरण, शब्दकोष, स्कूल प्राइमरों का निर्माण, प्रौढ़ साक्षरता प्राईमर तथा लोक साहित्य का संग्रह शामिल है। संस्थान ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षण माध्यम के रूप में जनजातीय तथा अन्य अल्प संख्यक भाषाओं के प्रयोग के लिए द्विभाषा शिक्षण माडल तैयार किए हैं। अब तक 23 फोनोटिक रीडर, 9 व्याकरण, 3 शब्दकोष, 6 लोक साहित्य संग्रह, 7 प्राईमर्स प्रकाशित हो चुकी हैं अथवा प्रकाशनाधीन हैं।

सामग्री निर्माण

विभिन्न श्रेणियों के नौसिखियों जैसे स्कूली छात्र, विभिन्न व्यवसायों के प्रौढ़ों के लिए प्रथम अथवा द्वितीय भाषाओं के रूप में भारतीय भाषाओं के शिक्षण/अध्ययन हेतु श्रव्य शैक्षणिक सामग्री सहित विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के प्रयास से संस्थान ने शिक्षण प्रशासन तथा बैंकिंग की निम्नलिखित सामग्री तैयार की है:

1. अग्रिम तामिल छात्रों के लिए गाइड,
2. मलयालम में इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम,

14—812 Edu/83

3. द्वितीय भाषा के रूप में तमिल सीखने वालों के लिए अर्ध कार्यक्रम-बद्ध शैक्षणिक सामग्री,

4. कन्नड़ के लिए 50 भाषाई खेल तथा अपारदर्शी, शिक्षण सामग्री निम्नलिखित कार्य प्रारम्भ किए गए हैं :–

(i) भाषा शिक्षण पुस्तिका "पत्रकार टारिजे कन्नड़"

(ii) प्रशासन में भाषा उपयोग संबंधी मोनोग्राफ।

तमिल में रेडियो व पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।

सामाजिक भाषा विज्ञान

संस्थान निम्नलिखित सामाजिक भाषाई अध्ययन आयोजित करता है :—अन्तर भाषाई दूरसंचार पद्धति, मिडगिन्स तथा क्रिओलिस, भाषा मानकीकरण, विभिन्न सामाजिक स्तरों के बच्चों में शिक्षा में गति-अवरोध तथा अपव्यय, भाषाई अभिसरण, भाषा संरक्षण तथा भाषा क्षति, भाषा अभिवृत्ति, भाषा परिवर्तन तथा भाषा विन्यास, गतिहीनता तथा शिक्षा में क्षति।

(i) नागा मिश्रित मानकीकृत व्याकरण।

(ii) गंदी बस्ती पर एल० डब्ल्यू० सी० की रिपोर्ट।

(iii) भाषा अभिसरण तथा बंगलौर में तमिल परिवर्तन।

(iv) मैसूर के कानकाणी भाषियों में नियमावली मिश्रण तथा परिवर्तन।

(v) पाठ्यपुस्तकों में भाषा अभिवृत्ति।

(vi) भाषाई रंगपटल संचार-व्यवस्था तथा उद्योग में कार्यकर्ताओं की पारस्परिक क्रिया।

लोक साहित्य

बंगलौर में मारवाड़ी लोक साहित्य अध्ययन नाम की एक परियोजना चल रही है। प्रारंभिक क्षेत्रीय कार्य की रिपोर्ट के आधार पर काफी अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई है। परियोजना 1984–85 में जारी रहने की संभावना है।

पठन तथा शिक्षा

पठन तथा भाषा अध्यापन के क्षेत्र में संस्थान का अन्तर विषयक अनुसंधान कार्य सफल पठन पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान के आयोजन के संबंध में होता है। मौन बनाम मौखिक पठन, गति तथा ज्ञान का मूल्यांकन, शिक्षक-योग्यता तथा पुनश्चर्या मांगों के बीच फासले का अध्ययन, जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया जाता है। कुछेक महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं : सफल पठन शिक्षण, तेजी से पढ़ना तथा अच्छी तरह समझना। शिक्षण माध्यम तथा भाषा भार संबंधी परियोजनाओं पर क्षेत्रीय कार्य शुरू हो गया है। उत्तरी भारत के संबंध में भारतीय भाषाएं अंक–II के संदर्भ में भाषाई अनुसंधान की राज्य ग्रंथ सूची पूर्ण है जबकि भारत के संदर्भित अंक–V का कार्य शुरू कर दिया गया है। दो मोनोग्राफ—एक भाषाई–अनुसंधान की सांख्यिकी संबंधी तथा दूसरा भाषाई अनुसंधान की नमूना पद्धति, भी पूरी हो चुके हैं। 12 सीखने वालों के सजातीय तथा गैर सजातीय वर्ग की अंतर भाषा तथा विकास त्रुटियों के तुलनात्मक विश्लेषण की रिपोर्ट तथा आन्तरिक तैयारी पठन निदान भी पूरे हो चुके हैं। उर्दू प्रथम भाषा तथा अंग्रेजी दूसरी भाषा और लाभान्वित होने वालों की भाषा के संदर्भ में पठन योग्यता की निदान की परियोजनाओं के लिए क्षेत्रीय कार्य आयोजित कर दिया गया है।

दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए दो शूटिंग आलेख भी तैयार कर दिए गए हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

साक्षरता शिक्षा और साक्षरता शिक्षा में उपयोग की गई साक्षरता सामग्रियों के मूल्यांकन के स्तर में आई गिरावट पर अध्ययन कार्य पूरा हो गया है।

प्रकाशन

संस्थान ने 8 प्रकाशन प्रकाशित किए हैं—प्रौढ़ों के लिए अंग्रेजी-I, हिन्दी प्रबोध शिक्षा माला-I, राजस्थान का लोक साहित्य, कश्मीर किताब-1; लोठ् व्याकरण, शिना फोनोटिक रीडर; वर्तवान सं० 3, तथा हिन्दी प्रबोध शिक्षा माला-1 (दूसरा पुनर्मुद्रण) अन्य 12 प्रकाशन निकाले जाने वाले हैं।

संस्थान ने निम्नलिखित सेमिनार/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं—जनजातीय भाषाओं में जनजातीय शिक्षक तथा प्रशिक्षणों के लिए सेवारत प्रशिक्षण, एस० ई० एम० अधिकारियों के लिए कन्नड़ में आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम, कन्नड़ शिक्षकों के लिए माध्यमिक स्कूल अनुस्थापन पाठयक्रम, तिब्बती बर्मा व्याकरण के दृष्टिकोण पर कार्यशाला, भाषा शिक्षा में रेडियो तथा दूरदर्शन सेमिनार व कार्यशाला, भाषा-विज्ञान पद्धति सेमिनार, नागालैण्ड तथा मणिपुर की जनजातीय भाषाओं के साहित्य समिति के सदस्यों की बैठक, प्रवेशिकायें प्राइमर तैयार करने के लिए वार्ली, गुतीब तथा वागदी में सामग्री निर्माण पर कार्यशाला, ठोस प्रक्रिया पर आधारित भारतीय भाषाओं में परीक्षणों के निर्माण तथा मानकीकरण पर कार्यशाला, राष्ट्रीय नीति अकादमी के 5 भाषा शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम । संस्थान, प्रायोगिक भाषा विज्ञान संस्थान के सहयोग से संगणक तथा भाषा-विज्ञान पर पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। संस्थान ने राज्य सरकारों को सुविज्ञाता प्रदान करने की अपनी योजना में इम्फाल में शिक्षा के शैक्षिक प्रशासन, द्विभाषी स्थानांतरण मॉडल हेतु एक अनुस्थापना कार्यक्रम आयोजित किया।

संस्थान वर्ष की शेष अवधि में निम्नलिखित सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करेगा :—कोड परिवर्तन पर सामाजिक भाषा विज्ञान सेमिनार, (ii) शब्दकोश सेमिनार, पत्रकारों के लिए कन्नड़ में आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम, (iii) रा० शै० अ० प्र० प० के सहयोग से रेडियो शिक्षा के लिए आलेख-लेखन कार्यशाला।

संस्थान की सलाहकार समिति ने, 29 सितम्बर, 1983 को मैसूर में उप-शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अपनी तीसरी बैठक आयोजित की तथा वर्ष 1984–85 के लिए संस्थान तथा उसके क्षेत्रीय भाषा केन्द्र के शैक्षिक कार्यक्रम संस्वीकृत किए।

क्षेत्रीय भाषा केन्द्र

प्रशिक्षण कार्यक्रम

पांच क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों के द्वारा 13 प्रमुख भारतीय भाषाओं में विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्रति नियुक्त किये गये तीन सौ पैंतीस शिक्षकों ने 30 अप्रैल, 1983 को भाषा प्रशिक्षण पूरा किया। सभी क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों में नए बैच के लिए भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई 1983 के प्रथम सप्ताह से शुरू हुआ तथा इसमें विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्रतिनियुक्त किए गए 343 शिक्षक शामिल हुए।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

तमिल (एस० आर० एल० सी०), मलयालम (एस० आर० एल० सी०), बंगाली (ई० आर० एल० सी०) तथा उर्दू (यू० टी० आर० सी०) प्रत्येक में एक-एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें क्रमशः 9, 14, 16 तथा 16 भूतपूर्व शिक्षक प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय एकीकरण शिविर

तमिल (24 दिसम्बर, 1983 से 2 जनवरी, 1984 तक पांडिचेरी में), उर्दू (14 से 23 जनवरी, 1984 तक पटना में) तथा उड़िया (18 जनवरी से 27 जनवरी, 1984 तक) में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किए जाने निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक शिविर में 10 भूतपूर्व शिक्षक प्रशिक्षार्थी अपने 100 छात्रों के साथ भाग लेते हैं। इस प्रकार के शिविर असमी तथा बंगाली में भी मार्च, 1984 से पूर्व आयोजित किये जाने की योजना है।

सेमिनार/कार्यशालाएं

क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों के प्रिंसिपलों/लिक्चरारों की कार्यशाला 10 से 27 अक्तूबर, 1983 तक सी० आई० आई० एल० मैसूर में आयोजित की गई। एक तीन दिवसीय सम्पर्क कार्यक्रम ई० आर० एल० सी०, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। अन्य भारतीय भाषाओं के विषय में उर्दू के प्रभाव पर एक सेमिनार 17 से 19 नवम्बर, 1983 यू० टी० आर० सी० सोलन में आयोजित किया गया तथा इस सेमिनार में 18 सदस्यों ने भाग लिया।

(क) फरवरी 1984 के दौरान, कलकत्ते में बंगला व्याकरण (ई० आर० एल० सी०) सेमिनार, (ख) 6 से 9 मार्च, 1984 तक मैसूर में तमिल, तेलुगू तथा मलयालम (एस० आर० एल० सी०) शिक्षण सेमिनार तथा (ग) मार्च, 1984 से पूर्व प्रथम तथा द्वितीय भाषा (डब्ल्यू० आर० एल० सी०) के रूप में गुजराती शिक्षण सेमिनार भी आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(ग) अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की प्रोन्नति

केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद

विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था, केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद, अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं के शिक्षण और अध्ययन के स्तरों और भारत में उनके साहित्यों को उन्नत करने के लिये कार्यरत हैं। संस्थान ने ये कार्यकलाप, शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसंधान सामग्री निर्माण और विस्तार और परामर्शी सेवाओं के जरिए जारी रखें।

संस्थान, अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, जर्मनी तथा रूसी भाषा के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन भाषाओं के शिक्षण तथा एम० लिट्० और पी० एच० डी० डिग्री के अनुसंधान पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त संस्थान, स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा के पत्राचार व सम्पर्क पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है, अब तक प्रमाण-पत्र स्तर पर 1483 तथा डिप्लोमा स्तर पर 337 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

संस्थान, अल्पकालीन पाठ्यक्रम तथा आवश्यकता पर आधारित विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। अंग्रेजी में बी० एड० कालेज लेक्चररों के लिए दो सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व कार्यशाला की एक माला आयोजित की जा रही है। संस्थान ने हाई स्कूल शिक्षकों के लिए एक पत्राचार पाठ्यक्रम तैयार किया है। यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाना है। पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान, संस्थान द्वारा विभिन्न राज्यों में इन संसाधन कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु 12–सप्ताह वाले तीन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इन पाठ्यक्रमों में 126 व्यक्ति पहले ही प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इस प्रकार का चौथा पाठ्यक्रम 15 दिसम्बर, 1983 से आयोजित किया जा रहा है।

प्रारम्भ से ही संस्थान ने भारतीय स्थितियों के मुताबिक उन्नत शैक्षिक सामग्री तैयार करने के विषय में स्वयं ही पहल की। समेकित पाठ्य पुस्तक मालाएं,कार्य-शालाएं और स्कूलों के लिए अध्यापक मार्गदर्शक, कालेज स्तर की पाठ्यपुस्तकें, ग्रेडों के पूरक पाठों और संस्थान द्वारा कम लागत वाली शिक्षण सामग्री पूरे देश में उपयोग में लाई जा रही हैं। विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

संस्थान ने अंग्रेजी शिक्षण के लिए जन संचार माध्यमों के उपयोग में अग्रणी कार्य किया है। संस्थान द्वारा आकाशवाणी कार्यक्रमों के रूप में अंग्रेजी में एक पांच वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे आकाशवाणी के 25 केन्द्रों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। अंग्रेजी के अध्यापकों के लिए बनाए नए कार्यक्रम भी आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किये जा रहे हैं। संस्थान ने प्रयोगात्मक आधार पर कुछ दूरदर्शन कार्यक्रम भी तैयार किए हैं। आकाशवाणी/दूरदर्शन कार्यक्रमों का निर्माण संस्थान में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का एक अंग है। विश्व० अनु० आयोग की शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केन्द्रों की योजना के अन्तर्गत संस्थान में इस प्रकार का एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। यह केन्द्र इन्सेट-1 बी० के प्रयोग द्वारा प्रसारित किया जाने वाला शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करेगा और हैदराबाद में अन्य शैक्षिक केन्द्रों की जरूरतों को पूरा करेगा।

संस्थान राज्य सरकारों, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों और अन्य संस्थानों/संगठनों को विस्तार और परामर्शी सेवायें भी प्रदान करता है। इसके अलावा, अंग्रेजी शिक्षण के लिए नए तरीके बनाने की दिशा में संस्थान अनुसंधान कार्य की ओर उन्मुख हुआ है।

विदेशी भाषाओं में, अरबी, फ्रेंच, जर्मन और रूसी विभागों द्वारा अल्पावधि कुशलता डिप्लोमा और उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, स्नातकोत्तर-डिप्लोमा, एम० लिट्० और पी० एच० डी० पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फ्रेंच, जर्मन और रूसी भाषा विभाग पत्राचार एवं सम्पर्क के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। जर्मन तथा फ्रेंच भाषाओं में अनुवाद तथा भाषांतर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। विदेशी भाषा विभाग शिक्षण सामग्री तैयार करने के अतिरिक्त अल्पकालीन पाठ्यक्रमों, सेमिनारों तथा कार्यशालाओं का भी आयोजन कर रहा है।

संस्थान के दो क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ और शिलांग में स्थित हैं जो क्रमश: उत्तर क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकतायें पूरा करते हैं। ये केन्द्र अपने क्षेत्रों के अंग्रेजी अध्यापकों के लिए कई अल्पावधि पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत संस्थान को राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को सम्पूर्ण स्तर पर प्रशिक्षण हेतु जिला केन्द्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये केन्द्र माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी के शिक्षण को सुधारने के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए संसाधन केन्द्र के रूप में काम करते हैं। योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि वे ऐसे और केन्द्र स्थापित कर सकें।

(घ) संस्कृत और अन्य श्रेण्य भाषाओं की प्रोन्नति

अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ और राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति और संस्कृति के परिरक्षण को ध्यान में रखते हुए 1961 में भारत सरकार द्वारा कई योजनायें आरम्भ की गईं। ये योजनायें अधिक उत्साह और अधिक वित्त व्यवस्था के साथ जारी रखी जा रही हैं। इस योजना के आरम्भ में अरबी और फारसी भाषाओं के प्रचार और विकास के लिए एक ऐसा ही कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं :—संस्कृत, अरबी और फारसी संगठनों को वित्तीय सहायता देना, कुछ योग्य स्वैच्छिक संगठनों को अधिक वित्तीय सहायता देकर आदर्श संस्कृत पाठशालाओं में विकसित करना, युवा अध्यापकों को शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रख्यात प्रोफेसरों की व्यवस्था करना, दुर्लभ प्रकाशित पाण्डुलिपियों का संपादन और प्रकाशन, वेद पाठों की मौखिक परम्पराएं बनाये रखना, अप्राप्य संस्कृत पाठों का पुन: मुद्रण करवाना, संस्कृत पाठशालाओं से पढ़कर निकले छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। प्रसिद्ध विद्वानों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करना और मानक शब्दकोष तैयार करवाना और उनका प्रकाशन करना। इन योजनाओं की योजनाकार प्रगति नीचे दी गई है।

संस्कृत के विकास और प्रसार के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन, छात्रों को छात्रवृत्तियां, भवन निर्माण और मरम्मत, फर्नीचर, पुस्तकालय, अनुसंधान परियोजनाओं पर आंवर्ती और अनावर्ती सहायता अनुदान दिए जाते हैं। उक्त सब मद्दों पर स्वीकृत राशि की 75 प्रतिशत राशि मंत्रालय द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। 24 वैदिक संस्थाओं के मामले में जिनमें मौखिक वैदिक परम्परा को कायम रखा जाता है। सरकारी अनुदान कुल स्वीकृत व्यय का 95 प्रतिशत होता है।

आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान सम्बन्धी योजना

स्वैच्छिक संगठनों में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, भविष्य में जिनके विकास की संभावना है और जिनमें पहले से ही स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन चल रहे हैं। इन संस्थाओं

को सामान्य स्वैच्छिक संगठनों से अधिक वित्तीय सहायता दी जाती है। अभी तक 11 स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थाएं और 2 स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थाएं इस योजना के अन्तर्गत लाई गई हैं। इनमें दो तीन उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक पश्चिम बंगाल, दो हरियाणा, दो महाराष्ट्र, तीन तमिलनाडु और एक केरल में है। इन संस्थाओं के अनुरक्षण हेतु 95 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है और इनके प्रबन्ध के लिए सरकार के पास कुछ अधिकार सुरक्षित हैं।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

यह संस्थान मन्त्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो तिरुपति, दिल्ली, इलाहाबाद, पुरी, जम्मू, गुरुवायुर और जयपुर स्थित 7 केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों पर शैक्षिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण रखे हुए है। इसके अलावा देश की 15 संस्थाएं परीक्षा के प्रयोजन के लिए, इससे सम्बद्ध हैं। संस्थान क्रमशः प्रथमा से लेकर विद्या वारिधि और वाचस्पति (पी०एच०डी० तथा डी० लिट्) की परीक्षाओं का संचालन करता है। यह स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन करता है। आगामी परीक्षा में कुल 2,500 छात्रों के बैठने की संभावना है। संस्थान द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम से चलाए जा रहे पत्राचार पाठ्यक्रम विदेशी छात्रों सहित 700 से अधिक छात्रों द्वारा सुविधा का लाभ उठाए जाने की संभावना है। विद्यापीठ के छात्रों को 900 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और लगभग 500 छात्रों को निशुल्क छात्रावास की सुविधाएं प्राप्त हैं।

संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण होकर निकले मैट्रीकोत्तर शास्त्री और आचार्य के छात्रों को छात्रवृत्तियां

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान शिक्षा मंत्रालय की ओर से संस्कृत छात्रवृत्ति की निम्नलिखित योजनाओं का संचालन कर रहा है।

(क) संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण होकर निकले शोध अध्येताओं को छात्रवृत्तियां, शोध अध्येताओं को 2 वर्ष के लिए 300/– रु० प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा 500/– रु० प्रतिवर्ष आनुषंगिक अनुदान भी दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 196 छात्रों (98 नए तथा 96 नवीकरण) को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां :—जिन छात्रों ने इन्टर, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर आधुनिक व्यवस्था में संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा है, छात्रवृत्तियां क्रमशः 50- रुपये, 75 रुपये और 100 रुपये प्रतिमाह दी जाती ह। इस योजना के अन्तर्गत 1128 छात्र (497 नए तथा 631 नवीकरण) शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ग) शास्त्री कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को 75/– रु० प्रतिमाह और परम्परागत पाठशालाओं की आचार्य कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को 100/– रु० प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के 725 छात्रों को शामिल करने का प्रस्ताव है (276 नए तथा 449 नवीकरण)।

दक्कन कालेज की शब्दकोश परियोजना

ऐतिहासिक सिद्धांतों पर आधारित संस्कृत शब्दकोष के निर्माण के लिए दक्कन कालेज, पूना को सहायता दी जा रही है। इस शब्दकोश से अनुसंधान छात्रों को प्राचीन और कठिन संस्कृत पाठों की व्याख्या करने में सहायता मिलेगी।

इसके चार खण्ड प्रकाशित किए जा चुके हैं।

शास्त्र चूड़ामणि योजना

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यापीठों और आदर्श पाठशालाओं के युवा प्राध्यापकों और स्नातकोत्तर छात्रों को विभिन्न विषयों में गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण विख्यात सेवा निवृत्त विद्वानों द्वारा दिया जाता है और उनकी नियुक्ति 1000/– रु० प्रतिमाह मानदेय पर की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 1982–83 में 72 अध्येता कार्य कर रहे थे।

संस्कृत के अलावा अन्य श्रेण्य भाषाओं के प्रचार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अन्तर्गत श्रेण्य भाषाओं अरबी और फारसी से संबंधित पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वेतन, छात्रवृत्तियों, फर्नीचर पुस्तकालय और अन्य कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना से 150 से अधिक संस्थाओं को सहायता दी जा रही है। यह योजना 1984–85 में भी जारी रहेगी।

विभिन्न संस्थाओं के शिक्षण स्तरों के मूल्यांकन हेतु मदरसों और मक्तवों का एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है जिससे सरकारी अनुदान के लिए संस्थाओं का वर्गीकरण करने में सहायता मिलेगी। इस्लामी कानून संबंधी फतवा-अल-ततार खानिया का आलोचनात्मक संस्करण शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया है। यह कार्य लगभग 2 लाख रु० की लागत से 3 वर्ष में पूरा हो जायेगा।

संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं के विद्वानों को, सम्मान पत्र प्रदान करना

इस योजना के अन्तर्गत विख्यात संस्कृत, अरबी तथा फारसी के विद्वानों को सम्मान पत्र सहित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हर वर्ष 14 विद्वान जिनमें 10 संस्कृत, 2 अरबी और 2 फारसी के विद्वान होते हैं, इस पुरस्कार के लिए चुने जाते हैं। नामों की घोषणा स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। इस पुरस्कार में प्रत्येक विद्वान को आजीवन 5000/– रु० प्रतिवर्ष का वित्तीय अनुदान, और एक सनद और एक दुशाला दिया जाता है।

अभावग्रहत परिस्थितियों में रह रहे विख्यात संस्कृत विद्वानों को वित्तीय सहायता

अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे संस्कृत विद्वानों को प्रति विद्वान 3000/– रु० प्रति वर्ष तक की सहायता दी जाती है। इस राशि में से उनकी वार्षिक आय कम कर दी जाती है। चालू वर्ष में देश के लगभग 1,600 विद्वान इस सहायता का लाभ उठा रहे हैं।

संस्कृत साहित्य का निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए सहायता दी जाती है ––

(i) मूल रचनाओं का मुद्रण और प्रकाशन, (ii) दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों का मुद्रण, (iii) संस्कृत संस्थाओं को निःशुल्क वितरण के लिए लेखकों और प्रकाशकों से संस्कृत की पुस्तकें खरीदना, (iv) संस्कृत पत्रिकाओं की कोटि और विषय वस्तु में सुधार, (v) संस्कृत पाण्डुलिपियों की विवरणात्मक सूचियां तैयार करना और संस्कृत पाण्डुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करण निकालना।

1983–84 के दौरान (नवम्बर 1983 तक) सरकार की सहायता से 15 प्रकाशन निकाले जा चुके हैं। 1983–84 में 25 और प्रकाशन निकालने की संभावना है। इस के अलावा वैदिक संशोधन मण्डल, पूना द्वारा सपनाचार्य (खण्ड iv) की व्याख्या सहित ऋग वेद समाहित निकाला गया है। धर्म कोश मण्डल वाई जिसे छठी योजना में 50,000 वार्षिक अनुदान दी गई है, प्राचीन संस्कृत साहित्य का विश्वकोश, धर्मकोश तैयार और प्रकाशित करने के कार्य में लगे हुए हैं।

35 पत्रिकाओं की कोटि और विषय-वस्तु के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता के रूप में 500/- रू० से 7000/- रु० तक का वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 21 पत्रिकाओं को सहायता दी जा चुकी है। सरकार ने विभिन्न संस्थाओं को निःशुल्क वितरण के लिए व्यक्तियों और प्रकाशकों से 130 पुस्तकें भी खरीदी हैं। 1983-84 के दौरान पाण्डुलिपियों की 3 सूचियां/आलोचनात्मक संस्करण निकाले गए हैं। 6 पुस्तकों को आंशिक सम्पादन/सम्पादकीय अनुदान दिया गया है और पुस्तकों का प्रकाशन और मुद्रण हो रहा है।

1982-83 से, निर्णय सागर प्रैस के, वे प्रकाशन जो उपलब्ध नहीं है और 18 पुराणों और वैदिक पाठों के कम कीमत पर फोटो आफ सेट प्रक्रिया से पुनर्प्रकाशन के लिए एक तीव्र कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इनमें 42 प्रकाशन निकाले जा चुके हैं और शेष प्रकाशनों पर कार्य जारी है।

वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा का परिरक्षण

वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा के परिरक्षण के प्रोत्साहन हेतु 1978 में एक योजना आरम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक स्वाध्यायिन को 12 वर्ष तक की आयु के दो छात्रों को, जिनमें एक छात्र उनका बेटा निकट का सम्बन्धी भी हो सकता है, विशिष्ट वेद शाखा में प्रशिक्षण देना होगा। 1983-84 के दौरान, ऐसे छः एकक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। अभी हाल ही में विद्वानों का मानदेय बढ़ाकर 700/- रू० प्रतिमाह से 1000/- रु० प्रतिमाह कर दिया गया है और उससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को 150/- रु० प्रति माह दिया जाता है। चालू वर्ष के दौरान ऐसे दो और एककों के स्थापित करने की सम्भावना है। मन्त्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष वैदिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें देश के लगभग 100 विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य उन स्थानों और परि-वारों का पता लगाना है जहां पर अभी भी मौखिक वैदिक परम्पराएं कायम हैं। इस वर्ष यह सम्मेलन जनवरी, 1984 में अहमदाबाद में आयोजित किया जायेगा।

मंत्रालय, संस्कृत अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों की वक्तृता प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिये एक अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। जनवरी 1984 में जबलपुर में होने वाले इस समारोह में सभी राज्य सरकारों से एक अध्यापक के साथ अब आठ छात्रों की टीमें भाग लेंगी।

संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण होकर निकले छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों तथा अन्य परम्परागत संस्कृत संस्थाओं से उत्तीर्ण हुए छात्रों को रोजगार सुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से, पुरालेख पाण्डुलिपिविज्ञान, कर्मकांड, संस्कृत मुद्रण और कम्पोजिंग में 1982-83 में अल्पव्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की एक योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। 1982-83 के दौरान, ऐसे 5 पाठ्यक्रम संचालित किए गये और 1983-84 के दौरान ऐसे और पाठ्यक्रमों को संचालित करने की सम्भावना है।

अध्याय 10

यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

भारत और यूनेस्को के बीच सहयोग

भारत, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का एक संस्थापक सदस्य है जिसकी स्थापना नवम्बर, 1946 में हुई थी तथा जिसका मुख्यालय पेरिस में है। आलोच्य वर्ष के दौरान भारत ने पहले की ही तरह यूनेस्को से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा और उसने निम्नलिखित प्रमुख यूनेस्को सम्मेलनों में भाग लिया और एशियाई देशों के यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों की एक उप-क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की।

एशियाई क्षेत्र के यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों की उप क्षेत्रीय बैठक

एशियाई देशों के यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों की उप-क्षेत्रीय बैठक, यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 5 से 8 अप्रैल, 1983 तक आयोजित की गई। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, भारत, ईरान इस्लामिक गणराज्य, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका के प्रतिनिधि-मण्डलों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, आस्ट्रेलिया, कोरिया, लोकतांत्रिक गणराज्य, कोरिया, गणराज्य, मंगोलिया और सोवियत रूस के यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों के प्रतिनिधियों ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया। यूनेस्को के महानिदेशक के कार्यकारी कार्यालय के सहायक महानिदेशक श्री सी० बाकरी और यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस के राष्ट्रीय आयोग प्रभाग के निदेशक श्री के० क्लेरमौन्ट ने यूनेस्को महानिदेशक के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया। एशिया और प्रशान्त यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय बैंकाक के शैक्षिक सलाहकार श्री सी० केल्लिन और नई दिल्ली स्थित दक्षिण तथा केन्द्रीय एशियाई, यूनेस्को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक, डा० एम० पी० देरकाच ने भी इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था इस उप-क्षेत्र में शुरू किए गए यूनेस्को कार्यकलापों और परियोजनाओं की बेहतर सूझ-बूझ पैदा करना और यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों द्वारा उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान। बैठक की अन्तिम रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है और यूनेस्को के सभी राष्ट्रीय आयोगों में वितरित कर दी गई हैं।

अन्तर/विभागीय कार्यकारी दलों की बैठकें

यूनेस्को के महानिदेशक से प्राप्त 1984-85 के यूनेस्को कार्यक्रम प्रारूप और बजट में इस बार एक अन्तर-विषयक और अन्तर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया था जो गत वर्षों में अपनाई गई पद्धति से स्पष्टत: भिन्न था। इस दस्तावेज पर भली भांति ध्यान देने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रमुख कार्यक्रम की जांच करने के लिये 15 अन्तर-विभागीय कार्यकारी दलों की बैठकें जून और जुलाई 1983 में आयोजित हुई और इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय आयोग के पांच उप-आयोगों, जुलाई और अगस्त, 1983 में हुई बैठकों में प्रस्तुत की गई।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के पांच उपायोगों की बैठकें

यूनेस्को कार्यक्रम प्रारूप और बजट की जांच करने और भारतीय दृष्टिकोण निश्चित करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने जुलाई-अगस्त 1983 में अपने पांच उपायोगों की बैठकों का आयोजन किया।

यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का सत्रहवां सत्र

उपायोगों की बैठकों के बाद यूनेस्को के साथ सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय आयोग का सत्तरहवां अधिवेशन 16 सितम्बर, 1983 को नई दिल्ली में हुआ। शिक्षा और संस्कृति मंत्री श्रीमती शीला कौल ने, जो आयोग की अध्यक्ष भी हैं, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था 1984-85 के दो वर्षों के लिए यूनेस्को के प्रारूप कार्यक्रम और बजट पर विचार करना। इसके अतिरिक्त, इसमें यूनेस्को के

15—812 Edu/83

महासम्मेलन के बाइसवें सत्र जो अक्तूबर-नवम्बर 1983 में पेरिस में आयोजित होना था, में भारत द्वारा रखे जाने वाले संकल्पों के प्रारूपों और प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया गया। इसमें उन 53 विख्यात व्यक्तियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया जो यूनेस्को के साथ सहयोग के भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सदस्य हैं।

यूनेस्को महासम्मेलन का बाईसवां सत्र

शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती शीला कौल के नेतृत्व में एक उच्च अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मण्डल ने 25 अक्तूबर से 26 नवम्बर, 1983 तक पेरिस में हुए यूनेस्को महासम्मेलन के बाइसवें अधिवेशन में भाग लिया। इस प्रतिनिधिमण्डल के अन्य सदस्य थे ।

श्री टी० एन० कौल, सदस्य, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड, श्रीमती सरला ग्रेवाल, शिक्षा सचिव ; श्री किरीट जोशी, विशेष सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ; श्री नरेन्द्र सिंह, फ्रांस में भारतीय राजदूत, श्री चन्द्राकार, संसद सदस्य ; श्रीमती जी० के० बरार, संसद सदस्य ; श्री इनाम रहमान, यूनेस्को में भारत के राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि ; श्री दया शंकर मिश्र, संयुक्त सचिव, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ; प्रोफेसर सनत् विश्वास, बंगाल इंजीनियरी कालेज, हावडा, श्री मणिशंकर अय्यर संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय ; श्री जे० के० भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, डा० जवाहर धर, निदेशक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ; श्री एस० एल० कौशल, निदेशक, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय तथा श्री बलदेव महाजन, उप सचिव, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय।

31 अक्तूबर, 1983 को महासम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में श्रीमती कौल ने यह अभिमत व्यक्त किया कि एक ऐसे समय पर जब समकालीन संसार एक महान् संकट से गुजर रहा है, यूनेस्को के इस महासम्मेलन ने उन सकेन्द्रित रूप से कार्यक्रमों की योजना बनाने और नीतियों पर चिन्तन मनन का एक अवसर प्रदान किया है जो शान्ति, सहयोग, विकास की खोज के लिए मूल आधार है। उन्होंने कहा कि यह एक विडम्बना ही है कि जहां एक और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से विश्व शान्ति और सम्पन्नता लाई जा सकती है वहां दूसरी ओर राष्ट्र हथियारों के ऐसे विशाल भण्डार तैयार करने में व्यस्त हैं जिनसे मानव सभ्यता का सम्पूर्ण विनाश हो सकता है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस संकटपूर्ण घड़ी में ऐसे निष्ठापूर्ण प्रयास किए जाने चाहिएं जिनसे शिक्षा, संस्कृति, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए यूनेस्को की क्षमता और भूमिका को सुदृढ़ किया जा सके।

भारतीय शिष्टमण्डल के नेता को महासम्मेलन के एक उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत को सम्मेलन द्वारा गठित प्रारूपण तथा वार्ता दल के एक सदस्य के रूप में भी चुना गया। इसके अतिरिक्त, भारत को निम्नलिखित अन्तर-सरकारी संगठनों के एक सदस्य के रूप में भी चुना गया :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो परिषद्
(2) मानव और जीव-मण्डल संबंधी कार्यक्रम की अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद्; और
(3) सूचना प्रणाली संबंधी अन्तरिम अन्तर-सरकारी समिति।

सम्पूर्ण सत्रों, कार्यक्रम आयोगों और प्रशासनिक आयोग में हुई चर्चाओं में सक्रिय भाग लेने के अलावा, भारतीय शिष्टमण्डल ने भारत और अन्य विकासशील देशों के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उस पर बल देने और यूनेस्को के कार्य के लिए कुछ प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने के लिए 15 प्रारूप संशोधन और संकल्प प्रस्तुत किए। भारत ने यूनेस्को के दो वर्षीय कार्यक्रम के साथ-साथ अगले छः वर्षों के लिए यूनेस्को की मध्यावधि योजना पर आधारित यूनेस्को के दो वर्षीय 14 प्रमुख कार्यक्रमों जिनमें प्रकाशन, बैठकें, सम्मेलन, क्षेत्रीय और अन्तर-क्षेत्रीय तथा विश्व-व्यापी परियोजनाएं भी शामिल है, 1984-85 के दो वर्षों के लिए 374,410,000 सं०रा० डालर की बजट व्यवस्था को अपनाने का पूर्ण समर्थन किया।

यूनेस्को बजट में अंशदान

1981-83 की अवधि के यूनेस्को बजट के लिए भारत का अंशदान सितम्बर, अक्तूबर, 1980 में हुए यूनेस्को के महासम्मेलन के इक्कीसवें सत्र में अपनाई गई प्रणाली के अनुसार यूनेस्को के कुल बजट का 0.59 प्रतिशत तय किया गया था। तदनुसार 31, दिसम्बर, 1983 को समाप्त होने वाली तीन वर्षीय अवधि के लिए यूनेस्को बजट व्यवस्था में भारत का अंशदान 35,25,132 सं०रा० डालर था। इस अंशदान में 1,17,73,900 रुपये की राशि यूनेस्को को 1983 में दी जानी थी।

यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड

यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि श्री टी०एन० कौल ने कार्यकारी बोर्ड के 116वें, 117वें और 118वें सत्रों और इस वर्ष के दौरान हुई बोर्ड की विशेष समिति की बैठकों में भाग लिया। अक्तूबर-नवम्बर, 1983 के यूनेस्को महासम्मेलन के बाइसवें सत्र के आयोजन की तैयारी और 1984-85 के दो वर्षों के लिए यूनेस्को के कार्यक्रम और बजट की स्वीकृति कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर कार्यकारी बोर्ड की बैठकों में चर्चा की गई।

यूनेस्को के महा-निदेशक की यात्रा

मार्च 1983 में सातवें निर्गुट शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेने के लिए भारत की अपनी पिछली यात्रा के बाद, यूनेस्को के महानिदेशक श्री अमादाओ महातार एम० बाव ने श्रीमती एम० बाव के साथ 8-11 दिसम्बर, 1983 तक एक बार फिर भारत की यात्रा की। भारत में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने 9 से 12 दिसम्बर, 1983 तक नई दिल्ली में हुए, नामेडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने लखनऊ की भी यात्रा की और वहां लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनको डी० लिट की उपाधि (मानद उपाधि) प्रदान की। इसके अतिरिक्त श्री एम० बाव ने प्रधान मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्री से भी भेंट की। एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा उन्होंने ओरोविल अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक में भी भाग लिया।

"नाम" और अन्य विकासशील देशों के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रियों का प्रथम सम्मेलन

"नाम" और अन्य विकासशील देशों के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रियों का प्रथम सम्मेलन 24 से 28 सितम्बर, 1983 तक पियोग्यांग, कोरियाई लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य में आयोजित किया गया। इस बैठक का आयोजन गुटनिर्पेक्ष और अन्य विकासशील देशों में शिक्षा और संस्कृति की स्थिति की समीक्षा और इन क्षेत्रों में इन देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने के तौर तरीकों पर विचार करने तथा शिक्षा और संस्कृति संबंधी विकास की नीतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया था।

इस सम्मेलन में भाग लेने वाले पांच सदस्यीय भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती शीला कौल ने किया। भारतिय प्रतिनिधि-मण्डल अपने साथ प्रधान मन्त्रीजो कि 'नाम' को अध्यक्ष भी हैं का एकसन्देश ले गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की नेता श्रीमती शीला कौल ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की तथा उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने निर्गुट तथा अन्य विकासशील देशों से शिक्षा की एक ऐसी पद्धति तैयार करने का आग्रह किया जिससे जागरूकता परिवर्तन आए और केवल इसी जागरूकता से तनाव संघर्ष की पुरानी सांसारिक व्यवस्था से लोगों को शान्ति तथा सहयोग की नई विश्व व्यवस्था की ओर ले जाया जा सकता है।

शिक्षा तथा संस्कृति आयोगों की कार्रवाईयों में सक्रिय रूप से भाग लेने के अतिरिक्त भारतीय प्रतिनिधि मंडल से, सम्मेलन के घोषणा पत्र को अन्तिम रूप देने की भी महान जिम्मेदारी उठाने का आग्रह किया गया इसमें एक सामान्य रूपरेखा दी गई थी, जिसमें शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्रों में निर्गुट तथा अन्य विकासशील देशों के बीच सहयोग के सिद्धांत तथा मार्गदर्शी रूपरेखाएं सम्मिलित थीं।

यूनेस्को द्वारा प्रयोजित अन्य सम्मेलनों/बैठकों में भारत द्वारा भाग लेना

यूनेस्को ने, 12 से 16 दिसम्बर, 1983 तक बैंकाक में, एशिया तथा प्रशान्त के अध्ययनों, डिप्लोमाओं तथा डिग्रियों की मान्यता से संबंधित क्षेत्रीय अभिसमय अपनाने के उद्देश्य से देशों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री एम०आर० कोल्हट-

कर ने किया था। आशा की जाती है, कि इस सम्मेलन से इस क्षेत्र में विचारों, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुभव के और अधिक आदान प्रदान का अवसर प्राप्त होगा तथा अध्यापकों, छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं के बीच और अधिक गतिशीलता आयेगी।

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में विशेष सचिव श्री किरीट जोशी ने, 12 से 17 अप्रैल, 1983 तक पैरिस में आयोजित अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रता से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ, सहयोग, शान्ति तथा शिक्षा के लिए यूनेस्को के अन्तर-सरकारी शिक्षा सम्मेलन में भाग लिया।

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री दया शंकर मिश्र तथा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली की प्रिंसिपल कुमारी कमल वासुदेव ने 12 से 16 सितम्बर, 1983 तक सोफिया, बल्गारिया में सम्बद्ध स्कूल परियोजना के तीसरे वार्षिकोत्सव के अवसर पर हुई अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया।

उपरोक्त बैठकों के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को द्वारा अथवा यूनेस्को के तत्वावधान में आयोजित 46 राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए विशेषज्ञ नामजद किए।

मोहनजोदड़ो के संरक्षण में योगदान

यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा दूसरी बार की गई अपील के उत्तर में मोहनजोदड़ों में संरक्षण के लिए यूनेस्कों के अर्न्तराष्ट्रीय अभियान में भारत ने 25,000 अमरीकी डालर (2,51,500 रु०) का अंशदान दिया है। भारत द्वारा की गई पहल की प्रतिक्रिया स्वरूप, मोहनजोदड़ों के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा के लिए यूनेस्को द्वारा 1978 में एक अन्तर्राष्ट्रीय अभियान आरंभ किया गया था। 1980 में भारत ने इस अभियान के लिए 50,000 अमरीकी डालर का अंशदान दिया था। इस प्रकार इस समय तक भारत का कुल अंशदान 75,000 अमरीकी डालर हो गया है।

यूनेस्को क्लब

संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट एजेन्सियों के बारे में लोगों के बीच सूचनाओं के प्रसार और प्रोत्साहन के उद्देश्य से, यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, देश में यूनेस्को क्लब आन्दोलन को प्रोत्साहित कर रहा है।

इन क्लबों के मुख्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं: संयुक्त राष्ट्र दिवस, मानव अधिकार दिवस, यूनेस्को सप्ताह आदि मनाना और, यूनेस्को प्रकाशनों की प्रदर्शनियों में भाग लेना, संगोष्ठी, सेमिनार और व्याख्यान कार्यक्रमों का आयोजन करना। फिलहाल देश में 133 यूनेस्को क्लब कार्य कर रहे हैं; जिनमें से अधिकांश विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों में स्थित हैं।

यूनेस्को कूपन

आयोग ने यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कूपन योजना का संचालन जारी रखा। इसका उद्देश्य है—शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं और व्यक्तियों को उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुसार, शैक्षिक प्रकाशनों, वैज्ञानिक उपकरणों तथा शैक्षिक फिल्मों को विदेशों से बिना विदेशी मुद्रा और आयात नियंत्रण संबंधी औपचारिकताओं को पूरा किए, आयात करने में सहायता प्रदान करना। वर्ष 1983-84 के दौरान यूनेस्को कूपनों की कुल बिक्री लगभग 4 लाख रुपये होगी।

यूनेस्को कूरियर

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग को, "दि यूनेस्को कूरियर" के हिंदी तथा तमिल संस्करणों की प्राप्ति जारी रखी जो क्रमश: केन्द्रीय हिंदी निदेशालय और दक्षिणी भाषा पुस्तक न्यास, मद्रास द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। प्रत्येक भाषा अंक की वर्तमान संख्या 3,000 प्रतियां हैं।

न्यूज-लेटर

आयोग, भारत में यूनेस्को तथा आयोग के कार्यकलापों से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए एक त्रैमासिक "न्यूज-लैटर" प्रकाशित करता है। कुल 3,000 प्रतियां मुद्रित की जाती हैं और ये प्रतियां विदेशों में राष्ट्रीय आयोगों, राज्य शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं को जिनमें भारत तथा विदेश में यूनेस्को सम्बद्ध स्कूल भी शामिल हैं, वितरित की जाती हैं।

सम्बद्ध स्कूल परियोजना

भारतीय राष्ट्रीय आयोग, यूनेस्को की सम्बद्ध स्कूल परियोजना में भाग लेता है, जिससे भारत के लोगों के बीच यूनेस्को के उद्देश्यों तथा कार्यकलापों की जानकारी को बढ़ावा मिलता है। आयोग के सचिवालय ने, यूनेस्को का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदानों की संस्वीकृति जारी रखी।

भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाना

यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग को पर्याप्त रूप से अपने कार्य तथा दायित्व निभाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, आयोग के कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 25 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक योजनागत योजना शामिल की गई है। कुल परिव्यय में से, 15.50/ लाख रुपये की व्यवस्था वर्ष 1984-85 के बजट प्राक्कलनों में शामिल की गई है। इस देश में यूनेस्को के कार्यकलापों, जैसे कि प्रदर्शनियों के आयोजन, यूनेस्को क्लबों के कार्यों के समन्वय, बड़े पैमाने पर परिचालित करने के लिए यूनेस्को से संबंधित साहित्य के प्रकाशन जिससे देश के युवकों में विश्व समस्याओं के प्रति बेहतर जागरूकता पैदा की जा सके, आदि के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के तत्वावधान में नई दिल्ली में एक यूनेस्को भवन स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, नई दिल्ली में कार्य कर रहे यूनेस्को कार्यालयों के लिए एक भवन निर्मित करने के एक प्रस्ताव पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित यूनेस्को हाउस भवन के निर्माण के लिए, निर्माण और आवास मंत्रालय ने एक एकड़ भूमि का एक प्लाट निर्धारित कर दिया है।

ओरोविल

एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर ओरोविल का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा ओरोविल (आयात प्रावधान) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सन् 1980 में अपने हाथ में लिया गया था। आरंभ में यह दो वर्ष की अवधि के लिए था। अब प्रबन्ध की यह अवधि बढ़ाकर नवम्बर, 1984 तक कर दी गई है।

चालू वर्ष के दौरान, ओरोविल अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की बैठक श्री पी० वी० नरसिंह राव की अध्यक्षता में 9 दिसम्बर, 1983 को हुई थी। परिषद् ने, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि विभिन्न देशों के लोग सद्भावनापूर्ण वातावरण में साथ-साथ रहें तथा मानव एकता बढ़ाने के उद्देश्य से सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा अन्य कार्यों में कार्यरत रहें, नगर क्षेत्र के समुचित प्रबंध के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की।

1970 के अपने पहले संकल्प की ओर ध्यान दिलाते हुए, जिसमें यूनेस्को के महासम्मेलन ने सदस्य राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर-क्षेत्र के रूप में ओरोविल के विकास में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, यूनेस्को के महासम्मेलन ने अक्तूबर-नवम्बर, 1983 में हुए अपने बाईसवें अधिवेशन में एक संकल्प पारित किया जिसमें महानिदेशक से अनुमोदित बजट प्रावधानों के अन्दर ओरोविल के कार्यक्रमों—शैक्षिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक, जिसमें मानव-एकता के उद्देश्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक अनुसंधान शामिल है—के लिए सभी संभव सहायता देने का अनुरोध किया गया है।

अध्याय 11

अन्य कार्यकलाप

इस अध्याय में मंत्रालय के मुख्य रूप से उन कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है जो शिक्षा के क्षेत्र में संघ सरकार के निकासी गृह कार्यों और इसकी समन्वय भूमिका के अन्तर्गत आते हैं। इन कार्यक्रमों के साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम भी रखे गए हैं जो पिछले अध्यायों में वर्णित कार्यकलापों के स्वरूप के पूरी तरह अनुरूप नहीं है।

सामान्यकार्यकलाप

नीति और दृष्टिकोण

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं निम्नलिखित हैं (i) साक्षरता का विस्तार (ii) प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण। छठी योजना में सभी नागरिकों के लिए उनकी आयु, लिंग तथा आवास पर ध्यान दिए बिना न्यूनतम अनिवार्य शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। अतः 6–14 आयु-वर्ग के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापी कार्यक्रम तथा 15–35 आयु-वर्ग के प्रौढ़ों के लिए साक्षरता के कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया गया है। ये कार्यक्रम नए 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल हैं, जिसमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य तारीख 1990 निर्धारित की गई है। यद्यपि, मूल रूप में ये कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं, तथापि जहां तक इन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों से घनिष्ट संबंध बनाए हुए हैं। इन कार्यक्रमों के अनुसरण में, बालिकाओं तथा प्रौढ़ महिलाओं के नामांकन में उत्कृष्टता के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को पुरस्कार देने की एक योजना शुरु की गई है। इस पर ध्यान देते हुए कि दाखिला न लेने वाले बच्चे अधिकांश कमजोर वर्गों से होते हैं, अनौपचारिक शिक्षा पद्धति का विकास किया जा रहा हैं तथा प्रारम्भिक शिक्षा उनके लिए सुविधाजनक स्थानों तथा समय को ध्यान में रखकर दी जा रही है।

माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण कार्यक्रम को +2 स्तर पर सुदृढ़ किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों का पुर्नगठन किया जा रहा है ताकि इसे लोगों की आवश्यकताओं के अधिक संगत बनाया जा सके स्नातकों की रोजगार सम्बन्धी क्षमता को बढ़ाया जा सके तथा उनके मन में समाज सेवा की भावना पैदा की जा सके।

तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में, सैंडविच डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, सामुदायिक पालिटेक्निकों जैसी योजनाओं से तकनीकी शिक्षा और उद्योग को एक दूसरे के समीप लाने तथा उनमें लाभदायक सम्बन्ध स्थापित करने की आशा है।

राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति के लिए, सामुदायिक गायन की एक नई योजना आरम्भ की गई है।

आयोजना तथा अनुश्रवण

प्रारम्भिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के सर्वव्यापीकरण से सम्बन्धित 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 का अनुश्रवण आलोल्य वर्ष के दौरान जारी रहा। मंत्रालय के आयोजन, अनुश्रवण तथा सांख्यिकी ब्यूरों ने विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से अपेक्षित सूचना एकत्र करने के पश्चात् आवधिक रिपोर्टें, योजना आयोग तथा प्रधान मंत्री कार्यालय को प्रस्तुत कीं। इसके अतिरिक्त, इसने वार्षिक तथा पंचवर्षीय शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति के समन्वय और केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों की योजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण से सम्बन्धित अपना कार्य जारी रखा। अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा सांख्यिकीय तन्त्र को सुदृढ़ बनाने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र दोनों के लिए वार्षिक योजना 1984-85 में विशेष व्यवस्था की जा रही है।

वार्षिक योजनाएं 1983–84 तथा 1984–85

वार्षिक योजना 1983-84 को अन्तिम रूप दिया गया तथा शिक्षा के तत्काल विकास के लिए 679.74 करोड़ रु० केन्द्रीय क्षेत्र में 155.30 करोड़ रु० तथा राज्य क्षेत्र में 524.44 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई। वर्ष 1983-84 के लिए, शिक्षा के लिए योजनागत परिव्यय देश के कुल, योजनागत व्यय का 2.67 प्रतिशत है; केन्द्रीय क्षेत्र में 1.12 प्रतिशत तथा राज्य क्षेत्र में 4.51 प्रतिशत।

शिक्षा पर, 1983-84 का योजनागत परिव्यय छठी योजना के कुल परिव्यय का 26.9 प्रतिशत आंका गया है (केन्द्रीय क्षेत्र में 21.1 प्रतिशत तथा राज्य क्षेत्र में 29.3 प्रतिशत)।

1984-85 के लिए मंत्रालय के 335 करोड़ रु० के परिव्यय के प्रस्तावों के मुकाबले में 203.65 करोड़ रु० (एस० ए० सी० सी० के अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विशेष योजनाओं के लिए 7 करोड़ रु० सहित) का परिव्यय मंजूर किया गया है। यह शिक्षा के लिए छठी योजना केन्द्रीय क्षेत्र का 27.7 प्रतिशत है।

विशेष कार्यक्रमों की समीक्षा

राज्यों में चुनिन्दा शैक्षिक कार्यक्रमों की समीक्षा 1981-82 में प्रकाशित की गई। समीक्षा प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा उच्चतर मा० शिक्षा के व्यावसायीकरण से सम्बन्धित चुनिन्दा कार्यक्रमों के कार्यकरण पर रोशनी डालती है।

अध्ययन

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के 1967-68 से 1977-78 तक के शैक्षिक विकास की प्रगति" नामक एक अध्ययन प्रकाशित किया गया।

वार्षिक प्रकाशन

अलोच्य वर्ष के दौरान, निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गए :—

1. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों 1973-74 की शिक्षा की प्रगति।
2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की प्रगति 1978-79।
3. शिक्षा पर बजट खर्च का विश्लेषण 1983-84।

सांख्यिकी

देश के सम्पूर्ण शैक्षिक सांख्यिकी आंकड़ों की समीक्षा की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई है तथा इसकी सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

चार राज्यों अर्थात् बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा तमिल नाडु के सम्बन्ध में सर्वेक्षण तथा आंकड़ा प्रक्रिया एकक, रा० शै०अ० तथा प्रशि०प० के सहयोग से मंत्रालय के सांख्यिकीय एकक द्वारा नमूना आधार पर शैक्षिक आंकड़ों का संग्रह" नामक प्रायोगिक परियोजना पूरी कर ली गई है। प्रायोगिक परियोजना के परिणामों पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय के सहयोग से रा०शै०अ० तथा प्र०प० द्वारा उनकी कोटि सुधारने के लिए शिक्षा के आंकड़ें प्राप्त करने में नमूना सर्वेक्षण प्रणालियों के प्रयोगात्मक प्रयोग" पर यूनस्को द्वारा प्रायोजित एक कार्यशाला आयोजित की गई। उपरोक्त चार राज्यों के संबंध में प्रायोगिक परियोजना के लिए एकत्रित आंकड़ों के आधार पर अलग-अलग राज्य रिपोर्टें तैयार करने हेतु कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

चालू वर्ष के दौरान प्रकाशित अध्ययन रिपोर्टों/प्रकाशनों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. उच्च शिक्षा संस्थाओं की निदेशिका—1977-78
2. चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1980-81
3. चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1981-82
4. भारन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-हाई स्कूल तथा उच्चर माध्यमिक परीक्षा 1979-80 के परिणाम।
5. शैक्षिक तथा सम्बद्ध सांख्यिकी की पुस्तिका 1983

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए नियन्त्रित दर पर सफेद मुद्रण कागज की सप्लाई

राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को नियन्त्रित दर पर सफेद मुद्रण कागज के आबंटन की योजना आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रही। सफेद मुद्रण कागज का मूल्य 11 अप्रैल, 1983 से 4200/—रु० से 5400/—रु० प्रति टन बढ़ा दिया गया। कागज की कीमत के संशोधन के फलस्वरूप, कापियों की कीमतें पुनः निर्धारित की गई।

अप्रैल-जून, 1983 से शुरू होने वाली तीन तिमाहियों के लिए शैक्षिक प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों को लगभग 1,0,675 टन सफेद मुद्रण कागज आबंटित किया गया है।

नार्वे से कागज का आयात

नार्वे सरकार के साथ एक द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत, 1983-84 के दौरान 3 करोड़ रु० मूल्य के कागज की सहायता की आशा है। सम्पूर्ण कागज राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा स्कूली पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैल

मंत्रालय ने वर्ष 1984-85 के लिए अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के लिए विभाज्य परिव्यय की लगभग 17.3 प्रतिशत राशि तथा जनजातीय उप-योजना के लिए विभाज्य परिव्यय की 10.1 प्रतिशत राशि प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो 1935 से कार्यरत् है, शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम योजना तथा नीति निर्धारक संस्था है। भारत सरकार ने इस बोर्ड का पुनर्गठन 1982 में किया है ताकि यह सभी शैक्षिक मामलों पर राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार संस्था के रूप में और व्यापक पैमाने पर कार्य कर सके। यह केन्द्रीय अथवा किसी भी राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र को किसी भी शैक्षिक प्रश्न पर अपने आप अथवा पूछे जाने पर सलाह देता है। ऐसे कार्यों को करने के लिए बोर्ड किसी भी सरकारी संस्था अथवा संगठन से चाहे वह देश में हो अथवा देश से बाहर, भारत के विशेष हित और लाभ के लिए शैक्षिक विकास के संबंध में सूचना और विचार मांग सकता है।

वे कारण जिनसे सरकार इस बोर्ड के पुनर्गठन के लिए प्रेरित हुई है, मुख्य रूप से यह है: विभिन्न दिशाओं में दूरगामी परिणामों वाला शैक्षिक विकास जो 1975 में बोर्ड के पिछले पुनर्गठन के बाद हुआ है जैसे कि शिक्षा को संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में लाया जाना। प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने संबंधी कार्यक्रमों और प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के, जो 20-सूत्री कार्यक्रम का महत्वपूर्ण सूत्र है, के कार्यान्वयन की नीतियों पर विचार करने हेतु एक उपयुक्त मंच तैयार करना भी जरूरी समझा गया है। शिक्षा, रोजगार तथा विकास के बीच सम्बन्धों का और अधिक विकास करना भी आवश्यक हो गया है जिसके लिए के०शि०स०बो० एक प्रभावी साधन हो सकता है।

बोर्ड ने 6–7 जून, 1983 को अपना 39 वां सत्र आयोजित किया। बोर्ड ने सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यकलापों और विकास का सर्वेक्षण किया तथा न केवल विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अपितु शिक्षा के विकास के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए भी संकल्प पारित किए। आशा है कि मंत्रालय बोर्ड की सिफारिशों तथा सलाह से अपने कार्यक्रमों तथा कार्य-कलापों को और अधिक तेजी से लागू करेगा।

सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों का सम्मेलन

सभी राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों का एक दो दिवसीय सम्मेलन 20-21 सितम्बर, 1983 के दौरान आयोजित किया गया। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया, कि वे अपनी सातवीं योजना से संबंधित विशेषरूप से, प्रारम्भिक शिक्षा तथा 15-35 आयुवर्ग में प्रौढ़ साक्षरता को सर्वसुलभ बनाने, के प्रस्ताव तैयार करते समय शैक्षिक विकास के प्रयोजन के लिए अपनी योजनागत प्राथमिकताएं निर्धारित करें। लक्ष्योन्मुख वर्गों जैसे कि कमजोर वर्गों, महिलाओं, अल्प संख्यक समुदायों तथा

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 39 वां सत्र चल रहा है।

ग्रामीण तथा जनजातीय लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है। यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यक्रमों को और अधिक प्रोत्साहन देने तथा अंग्रेजी शिक्षण में सुधार करने की आवश्यकता है। यह भी मंजूर किया गया कि सभी एकल शिक्षक स्कूलों को यथाशीघ्र दोहरा शिक्षक अथवा बहु शिक्षक स्कूलों में बदलने की भी आवश्यकता है। समुदाय गायन को राष्ट्रीय एकता के एक साधन के रूप में प्रोत्साहन देने की भी मंजूरी दी गई। सम्मेलन में दो नई योजनाओं अर्थात् स्कूलों में बालिकाओं के, नामांकन के क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा साक्षरता कक्षाओं में प्रौढ़ महिलाओं के क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए राज्यों को पुरस्कार प्रदान करने की योजना की घोषणा की गई। कुछेक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिन पर सम्मेलन में चर्चा की गई, थे स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा, इनसैट सुविधाओं के उपयोग की समीक्षा, तथा जनसंख्या शिक्षा की प्रोन्नति।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

साम्प्रदायिकता को रोकने तथा अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार लाने के उपायों के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसरण में, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण कक्षाएं आरम्भ करना, शिक्षा के निचले स्तर पर प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना, मदरसा शिक्षा की पाठ्चर्या में सुधार, ऐसे क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक लोग अधिक संख्या में रहते हों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा पालिटेक्निक खोलना, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा तथा उर्दू भाषी क्षेत्रों में उर्दू सुलेखन केन्द्र स्थापित करना।

राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय एकता परिषद् की शिक्षा उप-समिति की तीसरी बैठक 14 सितम्बर, 1983 को आयोजित की गई। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता तथा एक ओर केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच तथा दूसरी ओर शैक्षिक संस्थाओं के बीच और अधिक समन्वय तथा उन्हें शामिल करने से संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में, विशेष रूप से ग्रामीण गैर-छात्र युवकों के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करने, परम्परागत मेले, समारोह, तथा उत्सव आयोजित करने तथा पुस्तकों से ऐसे प्रसंगों को हटाने, जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं, के लिए स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के संशोधन के संबंध में सिफारिशें की गई।

शैक्षिक नीतियों, आयोजना, प्रबन्ध तथा मूल्यांकन अनुसन्धान अध्ययन/परियोजनाओं के लिए सहायता योजना

इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के निर्माण, कार्यान्वियन और मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना तथा संस्थानों/संगठनों को ऐसे अल्प अवधि वाले कार्रवाई-उन्मुख अध्ययनों का कार्य करने का अधिकार देना है जिनका शिक्षा प्रणाली सम्बन्धो नीति; आयोजना और प्रबन्ध पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विषयों/अनुसंधान अध्ययनों की जांच स्वीकृति एक संवीक्षा समिति द्वारा दी जाती है जिनमें अन्तर विभागीय अधिकारी शामिल होते हैं। इस योजना के अन्तर्गत कुछ महत्व पूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान की स्थापना मुख्य रूप से देश में शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासनिक सेवाओं में सुधार करने के लिए की गई थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्थान, केन्द्र तथा राज्यों के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करता है, अनुसंधान तथा अध्ययनों का संचालन करता है, अनुरोध किए जाने पर परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था करता है, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करता है तथा शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में सूचना निपटान गृह के रूप में भी कार्य करता है।

16—812 Edu/83

1983 में निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए :—

कुछ शैक्षिक रूप से उन्नत तथा पिछड़े राज्यों में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण पद्धतियों तथा प्रपत्रों का अध्ययन;

विश्वविद्यालय पद्धति के लिए माडल वित्तीय कोड तैयार करने संबंधी अध्ययन;

स्कूल शिक्षकों पर लागू अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में स्थानान्तरण सम्बंधी नियमों का अध्ययन;

राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में संगठनात्मक संरचना तथा शैक्षिक आयोजना, अनुश्रवण तथा सांख्यिकीय संबंधी अध्ययन;

तुलनात्मक परिपेक्ष्य में माध्यमिक स्कूल का प्रमुख;

भारत में सामान्य शिक्षा के कानूनी आधार; और 13 चुनिन्दा विश्वविद्यालयों के विशेष संदर्भ में—भारतीय उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण।

20 और अनुसंधान-अध्ययन कार्य चल रहे हैं। इनमें से कुछेक राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा प्रायोजित किए गए हैं।

1983-84 के दौरान संस्थान ने 30 से भी अधिक प्रशिक्षण तथा अनुस्थापन कार्यक्रमों का आयोजन किया।

सलाहकारी परामर्श और सहायता सेवाएं

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध पर अथवा उनके सहयोग से कुछ अनुसंधान अध्ययन और कार्यक्रम शुरू किए। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त संस्थान ने केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संस्थाओं और शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में कायरत कार्मिकों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखा। संस्थान ने केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर विभिन्न उच्च स्तरीय सम्मेलनों, समितियों और कार्यदलों में भाग लिया।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग

भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, जो 5 सितम्बर, 1982 अर्थात् 'अध्यापक दिवस' पर घोषित किया गया था, एक संकल्प के माध्यम से शिक्षण समुदाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से 16 फरवरी, 1983 को दो राष्ट्रीय शिक्षक आयोग गठित किए गए। प्रथम आयोग का कार्य स्कूल स्तर के अध्यापकों से संबंधित समस्याओं के बारे में तथा दूसरे आयोग का कार्य तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के अध्यापकों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना है। प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I में 20 सदस्य शामिल हैं तथा राष्ट्रीय शिक्षक आयोग II में अध्यक्ष के रूप में प्रो० रईस अहमद सहित 21 सदस्य शामिल हैं। शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में विशेष सचिव श्री किरीट जोशी दोनों आयोगों के सदस्य-सचिव हैं। दोनों आयोगों की पहली बैठक 25 मार्च, 1983 को हुई और उसमें 26 मार्च, 1983 को भारत की प्रधान मंत्री के साथ विचारों के अत्यंत उपयोगी आदान-प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ। आयोगों को, सलाह दी गई कि वे अध्यापक समुदाय पर विशेष बल देते हुए देश भर के महत्वपूर्ण मामलों की जांच करें। बाद में आयोगों की अलग-अलग बैठकें हुई जिससे कार्य की प्रक्रिया और जांच-पड़ताल की विधियों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I ने, उसे विशिष्ट रूप से सौंपे गए संदर्भ विषयों के विभिन्न पहलुओं की

बारीकी से जांच व गहराई से विचार करने के लिए अनेक दल गठित किए। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I द्वारा अन्य सदस्यों के साथ-साथ कुछ शैक्षिक विशेषज्ञों को भी दलों के सदस्यों के रूप में सहयोजित किया गया। पूरे आयोग I ने दल के सदस्यों के साथ-साथ हैदराबाद, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई, गोहाटी शिलांग का दौरा किया। चार या पांच सदस्यों के छोटे-छोटे दलों ने चण्डीगढ़, अहमदाबाद, बंगलौर, मद्रास और भुवनेश्वर का दौरा किया। इन दौरों का उद्देश्य नीति बनाने वालों, प्रशासकों, अध्यापकों, अध्यापकों के प्रतिनिधियों तथा अध्यापकों की समस्याओं में रुचि रखने वाले विख्यात शिक्षाविदों के साथ चर्चा करना था। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षक आयोग II ने पांच दलों का गठन किया जो पांच क्षेत्रों अर्थात् उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी तथा केन्द्रीय क्षेत्र में गए तथा उन्होंनें 35 कालेजों और 29 विश्वविद्यालयों का दौरा किया।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I ने, इलाहाबाद में एक अनुसंधान सैल गठित करने का निर्णय किया, जिसके निदेशक श्री एस०बी० अडवाल हैं। इस अनुसंधान सैल को, माध्यमिक स्तर तक के विभिन्न अध्यापक संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों के संबंध में एक लघु रिपोर्ट तैयार करने के अतिरिक्त, इसे सौंपे गए सभी विचारार्थ विषयों के बारे में एक विशेष रिपोर्ट की तैयार करने का कार्य सौंपा गया, जिसमें देश भर में वितरित की गई प्रश्नावलियों का विश्लेषण भी शामिल है।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग I ने, 'अध्यापक के प्रति छात्र का बोध' विषय पर विचार जानने के लिए 17 और 18 दिसम्बर को छात्रों की एक सभा भी आयोजित की। देश में प्रत्येक शिक्षा बोर्ड के उत्कृष्ट पांच छात्रों को सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

दिल्ली के स्थानीय अध्यापक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विख्यात शिक्षाविदों के साथ 19 दिसम्बर को एक बैठक आयोजित की गई।

'अध्यापक आज और कल' विषय पर 18 और 19 नवम्बर, 1983 को इलाहाबाद में अनुसंधान सैल के तत्वावधान में एक सैमिनार भी आयोजित किया गया जिसमें सारे उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या के शिक्षाविदों तथा बुद्धजीवियों ने भाग लिया। इसी सैल ने इलाहाबाद में 4 दिसम्बर को विख्यात विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित की जिससे कि उन्हें विभिन्न विचारार्थ विषयों के संबंध में विशेषज्ञ लेख लिखने के संबंध में पृष्ठ सामग्री की जानकारी मिल सके।

अनुसंधान अध्ययनों को तैयार करने तथा साथ ही ज्ञापनों का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक आयोग II ने राष्ट्रीय शैक्षाणिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान में एक केन्द्रीय तकनीकी एकक की स्थापना की है।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग II को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, वि०अ० आयोग द्वारा, संस्थाओं के अध्यक्षों द्वारा भरे जाने वाले सरल आंकड़ा सूचना प्रोफार्मो 120 विश्वविद्यालयों, 4800 कालेजों तथा 2.5 लाख अध्यापकों के संबंध में आंकड़े इक्ट्ठे किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय तकनीकी एकक, राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान द्वारा एक स्तरबद्ध उद्देश्यपूर्ण नमूना सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें नमूने के तौर पर 20% विश्वविद्यालयों 50% कालेजों का, जिनकी संख्या क्रमशः 25 तथा 245 है, नमूना सर्वेक्षण अध्ययन शामिल है। इस सर्वेक्षण में उन सभी शिक्षकों को शामिल करने का प्रस्ताव है। जो इन संस्थाओं में कार्यरत है। विश्व-विद्यालयों और कालेजों के इस नमूना सर्वेक्षण में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा;

(क) विकसित अथवा कम विकसित क्षेत्र,
(ख) पुरानी या नई संस्थाएं
(ग) सम्बद्ध अथवा केन्द्रीयकृत संस्थाएं,
(घ) केन्द्रीय अथवा राज्य संस्थाएं,
(ङ) व्यावसायिक अथवा सामान्य संस्थाएं।

विभिन्न संस्थाओं में शिक्षकों को किन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, व्यावसायिक विकास के वास्तविक अवसर क्या हैं क्षेतीजीय और उर्ध्वाधर गतिशील-लता की समस्याएं और शिक्षकों को क्या स्तर प्राप्त हैं, इन सब बातों का मौके पर ही अध्ययन करने के प्रयत्न किए गए। क्षेत्रीय यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय आयोगों द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली के संबंध में सभी संबंधित व्यक्तियों की राय प्राप्त की गई। इन प्रश्नावलियों को अध्यापकों के साथ-साथ उन सभी संगठनों को भेजा गया था जो शिक्षकों की समस्याओं में रुचि रखते हैं।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से देश का इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के प्रिंसिपलों/निदेशकों के साथ राष्ट्रीय शिक्षक आयोग II ने 26 नवम्बर, 1983 को एक सम्मेलन का भी आयोजन किया।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग II के सदस्यों के विचारार्थ इस आयोग के सचिवालय द्वारा विचरार्थ विषय संख्या 5,6-8 और 9 के संबंध में और जानकारी तैयार करने के उद्देश्य से चार सेमिनारों का भी आयोजन किया जा रहा है।

भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद् के सहयोग से, "शिक्षा के लिए नए लक्ष्य और शिक्षकों की नई भूमिका" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। राष्ट्रीय आयोग II के कुछ सदस्यों को भी जिसका संबंध उच्च शिक्षा से है, इस सेमिनार में आमंत्रित किया गया।

'शिक्षक दिवस' के अवसर पर 5 से 9 सितम्बर, 1983 तक इन आयोगों के तत्वावधान में शिक्षकों के संबंध में एक राष्ट्रीय सेमिनार नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के विख्यात शिक्षाविदों ने भाग लिया। श्रीमती शीला कौल, प्रो०डी० एस० कोठारी, प्रो०वी०एस० झा, प्रो०एम०जी०के० मेनन, डा० (श्रीमती) माधुरी शाह और प्रो०सतीश चन्द्र द्वारा राष्ट्रीय अभिभाषण दिए गए जिनसे इन आयोगों के कार्य पर प्रकाश डालने में ससायता मिली। इस सेमिनार में भाग लेने वालों द्वारा इस विषय पर 27 निबंध भी प्रस्तुत किए गए।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए अनेक नियमों के अंतर्गत मंत्रालय व इसके सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों/संस्थाओं में भी हिन्दी के प्रयोग की प्रोन्नति के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सरकारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में एक व्यापक आधार वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति और समबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी इसी प्रकार की समितियां कार्य कर रही हैं। इस मंत्रालय व इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि के कार्य में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित विषयों पर मंत्रालय को सलाह देने के लिए एक विधिवत् गठित हिन्दी सलाहकार समिति भी कार्य कर रही है।

मंत्रालय के कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति, त्रमासिक प्रगति रिपोर्टों में दर्शायी जाती है जो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी जाती है।

इस दिशा में मंत्रालय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न-लिखित है :—

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित) के अनुच्छेद 3(3) का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। यदि किन्हीं अनुभागों आदि में इसके पालन के संबंध में कोई कमी पाई जाती है तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है।

मंत्रालय में सभी बोर्डों, नाम प्लेटों, रबर मोहरों को द्विभाषी रूप (पहले हिन्दी फिर अंग्रेजी) में तैयार किया गया है।

मंत्रालय में देवनागरी के 53 टाइपराइटर थे। इस वर्ष के दौरान 13 और हिन्दी टाइपराइटर खरीदे गए। इस प्रकार अब देवनागरी टंकण मशीनों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है जो मंत्रालय की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत सन् 1983 के दौरान हिन्दी के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए 50 व्यक्तियों को नामजद किया गया और हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण के लिए 10 व्यक्तियों को तथा हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण के लिए 22 व्यक्तियों को नामजद किया गया।

हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का, जिन मामलों में उत्तर की अपेक्षा होती है, हिन्दी में ही उत्तर दिया जाता है।

सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सरकार की नीति के पालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से मंत्रालय के अधिकारी मंत्रालय के नियंत्राधीन सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं। जो कमियां पाई जाती हैं उन्हें कार्यालय प्रमुख के ध्यान में लाया जाता है तथा आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है तथा उनसे अनुपालन रिपोर्टें मंगाई जाती हैं।

मंत्रालय, इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में आवधिक पत्रिकाओं पुस्तकों आदि का हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशन जारी हैं और उनकी एक-एक प्रति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भेजी जाती है।

मंत्रालय में चेकपाइंट बनाए गए हैं और मंत्रालय में प्रेषण अनुभाग को उसके चेकपाइंट को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सुदृढ़ किया गया है जिससे कि हिन्दी भाषी राज्यों को कोई भी पत्र अंग्रेजी में न भेजा जा सके। यह प्रेषण अनुभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह हिन्दीभाषी राज्यों को भेजा जाने वाला कोई भी पत्र अंग्रेजी में स्वीकार न करें और ऐसे पत्र को जारी किए बिना उसे अधिकारी को इस अनुरोध के साथ वापस भेज दिया जाए कि इसे जारी करने के लिए हिन्दी में भेजा जाए। इसके साथ ही यह अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे प्रेषण अनुभाग को, हिन्दी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले सभी पत्र केवल हिन्दी में ही भेजें।

इसके साथ-साथ प्रेषण अनुभाग को सभी सामान्य आदेशों को हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भेजने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

मंत्रालय के स्टाफ और अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शी रूप रेखाएं भेज दी गई हैं कि दिन-प्रतिदिन के काम में कहीं हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का और कहीं केवल हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है। हिन्दी के प्रयोग के लिए, राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 और राजभाषा नीति से संबंधित संवैधानिक उपबंध, राजभाषा अधिनियम, 1963 और अन्य सम्बद्ध आदेशों/अनुदेशों को अनुपालन के लिए परिचालित किया जा चुका है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों और सेवाओं में प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन

सरकारी नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के हितों की देखभाल करने के लिए मंत्रालय में एक विशेष सैल विद्यमान है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को देखने के लिए इस मंत्रालय प्रशासन-निदेशक सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों से समुचित रोस्टर रखने के वास्ते अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सम्पर्क अधिकारी के रूप में काम करने के लिए मनोनीत करने का अनुरोध किया गया है। अधीनस्थ कार्यालयों के आरक्षण रोस्टरों की इस मंत्रालय में सम्पर्क अधिकारी द्वारा जांच की जाती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में अनेक विवरण कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को समय-समय पर भेजे जाते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के सभी मामलों की, सम्पर्क अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले समुचित रूप से जांच की जाती है।

प्रकाशन एकक

वर्ष 1983-84 के दौरान, प्रकाशन, एकक ने 4 द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी) प्रकाशनों सहित अंग्रेजी में 47 प्रकाशन और दो त्रैमासिक पत्रिकाएं "दि एजूकेशन क्वार्टरली" और "इंडियन एजूकेशन एबस्ट्रेक्ट्स" प्रकाशित किए। "दि एजूकेशन क्वार्टरली" पत्रिका प्रकाशन के अपने 35वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। "केन्द्र तथा

राज्यों में शैक्षिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं" का एक मासिक सारांश जिसका वितरण सीमित है, हर महीने अंग्रेजी और हिन्दी में निकाला जाता है।

हिन्दी प्रकाशन एकक ने इसी अवधि के दौरान "शिक्षा विवेचन" और "संस्कृति" नामक दो पत्रिकाओं सहित 20 प्रकाशन निकाले।

मंत्रालय ने नवम्बर, 1983 में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हुए भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में "इवोल्यूशन" विषय पर एक प्रदर्शनी लगाकर भाग लिया।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् ने भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय विज्ञान-संग्रहालय परिषद् के सहयोग से, मंत्रालय की ओर से, इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था।

मंत्रालय ने 4 से 14 फरवरी, 1984 तक नई दिल्ली में हुए छठे विश्व पुस्तक मेले में भी भाग लिया।

छात्र–सूचना-सेवा एकक

छात्र सूचना सेवा एकक, छात्रों के लाभ के लिए भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के संबंध में सूचना एकत्रित, संकलित और प्रसारित करता है तथा विभिन्न विषयों संबंधी उनकी पूछताछ का समाधान भी करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान, इस एकक द्वारा भारत और विदेश में उच्च-शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित लगभग 4302 पूछताछों के उत्तर दिए गए। भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित जानकारी लेने के लिए 1682 व्यक्ति इस एकक से सम्बद्ध संदर्भ पुस्तकालय में पंचांगों, पुस्तिकाओं, विवरणिकाओं व अन्य बुलेटिनों का अवलोकन करने के लिए आए/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से प्राप्त नवीनतम पंचांगों, विवरणिकाओं व अन्य प्रांसगिक साहित्य के रूप में इस एकक के संदर्भ पुस्तकालय में 1316 और प्रकाशन शामिल किए गए।

पाकिस्तान और बंगलादेश से शिक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के विशेष अनुरोधों के संबंध में इन देशों में स्थित हमारे मिशनों के साथ पत्र-व्यवहार किया गया।

विदेशों में जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए 13940 व्यक्तियों के संबंध में शैक्षिक प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने का काम किया गया।

सतर्कता कार्यकलाप

वर्ष 1983 के दौरान 5 कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक मामलों को अन्तिम रूप दिया गया जिसके फलस्वरूप दो मामलों में बड़ा दण्ड और एक मामले में मामूली दण्ड दिया गया। तीन अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध शुरू की गई प्रमुख दण्डात्मक कार्यवाहियां विचार के विभिन्न स्तरों पर हैं। एक सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध तथा कथित झूठे एल०टी०सी० दावे के लिए सी०सी०एस० (पेंशन) नियमों के अधीन विभागीय कार्रवाई शुरू करने के वास्ते मंजूरी प्रदान की गई। एक सम्बद्ध कार्यालय को उसके एक कर्मचारी द्वारा झूठा यात्राभत्ता लेने के आरोप के विरूद्ध प्रमुख दण्डात्मक कार्यवाही शुरू करने की सलाह दी गई। अनुशासनात्मक मामलों के अतिरिक्त, मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों और साथ ही स्वायत्त संगठनों तथा मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की भी जांच की गई। सीधे ही अथवा सी०बी०सी०/सी०बी०आई० के माध्यम से प्राप्त अधिकांश शिकायतों की जांच करने पर यह पाया गया कि वे झूठी थीं और इसलिए उन्हें फाइल कर दिया गया। तीन शिकायतों की जांच की जा रही है।

वर्ष 1982-83 के दौरान सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों के विदेशों में भेजे गए शिष्ट मंडल/प्रतिनिधि मंडल	प्रतिनिधि मंडलों की संख्या	प्रतिनिधि मंडल/शिष्ट-मंडल में शामिल व्यक्तियों की संख्या	किया गया कुल खर्च (रुपयों में)	विदेशी मुद्रा (रुपयों में)
	106	158	रु० 26,88,932.42	10,36,344.31 और £. 4414.74

शिक्षा विभाग

बजट प्राक्कलन

इस विभाग के संबंध में 1983-84 और 1984-85 के कुल बजट प्रावधान निम्नलिखित हैं :--

(लाख रुपए)

विवरण	बजट प्राक्कलन 1983-84	संशोधित प्राक्कलन 1983-84	बजट प्राक्कलन 1984-85
मांग संख्या-24			
शिक्षा [विभाग			
वेतन तथा लेखा	2,25.96	2,86.11	4,04.98
कार्यालय, आतिथ्य तथा			
मनोरंजन सहित			
विभाग का सचिवालय			
मांग संख्या-25	344,11.98		
शिक्षा	@—5,15.10		
सामान्य शिक्षा, केन्द्र/ केन्द्रीय प्रायोजित (योजनागत) योजनाओं के लिए राज्यों/ सघं शासित क्षेत्रों को सहायक-- अनुदान की व्यवस्था सहित विभाग का अन्य राजस्व व्यय तथा केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण का प्रावधान	338,96.88	357,95.65	421,79.31
अन्य कार्यकलाप			
1. प्रकाशन — योजनेतर	5.50	7.00	7.00
2. प्रगति मैदान में शैक्षिक और सांस्कृतिक विचार मण्डप — योजनेतर	10.00	10.00	10.00
3. राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन — योजनागत	40.00	36.00	45.65
संस्थान — योजनेत्तर	28.90	29.35	31.82

@यह प्रावधान खेल विभाग के संबंध में है लेकिन 1983-84 के बजट प्राक्कलन तैयार करते समय इसे शामिल किया गया था।

संस्कृति विभाग

संस्कृति विभाग के लिए 1984-85 के बजट प्रावधान निम्नलिखित हैं :--

(लाख रुपए)

विवरण	बजट प्राक्कलन 1983-84	संशोधित प्राक्कलन 1983-84	बजट प्राक्कलन 1984-85
मांग संख्या-26			
संस्कृति विभाग	16,55.26	18,48.94	20,19.42
मांग संख्या-27			
पुरातत्व	8,84.63	10,56.63	11,45.00

संस्कृति विभाग

17—812Edu/83

प्रस्तावना

वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कला परिषद की स्थापना था। परिषद, कलाओं, पुरातत्व, मानव विज्ञान की संस्थाओं, अभिलेखागारों, संग्रहालयों के कार्यकलापों के बीच समन्वय तथा सांस्कृतिक दाय के परिरक्षण तथा संरक्षण में कार्यरत संस्थाओं तथा एजेंसियों के कार्यक्रमों तथा भावी योजनाओं के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरावशेषों तथा कला निधियों के निर्यात व्यापार को नियमित करने के अतिरिक्त प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों, खोजों, खुदाइयों, पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों के अनुरक्षण, मंदिरों तथा भवनों के वास्तुशिल्पीय सर्वेक्षण पुरालेखीय अनुसंधान प्रकाशनों आदि की सुरक्षा तथा परिरक्षण के क्षेत्रों में अपने कार्यक्लाप जारी रखे। सर्वेक्षण ने, स्मारकों का एक राष्ट्रीय सूची-पत्र तैयार करने की परियोजना भी शुरू की है, तथा यह कार्य प्रगति पर है।

संग्रहालयों ने, हमारी सांस्कृतिक दाय के भंडारों के रूप में कला के अधिग्रहण तथा परिरक्षण, प्रदर्शनियों के आयोजन, प्रलेखन तथा प्रकाशनों के क्षेत्रों में अपने कार्यकलाप जारी रखे। राष्ट्रीय संग्रहालय ने, "दक्षिण भारतीय कांस्य की श्रेष्ठ कृतियां" तथा "भारतीय मुद्राएं" नामक प्रदर्शनियां आयोजित कीं। भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता ने "तिब्बती थकांओं" तथा "कलकत्ता और उसके आस-पास के तैल चित्र" पर प्रदशनियां आयोजित कीं। राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी द्वारा दिसम्बर, 1983 में नन्दलाल बोस (1882—1966) की 234 कृतियों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री ने किया।

शैक्षिक कार्यकलापों के रूप में सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद ने "पर्यावरण प्रदूषण तथा सांस्कृतिक सम्पदा" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया। नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकायलय ने "प्रकृति तथा पर्यावरण के विषय में जवाहर लाल नेहरू" नामक प्रथम बुलेटिन प्रकाशित किया।

सांस्कृतिक सम्पदा के परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने, यूनेस्को के सहयोग से पहली नवम्बर, 1983 को छः माह का परिरक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। कला तथा पुरातत्वीय वस्तुओं के परिरक्षण के बारे में बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयोगशाला ने संग्रहालयों में संग्रहों के प्रभारी व्यक्तियों के लाभ के लिए "संग्रहालय सामग्रियों के संरक्षण तथा देखभाल संबंधी एक अनुस्थापन कार्यशाला" आयोजित की। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् ने "विकास" के संबंध में विशेष रूप से एक प्रदर्शनी की रूपरेखा तैयार और विकसित की। इस प्रदर्शनी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अवसर पर प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कार्यकलाप मुख्यतः अखिल भारतीय/क्षेत्रीय परियोजनाओं की 60 अनुसंधान परियोजनाओं पर केन्द्रित थे। सर्वेक्षण ने वर्ष के दौरान नौ फैलोशिप प्रदान कीं तथा कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किए।

अभिलेखों तथा रिकार्डों के क्षेत्र में, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की 66,302 फाइलों का मूल्यांकन किया, महत्वपूर्ण कागजातों का अधिग्रहण किया, 15 मंत्रालय/विभागों के रिकार्डों के लिए धारण अनुसूचियों की जांच की। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 1 से 7 नवम्बर, 1983 तक एक "अभिलेखागार सप्ताह" भी मनाया। रामपुर रजा पुस्तकालय द्वारा अरबी की एक और दुर्लभ पाण्डुलिपि प्रकाशित की गई। दुर्लभ पाण्डुलिपियों की सूची तैयार करने, सम्पादन, परिरक्षण तथा प्रकाशन के लिए स्वैच्छिक संगठनों

संग्रहालयों, पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की गई । एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसने वर्ष के दौरान अपनी द्विशती मनाई तथा जिसे एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया गया है।

उप-शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बौद्ध अध्ययनों के प्रोत्साहन के संबंध में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित की गई । संस्कृति विभाग ने बौद्ध और तिब्बती अध्ययनों के क्षेत्र की संस्थाओं, अर्थात् केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह, केन्द्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, वाराणसी तथा तिब्बती कृति पुस्तकालय और अभिलेखागार, धर्मशाला आदि को वित्तीय सहायता देना जारी रखा।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ने, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रकाशनों का अधिग्रहण तथा विनिमय के अपने कार्यकलापों को जारी रखा । केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय ने भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थसूची का अपना वार्षिक अंक तथा इन्डेक्स इन्डियाना का प्रथम वार्षिक अंक 1981 प्रकाशित किया। केन्द्रीय सचिवालय ने अपने 6,00,000 से अधिक ग्रंथों के अपने मुख्य संग्रह में 10,300 से अधिक हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की नई पुस्तकें शमिल कीं।

तीन राष्ट्रीय अकादमियों, अर्थात् साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी ने, साहित्यिक, निष्पादन तथा रूपंकर कलाओं के अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्यकलापों को और सुदृढ़ किया है। ललित कला अकादमी ने एक राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित की।

विभाग ने नृत्य, नाटक तथा रंगमंच मण्डलियों को वित्तीय सहायता, सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए अन्य अनुदान व छात्रवृत्तियां देना भी जारी रखा। 1985–86 के दौरान अमरीका तथा फ्रांस में 'भारतीय समारोह' आयोजित करने का भी निर्णय किया गया है। साहित्य कलाओं तथा जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों को जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में हो सकते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना पुनः शुरू की गई।

विश्व में बहुत से देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने की नीति सक्रिय रूप से जारी रखी गई। वर्ष के दौरान इथोपिया, फिन्लैंड, मालदीव, अपर वोल्टा तथा यमन अरब गणतंत्र के साथ पांच सांस्कृतिक करारों पर तथा यूनान, टयुनिशिया, बंगलादेश, सं० ज० ग०, जार्डन, ज० लो० ग०, कोरिया, पोलैण्ड, सोवियत रूस, वियतनाम, नार्वे, कोरिया गणतंत्र तथा फ्रांस के साथ ग्यारह सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए गए अथवा उनका नवीकरण किया गया।

संस्कृति विभाग ने, कला तथा संस्कृति के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू की।

बनावली : हड़प्पा युगीन द्वार और नाली का रास्ता

अध्याय 1

पुरातत्व

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई, खोज, स्मारकों का संरक्षण, स्थल संग्रहालयों का अनुरक्षण पुरावस्तुओं तथा कला भण्डारों के परिरक्षण और पुरातत्व विद्यालय के संचालन इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों को जारी रखा।

1 खोज और खुदाई

खोज

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब राजस्थान तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में खोजबीन के दौरान काफी संख्या में प्रागैतिहासिक युग से लेकर मध्यकाल तक की विभिन्न अवधियों का निरुपण करने वाले स्थलों की खोज की गई। महत्वपूर्ण खोजों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:—

महबूब नगर जिला (आन्ध्र प्रदेश) में महापापाणी स्तूप सर्किल, मध्यकालीन किलेबन्दियां और नक्काशी वाले शिलाश्रम, भागलपुर जिले (बिहार) में मूर्तिकला और बर्तनकला ; बड़ौदा जिले (गुजरात) में ऐतिहासिक स्थल, बेल्लारी और शिमागो जिलों (कर्नाटक) में नवप्रस्तर और महापाषाणीय स्थल, रायसेन और रीवा (मध्य प्रदेश) जिलों में पूर्व पाषाण युगीन स्थल चित्रित शिलाश्रय और एक प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर, स्तूपों, बिहारों और महापाषाणों के अवशेष, अहमदनगर जिले (महाराष्ट्र) में पाषाण युगीन औजारों के स्थल और परवर्ती हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तन वाली ताम्र-पाषाण बस्तियों के अवशेष, पाली जिले (राजस्थान) में प्रागैतिहासिक औजारों और मंदिरों के अवशेषों वाले स्थल, मालदा जिले (पश्चिम बंगाल) में ताम्र-पाषाणीय और मध्यकालीन स्मृति चिह्नों वाले टीले, और बिजनौर तथा गाजीपुर जिलों (उत्तर प्रदेश) में प्राचीन बर्तन वाले स्थल और प्राचीन दुर्गों तथा मूर्तिकलाओं के अवशेष।

भारत-फ्रांस अभियान

भारत-फ्रांस पुरातत्वीय अभियान दल ने रोहतक और हिसार जिलों, (हरियाणा में प्राचीन सरस्वती क्षेत्र के एक भाग में और झूंनझूनू जिले राजस्थान में, झुनझुनू के पास कुछ परवर्ती पाषाण युगीन स्थलों का पता लगाने के साथ -साथ भू-पुरातत्वीय खोज कार्य पूरा किया; दरवा के आस-पास की मध्यकालीन अवधि की एक नहर के अवशेषों का पता लगाया और गत हिमाच्छादन के बाद से क्षेत्र की जल निकास पद्धति के बारे में ब्यौरे भी एकत्र किए।

खुदाई

वर्ष 1983–84 के दौरान, फतहपुर सीकरी, जिला आगरा, श्रंगवेरपुर, जिला इलाहाबाद, हुलास, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, हाम्पी, जिला बेल्लारी, बनाहाली, जिला कोलार, कर्नाटक, खजुराहों, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, वल्लालधीमी, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल, बनावाली, जिला हिसार, हरियाणा, कम्बारमेडु, जिला मयुरम, तमिलनाडु; गोराज, जिला बड़ौदा, गुजरात और रामापुरम जिला करनूल, आन्ध्र प्रदेश में और खुदाई कार्य किया।

इन खुदाइयों के फलस्वरूप, रुचिकर अवशेष और बड़ी मात्रा में पुरावस्तुओं को प्रकाश में लाया गया जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण थी : फतहपुर सीकरी में मुगलकालीन भवनों के आधार और नींव श्रंगवेरपुर में आकर्षक टैंक कम्पलैक्स के संरचनात्मक ब्यौरे और ऐतिहासिक पुरावशेष ; हाम्पी की उत्तर हड़प्पा कालीन बस्ती, हाम्पी में विजय नगर के राजधानी शहर के अब तक अविख्यात संरचनात्मक अवशेष ; बनाहाली में नव-पाषाण संस्कृति का विकसित चरण ; खजुराहों में चन्देलकालीन मंदिरों के अवशेष, बल्लालधीपी में विशाल ईंटों की दीवार वाले उन्नत मानचित्र और सूचीस्तम्भीय क्रूसाकार के मंदिर कम्पलेक्स का एक भाग; बनावाली में पूर्व-ऐतिहासिक अवधि की क्रास दीवार और नाली वाले बुर्जों सहित आकर्षक

द्वार ; कम्बारमेडु में नव-पाषण और महापाषाण बस्ती और प्रारम्भिक मध्यकालीन अवधि के सांस्कृतिक भण्डार, गोराज के एक मंदिर की ईंटों की नींव; इसके अतिरिक्त रामापुरम में ताम्र-पाषाण, महा-पाषाण और मध्यकालीन अवधि की संस्कृतियों की श्रृंखला ।

शिलालेखों का अध्ययन तथा नकल

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु , और उत्तर प्रदेश राज्यों में संस्कृत तथा द्रविड़ के लगभग 230 तथा अरबी और फारसी के एक सौ तरेसठ शिलालेखों का पता लगाया गया, प्रतिकृतियां तैयार की गई तथा अध्ययन किया गया।

पुरातत्वीय अवशेषों का गांव--गांव में सर्वेक्षण

पिछले वर्ष के कार्य के क्रम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और विभिन्न विश्वविद्यालयों ने विभिन्न राज्यों के 24 जिलों में खोज कार्य किया।

II संरक्षण

संरचनात्मक संरक्षण

सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1983–84 के दौरान केन्द्रीय रूप से प्रतिरक्षित स्मारकों के संरक्षण का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षकों के संसाधनों तथा जनशक्ति के एक भाग को गोवा भेजा गया जहां भारत सरकार ने नवम्बर, 1983 के तीसरे सप्ताह के दौरान दिल्ली में आयोजित 'चोगम' बैठक में उपस्थित हुए राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रमुखों के लिए विश्राम की व्यवस्था की थी। गोआ में बोम जेसस चर्च, अस्सीसी के सेन्ट फ्रेंसिस का चर्च, होली सीका कैथेड्रल तथा सेन्ट कास्टन चर्च की बड़े पैमाने पर संरचनात्मक मरम्मत की गई; क्षीण पलास्टर को हटाया गया तथा मूल के अनुसार नया चूने का पलास्टर लगाया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है : तमिलनाडु में नट्टेरी में चन्द्रमौलेश्वर मन्दिर का संरक्षण । मन्दिर का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त गोपुरा तथा बाहरी गोल दिवारों को उचित प्रलेखन के पश्चात् गिराया गया तथा पक्की नींव भरकर उन्हे मूल के अनुसार दोबारा बनाया जा रहा है। सर्वेक्षण द्वारा किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है : उचित प्रलेखन तथा उनके पुनर्निर्माण के नए स्थान पर ले जाने के पश्चात् आंध्र प्रदेश में आलमपुर मे पापानासी मन्दिरों के समूह को पूरी तरह से गिराना अन्यथा श्री सैलम बांध परियोजना के कारण वे पानी में डूब जाते। आन्ध्र प्रदेश में पालमपेट में रामाप्पा मन्दिर के गोपुरा के अन्दर गुमशुदा कड़ियों के स्थान पर नई लकड़ी की कड़ियों की व्यवस्था की गई है तथा काम चल रहा है। उड़ीसा में पुरी में भगवान जगन्नाथ मन्दिर में मरम्मत का बड़ा काम किया गया। शिखर भाग तक अपक्षीण तथा क्षतिग्रस्त संरचनात्मक पत्थर के टुकड़ों को हटाया जा रहा है तथा इनके स्थान पर नए पत्थर लगाए जा रहे है। सुदृढ़ीकरण तथा इंपोक्सी रेजिन द्वारा मुक्ति मण्डम के स्तम्भों का सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा किया गया। मध्य प्रदेश की बाग गुफाओं में रोटरी मशीनों के साथ छिद्रणकार्य और तरल सीमेन्ट के साथ इन छिद्रों को भरने का काम पूरा होने वाला है। गुजरात में अहमदाबाद में बाबा लौली की मस्जिद में मूल निर्माण के अनुसार विस्तृत संरचनात्मक मरम्मत, जैसे कि गुमशुदा छत की पट्टियां तथा कड़ियां फिर से लगाने का कार्य किया गया। द्वारका में द्वारकाधीश मन्दिर की उत्तरी ड्योढ़ी के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया है। जैसलमेर किले के पदज के हटे हुए अशलार पत्थरों को हटाकर मरम्मत का कार्य चल रहा है।

अन्य प्रसिद्ध स्मारक जहां संरचात्मक मरम्मत कार्य चल रहा है निम्नलिखित है, जम्मू तथा कश्मीर में बबौर में परी महल, डेरा मन्दिर, हिमाचल प्रदेश में टाबो में डाडम्पा गुफा, भटिण्डा, पंजाब में बस्तियों तथा किला, ताजमहल, आगरा, आगरा के किले में शीश महल; लखनऊ में आसफ-उद्दौला इमामबाड़ा, उत्तर प्रदेश में निर्वाण स्तूप कुशी नगर; बिहार के अंतीचाक में खोदे गए अवशेष; रायपिथौरागढ़, सिकन्दर लोधी का मकबरा, महम्मदपुर तीन बुर्जी, संघशासित क्षेत्र दिल्ली में पुराना किला, राजस्थान में भानगढ़ तथा नीलकंठ के स्मारक, गुजरात में चम्पारन में बाबा मान की मस्जिद; मांडु में जामा मस्जिद ; ग्वालियर में मान सिंह का महल; ग्यारासपुर में बौद्ध स्तुप, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चौक मोहिला में हमाम खाना; तिरूमुककुंडल में वेकटेश्पेरुमल मन्दिर, महाबलीपुरम में पांच रथ, तमिलनाडु के मेलपुडी में चीलेश्वरा मन्दिर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, गोआ में अगोडा किला; बन्दलाईक में त्रिमूर्ति नारायण मन्दिर; तल्लुर में बासावाना मन्दिर; कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुम्बज;

भुवनेश्वर में मन्दिर; जैसे कि राजारानी मन्दिर; लिंगराजा मन्दिर; उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मन्दिर; मुर्शीदाबाद में हजार द्वारी महल तथा इमामबाड़ा, पश्चिम बंगाल में शाहजी कटरा में मुर्शीदकुली खां का मकबरा तथा मस्जिद।

भू-दृश्य निर्माण तथा उद्यानों का अनुरक्षण

आलोच्य वर्ष के दौरान अनेक स्मारकों के नियमित अनुरक्षण के अतिरिक्त बड़ें पैमाने पर बागवानी का कार्य किया गया। बिहार में वैशाली में जल आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु जलकूप बनवाने तथा भूदृश्य निर्माण का कार्य किया गया। सूर्य मन्दिर, कोणार्क में भू-दृश्य बालू के टीलों का भूदृश्य निर्माण कार्य, पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर, बंकुरा जिले में पुरातत्वीय स्थल का विकास चितौड़गढ़ में सती कम्प्लेक्स तथा विक्टरी टॉवर के चारों ओर वृक्षारोपण; पुराने गोआ में स्मारकों के चारों ओर, बड़ें पैमाने पर भू-दृश्य निर्माण तथा बागवानी का कार्य किया गया। मैदानों की घास काटकर वृक्षों की कांट-छांट करके तथा पुष्पों के पौधे लगाकर आगरा तथा दिल्ली में स्मारकों के चारों ओर विद्यमान उद्यानों को सजाया संवारा गया। पुरातत्वीय अवशेषों तथा संग्रहालय के चारों ओर एक साधारण उद्यान लगाया गया है।

रासायनिक परिरक्षण

निम्नलिखित नए महत्वपूर्ण स्मारकों में बड़ें पैमाने पर रासायनिक सफाई तथा परिरक्षण का कार्य किया गया। पुराने गोआ में सेन्ट फ्रांसिस अस्सीसी चर्च में दो कन्वैस चित्रों का रासायनिक उपचार तथा परिरक्षण बाम जेसस् चर्च के बसिलिका में प्रमुख वेदी (संघ क्षेत्र) का परिरक्षण तथा उपचार; होली सी गोआ के कैथेड्रल में प्रमुख वेदी के पिछले हिस्से का कीटनाशी उपचार; तथा ताबी में डोप लॉग गुम्फा, तथा चिल कॉग गुम्फा में चित्रकारी का रासायनिक उपचार तथा परिरक्षण, दिल्ली में लाल किले के दीवान-ए-खास में स्वर्ण चित्रकारी, जड़ाऊ कार्य तथा सादे संगमरमर तथा तंजावुर में वृहदेश्वर मंदिर में और त्रिचूर, केरल में वेदाकुंथा मंदिर में चित्रकारी के उपचार का कार्य पूरा किया गया। आगरे के ताजमहल में बड़ें पैमाने पर रासायनिक सफाई तथा परिरक्षण का कार्य भी किया गया।

विदेशों में खोज

भूटान के मठों में भित्ति-चित्रों के उपचार हेतु दो रासायनिक विशेषज्ञ दल वहां भेजें गए।

III. पुरावस्तु तथा कला निधियां

पुरावस्तु तथा कलानिधि अधिनियम कार्यान्वित करने का काम केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा संघीय क्षेत्रों के माध्यम से जारी रखा गया।

पुरावस्तुओं के पंजीकरण का कार्य जारी रहा तथा लगभग 15,000 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए। पर्याप्त मात्रा में कला कृतियों की, जिनमें निर्यात के लिए निश्चित अस्त्र-शस्त्र भी शामिल हैं, निर्यात परामर्श समितियों तथा महा निदेशक द्वारा जांच की गई तथा गैर पुरावस्तुओं के लिए 2405 निर्यात प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके अतिरिक्त ऐसी वस्तुओं का निर्यात, जो महा निदेशक अथवा उसके द्वारा नामजद व्यक्तियों द्वारा पुरावस्तुएं पायी गयीं, रोक दिया गया और ऐसी पुरावस्तुओं में से उन वस्तुओं को जो पुरावस्तु और कला निधि अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पंजीकृत होने योग्य थी, पंजीकरण अधिकारियों के पास पंजीकृत कराया गया।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सभी अंतर्राष्ट्रीय निकासी स्थलों पर गैर-पुरावस्तु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए विशेषज्ञ परामर्श समितियां स्थापित की हैं।

अस्थायी निर्यात परमिटों के चौबीस मामले निपटाए गए। सरकार तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा विदेश में भेजी गई प्रदर्शनियों के लिए परमिट जारी किए गए। विभिन्न राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों से पंजीकरण हेतु प्राप्त पुरावस्तुओं की फोटो ग्राफी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में अनेक मामलों पर विचार किया गया तथा पात्र मामलों में सहायता दी गई।

IV. पुरातत्वीय संग्रहालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संग्रहालय शाला, भारत के विभिन्न भागों में निर्मित स्थल संग्रहालयों के रख रखाव का कार्य करती है। यह शाखा जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, दिल्ली, मद्रास, सारनाथ तथा वेल्हा गोआ में स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करती है। ग्वालियर फोर्ट (म० प्र०), चन्द्रगिरि (आन्ध्र प्रदेश), रत्नगिरि (उड़ीसा) तथा रोपड़ (पंजाब) में चार और संग्रहालय स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया है। इस प्रकार इन चार संग्रहालयों के स्थापित हो जाने से, सर्वेक्षण के अंतर्गत स्थल संग्रहालयों की संख्या उन्नतीस हो गई है। रत्नगिरि (उड़ीसा) में संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

लोथल (गुजरात) स्थित पुरातत्वीय संग्रहालय की स्थापना का कार्य आलोच्य अवधि के दौरान पूरा हो गया। वेल्हा, गोआ स्थित पुरातत्वीय संग्रहालय का विस्तार किया गया है और "चोगम" की बैठक के संबंध में इसका पुनर्गठन किया गया। बदामी, जिला बीजापुर में पुरातत्वीय संग्रहालय स्थापित करने का काम प्रगति पर है। संग्रहालय की वस्तुओं के फोटो प्रलेखन के काम में पर्याप्त प्रगति हुई।

अलग अलग संग्रहलयों में प्रदर्शनी आयोजित करने के अतिरिक्त नई दिल्ली स्थित रवीन्द्र भवन में 'भारतीय पुरातत्व और विश्व' नामक एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

V. पुरातत्व विद्यालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एक वर्षीय उत्तर स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए एक पुरातत्व विद्यालय चला रहा है। यह एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसमें पुरातत्व संबंधी विभिन्न विषयों, जैसे कि पूर्व एतिहासिक और भूगर्भीय अन्वेषणों, खुदाई खोज, संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण, ड्राइंग फोटोग्राफी और सर्वेक्षण इत्यादि में व्यावहारिक प्रशिक्षण और क्षेत्र कार्य पर विशेष बल दिया जाता है।

आजकल यह विद्यालय एक निदेशक के अधीन कार्य कर रहा है। कक्षाओं और प्रशिक्षण का आयोजन प्राय: सर्वेक्षण के उन अधिकारियों की देख-रेख में किया जाता है जो पुरातत्व की किसी शाखा विशेष में विशेषज्ञ है। छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को भी आमंत्रित किया जाता है।

1959 में विद्यालय की स्थापना से लेकर यह 25वां सत्र चल रहा है। एक अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए नए उत्तर स्नातक छात्रों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त यह विद्यालय राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के सेवारत कार्मिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, ऐसे कार्यों में लगें अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच पर्याप्त विशेषज्ञता का विकास करने की दृष्टि से स्मारकों के संरक्षण के संबंध में अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत सर्वेक्षण में नये भर्ती किए गए अधिकारियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

आस पड़ोस के देशों, जैसे कि अफगानिस्तान, बंगला देश, बर्मा, इन्डोनेशिया, कम्पुचिया, नेपाल, श्री लंका, थाईलैंड के प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी यह विद्यालय आकर्षण का केन्द्र है।

VI. प्रकाशन

पर्यटकों और इच्छुक व्यक्तियों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने के अलावा, सर्वेक्षण नियमित रूप से विशेष पुरातत्वीय और पुरालेखीय प्रकाशन भी प्रकाशित करता है। आलोच्य अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गये

(1) "प्राचीन भारत"––अंक 1 और 2 का पुनर्मुद्रण किया गया है, खण्ड III और IV को पुनर्मुद्रण हेतु, प्रेस में भेजा गया है, (2) भारतीय पुरातत्व ––एक समीक्षा : वर्ष 1980–81 का अंक प्रकाशित किया गया और वर्ष 1981–82 का अंक मुद्रण के लिए प्रेस में भेजा गया। (3) एपिग्राफिया इंडिका : खण्ड XVI से XX और खण्ड XXI—XXIII की अनु-

क्रमणिका का पुर्नमुद्रण किया गया। खण्ड XXXIX के भाग II से V का मुद्रण कार्य अन्तिम चरण में है, खण्ड XXXIX और XL खंड के भाग I और II प्रेस में है, (4) दक्षिण भारतीय शिला-लेख खण्ड XXI, XXII और XXIV मुद्रण के अन्तिम चरणों में है, भारतीय पुरालेख शास्त्र की वार्षिक रिपोर्ट, 1972-73; (6) एपिग्राफिया इंडिका—अरबी तथा फारसी पूरक 1975 का अंक प्रकाशित किया जा चुका है; (7) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्मरण: संस्मरण से 79 रमेन्द्र चोला कीकरनडिआ प्लेटें, रत्नागिरि (1958—61) खण्ड II, संस्मरण सं० 80, मुद्रित कर दिए गये हैं। संस्मरण संख्या 98: भाग 2 लोथल और संस्मरण सं० 81, नेपाल की मूर्ति कला प्रैस में है; (8) कोरोस इनस्क्रिपशन इण्डिका-परमारों, चन्देलों, काचापाघाटों और दो छोटे वंशों के शिलोलेख, खण्ड VII का भाग 2 मुद्रण के अन्तिम चरण में है; (9) संदर्शिकाएं—डी मित्रा द्वारा लिखित—"अजन्ता" और डी देवकुंजारी द्वारा लिखित "हैम्पी" प्रेस में है; (10) चित्र पोस्ट कार्ड : दिल्ली सैट "ए" और "बी" प्रकाशित किए गए; "बैलूर" और "मन्दु" काले और सफेद चित्र पोस्टकार्ड तथा "सांची" पर एक रंगीन सैट प्रेस में है।

18—812Edu/83

अध्याय 2

संग्रहालय

संग्रहालय, सांस्कृतिक, एतिहासिक तकनीकी, औद्योगिक अथवा अन्य प्रकार की सामग्री को क्षय से बचाने वाले तथा इतिहास के अभिलेखों के रूप में आने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाने वाले भण्डार हैं। माध्यम के नाते शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये शिक्षा के श्रव्य–दृश्य साधनों के रूप में भी काम देते हैं। संग्रहालयों के सर्वांगीण विकास को महत्वपूर्ण इसलिए समझा जाता है क्योंकि एक ओर वे राष्ट्रीय एकता को तथा दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ को बढ़ावा देते हैं।

भारतीय संविधान में संग्रहालयों की स्थापना तथा अनुश्रवण की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी गई है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण संग्रहालय स्थापित किए हैं और अपनी वित्तीय सहायता के जरिए निजी संग्रहालयों, विश्वविद्यालय संग्रहालयों इत्यादि के विकास के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। सरकारी और निजी संग्रहालयों के मौजूदा संग्रह के प्रलेखन, अद्यतन वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करते हुए इन संग्रहों के परिरक्षण तथा संग्रह सूचियां प्रकाशित करने पर अधिक जोर दिया जाता है। संस्कृति विभाग द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध पुरावशेषों को रखने के लिए संग्रहालय भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा।

भारतीय कला और पुरातत्व के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता तथा सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद की स्थापना की है। समकालीन इतिहास और कला के क्षेत्र में विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी, नई दिल्ली तथा नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय ऐसे तीन संग्रहालय हैं जिनका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् विज्ञान संग्रहालयों/केन्द्रों की देखभाल करता है। एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की भी स्थापना कर दी गई है। इस वर्ष के दौरान संग्रहालयों द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:—

(1) भारतीय कला और पुरातत्व संग्रहालय

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संग्रहालय संस्कृति विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इस संग्रहालय के मुख्य कार्यकलाप अधिग्रहण प्रदर्शनियों, परिरक्षण तथा शिक्षा और प्रकाशन के क्षेत्र से संबंधित हैं।

अधिग्रहण :

इस संग्रहालय ने चालू वर्ष के दौरान उत्कृष्टकला वस्तुओं का अधिग्रहण करके अपने संग्रह को समृद्ध किया। इस वर्ष के दौरान पुरावशेषों की खरीद पर 9.32 लाख रुपये की कुल राशि खर्च की गई। कुछेक विशिष्ट अधिग्रहण है : 10वीं शताब्दी ईसवी सन् का चोल गणेश, 11वीं—12वीं शताब्दी ईसवी सन् की श्री देवी तथा भू-देवि सहित विष्णु की चालूक्य कालीन कांस्य प्रतिमा, 9वीं शताब्दी ईसवी सन् का पूर्वी भारत का अवलोकितेश्वर तथा 10वीं—11वीं शताब्दी ईसवी सन् की उड़ीसा की ताम्र प्लेट। इसके अतिरिक्त, तीसरी और दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व मौर्य तथा शुंग काल की पक्की मिट्टी की प्रतिमाएं, 17वीं शताब्दी की धातु-लेख वाली मुगल देगची, 18वीं शताब्दी ईसवी सन् की बूंदी की "मधुमालती" सचित्र पाण्डुलिपियां तथा 1623 ईसवी सन् की जोधपुर की "रागमाला" चित्रण मालाएं खरीदी गई। सुन्दर शाल तथा कश्मीरी सुन्दर शाल और वस्त्र भी खरीदे गए।

प्रदर्शनियां

इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियों का संकलन किया गया तथा संग्रहालय और विभिन्न देशों में भी इनका आयोजन किया गया।

(i) मार्च 1983 में हुए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर पुन "दक्षिण भारतीय उत्कृष्ट कांस्य कला कृतियों" की प्रदर्शनी।

धातु लेख वाली मुगल डेगची

(ii) राष्ट्रीय संग्रहालय तथा बुलगेरियाई संस्कृति तथा सूचना केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में अक्तूबर, 1983 में आयोजित "शांति, सृजन तथा सुन्दरता अभियान" की चित्र प्रदर्शनी।

(iii) नवम्बर, 1983 में हुई राष्ट्र मण्डल सरकारों के अध्यक्षों की बैठक के अवसर पर "भारतीय सिक्का" प्रदर्शनी।

(iv) निम्नलिखित प्रदर्शनियों का कार्य प्रगति पर है :

(क) फरवरी, 1984 में मास्को तथा लेनिनग्राद––रूस में आयोजित होने वाली 16वीं से 18वीं शताब्दी ईसवी सन् तक की "भारत की सज्जा कला" ;

(ख) निहोन केजई शिम्बुन के तत्वावधान में मार्च, 1984 में टोकियो तथा क्योटो जापान में आयोजित होने वाली "भारत की प्राचीन मूर्तिकला";

(ग) मार्च, 1984 में लास्रोस एनजेल्स अमरीका में आयोजित होने वाली "लाइट आफ एशिया" प्रदर्शनी;

(घ) मई, 1984 में, नारा राष्ट्रीय संग्रहालय, नारा––जापान में आयोजित होने वाली "शाक्य मुनि की कला" प्रदर्शनी।

(v) निम्नलिखित प्रदर्शनियों से संबंधित प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है :

- 1985 में, मेट्रोपालिटन कला-संग्रहालय वाशिंगटन, अमरीका में आयोजित होने वाली "जहां मोर नाचता है" प्रदर्शनी ;
- 1985 में, बुकलान सग्रहालय, अमरीका में आयोजित होने वाली "पक्की मिट्टी" प्रदर्शनी ;
- 1985 में राष्ट्रीय वीथी, वाशिंगटन, अमरीका में आयोजित होने वाली "भारतीय उत्कृष्ट कला कृतियां" प्रदर्शनी ;
- 1985 में क्लीवलेण्ड कला संग्रहालय, क्लीवलेण्ड, अमरीका में आयोजित होने वाली "कुशान तथा गांधार मूर्तिकला" प्रदर्शनी ;
- ग्रांड पैलैइस, पैरिस में आयोजित होने वाले भारतोत्सव से संबंधित प्रारम्भिक कार्य को भी शुरू कर दिया गया है ;
- यू० के० में आयोजित भारतोत्सव प्रदर्शनियों से वापस प्राप्त सभी कला कृतियों को भलीभांति पैक कर दिया गया है और संबंधित ऋणद संग्रहालयों तथा निजी संग्रहों को लौटा दिया गया है।

संरक्षण

राष्ट्रीय संग्रहालय की वस्तुओं की देखभाल के अतिरिक्त, संग्रहालय की संरक्षण प्रयोगशाला में दूसरे संग्रहालय की ऐसी अनेक कला वस्तुओं की मरम्मत आदि भी की गई जिन्हें दूसरे देशों में प्रदर्शनियों के लिए भेजा गया था। सभी प्रदर्शनियों के लिए प्रत्येक वस्तु के विषय में स्थिति रिपोर्ट तैयार की गई तथा जहां कहीं वस्तुओं के भेजने से पूर्व तथा उन्हें विदेश से वापस प्राप्त होने के बाद आवश्यक समझा गया उनका रसायनिक उपचार भी किया गया। इस प्रयोगशाला द्वारा, तत्काल ध्यान दिए जाने वाली कला वस्तुओं के उपचार के मामले में अन्य संग्रहालयों/संस्थाओं की सहायता भी की गई। भारत अमरीकी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत तीन महीने के लिए संग्रहालय के रसायनज्ञ ने अमेरीका का दौरा किया।

प्रकाशन

अनेक प्रकाशनों के अलावा जो प्रेस में छप रहे हैं, संग्रहालय ने दक्षिण भारतीय कांस्य प्रतिमाओं तथा भारतीय सिक्कों की उत्कृष्ट कृतियों की विशेष प्रदर्शनी के सूचीपत्र, सचित्र पुस्तिकाएं तथा इश्तहार प्रकाशित किए। राष्ट्रीय संग्रहालय बुलेटिन के संयुक्तांक 4-5-6 सहित संग्रहालय के संग्रहों की अनेक सूचियां तैयार की जा रही हैं।

अन्य कार्यकलाप

इस संग्रहालय ने सामान्य संग्रहालय विज्ञान में 14वां अंशकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। पाषाण मूर्तिकला संरक्षण संबंधी एक तीन माह का गहन सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय में आठ सौ छब्बीस पुस्तकें तथा 252 स्लाइडें बढ़ाकर संग्रह की कुल संख्या 41910 हो गई।

"भारतीय मुस्लिम विरासत" नामक फिल्म के निर्माण में फिल्म प्रभाग को तथा भगवान बुद्ध की टी०वी० फिल्म बनाने में दूरदर्शन केन्द्र को सहायता प्रदान की गई।

जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम, नई दिल्ली में खेल-कूद संग्रहालय की व्यवस्था में भी सहायता प्रदान की गई।

सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में सशस्त्र पुलिस रक्षकों की स्थायी चौकी सहित विशेष प्रदर्शनी वीथी में अनेक इलैक्ट्रानिक उपकरणों की भी व्यवस्था की गई।

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता

इस वर्ष के दौरान भारतीय संग्रहालय द्वारा किए गए कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :--

अस्थाई प्रदर्शनियां

अति मे दीपंकर स्रृजनन, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म के भारतीय सुधारक थे की 1000वीं जन्म तिथि के अवसर पर, "भारतीय संग्रहालय में तिब्बती थंका" संबंधी एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। बुद्ध लामा पंथों के बौद्ध देवता तथा देवियों और बौद्ध धर्मगुरु के चित्र दर्शाते हुए लगभग पच्चीस मंदिर पताकाएं प्रदर्शित की गई। ये थंकाऐं 16वीं से 20वीं शताब्दी तक के बीच की थीं तथा इन्हें 1912 से 74 के दौरान इस संग्रहालय द्वारा अधिग्रहण किया गया था। इस प्रदर्शनी में थंकाओं तथा कांस्य प्रतिमाओं के माध्यम से अतिसा के जीवन तथा कार्यों पर काफी प्रकाश डाला गया। परमपावन दलाई लामा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

कलकत्ता तथा उसके आस-पड़ोस के तैल-चित्रों की एक अन्य प्रदर्शनी सितम्बर, 1983 में आयोजित की गई। ये तैल-चित्र चिंसुरह, चन्दर नगर तथा कलकत्ता स्थित चित्रशालाओं में तैयार किए गए थे और इनमें पौराणिक विषय भू-दृश्य तथा अन्य चित्र प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें देश के स्थानीय कलाकारों तथा कलकत्ता में नियुक्त चीन और इटली के कलाकारों द्वारा तैयार किया गया था। इन चित्रों में परम्परागत कला परम्पराओं की झलक सहज ही सुलभ होती है। चिनसुरह तथा चन्द्रनगर घराने के कलाकारों द्वारा, तथा बामपद बंधोपाध्याय, देबी प्रसाद राय चौधरी, जैमिनी राय, रामन्द्रनाथ चक्रवर्ती तथा अन्यों द्वारा बनाए गए पच्चीस तैल-चित्र प्रदर्शित किए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, श्री बी०डी० पांडे ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

मास के प्रदर्श

मास की प्रदर्शनी के संबंध में प्रवेश हॉल में निम्नलिखित प्रदर्शन लगाए गए :

(i) उड़ीसा की कौंध जनजाति की काष्ठ मूर्तियां (तबला गबा), नृ-विज्ञान, अनुभाग;

(ii) शेख सादी : इस महान कलाकार की 8 वीं जन्म शती के अवसर पर विज्ञान कला कृतियों में से बीना गया उनका व्यक्तित्व तथा कृतित्व कला तथा पुरावस्तु अनुभाग

(iii) दौहरा नारियल (को को म्यूकिफेरा) तथा श्रृगी नारियल (लोडोईक्स मालडिविक)—वनस्पति विज्ञान अनुभाग

(iv) 1035 ईसवी पूर्व-नृ-विज्ञान वर्ग में बर्मी गुरु द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया बोध गया से प्राप्त मुल्ममेदार ताम्र छाता ।

(v) बाबर के सिक्के तथा बाबुरनामा के मुद्रित उद्धरण (उनकी 5वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर)—-पुरातत्व अनुभाग

(vi) सुरेन्द्र मोहन टैगोर—-द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए जापानी संगीत बाद्य । नृविज्ञान अनुभाग

चल—प्रदर्शनी

भारतीय इतिहास तथा पुरातत्व की म्यूजिओ बस ने पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के नौ जिलों का दौरा किया और इस तरह 1419 किलो मीटर की दूरी तय की । 2,72,412 व्यक्तियों ने इसे देखा । कुछ स्थानों पर प्रदर्शनी के साथ शैक्षिक फिल्में भी दिखाई गईं ।

यात्रा प्रदर्शनी :

"वास्तुकला संग्रहालय" संबंधी एक चल प्रदर्शनी सुन्दरवन आंचलिक संग्रहालय बसईपुर तथा रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ नरेन्द्रपुर को भेजी गई । "बंगाल के शिला-लेख" संबंधी एक अन्य प्रदर्शनी डम-डम किशोर भारती को भेजी गई ।

अधिग्रहण

इस संग्रहालय ने 7वीं और 18वीं शताब्दी ईसवी सन् के बीच के समय की ताम्र प्लेटों के सात सैट उपार्जित किए । उनमें से संक के शासन के दौरान जारी किए गए इगरे, मिदनापुर के शिलालेख, तथा गंग वंश और कलिंग के शिलाभंजदेव के कुछेक ताम्र प्लेट अभिलेख उल्लेखनीय हैं ।

हाथ से बने कागज की दो पाण्डुलिपियां, एक में महाभारत के तीन सर्ग तथा दूसरी में पुरानी बंगाली लिपि में लिखित हरिवंश का अधिग्रहण किया गया ।

संग्रहालय द्वारा धातु से बनी जो मूर्तियां अधिग्रहीत की गई उनमें से उल्लेखनीय हैं पला घराने की दो बौद्ध मूर्तियां—-एक में महिशामर्दिनी तथा दूसरे में एक महिला भेड़ पर खड़ी दिखाई गई है ।

तीन पक्की मिट्टी की अलंकृत खपरैलें, जय नगर के कलाकारों द्वारा तैयार की गईं 49 मिट्टी की गुड़ियां 11 हाथी दांत तथा हड्डी नक्काशी वाली वस्तुऐं जिसमें मयूरपंखी भी शामिल हैं, मोर सहित सुलतान के चित्र की नक्काशी वाला चित्र, कृष्ण लीला दृश्य आदि तथा दो काष्ठ खिड़कियों जिन पर नक्काशी का काम हैं, काष्ठ पालंका टागें, गरुड़ तथा राधा कृष्ण की मूर्तियां भी उपार्जित की गईं ।

स्वर्ण, चांदी तथा ताम्र से बने लगभग 99 सिक्के निनानवें मुद्राएं उपार्जित किए गए जिनमें एक स्वर्ण मुद्रा कुमार गुप्त के समय की है तथा चार सिक्के IX वें एशियाई खेलों की याद में जारी किए गए हैं ।

तेरह वस्त्र अर्थात् कश्मीरी शाल, बनारसी तथा बालुचरी साड़ियां, नक्काशी कान्था तथा एक सजावटी कपड़ा उपार्जित किया गया । इसके अतिरिक्त एक कालीघाट पट, सतीश सिन्हा का एक तैल चित्र तथा तीन चित्रित पुस्तक आवरण कला अनुभाग के संग्रह में जोड़े गए ।

जहां तक नृजातीय नमूनों का संबंध है उड़ीसा के फूलबनी जिले में कौध के कुछ जनजातीय नमूनों के साथ साथ तथा उत्तरी बंगाल के जलपई गुड़ी जिले के जंगल रमास नमूने उपार्जित किए गए।

संग्रहालय को उपहार के रूप में बर्मी बौद्धों द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के आठ सैट तथा पीतल की बनी राधा की खड़ी मूर्ति और 12वीं शताब्दी काल की पत्थर की सूर्य मूर्ति भी प्राप्त हुई।

प्रकाशन

इस संग्रहालय द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गये :—

(I) दमासिन्ड तथा बिद्री कलाओं के सूची-पत्र
(II) कच, काठियावाड़ के वस्त्रों के सूची-पत्र
(III) भारतीय संग्रहालय बुलेटिन खण्ड XVI
(IV) किशन रजद मुद्रा मोनोग्राफ सं० 13
(V) सामान्य संदर्शिका (अंग्रेजी) पुस्तक
(VI) सामान्य संदर्शिका (हिन्दी) पुस्तक

अन्य शैक्षिक कार्यकलाप

संग्रहालय के जन-संचार कार्यक्रमों के अंतर्गत पुरुलिया के पद्मश्री गंभीर सिंह मुरा तथा पद्मश्री नेपाल मेहतो तथा उनकी टोलियों द्वारा रामायण तथा शकुंतला सम्बन्धी छै: शैली में दो नृत्य प्रदर्शन कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नाग पूजा से संबंधित लोक कला कृतियों की प्रदर्शनी पर आधारित मानस मंगल संबंधी एक अन्य श्रव्य-दृष्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

संग्रहालय शिक्षा को स्कूल तथा कालेज पाठ्यचर्या से जोड़ने के लिए लोकप्रिय व्याख्यानों के अंतर्गत, चित्र स्लाइडों अथवा फिल्म प्रदर्शनों द्वारा निम्नलिखित व्याख्यान आयोजित किए गए।

1. श्री रिचर्ड लेने ब्रिटिश लेखक तथा कला इतिहासकार द्वारा आधुनिक भारतीय तथा पाश्चात्य कला में प्राचीन प्रतीकवाद।
2. श्री शंकरशन राय, निदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, द्वारा कलकत्ता का भू-वैज्ञानिक महत्व।
3. मुल्ख राज आनन्द द्वारा कलावलोकन एवं दर्शन का मूल्यांकन।
4. मि० पूरनेन्दु पतरस द्वारा नन्द लाल बोस कृत पोस्टकार्ड चित्रण।
5. श्री सुनील गंगोपाध्याय द्वारा सई समयार कलकत्ता।
6. श्री श्यामल कान्ति चक्रवर्ती द्वारा जापान और कोरिया के संग्रहालय में
7. श्री सैकत बैनर्जी द्वारा सिन्धु घाटी की सभ्यता।
8. श्री एस० चक्रवर्ती द्वारा अलेमैन इन इंडिया एण्ड दि इन्डस"।
9. श्रीमती क्षिप्रा चक्रवर्ती द्वारा तिब्बत तथा बंगाल की चीरक चित्रकला।

सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद

आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए कार्यकलाप निम्न-लिखित है :

वीथियों का पुनर्गठन

आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से संग्रहालय के पुनर्गठन के लिए हाथी दांत वीथी तथा संगमरमर वीथी पर काम शुरू हो चुका है तथा यह कार्य प्रगति पर है। हाथी दांत वीथी के लिए एक शोकेस के नमूने को मंजूरी दे दी गई है तथा 17 नए शो-केस बनाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

यूरोपीय तथा भारतीय चित्रकला वीथियों में प्रकाश व्यवस्था पूरी कर ली गई है। भूतल स्थित भण्डारों में रखी हुई 12,904 वस्तुओं को संग्रहालय के द्वितीय तल पर बनी नई इमारत में भेज दिया गया है।

अभिलेखों का निर्माण

4,718 कला वस्तुओं, की विद्यमान रिकार्ड से वास्तविक जांच कर ली गई है। कला वस्तुओं के 6,451 फोटोग्राफ सूची कार्डों पर चिपकाए गए तथा पाण्डुलिपियों के प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ के 4000 फोटो मास्टर लैजरों में चिपकाए गए।

शैक्षिक कार्यकलाप

इस अवधि के दौरान विभिन्न विषयों पर तीन अस्थायी प्रदर्शनियों की व्यवस्था की गई। तीन व्याख्यान तथा छः वीथी व्याख्यान दिए गए। इसके अतिरिक्त पांच जून, 1983 को संग्रहालय में "पर्यावरण प्रदूषण तथा सांस्कृतिक सम्पदा" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। 26 से 28 जुलाई, 1983 तक मध्ययुगीन भारत में सांस्कृतिक संश्लेषण विषय पर एक अन्य सेमिनार की भी व्यवस्था की गई।

सालार जंग का 111वां जन्म दिवस समारोह 25 से 31 जुलाई, 1983 तक मनाया गया। इस अवसर पर सालार जंग संग्रहालय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उत्कृष्ट कामगार पुरस्कार (कक्षा III तथा IV के स्टाफ के लिए 250/-- रु० नकद तथा एक प्रमाण पत्र) दिए गए। संग्रहालय के कर्मचारियों तथा डाक एवं तार विभाग के कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा बाल कार्यक्रम आयोजित किए गए। खेल विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए।

स्कूल भ्रमण के अन्तर्गत, उन छात्रों को, प्रवेश शुल्क में 75% रियायत दी गई जिन्होंने संग्रहालय का भ्रमण किया। संग्रहालय देखने के संबंध में प्रारम्भिक चर्चा की गई तथा मार्गदर्शन किया गया। भ्रमण करने वाले लोगों के लिए कुछ कुछ समय के बाद कला तथा संस्कृति पर फिल्म शो की व्यवस्था की गई।

मोबाइल वैन में "भारत के सिक्के" नामक एक चलती फिरती प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई। चार भाषाओं में लेबल तथा अंग्रेजी में टिप्पणी भी तैयार की गई। चलती फिरती प्रदर्शनी हैदराबाद और सिकन्दराबाद के विभिन्न स्कूलों, कालेजों और संस्थाओं में भेजी गई।

प्रकाशन

फोटो सहित वस्तुओं पर टिप्पणी देते हुए वेल्ड रेबेका, पियाजा आफ सान मार्को, नटराज और वानार्यन प्रत्येक की 10,000 प्रतियों के चार फोल्डर प्रकाशित किए गए। द्विवार्षिक अनुसंधान पत्रिका की डमी प्रति तैयार की गई तथा प्रेस भेजी गई।

कला वस्तुओं का संरक्षण

इस अवधि के दौरान, विभिन्न श्रेणियों की 565 कला वस्तुओं पर संग्रहालय की रसायनिक प्रयोगशाला में काम किया गया।

अन्य कार्य

संग्रहालय भवन की रंगीन धुलाई का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा काम चल रहा है।

अन्य संग्रहालयों के पुनर्गठन और विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस योजना का उद्देश्य विकासात्मक प्रयोजनों के लिए जनजातीय कला संग्रहालयों, शिल्प संग्रहालयों, मानव जाति संग्रहालयों, चित्रकला तथा फोटो ग्राफिक संग्रहालयों, बाल संग्रहालयों आदि सभी ऐसे संग्रहालयों को वित्तीय सहायता देना है जो राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के सीधे प्रबन्ध में न होकर स्वैच्छिक संस्थाओं सोसायटियों,

न्यासों कालेजों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों आदि के स्वामित्व तथा प्रबन्ध के अधीन हैं। अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं ।

(i) संग्रहालयों की स्थापना, भवनों का निर्माण, छुटपुट विस्तार, मरम्मत संग्रहालयों के लिए कला अथवा अन्य वस्तुओं की खरीद ।

(ii) प्रदर्शन, भंडारण और फोटोग्राफी के उपकरणों की खरीद ।

(iii) संग्रहालयों के संग्रहों की सूचियों, मार्गदर्शी पुस्तकों, फोटो इन्डैक्स कार्डों, चित्र पोस्ट कार्डों आदि का प्रकाशन ।

(iv) संग्रहालयों की विद्यमान रक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना ।

(v) संग्रहालयों के पुस्तकालयों के लिए कला व संस्कृति की पुस्तकें, रैकों तथा अल्मारियों की खरीद ।

योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के माध्यम से प्रत्येक वर्ष आवेदन-पत्र मांगे जाते हैं और उनकी जांच एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है जो अनुदान आवंटित करती है ।

संग्रहालय शिवर

देश में संग्रहालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, संस्कृति विभाग प्रत्येक वर्ष संग्रहालय शिविर भी आयोजित करता है। पहला शिविर 1965 में आयोजित किया गया था। सौलहवां "संग्रहालय तथा समाज" विषय पर 19 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 1983 के मध्य वाराणसी में आयोजित किया गया था। निजी संग्रहालयों के अठारह प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी भाग लेने वालों द्वारा शिविर के विचार की सराहना की गई तथा इस प्रकार की व्यावसायिक भेंट से उन्होंने लाभ उठाया प्रतीत होता है। संग्रहालय विज्ञान-क्षेत्र के प्रसिद्ध अध्येताओं द्वारा व्याख्यान दिए गए ।

II. समकालीन इतिहास तथा कला संग्रहालय

विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता

विक्टोरिया स्मारक हाल सामग्री के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है। संग्रहालय ने 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों के जनजाति तथा कृषक आन्दोलनों को प्रतिबिम्बित करने के लिए एक विस्तृत वीथी स्थापित करने के संबंध में अपेक्षित सामग्री तथा आंकड़े एकत्र करना जारी रखा ताकि संग्रहालयों को भारतीय इतिहास के अवधि संग्रहालयों में बदला जा सके ।

इस ऐतिहासिक भवन के सफेद संगमरसर की गिरावट तथा अपकर्ष को रोकने के लिए कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए। इस संबंध में एक दल द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के धुआं प्रदूषण निदेशालय के प्रतिनिधि शामिल थे। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग विक्टोरिया स्मारक भवन में मरम्मत/अनुरक्षण के कार्य को करने के लिए सहमत हो गया है। संगमरमर की मरम्मत के मामलों में विशेषज्ञ सलाह देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक (परिरक्षण) को भी इस कार्य में शामिल किया गया है। इस प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के लिए कई उपचारी उपाय किए गए हैं ।

राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी, नई दिल्ली

राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी संस्कृति विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसने निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने कार्यकलाप जारी रखे :—

आलोच्य वर्ष के दौरान, 7,045 कला कृतियां आरक्षित संग्रह में शामिल की गई। इनमें नन्द लाल बोस की 6744 कला कृतियां जो उनके उत्तराधिकारियों से प्राप्त की गई हैं, स्टैटसमैन के भूतपूर्व कला आलोचक स्वर्गीय श्री एस०ए० कृष्णन के परिवार द्वारा वसीयत में प्राप्त 97 कला कृतियां, तथा विदेश सम्बन्ध संस्थान, स्टूटगर्ट

नन्दलाल बोस शताब्दी--प्रदर्शनी ''प्रतीक्षा''--नन्द लाल बोस

(पश्चिम जर्मनी) के माध्यम से जर्मनी संघीय गणराज्य के कलाकारों से उपहार के रूप में प्राप्त 47 कलाकृतियां शामिल हैं।

नन्दलाल बोस की कलाकृतियों के सम्पूर्ण संग्रह में 9 धुले हुए चित्र, 118 डिस्टेम्पर, 1,947 जलरंग, 52 लिनोकट्स, 7 अश्मलेख, 43 निर्जल बिन्दु तथा 4,568 चित्रकला तथा ढांचें शामिल हैं। इन्हें प्राप्त किया जा रहा है।

शिक्षा

इस अवधि के दौरान, 4,216 छात्रों तथा 1,000 विदेशी पर्यटकों के लिए वीथी के आयोजित भ्रमणों की व्यवस्था की गई। प्रत्येक परिवार को आम पर्यटकों के लिए विशेष फिल्म कार्यक्रमों के अतिरिक्त कला फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं। वीथी में कुल मिलाकर ऐसे 161 फिल्म शो आयोजित किए गए।

पुस्तकालय

कला सन्दर्भ पुस्तकालय के लिए, 126 पुस्तकें खरीदी गई तथा विभिन्न संगठनों के तत्वावधान में पुस्तकालय के लिए उपहार-स्वरूप 117 पुस्तकें प्राप्त हुई।

जीर्णोद्धार

जीर्णोद्धार प्रयोगशाला ने 324 कला वस्तुओं पर काम किया। इनमें नन्दलाल बोस के 220 चित्र तथा 64 बुल्गारियाई मूर्तियाँ शामिल हैं।

प्रदर्शनियां

(i) भारत सरकार ने राष्ट्रीय कला वीथी के संग्रह मे समकालीन भारतीय कलाकारों के चार चित्र जे० ओ० एस० आई० एफ० टीटो कला वीथी, टीटोग्रेड, यूगोस्लाविया को उनके स्थाई संग्रह के लिए दान स्वरूप दिए।

(ii) नव तन्त्र कला प्रदर्शनी, जिसमें राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी तथा निजी संग्रहों के 56 चित्र शामिल हैं, अक्तूबर 1983 में स्टूटगर्ट (पश्चिम जर्मनी) भेजी गई तथा यह सितम्बर, 1984 तक वहां विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित की जाएगी। वीथी अगले वर्ष से इस प्रदर्शनी को संयुक्त राज्य अमरीका भेजने पर विचार कर रही है।

(iii) विदेश सम्बन्ध संस्थान स्टूटगर्ट के माध्यम से पश्चिम जर्मनी के 31 कलाकारों से उपहार स्वरूप प्राप्त 47 चित्रों की एक प्रदर्शनी 25 अक्तूबर से 15 नवम्बर, 1983 तक आयोजित की गई।

(iv) बोरिस जीव द्वारा वीथी के संग्रह से पन्द्रह चित्र एक विशेष प्रदर्शनी के लिए संस्कृति समिति सोफीया को 20 अक्तूबर, 1983 को भेजे गए।

(v) भारत-बुल्गारियाई सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत बुल्गारियाई मूर्तियों की एक प्रदर्शनी 17 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 1983 तक आयोजित की गई।

(vi) श्री नन्द लाल बोस शताब्दी मनाने के लिए नन्द लाल बोस के 234 चित्रों की एक प्रदर्शनी 5 दिसम्बर 1983 से 15 जनवरी 1984 तक खुली रही इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 5 दिसम्बर, 1983 को किया गया।

कला, इतिहास तथा संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी ने इस वर्ष से शिक्षण कार्यक्रम तथा "कला इतिहास और परिरक्षण विभाग" नामक एक नया विभाग आरम्भ किया है जो निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करता है :—

(1) सामान्य कला मूल्यांकन (चार महीनों का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम)—16 व्याख्यान।

कला तथा कला मूल्यांकन जिसमें पश्चिमी तथा पूर्वी और आधुनिक तथा प्राचीन कला—दोनों के नमूनों के तुलनात्मक विश्लेषण पर जोर दिया गया है ।

(2) भारतीय, आधुनिक तथा उनके स्रोतों सहित पश्चिमी तथा अन्तर्राष्ट्रीय कला का इतिहास ।

(एम० ए० के दो वर्षीय कार्यक्रमों के स्तर पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम—दो सेमिस्टर प्रत्येक वर्ष) ।

प्रत्येक सेमिस्टर में 2 घंटों की अवधि के 16 व्याख्यान तथा सेमिनार; अन्य शैक्षिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों और विदेशी भाषा में प्रवीणता परीक्षा के अतिरिक्त, एम० ए० स्तर के समकक्ष एक शोध-निबन्ध भी अपेक्षित होगा ।

(3) भारतीय, आधुनिक कला तथा उनके स्रोतों सहित पश्चिमी तथा अन्तर्राष्ट्रीय कला का इतिहास ।

पीएच० डी० अथवा डी० फिल के स्तर पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, तीन वर्षीय कार्यक्रम—प्रत्येक वर्ष दो सेमिस्टर ।

(4) तेल चित्र कलाओं का परिरक्षण :

एम० ए० के स्तर पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दो वर्षीय कार्यक्रम—प्रत्येक वर्ष दो सेमिस्टर ।

इस समय पाठ्यक्रमों में प्रत्येक के सामने दिखाए गए निम्नलिखित छात्र अध्ययन कर रहे हैं :—

कला मूल्यांकन पाठ्यक्रम	50
कला इतिहास में डिप्लोमा	10
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	2
चित्रों के जीर्णोद्धार में डिप्लोमा	6

प्रकाशन

वर्ष के दौरान, भारतीय कलाकारों की महत्वपूर्ण कृतियों के निम्नलिखित पुनः संस्करण प्रकाशित किए गए। ये पुनर्मुद्रित पुस्तकें न-लाभ-न-हानि आधार पर आम जनता को बेची जाती हैं :—

(1) "पास्ट इम्प्रेशन"—एम० एफ० हुसैन—
(2) "स्टेप्स इन्टू दि प्राइड एंड प्रेसटेंज"—मोहन सामन्त द्वारा
(3) "लेडी इन मूनलाइट"—राजा रवि वर्मा
(4) "नंदी"—आर० डी० रावल ।

विशेष प्रदर्शनियों के लिए वीथी ने "संघीय जर्मन गणराज्य के 31 कलाकारों से उपहारों तथा बुल्गारियाई मूर्तियों" के दो सूचीपत्र प्रकाशित किए।

नन्द लाल बोस की कृतियों का एक बहुत महत्वपूर्ण सूचीपत्र भी उनकी शताब्दी प्रदर्शनी के लिए प्रकाशित किया गया।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय सरकार द्वारा एक पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है। पहले की तरह संस्था का संग्रहालय लोगों के आकर्षण का केन्द्र रहा। दैनिक औसत 2,639 सहित रविवारों तथा छुट्टियों को दर्शकों की औसतन 3,373 थी। इनमें कई महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके साथी जैसे कि बुलगारियाई कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष; जाम्बिया संसदीय प्रतिनिधि मंडल; गिनी-बीसा गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम श्री साम्बा लिमाने मैन; मालद्वीप गणराज्य

के राष्ट्रपति महामहिम श्री मौमून अब्दुल गायूम आदि शामिल थे। संग्रहालय के स्टाफ ने इस अवधि के दौरान वस्तुओं के फलकों तथा प्रदर्शित की जा रही फोटो-चित्रों पर विशेष ध्यान दिया। जवाहर लाल नेहरू पर फिल्म शो पहले की तरह दिखाए गए।

पुस्तकालय ने, जिसमें प्रतिदिन अनुसंधान के लिए अनेक अध्येता आते हैं, ने बहुमूल्य पुस्तकें शामिल करना जारी रखा। इस अवधि के दौरान, 3,665 नई पुस्तकें शामिल की गईं जिसमें 2,112 पुस्तकें खरीदी गईं तथा 1,553 पुस्तकें विभिन्न स्रोतों जैसे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री पी० सी० सेठी, लोक सभा सचिवालय, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि के उपहार स्वरूप प्राप्त की गईं। भेंट स्वरूप प्राप्त की गई वस्तुओं में सबसे बहुमूल्य थी ए० सी० एन० नम्बियार की पुस्तक जो 952 खंडों में है। पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में हैं, जैसे कि हिन्दी, तमिल, उर्दू, मराठी, मैनपुरी, मलयालम आदि शामिल थी। कुछेक पुस्तकें विदेशी भाषाओं में भी हैं जैसे नेपाली, फ्रेंच, इटली, रूसी तथा जापानी आदि। इसमें पुस्तकालय में अद्यतन अधिग्रहणों की कुल संख्या 87,152 खंड हो गई है। पुस्तकालय ने माईक्रो फिल्मों के संग्रहों की कमी को पूरा करने का प्रयत्न जारी रखा तथा माइक्रोफोर्म में 103 शोध निबन्ध शामिल किए जिससे शोध निबन्धों की संख्या 647 हो गई। इसके अतिरिक्त, 1932 अवधि के लिए सिविल तथा सेना राजपत्र (लाहौर) के छः रोल भी प्राप्त किए गए। रिप्रोग्राफी अनुभाग ने भी विभिन्न समाचारपत्रों तथा निजी पत्रों के 652 रोल स्थानान्तरण करके इस संग्रह की कमी को पूरा करना जारी रखा। इस प्रकार माइक्रो रोल की संख्या 7,319 तथा माइक्रो फिचे 10,637 हो गई है। पुस्तकालय के फोटो अनुभाग ने 1,023 और फोटो शामिल करके अपनी संख्या को 60,181 तक बढ़ा लिया है। तकनीकी अनुभाग ने 6,479 पुस्तकों/माइक्रोफिल्मों का वर्गीकरण तथा सूचीबद्ध किया जिससे 16,322 सूची पत्रों का टंकण आवश्यक हो गया। पुस्तकालय के विस्तृत संसाधन भारत तथा विदेशों के अध्येताओं के लिए लोकप्रिय बने रहे। इस अवधि के दौरान, 335 नए अध्येता पंजीकृत किए गए जिससे अध्येताओं की कुल संख्या 4,777 हो गई। औसतन पुस्तकालय में प्रत्येक कार्य दिवस को 85 अध्येता आए।

पाण्डुलिपि प्रभाग ने निम्नलिखित दस्तावेज शामिल करके अभिग्रहणों की संख्या को और बढ़ाया है; काका साहिब कालेलकर, रघुबीर साहय, उपेन्द्र देसाई, ए० आर० भट्ट, प्रो० अशोक मित्र, एम० एन० राय, ए० सी० कान्त नायर, सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, सूबीमल दत्त, धनराज शर्मा, एम० पी० कृष्णप्पा, आर० पी० नोरोनहा, श्याम प्रसाद मुखर्जी, बृज कृष्ण चांदीवाला, और अशुतोष मुकर्जी। इसके अतिरिक्त, जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि के माध्यम से श्रीमती इन्दिरा गांधी से, मोती लाल तथा जवाहर लाल नेहरू के कुछ और बहुमूल्य दस्तावेज प्राप्त हुए। जहां कहीं मूल संग्रहों को प्राप्त करना संभव नहीं हो सका, वहां इन्हें देने वालों की अनुमति से माइक्रोफिल्म के प्रयत्न जारी रखे गए। इस अवधि के दौरान, श्री प्यारे लाल तथा श्रीमती सरोज नानावती के कुछ और दस्तावेज माइक्रोफिल्मिंग के लिए प्राप्त किए गए। पाण्डुलिपि अनुभाग को चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान शानमुधहम चेट्टियार/चौथी बार, सी० राजगोपालाचारी (दूसरी बार), राजा रामेश्वर राव, डी० वी० सुब्बा रेड्डी, सी० एम० झा, प्यारे लाल (अगली अंशिका) और एन० एस० हार्डीकर (अगली अंशिका) के दस्तावेज प्राप्त करने की आशा है।

रिप्रोग्राफी एकक ने अनुसंधान कर्ताओं के लिए सुविधाओं को बढ़ाना जारी रखा। आलोच्य अवधि की एक विशेषता थी "इनटैक 2000" माइक्रो फिल्म रीडर-मुद्रक का लगाना जो एक्सरोक्स प्रतियों के रूप में छात्रों को तुरन्त प्रतिलिपि सेवा प्रदान करता है। एकक ने 6,168 माइक्रोफिच फ्रेम तैयार करने के अतिरिक्त,

ऋणात्मक माइक्रोफिल्मों के 1,77,023 फ्रेम तथा धनात्मक माइक्रोफिल्म के 36,057 मीटर तैयार किए। इस अवधि के दौरान, एकक द्वारा माइक्रोफिल्म किए गए समाचार-पत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं: पाकिस्तान टाइम्स, डान, ट्रिब्यून, आज और वर्तमान। इसने प्यारे लाल, आशुतोष मुकर्जी और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दस्तावेजों की भी माइक्रोफिल्म तैयार की।

इसी प्रकार, परिरक्षण एकक ने भी पाण्डुलिपियों की मरम्मत तथा नवीकरण के काम में बहुमूल्य सेवा करनी जारी रखी। आलोच्य वर्ष के दौरान, इसने परतबन्दी अच्छी तरह चिपकाने तथा सुरक्षित रखने की प्रक्रिया के द्वारा कुल 16,479 शीटों पर कार्य किया। इसके अतिरिक्त, 2,500 मिसिलों तथा 200 दुर्लभ पुस्तकों को धूमित किया गया। इसने पुराने समाचारपत्रों को क्रमबद्ध रूप से खोलने तथा बांधने में रिप्रोग्राफी एकक की लाभदायक सेवा करनी जारी रखी।

मौखिक इतिहास प्रभाग ने कुल मिला कर पांच व्यक्तियों का साक्षात्कार किया तथा संस्मरण रिकार्ड किये जो 40 अलग-अलग सत्रों में फैले थें। इनमें चार नए व्यक्ति अर्थात् श्री सदाशिब बी० बागीटकर, श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डे, डा० मोहन सिन्हा मेहता, श्री प्यार चन्द बिशनोई शामिल थें। साक्षात्कार किए गए व्यक्तियों की संख्या 858 है तथा प्रतिलिपियों की संख्या 2,715 । इस अवधि के श्री चमन लाल बत्रा के साक्षात्कार के लिप्यंतरण को अंतिम रूप दिया गया इससे ऐसे प्रतिलिपियों की संख्या 391 हो गई है।

आलोच्य अवधि के दौरान, संस्थान के शैक्षिक कार्यकलापों में आधुनिक भारतीय इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीयवाद पर डा० अनिमा बोस, डा० बी० आर० टोमलिनसन, प्रो० एम० खुसरों, श्री आदित्य मुकर्जी, डा० रजत के० रे, प्रो० सुमीत सरकार, श्री बी० पी० सिंह और डा० गैले मिनोल्ट जैसे विख्यात विद्वानों द्वारा दिए गए व्याख्यान तथा सेमिनार शामिल थे। इसके अतिरिक्त, मोती लाल नेहरू 1919–22 के चुनिन्दा कृतियों के दूसरे खण्ड की पाण्डुलिपियां तथा आधुनिक भारत (1900–1950) अर्थशास्त्र सोसायटी तथा राजनीति के पहलू की पाण्डुलिपियां प्रकाशन के लिए भेजी गईं। एक अन्य मोनोग्राफ दर्शन सिद्धांत तथा सामाजिक वास्तविकता प्रकाशन के अन्तिम चरण पर है। संस्थान का पहला बुलेटिन तथा प्रकृति तथा पर्यावरण के संबंध में "जवाहर लाल नेहरू" नामक पुस्तिका जो परिस्थिति विज्ञान के संबंध में उनके विचारों पर प्रकाश डालती है, आलोच्य वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई; इसकें अतिरिक्त पांच "आकस्मिक दस्तावेज" जिनमें हमारे अध्येताओं द्वारा लिखें गए आधुनिक भारतीय इतिहास के विभिन्न सारांश शामिल हैं, प्रकाशित किए गए।

नवम्बर, 1983 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडलीय देशों के शासन अध्यक्षों की बैठक के समय भारत तथा राष्ट्रमंडल नामक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में राष्ट्रों के एक स्वतंत्र संघ के रूप में लाने में भारत द्वारा अदा की गई भूमिका फोटो तथा पूर्ण विवरण के जरिए दिखाई गई। ये देश विभिन्न संस्कृतियों तथा धार्मिक विचारों वाले हैं और यें मानव जाति के कल्याण तथा विश्व शांति के कार्य के प्रति निष्ठावान है।

III विज्ञान संग्रहालय तथा प्रयोगशाला

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् निम्नलिखित संग्रहालयों/केन्द्रों का संचालन और प्रबन्ध करती है:—

1. बिडला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कलकत्ता।
2. विश्वेश्वरैया औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय, बंगलौर।
3. नेहरू विज्ञान केन्द्र, बम्बई ।

श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना और जिला विज्ञान केन्द्र, पुरुलिया (पश्चिम-बंगाल) बिड़ला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय की एक संस्थागत परियोजना के रूप में काम कर रहे हैं। प्रायोगिक जिला विज्ञान केन्द्र, मालदा (पश्चिम बंगाल) का संचालन भी बिड़ला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है। जिला विज्ञान केन्द्र, गुलबर्गा (कर्नाटक) विश्वेश्वरैया औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय की एक संस्थागत परियोजना के रूप में काम कर रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, नेहरू विज्ञान केन्द्र, धर्मपुर (गुजरात) और तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) में दो जिला विज्ञान केन्द्र और दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का एक विज्ञान केन्द्र स्थापित करने में लगी है। भुवनेश्वर (उड़ीसा) और नागालैण्ड में दो और जिला विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् मुख्यत:/विविध कार्यक्रमों के माध्यम से, विशेषकर, छात्रों और सामान्य जनता में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के कार्य में लगी है।

कलकत्ता, बंगलौर, बम्बई, पटना, पुरुलिया, मालदा और गुलबर्ग स्थित संग्रहालयों/किन्द्रों को 1983-84 के दौरान काफी लोग देखने आए। छ: बस संग्रहालयों ने जिनमें प्रत्येक में एक विशिष्ट विषय से संबंधित कार्य प्रदर्श लगे थे, देश भर में 105 स्थानों पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया—चलती-फिरती विज्ञान प्रदर्शनी एककों जिन्होंने 10,800 किलोमीटर का दौरा किया। लगभग 1,91,179 व्यक्तियों द्वारा देखी गई। इसके अलावा, विभिन्न ग्रामीण स्थलों में आयोजित वैज्ञानिक फिल्म प्रदर्शनों को 88632 व्यक्तियों ने देखा। पुरुलिया, गुलबर्ग और मालदा स्थित जिला विज्ञान केन्द्रों ने स्थानीय जनता, विशेषकर, छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने नियमित कार्य-कलाप जारी रखे। पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र ने "तुम और मैं" और "आप अपनी हथेली में छेद कर सकते हैं" नामक दो और प्रदर्श शामिल किए। संग्रहालयों ने कलकत्ता और बंगलौर में राज्य और अन्तर-राज्य स्तर पर विज्ञान मेलों/शिविरों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया। वैज्ञानिक फिल्म प्रदर्शनियों, विज्ञान-प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, अव्यावसायिक रेडियो कार्यकलापों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे अन्य नियमित कार्यकलाप भी सभी केन्द्रों पर आयोजित किए गए। बिडला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय कलकत्ता में एक भव्य प्रदर्शनी "मांक अप कोल माइन" का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को खान का वातस्विक स्थिति के बारे में जानकारी देना और खान के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना था। खानों के गहरी सुरंगों में जाना एक अनोखा अनुभव है और यह सामान्य व्यक्ति में अद्भुत, रहस्य और विस्मय उत्पन्न करता है। सातवीं योजना के प्रतिपादन हेतु आवश्यक निवेश प्राप्त करने के लिए, कलकत्ता, बंगलौर, बम्बई और दिल्ली में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिसमें विज्ञान संग्रहालयों में रुचि रखने वाले 40 विदेशी विशेषज्ञों ने भाग लिया। भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच "ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान संग्रहालयों" पर एक कार्यशाला 2 दिसम्बर, से 7 दिसम्बर, 1983 तक जिला विज्ञान केन्द्र पुरुलिया में आयोजित की गई। बिड़ला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक संस्थान कलकत्ता में 12 दिसम्बर, से 22 दिसम्बर, 1983 तक "विज्ञान, शिक्षा के लिए वैज्ञानिक साधन" पर एक अन्य कार्यशाला आयोजित की गई। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् ने 19 नवम्बर से 25 नवम्बर, 1983 तक राष्ट्रीय एकता सप्ताह मनाया। सभी अधिकारियों और स्टाफ कर्मचारियों ने एकता की शपथ ली। इसके अतिरिक्त, समारोह में व्याख्यान दिए गए, कला और संस्कृति पर चलचित्र दिखाए गए, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर आधारित इश्तिहार और पुस्तिकाएं निकाली गईं और सभी राज्यों की पोशाकों वाली गुड़ियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

आलोच्य अवधि के दौरान, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषदों/केन्द्रों ने वीथियों, जिला विज्ञान केन्द्रों, अस्थाई प्रदर्शनियों और चलती-फिरती प्रदर्शनी एककों के लिए प्रदर्शों के आयोजन और निर्माण पर बल दिया। इस अवधि के दौरान समकालीन जर्मन भौतिकी जर्मन वैज्ञानिकों "मैक्स वार्न" और "जेम्स फ्रैंक", "पर्यावरण", और "सौर ऊर्जा के प्रयोग" पर अस्थाई प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। भारत-सोवियत सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत कलकत्ता, पटना और पुरुलिया में "माइक्रो टू मार्को" सोवियत प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में अंतरिक्ष की सूक्ष्म गहराइयों के रहस्य जानने की मानव की बढ़ती हुई प्रतिभा पर प्रकाश डाला गया।

परिषद ने विकास नामक प्रदर्शनी विशेष उद्देश्य से तैयार की तथा विकसित की जो भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् द्वारा संयुक्त रूप से प्रगति मैदान, नई दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित की गई थी। मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस प्रदर्शनी को विदेशी उच्चाधिकारियों सहित बहुत लोगों ने देखा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् ने छात्रों के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जिसका विषय था—"संप्रेषण —आज और कल"। अगस्त-सितम्बर के दौरान राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों में भी सेमिनार का आयोजन किया गया। ब्लाक और जिला स्तरों पर आयोजित सेमिनारों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 1,100,000 से अधिक थी। 31 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आयोजित सेमिनारों में लगभग 700 छात्रों ने भाग लिया। 94 स्कूलों में 18,583 छात्रों और 422 शिक्षकों के लिए 152 विज्ञान प्रदर्शन व्याख्यान आयोजित किए गए। बिड़ला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय द्वारा आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यग्रम के अन्तर्गत 67 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। सभी संग्रहालयों/केन्द्रों पर वैज्ञानिक चलचित्र 59,338 व्यक्तियों ने देखे और समकालीन वैज्ञानिक विषयों पर 14 लोकप्रिय व्याख्यान भी दिए गए। एन० सी० एस० एम० संग्रहालयों/केन्द्रों में वर्ष के दौरान अपने कार्यक्रम आयोजित किए। 341 छात्रों ने भौतिकी, इलैक्ट्रानिक्स, रसायन की वैज्ञानिक परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार बम्बई के "नेचर क्लब एक्टिविटी" के अन्तर्गत 42 छात्रों ने जीव विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के विषयों में कार्य किए।

इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए :—

(1) कार्यक्रमों पर संग्रहालयों कार्यक्रम (बि० औ० पो० सं० ने० वि० के०)
(2) बिड़ला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय संदर्शिका
(3) माक अप कोल माइन नाम की पुस्तिका
(4) राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार पुस्तिका
(5) सर्जनात्मक योग्यता अनुभाग पर पुस्तिका (एस० एस० सी०—पटना)
(6) मुकतेश विज्ञान वाटिका
(7) राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार पुस्तिका
(8) "विकास प्रदर्शनी" पर पुस्तिका
(9) "छात्रों के लिए विज्ञान सेमिनार पुस्तिका"
(10) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट—1982-83 (अंग्रेजी और हिन्दी)

राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला इस विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है। प्रयोगशाला ने अपने कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में बड़ी तेजी से उन्नति की है। प्राप्त उपस्कर स्थापित कर दिया गया है और उसका मानकीकरण भी कर लिया है। इस समय यह प्रयोगशाला दो किराए के भवनों में है। प्रयोगशाला के नए भवन का निर्माण आरम्भ हो गया है। शिक्षा और संस्कृति मंत्री श्रीमती शीला कौल ने 2 जून, 1983 को नए भवन की आधार शिला रखी। इस भवन का नमूना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है।

प्रयोगशाला ने अनुसंधान, अन्य संस्थाओं को तकनीकी सहायता देना, साहित्यिक प्रलेखन, प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रम जारी रखे।

अनुसंधान के मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं :—

(1) लोहे और तांबे सहित पुराने धातु की वस्तुओं का धातुकर्म;
(2) प्राचीन भारत में कांच प्रौद्योगिकी पर अध्ययन;
(3) रंगाई सामग्री और अन्य कार्बनिक सामग्री की पहचान;
(4) कागज के रेशों की पहचान;
(5) भारतीय संग्रहालयों में फफूंदी पर सर्वेक्षण;
(6) लोहे की वस्तुओं का परिरक्षण;
(7) तांबा जंग निरोधक।

जो अध्ययन पूरे हो चुके हैं वे इस प्रकार हैं :—

(क) जंग लगी वस्तुओं का परिरक्षण; लोहे और तांबे की वस्तुओं से क्लोराइड अलग करने के लिए ऋणायन विनिमय राल के प्रयोग के तकनीकी के मानकीकरण का अध्ययन पूरा हो गया है और इसके परिणामों संबंधी दस्तावेज प्रकाशन के लिए भेज दिए गए हैं।

(ख) प्राचीन भारत में लोहे का धातु कर्म; ताडाकानाहल्ली से मिली लोहे की वस्तुओं का तकनीकी अध्ययन हो गया है और इसके परिणाम प्रकाशन के लिए भेज दिए गए हैं।

(ग) तांबा जंग निरोधक; कई रासायनिक संश्लेषक उत्पादन और कुछ प्राकृतिक उत्पादन का परीक्षण किया गया। इस परियोजना का अध्ययन पूरा हो गया है और संग्रहालयों और पुरातत्व विभागों के लिए इसकी अन्तिम सिफारिशें शीघ्र उपलब्ध हो जाएंगी।

परिरक्षण परियोजना

प्रयोगशाला ने काफी संस्थाओं और संग्रहालयों को तकनीकी सहायता दी। सलाह मांगने से संबंधित पत्र नियमित रूप से काफी संख्या में आते रहे। लखनऊ में उपचार के लिए विभिन्न संस्थाओं से वस्तुएं प्राप्त हुईं।

कुछ मुख्य परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :—

(क) **शाहनामा का परिरक्षण उपचार** :—यह फिरदौसी की सचित्र पाण्डुलिपि है। यह राज्य संग्रहालय लखनऊ की सम्पत्ति है। इसका परिरक्षण उपचार जारी है।

(ख) **लोहे और तांबे की खोदी हुई वस्तुएं** :—उत्तर प्रदेश संघटन और नागपुर विश्वविद्यालय से लोहे और तांबे की कई खोदी हुई वस्तुएं प्राप्त हुई और उनका उपचार किया गया।

(ग) **रेखाकृति चित्रकारी का उपचार** :—नन्दलाल बोस द्वारा बनाई गई रेखाकृति चित्रकारी जो राष्ट्रीय आधुनिक कला चित्रशाला के पास है, पुनः स्थापित की गई।

(घ) **भूता आकृतियों का उपचार** :—लकड़ी से बनी 60 से अधिक भूता आकृतियों, जिनमें से कुछ बहुत बड़ी हैं, के उपचार के लिए एक परियोजना तैयार की गई है। ये आकृतियां शिल्पकला संग्रहालय, नई दिल्ली की संपत्ति हैं। इनका उपचार राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला विशेषज्ञों के निरीक्षण पर संग्रहालय में किया जाएगा।

प्रशिक्षण

प्रयोगशाला परिरक्षण संबंधी कई नियमित पाठ्यक्रम आयोजित करती है। यूनेस्को के सहयोग से एक नवम्बर, 1983 को एक छ: मासिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एक नेपाल और एक श्रीलंका के दो विदेशी प्रशिक्षणार्थियों सहित 6 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

संग्रह प्रभारियों के वास्ते संग्रहालय सामग्री की देख-रेख और अनुरक्षण के लिए 17 अगस्त से 26 अगस्त, 1983 तक एक दिग्विन्यास कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत के भिन्न-भिन्न भागों से आए व्यक्तियों को कला और पुरातत्व सामग्री के परिरक्षण के लिए अपेक्षित जानकारी प्रदान करना था।

26 सितम्बर से 1 अक्तूबर, 1983 तक विशेष पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों की भारतीय संस्था के सहयोग से पुस्तकालय सामग्री और दस्तावेजों के परिरक्षण के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह पाठ्यक्रम पुस्तकालयों के प्रबन्धकों और निरीक्षकों के लिए आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम में काफी व्यक्तियों ने भाग लिया।

सेमिनार

प्रयोगशाला में भारत में परिरक्षण आयोजन पर 27 अक्तूबर से 29 अक्तूबर, 1983 तक तीन दिन का एक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें कई संग्रहालयों, राज्यों के पुरातत्व तथा अभिलेखागार के विभागों और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के निदेशकों ने भाग लिया। परिरक्षण कार्यों की कमियों पर चर्चा की गई और सरकार और योजना आयोग के विचारार्थ कई सिफारिशें भी दी गई। ये सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही हेतु परिचालित कर दी गई हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय परिरक्षण सेमिनार, 1983 का आयोजन किया गया। यह सेमिनार "सांस्कृतिक संपदा के परिरक्षण के अध्ययन के लिए भारतीय संस्था", जो एक व्यावसायिक निकाय है, के सहयोग से 2 दिसम्बर से 3 दिसम्बर, 1983 तक आयोजित किया गया। इसका विषय चित्रकारी का परिरक्षण था।

प्रयोगशाला के पुस्तकालय को एक विशेष दस्तावेज केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। इस समय पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या 5000 से भी अधिक है। पुस्तकालय की सामग्री पर एक विस्तृत सूची और सूची कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। अन्य संस्थाओं की सुविधाओं के लिए पुस्तकालय ने अपने संग्रहों की एक त्रैमासिक सूची जारी की है। पुस्तकालय ने संबंधित विषयों पर ग्रंथ सूचियां भी निकाली हैं।

अध्याय 3

मानव विज्ञान तथा मानव जाति विज्ञान की संस्थाएं

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता तथा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल संस्कृति विभाग के अधीनस्थ कार्यालय हैं। इन दोनों संस्थाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में अपने कायकलाप जारी रखे।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने 1 दिसम्बर, 1945 से एक स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करना आरम्भ कर दिया है। आरम्भ में मामूली सी शुरूआत से, सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तर पर मानव विज्ञान अनुसंधान की एक प्रमुख अनुसंधान संस्था बन गई है तथा अब यह भूगोलिक परिप्रेक्ष्य में अपनी किस्म की संस्थाओं में सबसे बड़ी संस्था है। इस समय देश के विभिन्न भागों में इसके सात क्षेत्रीय कार्यालय तथा एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। सर्वेक्षण ने आरम्भ से ही अनुसंधान कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेते हुए राष्ट्र की प्रशंसनीय सेवा की है। यह भारतीय जनसंख्या के जैविक सांस्कृतिक विविधताओं का रिकार्ड तथा विश्लेषण करने के लिए अनुसंधान करता है। यह भारत के लोगों के जैविक सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में प्राचीन कंकाल अवशेषों की खोज, परिरक्षण तथा अध्ययन और समकालीन समस्याओं पर भारत के लोगों, विशेषकर, जनजातियों तथा कमजोर वर्गों पर जोर देते हुए क्षेत्र तथा प्रयोगशाला पर आधारित अनुसंधानों का आयोजन करता है। सर्वेक्षण, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित अपने संग्रहालयों के माध्यम से नृजाति सामग्री का संग्रह, प्रलेखन तथा प्रदर्शन भी करता है।

वर्ष 1983–84 के दौरान, सर्वेक्षण के कार्यकलाप मुख्यतः 60 अनुसंधान परियोजनाओं पर केन्द्रित रहे जिन्हें अखिल भारतीय परियोजना, क्षेत्रीय परियोजना एकल परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें दो परियोजनाए–एक गृह मंत्रालय तथा दूसरी यूनेस्को के साथ सहयोग के रूप में हैं। सर्वेक्षण ने अपने विभिन्न अनुभागों जैसे कि संग्रहालय, चलचित्रकला, फोटोग्राफी, ध्वनि प्रयोगशाला, निकासी गृह एकक, प्रलेखन एकक, मूल आंकड़ा अभिलेखागार, पुस्तकालय, रिप्रोग्राफी तथा मुद्रण और प्रकाशन के जरिए परिरक्षण, प्रलेखन, प्रचार कार्यकलाप भी किए हैं। इनके अतिरिक्त, सर्वेक्षण के वार्षिक कार्यक्रम में सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाएं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा प्रदर्शनियां शामिल हैं, जिनमें सभी पर उचित ध्यान दिया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलापों की संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है:

सर्वेक्षण के शारीरिक मानव-विज्ञान प्रभाग ने 5 अखिल भारतीय परियोजनाओं अर्थात् (1) देशज स्वास्थ्य संबंधी आदतों का सर्वेक्षण, (2) छोटी आबादी तथा जनसांख्यिकीय जननिक, (3) अखिल भारतीय जैविक मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, (4) अखिल भारतीय त्वचाविज्ञान सर्वेक्षण और (5) शब्द चित्र भवन पद्धति पर अनुसंधान किया। इनके अतिरिक्त 3 क्षेत्रीय तथा 26 एकल परियोजनाओं पर कार्यकलाप जारी रखे गए। चार परियोजनाओं पर चार वैज्ञानिक रिपोर्टें पूरी की गईं।

सांस्कृतिक मानव विज्ञान प्रभाग के अनुसंधान कार्यकलाप 4 अखिल भारतीय परियोजनाओं अर्थात् (1) समकालीन भारत में जनजाति, (2) भारत वर्ष में जनजातीय शिक्षा, (3) भारत में बदलती हुई खेती; और (4) अत्यधिक जलवायु में संग्रहालय अनुकूलन पर केन्द्रित रहे। अनुसंधान कार्यकलाप 3 क्षेत्रीय परियोजनाओं तथा 18 एकल परियोजनाओं पर जारी रहे। अंदमान में बंगला शरणार्थी, मानव जातीय भाषा कर्नाटक में कृषि स्थिति, जगदलपुर: जनजातीय जनसंख्या का एक कस्बा, मैसूर शहर में धार्मिक संस्था तथा अत्यधिक जलवायु के प्रति मानव अनुकूलन परि-

20—812 Edu/83

योजनाओं की क्षेत्रीय जांच आरम्भ की गई। छत्तीसगढ़ के नागेशिया पर एक पुस्तक सहित चौदह वैज्ञानिक रिपोर्टें पूरी की गईं।

समकालीन भारत में जनजातीय परियोजनाओं सर्वेक्षण के शारीरिक तथा सांस्कृतिक मानव विज्ञान प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई ताकि कम जानी जानी वाली जनजातियों के संबंध में आधार सूचना प्रदान की जा सके तथा बाहरी प्रभाव के कारण जनजातीय जीवन पद्धति में परिवर्तन की अभिवृत्तियां निर्धारित की जा सकें। देश के विभिन्न भागों के दस जनजातियों पर दस रिपोर्टें पूरी की गईं। 18 जनजातियों पर क्षेत्रीय जांच का दूसरा चरण पूरा किया गया तथा अंतिम रिपोर्टें तैयार करने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

मोरफो संबंधी लक्षणों के आधार पर पहचान किटों का विकास करने के लिए एक सहयोगी परियोजना, चित्र भवन पद्धति पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) द्वारा आरम्भ की गई। आम लोगों से फोटो तथा दैहिक विस्तार संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय जांच आरम्भ की गई। भारत के अन्य भागों के विभिन्न लोगों के आंकड़ों पर आंशिक रूप से कार्रवाई तथा विश्लेषण किया गया।

संग्रहालय

सर्वेक्षण के केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालयों में नृजातीय सामग्री का परिरक्षण, अनुरक्षण तथा प्रलेखन जारी रखा गया। नयी नृजातीय सामग्री उत्तर प्रदेश के गुज्जार, अरुणाचल प्रदेश के एका, बंगी, मिजी तथा मोंगपों तथा पश्चिम बंगाल के लोपाहका, राखा, मोच तथा टोटो से एकत्र की गई तथा उसे केन्द्रीय और क्षेत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालयों के स्टाक में शामिल किया गया। विदेशी अध्येताओं सहित लगभग 1541 पर्यटकों ने सर्वेक्षण के संग्रहालयों का भ्रमण किया।

मुद्रण तथा प्रकाशन

आलोच्य वर्ष के दौरान वर्ष 1979, 1980 तथा 1981 के वर्षों के सर्वेक्षण कार्यकलापों की तीन बकाया वार्षिक रिपोर्टें, अत्यधिक जलवायु में मानव अनुकूलन पर सेमिनार के उद्धरणों तथा कार्यक्रमों की एक पुस्तिका, बुलेटिन का एक अंक (खण्ड 30, 1 तथा 2) तथा समाचार पत्र के तीन अंक (खण्ड 1 संख्या 3,4 तथा 5) प्रकाशित किए गए। इसके अतिरिक्त, तीन स्मारक तथा बुलेटिन का एक अंश छप रहा है।

शिक्षावृत्ति कार्यक्रम :

मानव विज्ञान तथा सम्बद्ध विषयों में उच्च अध्ययन शुरू करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं को अवसर देने तथा देश के विश्वविद्यालयों और अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोगी कार्यक्रमों का विकास करने के लिए सर्वेक्षण में शिक्षावृत्ति योजना आरम्भ की गई। आलोच्य वर्ष के दौरान, सर्वेक्षण के 17 मौजूदा अध्येताओं के अतिरिक्त, जिनमें से 13 अध्येता निम्न प्रकार से विभिन्न संगठनों से सम्बद्ध हैं, नौ शिक्षावृत्तियां प्रदान की गईं :

सम्बद्धता का स्थान	सीनियर फैलो	जूनियर फैलो
दिल्ली विश्वविद्यालय . . .	—	2
आंध्र विश्वविद्यालय . . .	1	2
पंजाब विश्वविद्यालय . . .	—	1
रांची विश्वविद्यालय . . .	—	1
पंजाब विश्वविद्यालय . . .	—	1
कलकत्ता विश्वविद्यालय . . .	—	4
ग्रामीण विकास केन्द्र, भार० प्रो० संस्थान, खड़कपुर	—	1

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित परियोजना : एशिया के शहरों का अध्ययन

इस परियोजना के अन्तर्गत एशिया में प्रत्येक देश में एक के हिसाब से कई प्राचीन शहर चुने गए हैं ताकि यूनेस्को के तत्वावधान में विस्तृत अध्ययन किया जा सके। भारत में, तमिलनाडु राज्य का ऐतिहासिक नगर कांचीपुरम को इस प्रयोजन के लिए चुना गया है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण इस परियोजना में सहयोगी संस्थाओं में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परामर्श से, यह निर्णय किया गया है कि यह सर्वेक्षण निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा :—

1. जनसंख्या तथा मानव जातीयता के विशेष संदर्भ में ऐतिहासिक पहलू।
2. कांचीपुरम की जनांकिकी जिसमें नगरीय स्तरों के जनसंख्या आन्दोलन तथा परिवर्तन शामिल हैं।
3. सिल्क-बुनाई व्यवसाय का समाजार्थिक पहलू।
4. परम्परागत व्यवसाय के विशेष संदर्भ सहित भूमि-उपयोग, भूमि व्यवस्था, घरेलू व्यवसाय तथा आवासीय पद्धति।

अन्वेषणात्मक अध्ययन प्रगति पर हैं जिसका अनुसरण सुव्यवस्थित क्षेत्रीय अनुसंधानों द्वारा किया जाएगा। ग्रंथ-सूची अनुसंधानों का कार्य भी शुरू हो गया है।

कार्यशालाएं तथा सेमिनार

सर्वेक्षण ने "मानव अनुकूलन उत्कृष्ट जलवायु" संबंधी एक कार्यशाला तथा तीन पुनश्चर्या (i) रक्त ग्रुप का अध्यन; (ii) संस्कृति की सामग्री पहलू का अध्ययन तथा (iii) संग्रहालय पद्धति, नामक पाठ्यक्रम आयोजित किए। समकालीन भारत में जनजाति संबंधी एक अन्य कार्यशाला मार्च, 1984 में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

1983 से पहले राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने विविध विषयों के नियमित रूप से आयोजित होने वाली आवधिक अस्थायी प्रदर्शनियों हेतु सुविधाएं तत्काल विकसित करने संबंधी कार्य आरम्भ किया। परिणामस्वरूप, किराए पर ली गई वर्तमान जगह में एक अस्थायी प्रदर्शनी वीथी तैयार की गई है। हाल में ही नई वीथी में आयोजित की गई प्रथम प्रदर्शनी में संग्रहालय की चुनिन्दा धार्मिक वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। जनवरी, 1984 में आयोजित होने वाली "जीवाश्म मानव" प्रदर्शनी की तैयारी प्रगति पर है जिसमें जीवन-आकार प्रदर्शों की तैयारी शामिल है। इस प्रदर्शनी का एक प्रमुख भाग बाद में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के स्थान पर तैयार किए जा रहे बाहरी परिसर का एक स्थायी स्वरूप बन जाएगा। अन्तर सम्बद्ध आवधिक प्रदर्शनी नियमित रूप से आयोजित करके संग्रहालय स्थान पर अपनी स्थायी वीथियों के कार्य करने से पहले अपने सूचना तथा नमूनों के बढ़ते हुए संग्रह लोगों के सामने ला सकेगा।

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की संकल्पना एक संपूर्ण जीवांश के रूप में की गई है जो भारत के विशेष संदर्भ में मानव जैविक उत्पत्ति तथा सांस्कृतिक पद्धतियों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए मानव जाति की कहानी को स्पष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। 1983 में संग्रहालय ने निम्नलिखित पूर्व योजनाओं के अनुसार कार्य का विस्तार किया है :—

1. जनजाति आवास प्रदर्शनी
2. मानव राष्ट्रीय संग्रहालय में चित्रित शैल आश्रमों की प्रदर्शनी
3. प्रतिरोपण द्वारा कुछेक पूर्व ऐतिहासिक स्थलों की प्रदर्शनी
4. मृत नर-पशु प्रदर्शनी

संग्रहालय ने "भारत में जनजातीय आवास" वाह्य प्रदर्शनी के लिए अनेक जनजातीय आवास पहले ही तैयार कर दिये हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान तीन और जनजातीय आवास तैयार हो जायेंगे।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के स्थल पर चित्रित शैल आश्रय की खुदाई शुरू कर दी गई है। 1982 में खोदी गई सामग्री का विश्लेषण भी किया जा रहा है, जो संग्रहालय के वाह्य परिसर में प्रदर्श के रूप में इस स्थल के सम्बन्ध में नई सामग्री के साथ-साथ पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा।

संग्रहालय अनुसन्धान कार्य को सुकर बनाने के लिये एक सन्दर्भ पुस्तकालय का विकास कर रहा है। वर्ष के दौरान इसमें, 500 से अधिक पुस्तकें शामिल की गई और 77 विदेशी तथा 35 भारतीय पत्रिकाओं के ग्राहक बने।

अध्याय **4**

अभिलेखागार और अभिलेख

पाण्डुलिपियाँ समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक परम्परा का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। ये उस योगदान के प्रमुख भण्डार हैं जो हमारे पूर्वजों ने धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, साहित्य, इतिहास, औषध और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में किया है। वे भारत के अतीत के पुनर्निर्माण के मूल स्रोत हैं।

विभाग ने पांडुलिपियों के परिरक्षण, सूचीकरण, ग्रंथ सूची तैयार करने, मूल्यांकन, प्रकाशन इत्यादि के लिये स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना शुरू की है। संस्कृति विभाग ने संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर और खुदा बख्श ओरिएन्टल पब्लिक लायब्रेरी, पटना को भी अपने अधिकार में ले लिया है जो अरबी, फारसी और उर्दू पांडुलिपियों के समृद्ध संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अन्य ऐसी संस्थाओं में जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं, पाण्डुलिपियों की उचित देख-रेख भी की जा रही है।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार एशिया में सरकारी अभिलेखों का सबसे बड़ा सुव्यवस्थित भण्डार है। यह केन्द्रीय सरकारी अभिलेखों और साथ ही विदेशों से उपहार, विनिमय अथवा खरीद कर अनुसन्धान महत्व के निजी लेखों को भी प्राप्त करता है। यह विभिन्न राज्य अभिलेखागारों को अपने अधिकार क्षेत्रों में समुचित प्रशासन और आरक्षण के लिये सलाह और सहायता देता है। अध्येताओं के लिये अनुसन्धान सुविधाओं की व्यवस्था करता है और अपने अभिलेखागार अध्ययन के स्कूल के माध्यम से अभिलेखागार अनुरक्षण में व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है। इसके मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:—

प्राप्तियां : महत्वपूर्ण प्राप्तियों में शामिल हैं:—

(i) शहीद सुखदेव से संबंधित लेख; (ii) भूतपूर्व मुख्य मंत्री, पेपसू और पंजाब के एक मंत्री स्वर्गीय सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला के निजी कागजात; (iii) महाराजा रणजीत सिंह की सेना में यूरोपवासियों पर ई० मेकलीगन (सिविल सचिवालय) जे० जे० काटन सम्बन्धी पत्र व्यवहार; (iv) सी० राजगोपालाचारी सम्बन्धी दस्तावेज (15 माइक्रोफिल्म रोल्स) (v) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित दस्तावेज; (vi) आस्ट्राखान में भारतीय उपनिवेश (2 माइक्रोफिल्म रोल्स और जीरोक्स प्रतियां)।

अभिलेख और अभिलेखागार प्रबन्ध : (क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की 66,302 फाइलों का मूल्यांकन किया गया; (ख) 15 मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के अभिलेखों की स्थाई अनुसूची की जांच की गई; (ग) 4 विभागों के अभिलेख प्रबन्ध अध्ययन आयोजित किये और रिपोर्टें तैयार की गई (घ) "सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम" सम्बन्धी केबिनेट नोट शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया।

अभिलेख प्रशिक्षण : (क) 18 प्रशिक्षणार्थियों ने अभिलेख अध्ययन सम्बन्धी एक वर्षीय (1982-83 सत्र) डिप्लोमा प्राप्त किया और 7 भारतीय और 4 विदेशी छात्रों ने 1983-84 सत्र के पाठ्यक्रम में दाखिला लिया (ख) अभिलेखागार प्रशासन, अभिलेख प्रबन्ध, रिप्रोग्रेफी (प्रलेखन),

देखभाल और आरक्षण, अभिलेखों की सेवा और मरम्मत सम्बन्धी अल्प-कालिक पाठ्यक्रम आयोजित किये गये। (ग) बर्मा राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक डा० यी० तुत ने साप्ताहिक अवलोकन अध्ययन किया।

सदर्भ साधन : वित्त मंत्रालय, भूतपूर्व केन्द्रीय भारत एजेन्सी, दादा भाई नारोजी, सर सीताराम, गदर कालीन दस्तावेजों और इनायतजंग संग्रह से संबंधित सार्वजनिक और निजी अभिलखों को सूचीबद्ध किया गया। **अनुसंधान तथा संदर्भ** : विभाग के अनुसन्धान कक्ष ने अध्येताओं के लिये अनुसन्धान सुविधाएं प्रदान करना जारी रखा। विभिन्न सार्वजनिक और निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई अनेक शंकाओं का समाधान किया गया।

प्रकाशन : भारतीय अभिलेखागार (खण्ड XXXI सं० 1 और 2), राष्ट्रीय भारतीय अभिलेखागार, 1982 की वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग (खण्ड XLVII) प्रकाशित किये गये। राष्ट्रीय निजी अभिलेख रजिस्टर (खण्ड XIII) और अनुसन्धान शोध प्रबन्ध का बुलेटिन और डिसरटेशन (खण्ड XII) प्रकाशन के लिये तैयार हैं।

"स्वतंत्रता की ओर" नामक परियोजना ने राष्ट्रीय और राज्य अभिलेखागारों के संरक्षण में सार्वजनिक और निजी अभिलेखों तथा माइक्रोफिल्मों (1937-39) से सामग्री चयन में नियमित प्रगति की और चुनिन्दा उद्धरणों के 5,228 पृष्ठ सम्पादन के लिये भारतीय ऐतिहास अनुसन्धान परिषद को भेजें गये।

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग : 49वें अधिवेशन का आयोजन जनवरी, 1984 में करने का निश्चय किया गया।

तकनीकी सेवा और सलाह : 21 विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं को सूचना और मार्गदर्शन देने के अलावा कुल 61,248 शीटों की मरम्मत तथा सुधार किया गया और माइक्रोफिल्मों के 2,89,884 फोटों तथा 47,481 जीरोक्स प्रतियां तैयार की गई।

1 से 7 नवम्बर, 1983 तक अभिलेखागार सप्ताह मनाया गया। "भारत और राष्ट्रमण्डल ओपन हाउस" (अभिलेखागार का एक दौरा) नामक एक प्रदर्शनी और "अभिलेख प्रबन्ध" सम्बन्धी एक कार्यशाला इसकी मुख्य विशेषताएं थीं।

क्षेत्रीय शाखा : भोपाल, जयपुर और पांडिचेरी स्थित विभागीय कार्यालयों ने अपने सामान्य कार्यकलाप जारी रखे। उन्होंने 1 से 7 नवम्बर, 1983 तक "अभिलेखागार सप्ताह" भी मनाया।

खुदा बख्श औरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना

खुदा बख्श पुस्तकालय, सन्दर्भ और अनुसन्धान कार्यों में लगातार प्रगति कर रहा है। यह अरबी और फारसी पाण्डुलिपियों और मुगलकालीन चित्रकारी का एक समृद्धतम संग्रह भी है। इसमें पुस्तकालय सामग्री के प्रयोग मे कई गुनी वृद्धि हुई है और यह लगातार होती जा रही है। भारत और विदेश के विद्वानों को शैक्षिक प्रश्नों के उत्तर में सन्दर्भ सेवा के माध्यम से और उनकी अपेक्षानुसार लिप्यंत्रित प्रतियां, माइक्रोफिल्म अथवा पांडुलिपियों की फोटोप्रतियां मुहैया करके अनुनसधान सामग्री प्रदान की जा रही है। अलीगढ़, रामपुर, भागलपुर, मानेर और फुलवाड़ी शरीफ जैसी उन अनेक प्रमुख भारतीय संग्रहों की दुर्लभ पांडुलिपियों के अलावा पांडुलिपियों और मुद्रित पुस्तकों के कई प्रमुख संग्रह, उधार, उपहार स्वरूप, सुधार, और अथवा भुगतान पर अधिग्रहण किये गये हैं। पुस्तकालय की दुर्लभ सामग्री को काफी समय और सुरक्षा की दृष्टि से पांडुलिपियों को माइक्रोफिल्में भी तैयार की जा रही है। तत्काल मरम्मत और जिल्दसाजी की जाने वाली पुस्तकों और पांडुलिपियों पर परिरक्षण एकक के पर्यवेक्षण के

अन्तर्गत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह पुस्तकालय एक त्रैमासिक अनुसन्धान पत्रिका निकाल रहा है। अब तक इसके चौबीस अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं जिसमें 4500 पृष्ठ हैं। पुस्तकालय में अब तक 34 पांडुलिपियों की वर्णनात्मक सूची मुद्रित की जा चुकी है। प्राचीन सूची खण्डों का पुनः मुद्रण किया जा रहा है। दुर्लभ पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करणों के प्रकाशन की परियोजना 1977 में आरम्भ की गई और अब तक दुर्लभ और अद्वितीय पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किये गये हैं। यह पुस्तकालय ऐतिहासिक महत्व के दुर्लभ मुद्रणों और आवधिक पत्रिकाओं को भी प्रकाश में ला रहा है। पुस्तकालय में परिरक्षित पांडुलिपियों के अनुसन्धान के लिये दस खुदा बख्श शिक्षावृत्तियों की (3 सीनियर और 7 जूनियर) व्यवस्था की गई है। भा० ऐ० अ० प० (वि० अ० आ०) की एक राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति और दो विजिटिंग फैलोशिपों का भी उसी उद्देश्य की पद्धति पर व्यवस्था की गई है।

परम्परागत कार्यकलापों के अतिरिक्त, पुस्तकालय समय समय पर खुदा बख्श वार्षिक और विस्तार व्याख्यानों की भी व्यवस्था करता है जो इस्लामिक अध्ययन में इतिहास, उर्दू, फारसी, अरबी के उत्कृष्ट विद्वानों द्वारा दिये जाते हैं। पुस्तकालय विभिन्न अन्तरालों पर सेमिनारों का भी आयोजन करता है ताकि अनुसन्धान की गति को बढ़ाया जा सके और पढ़ने की आदतें पैदा की जा सकें। संस्मरण वार्ताओं की एक श्रृंखला डा० जाकिर हुसैन की स्मृति में आरम्भ की गई है जिन्होंने पुस्तकालय को भारत के राज्यपाल और बाद में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की अवधि के दौरान अपना पूर्ण, अबाधित संरक्षण दिया।

पुस्तकालय का विस्तार भवन कार्य पूरा कर लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह ने 14 फरवरी, 1983 को नये भवन का उद्घाटन किया।

तंजाबूर महाराजा सरेफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजाबूर

डा० बरनेल के अनुसार "तंजाबूर महाराजा सरेफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय" संभवतः विश्व का उत्कृष्ट एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकालय है। इसकी स्थापना चोल राजाओं के काल में हुई तथा तदनन्तर विजय नगर साम्राज्य के तंजाबूर नायकों द्वारा इसे पुनः सक्रिय किया गया। महाराजा सरेफोजी द्वारा 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इसे बहुत अधिक व्यवस्थित किया गया। मद्रास सरकार द्वारा धर्मार्थ दान अधिनियम के अन्तर्गत 5 अक्तूबर, 1918 में इस पुस्तकालय को अपने अधिकार में ले लिया गया तथा इसके प्रबन्ध के लिये एक समिति गठित की गई। इस पुस्तकालय के पास संस्कृत, मराठी, तमिल, तेलुगु तथा अन्य भाषाओं की 40,000 पांडुलिपियों के संग्रह के अतिरिक्त विभिन्न विषयों की भारतीय तथा यूरोपीय भाषायों की 23,000 पुस्तकें हैं। केन्द्रीय सरकार इस समय 1977 में स्थापित समिति की सिफारिशों के अनुशीलन में योजनागत अनुदान दे रही है।

रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर

रामपुर रज़ा पुस्तकालय प्राच्य पांडुलिपियों और चित्रकारी संग्रहों का विश्वविख्यात पुस्तकालय है। यह देश के प्राचीनतम पुस्तकालयों में से एक है। इसकी 1774–1794 वर्षों के दौरान स्थापना की गई थी। यह पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध है और प्राच्य इस्लामिक अनुसन्धान ईरानी और भारतीय मुगलकालीन चित्रकारी के क्षेत्रों में कार्यशील अध्येताओं को आकर्षित करता है।

इस पुस्तकालय को 1975 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के जरिये एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। इसका सम्पूर्ण वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि, 48000 रूपये का एक निश्चित वार्षिक अनुदान उत्तर. प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

कुछ नई योजनायें चालू करने और अतिथि विद्वानों को सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने दुर्लभ वास्तुकला महत्व के हमीद मंजिल और रंगमहल भवनों की सज्जा, मरम्मत और नवीकरण इत्यादि के लिये 15.00 लाख रुपये का एक विशेष अनुदान अनुमोदित किया।

1983-84 के दौरान, पुस्तकालय ने अरबी की एक और दुर्लभ पांडुलिपि प्रकाशित की जो अब बिक्री के लिये उपलब्ध है। रवैय्याम रूबायत की दूसरी महत्वपूर्ण उर्दू पांडुलिपि प्रैस में भेज दी गई है। पुस्तकालय को प्रति वर्ष 10,000 से अधिक लोग देखने आते हैं जिनमें देशों के कम से कम 50 अध्येता होते हैं।

पांडुलिपियों का परिरक्षण

इस योजना में दुर्लभ पांडुलिपियों के सूचीकरण, सम्पादन, परिरक्षण, प्रकाशन के लिये समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों/पुस्तकालयों संग्रहालयों सहित स्वैच्छिक संगठनों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है जो पांडुलिपियों के रूप में उपलब्ध है और जो समुचित परिरक्षण, अध्ययन और अनुसन्धान के उपायों के अभाववश पतन के कगार पर है। योजना को 1979-80 से छोटे स्तर पर चालू किया गया है।

पुरालेख, पुरालिपि' लुप्त भाषाओं, प्राचीन लिपियों और मुद्राशास्त्र सहित विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के लिए शिक्षा-वृत्तियां

इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया खोजना है जिसके द्वारा लिपियों और प्राचीन भाषाओं का ज्ञान उन छात्रों को उपलब्ध कराया जा सके तथा जिन्हें उन क्षेत्रों के प्रति दो वर्षों के लिये शिक्षावृत्ति देकर आकर्षित किया जा सके जिनमें वे सुप्रसिद्ध-विद्वानों। पंडितों के मार्गदर्शन में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा आगे और अनुसन्धान के लिये एम फिल अथवा पी०एच० डी० डिग्री प्राप्त करते हैं। 600 रू० प्रतिमास के हिसाब से शिक्षावृत्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष दस है और इन शिक्षावृत्तियों का कोई विषयवार वितरण नहीं है। 1982-83 के दौरान, 12 शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई थीं और 1983-84 के दौरान 10 और शिक्षावृत्तियां दिये जाने की आशा है।

भारतीय एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता

एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता की स्थापना 1784 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशिया के इतिहास, पुरावस्तुओं, कलाओं, विज्ञान और साहित्य में खोज-बीन करना है। यह संस्थान भारत में सभी पुस्तकालयों और वैज्ञानिक सभी एशियाटिक सोसायटियों का संरक्षण साबित हुआ है। इसका घोषित लक्ष्य भारत विद्या सम्बन्धी उन सभी विशेष विषयों में जो अधिकांशतः सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप के हैं, अनुसन्धान करना है। इस सोसायटी की पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और केन्द्र द्वारा 50 : 50 के आधार पर सहायता की जा रही है। सोसायटी ने वर्ष के दौरान अपनी द्विशती मनाई है। इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

अध्याय 5

तिब्बती बौद्ध और एतिहासिक अध्ययन की अन्य संस्थाएं

शताब्दियों पहले, भारतीय विद्वान हिमालय के दुर्गम रास्तों से होते हुए तिब्बत तक पहुंचे और अपने साथ भारतीय दर्शन और विचारधारा को भी ले गये। तिब्बती विचारधारा और संस्कृति का विकास इसी पारस्परिक प्रभाव का फल है।

श्री जवाहर लाल नेहरू की पहल पर भारत में कई बौद्ध संस्थायें स्थापित की गई। इनका उद्देश्य है बौद्ध दर्शन और तत्वमीमांसा के अध्ययन हेतु भारत में सुविधायें उपलब्ध करवाना ताकि नवदीक्षित और नवयुवक छात्रों को अध्ययन के लिये तिब्बत में भेजने की युगोंपुरानी परम्परा को समाप्त किया जा सके। इनमें सन् 1959 में स्थापित बौद्ध दर्शन विद्यालय लेह जिसका नया नाम अब केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान हो गया है तथा केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान वाराणसी है, जिनका पूर्ण वित्त पोषण इस विभाग द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य तिब्बती संस्कृति और परम्परा का परिरक्षण तथा आधुनिक विश्वविद्यालय पद्धति के जरिये प्राचीन और परम्परागत विषयों में शिक्षा की व्यवस्था तथा तिब्बती अध्ययनों में अनुसन्धान करना है। इसके अतिरिक्त, सरकार सिक्किम तिब्बती विद्या अनुसन्धान संस्थान, गंगटोक तथा तिब्बती ग्रन्थ और अभिलेख पुस्तकालय, धर्मशाला को अनुदान देती है।

केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी

तिब्बती अध्ययन संस्थान की स्थापना वाराणसी स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के एक घटक के रूप में की गई थी। 1977 में यह एक सम्पूर्ण स्वायत संगठन बन गया और इस का नया नाम केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान हो गया। इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं:—

(क) तिब्बती संस्कृति और परम्परा का परिरक्षण ;

(ख) तिब्बत में परिरक्षित प्राचीन भारतीय विज्ञान तथा साहित्य का पुनरूद्धार

(ग) उन सीमावर्ती छात्रों को सुविधायें प्रदान करना जो पहले तिब्बत में उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे;

(घ) प्राचीन तथा परम्परागत विषयों में डिग्रियां प्रदान करने के उद्देश्य से आधुनिक विश्वविद्यालय पद्धति के जरिये इन विषयों का शिक्षण और तिब्बती अध्ययनों में अनुसन्धान।

उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये, संस्थान के पास प्रशिक्षण अनुसन्धान तथा प्रकाशन का एक सुनियोजित कार्यक्रम है जिससे तिब्बती दाय, विशेष रूप से, भारतीय दाय का वह ज्ञान, जो संस्कृत तथा पाली के साथ-साथ समाप्त हो रहा था परन्तु जो तिब्बत में परिरक्षित हैं, प्रकाश में आ सकेगा। यह संस्थान छात्रों को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये तैयार करता है। शैक्षिक खण्ड में वर्तमान संख्या 162 है और 7 शोधकर्त्ता विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। यह संस्थान व्याख्यान मालाओं, व्यवसायिक प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों इत्यादि की भी व्यवस्था करता है।

इस संस्थान का एक समृद्ध पुस्तकालय है और हर वर्ष इसमें पुस्तकों और दस्तावेजों की फोटो कापियां बढ़ाई जाती हैं।

संस्थान में एक भवन परिसर निर्माणाधीन है। छात्रावास और प्रशासकीय खण्ड तैयार हो चुके हैं और पुस्तकालय और शैक्षिक ब्लाक के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस संस्थान का प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष संस्कृति विभाग

21—812 Edu/83

के अपर सचिव हैं। इस बोर्ड में संस्कृति विभाग के अतिरिक्त विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी हैं। प्रिंसिपल, जो कि संस्थान के पदेन निदेशक भी हैं, संस्थान के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य की देखभाल करते हैं।

केन्द्रीय बौद्ध संस्थान, लेह

केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान संस्कृति विभाग के अन्तर्गत एक पूर्णतया वित्त पोषित निकाय है जिसकी स्थापना सन् 1959 में हुई। इसका उद्देश्य बौद्ध दर्शन और तत्वमीमांसा के अध्ययन हेतु सुविधायें उपलब्ध करवाना है ताकि नवदीक्षितों और नव युवक छात्रों को अध्ययन के लिये तिब्बत भेजने की युगों पुरानी परम्परा को बदला जा सके। इस संस्थान का मूल उद्देश्य है छात्रों को बौद्ध दर्शन, साहित्य और कला सम्बन्धी प्रशिक्षण देना। यह संस्थान सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बन्ध है। यह संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पद्धति पर ही चार कनिष्ठ शिक्षा-वृत्तियां प्रदान करता है। यह संस्थान अध्ययन दौरों और बौद्ध धर्म सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठियों का भी आयोजन करता है। संस्थान में एक बहुत अच्छा पुस्तकालय भी है।

इस संस्थान का प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष संस्कृति विभाग के अपर सचिव हैं। बोर्ड में विदेश मंत्रालय, जम्मू और काश्मीर सरकार और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सदस्य हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक भूखण्ड पर संस्थान द्वारा एक नये परिसर के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

सिक्किम तिब्बती विद्या अनुसन्धान संस्थान, गंगटोक

यह संस्थान सिक्किम का एक स्वायत संगठन है और इसकी स्थापना तिब्बती विद्या में अनुसन्धान और अध्ययन के लिये की गई है। इस संस्थान ने छौ (धर्म का तिब्बती पर्याय) तथा प्रतिमा विज्ञान, औषधि, ज्योतिष, इतिहास आदि जैसे संबद्ध विषयों में अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह एक त्रैमासिक पत्रिका तिब्बत विद्या प्रकाशित करता है, जिसमें तिब्बती इतिहास, कला तथा संस्कृति आदि से संबंधित सामग्री होती है। यह तिब्बती विद्या तथा सम्बद्ध विषयों के विद्वानों को अनुसन्धान सुविधायें भी प्रदान करता है।

तिब्बती ग्रन्थ तथा अभिलेख पुस्तकालय, धर्मशाला

इस पुस्तकालय का उद्देश्य है—गहन सन्दर्भ सेवा प्रदान करने के लिये तिब्बती पुस्तकें तथा पाण्डुलिपियां प्राप्त करना, उन्हें सुरक्षित रखना, और तिब्बती स्त्रोत सामग्री आदि से संबंधित पूछताछ के लिए सन्दर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करना। इसमें तिब्बती पाण्डुलिपियों, चित्रों तथा कलावस्तुओं का समृद्ध भण्डार है।

इस पुस्तकालय के मुख्य कार्यकलाप हैं:—

अनुसन्धान सुविधायें प्रदान करना, सभी तिब्बती पाण्डुलिपियों, पाठों, दस्तावेजों तथा लिखित सामग्री को एकत्र करके एक सन्दर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करना, बौद्ध दर्शन सम्बन्धी नियमित पाठ्यक्रम तथा तिब्बती भाषा की कक्षाओं का संचालन, तिब्बती परम्परागत काष्ठ नक्काशी तथा थंका चित्रकला के स्कूलों का संचालन, अपनी मौखिक इतिहास परियोजना के अन्तर्गत तिब्बती सभ्यता के सभी पहलुओं के प्रलेखन को फिल्माना, तिब्बती पाठों, शोध-निबन्धों तथा महत्वपूर्ण तिब्बती रचनाओं के अनुवाद प्रकाशन तथा पुर्नमुद्रण की व्यवस्था करना। इसमें तिब्बती जर्नल और तिब्बती मेडिसिन सीरीज तथा समय-समय पर व्याख्यानों और सेमिनारों का आयोजन इत्यादि भी शामिल हैं।

अध्याय 6

पुस्तकालय

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमों के अन्तर्गत, राष्ट्रीय महत्व के केन्द्रीय पुस्तकालयों, पुस्तक वितरण अधिनियम और दुर्लभ पाण्डुलिपियों के प्रकाशन से संबंधित कार्य को संस्कृति विभाग को सौंपा गया है। केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण देश की पुस्तकालय पद्धति के लिये एक कानून निर्माता नही है, क्योंकि 'पुस्तकालय" विषय राज्य-सूची में शामिल है। तथापि, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने और राष्ट्रीय तथा राज्य पुस्तकालय पद्धति के समन्वित विकास को बढ़ावा देने के लिये पहल करती है। यद्यपि, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को लागू करके कुछ राज्यों द्वारा थोड़ी पहल की गई है तथापि यह लक्ष्य से अभी भी काफी दूर है।

राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों के विकास और अनुरक्षण के अलावा, केन्द्रीय सरकार देश-भर में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रायोजित पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता देती है। संस्कृति विभाग, पूर्ण वित्तीय सहायता देकर देश में सार्वजनिक पुस्तकालय अभियान कार्यक्रम में गहरी रुचि ले रहा है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, भारतीय पुस्तकालय संघ, भारतीय विशिष्ट पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र आदि कुछ अग्रणी व्यावसायिक संस्थाएँ हैं, जिनके पुस्तकालय अभियान कार्यक्रमों को सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

भारत में एक व्यापक पुस्तकालय के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, पुस्तक वितरण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत में प्रकाशित प्रकाशनों, प्रलेखों की एक-एक प्रति प्राप्त करता है। समाचार-पत्र, पत्रिकायें भी इसी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त की जाती है जिसे 1956 में संशोधित किया गया था। एक भण्डार पुस्तकालय के रूप में, राष्ट्रीय पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र और उसके विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रकाशित सभी प्रकाशन प्राप्त करता है। इस पुस्तकालय का समस्त विश्व के 50 देशों की 144 संस्थाओं के साथ "उपहार तथा विनिमय" संबंध भी है। "उपहार तथा विनिमय" कार्यक्रम का उस सामग्री के अधिग्रहण के लिये उपयोग किया जाता है जो सामान्य पुस्तक व्यापार माध्यमों मे तत्काल उपलब्ध नहीं होती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय, सूचना प्रसार करने की दृष्टि से अपने संग्रह के सम्बन्ध में ग्रंथ सूचियां और सूचीपत्र प्रकाशित करता है। पुस्तकालय में सामग्री के बढ़ते हुए संग्रह के लिये स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक तीन मंजिले भवन के निर्माण से संबंधित कार्य, अर्थात् द्वितीय उपभवन के प्रथम चरण को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है। इससे एक बेहतर तरीके से सामग्री को रखने, अनुरक्षण और सेवा करने में सुविधा रहेगी।

पठन-सामग्री के लिये स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अतिरिक्त शैल्फों की व्यवस्था करके विद्यमान भवनों में उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है।

भारत सरकार ने वर्तमान सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने तथा सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ करने के वास्ते सिफारिशें करने हेतु एक समिति का गठन किया था। इस समिति की जून, 1983 में राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में बैठक हुई और उसकी सिफारिशें क्रियान्वित की जा रही हैं। अधिग्रहण और निराकरण नीतियों और आरक्षणों के सम्बन्ध में दो विशेष समितियां गठित की गई थी और आलोच्य अवधि के दौरान उनकी बैठकों का आयोजन भी किया गया था।

आलोच्य अवधि के दौरान काफी संख्या में विख्यात व्यक्तियों ने पुस्तकालय का दौरा किया जिनमें से पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों, बल्गारिया विज्ञान अकादमी के श्री वेसेलिन तरैकोव और सोफिय पुस्तकालय के निदेशक श्रीमती मेरिया यारदोनोव के दौरे उल्लेखनीय हैं।

पुस्तकालय के अधिग्रहणों पर प्रकाश डालने वाली अद्यतन सूचना नीचे दी गई है :--

1. पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या	17,30,530
2. भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की कुल संख्या	3,61,480
3. पाण्डुलिपियों की कुल संख्या	3,023
4. मानचित्रों की कुल संख्या	75,666
5. चालू पत्रिकाओं (शीर्षक) की कुल संख्या	15,757
6. पत्रिकाओं के जिल्दवन्द खण्डों की कुल संख्या	1,02,618
7. उपहार और विनियम के रूप में प्राप्त प्रकाशन	3,89,484
8. अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रकाशन	3,28,828
9. भारतीय सरकारी प्रलेख	4,18,943
10. सरकारी दस्तावेज	3,85,829

केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई

पुस्तक तथा समाचार-पत्र वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954) के अन्तर्गत यह पुस्तकालय उन चार प्रापक पुस्तकालयों में से एक है जिन्हें भारत में प्रकाशित होने वाली पुस्तकें तथा समाचार पत्र प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। जहां तक पुस्तकालय के पुस्तक वितरण अधिनियम खण्ड के रख-रखाव पर अनावर्ती खर्च का सम्बन्ध है, इस पुस्तकालय को हिस्सेदारी के आधार पर महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त होती है। पुस्तक वितरण अधिनियम खण्ड पर केन्द्रीय सरकार का अंशदान आवर्ती व्यय का 1/2 और अनावर्ती व्यय के दो-तिहाई भाग तक सीमित होता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार इस पुस्तकालय के विकास के लिये भी अनुदान प्रदान करती है। अनुदान, राज्य सरकार की सिफारिशों पर ही दिये जाते हैं।

केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता

राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थित केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय मुख्यत: निम्नलिखित दो योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है, अर्थात् (1) भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ-सूची का (रोमन लिपि और संबंधित भाषा लिपि दोनों में) संकलन और प्रकाशन--अंग्रेजी सहित भारतीय भाषाओं में प्रकाशित यह वर्तमान प्रकाशनों की एक ग्रंथ-सूची, और (2) इन्डैक्स इंण्डायना (रोमन लिपि में) का संकलन और प्रकाशन-प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित वर्तमान भारतीय पत्रिकाओं में छपे लेखों की एक अनुक्रमणिका।

भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थ-सूची

भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ-सूची इसके वार्षिक संचयनों सहित 1977 तक मासिक अंकों के रूप में प्रकाशित की जा रही थी। ग्रन्थ-सूची को कम-से-कम संभव समय में अद्यतन बनाने के लिये भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची, 1978 तथा इसके बाद के अंकों को ही केवल वार्षिक खण्ड के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है ताकि उसे अद्यतन बनाया जा सके। 1979 का वार्षिक खण्ड इस वर्ष के अन्त तक प्रकाशित कर दिया जायेगा। वार्षिक खण्ड, 1978 प्रैस में है। 1980 का वार्षिक खण्ड प्रैस के लिये तैयार हैं। केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय में सामग्री को शीघ्र कम्पोज करवाने के लिये अमरीका से आयातित एक फोटो कम्पोजिंग मशीन मार्च, 1983 में चालू की गई और फोटो सहायक के एक पद का निर्माण किया गया है ताकि भारत सरकार

मुद्रणालय प्रत्येक ग्रंक को ग्रौर शीघ्रता से मुद्रित कर सके। 1983 के लिये भाषा लिपियों में भाषा ग्रंथ सूचियों का संकलन कार्य, मार्च, 1984 तक पूरा कर लिया जायेगा। असमी, बंगला, मलयालम, ग्रौर उड़िया ग्रंथ सूचियों का एक एक-खण्ड वर्ष के दौरान प्रकाशित किया जायेगा।

इण्डेक्स इन्डियाना :

छ: भारतीय भाषाग्रों, ग्रर्थात् बंगला, हिन्दी, गुजराती, मराठी, मलयालम तथा तमिल का इण्डेक्स इन्डियाना का प्रथम वार्षिक खण्ड, 1981 इस वर्ष के ग्रन्त तक प्रकाशित कर दिया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सरकारी ग्रादेशों के कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई है। इस वर्ष के दौरान कुल मिलाकर चार बैठकें ग्रायोजित की गई थी। पुस्तकालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये एक हिन्दी सहायक की नियुक्ति की गई है।

एक समीक्षा समिति का गठन

केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय को राष्ट्रीय ग्रंथ सूचीय केन्द्र में पुर्नगठित करने के लिये भारत सरकार पुस्तकालय के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये एक समीक्षा समिति का गठन किया है। इस समिति की दो बैठकें ग्रायोजित की जा चुकी हैं।

विशेषज्ञ का दौरा

एक ब्रिटिश ग्रंथ सूचीय विशेषज्ञ (ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की भूतपूर्व उप मुख्य सम्पादक) श्रीमती जे० सी० डार्विग ने, जिन्होंने 1982 के ग्रन्त में भारत सरकार के निमंत्रण पर पुस्तकालय का दौरा किया था, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची परियोजना के कार्यकरण के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता

राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, भारत सरकार, संस्कृति विभाग द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्त संगठन है। लोगों में ग्रध्ययन के प्रति रूचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से देश में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाग्रों की सहायता ग्रौर प्रोन्नति हेतु मई, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। यह निम्नलिखित योजनाग्रों के ग्रन्तर्गत विभिन्न राज्यों ग्रौर संघ शासित क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता करता है:—

(1) पुस्तकों ग्रौर पठन तथा दृश्य सामग्री का पर्याप्त भण्डार करने के लिये सहायता;

(2) ग्रामीण पुस्तक जमा केन्द्रों तथा चल पुस्तकालय सेवाग्रों के विकास के लिये सहायता;

(3) दुलर्भ पुस्तकों, पत्रिकाग्रों तथा पाण्डुलिपियों के परिरक्षण ग्रौर जिल्दसाजी के लिये सहायता;

(4) पुस्तकालय कार्यशालाग्रों, सेमिनारों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के ग्रायोजन के लिये सहायता;

(5) पुस्तकों के संग्रह के लिये सहायता।

1982-83 के दौरान प्रतिष्ठान ने सम्पूर्ण देश में ग्रनुमानतः 2000 सार्वजनिक पुस्तकालयों को 49.12 लाख रूपये की सहायता प्रदान की। 1972-73 से 1982-83 तक विभिन्न स्तरों पर 17084 पुस्तकालयों को दी गई सहायता की राशि 326.12 लाख रूपये थी।

यह प्रतिष्ठान केवल अनुदान प्रदान करने वाली संस्था नहीं है, यह अनेक अन्य तरीकों से पुस्तकालय सेवाओं को भी प्रोत्साहित करती है। 1982-83 के दौरान प्रतिष्ठान ने संगणक की सहायता से अब तक जिन 17000 पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की, उनकी एक सूची का संकलन किया। प्रतिष्ठान ने अंतर पुस्तकालय ऋण के विशेष सन्दर्भ में पुस्तकालय सहयोग पर राज्य केन्द्रीय पुस्तकाध्यक्षों के लिये 4 से 7 मार्च 1983 तक एक अनुस्थापन सेमिनार का भी राष्ट्रीय पुस्तकालय के सहयोग से आयोजन किया। यह लाइब्रेरियनशिप के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यानों का भी आयोजन करता है और भारत सरकार के विचारार्थ राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति के सम्बन्ध में एक प्रारूप तैयार कर रहा है।

भारतीय विश्व कार्य परिषद पुस्तकालय, नई दिल्ली

इस पुस्तकालय का काम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा क्षेत्र अध्ययनों के लिये अनुसन्धान सुविधायें प्रदान करना है। इसके पास अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर समाचार पत्र कतरनों, पत्रिकाओं, प्रलेखों, तथा पुस्तकों का एक समृद्ध संग्रह है। इसके पास माइक्रोफिल्मों तथा मानचित्रों का भी एक अच्छा संग्रह है। केन्द्रीय सरकार परिषद को उसके घाटे को पूरा करने के लिये 2.00 लाख रू० का वार्षिक अनुदान प्रदान करती है।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली

यूनेस्को की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सन् 1951 में स्थापित दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के नागरिकों को निशुल्क पुस्तकालय सेवायें प्रदान करती आ रही है। पुरानी दिल्ली में एक लघु एकक पुस्तकालय के रूप में आरम्भ होकर अब यह एक महानगरीय पब्लिक लाइब्रेरी तंत्र के रूप में विकसित हो चुकी है और इसमें केन्द्रीय पुस्तकालय, 24 शाखायें और उपशाखायें, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये ब्रेल विभाग और चल सेवा केन्द्रों का एक जाल शामिल है जो समस्त दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में फैले 52 क्षेत्रों और 11 जमा केन्द्रों की सेवा कर रहे हैं। इस पुस्तकालय ने, जिसे गत वर्ष पुस्तक तथा समाचार वितरण अधिनियम (पब्लिक लाइब्रेरी) के अन्तर्गत चौथे प्रापक पुस्तकालय के रूप में घोषित किया गया था, भारत में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों इत्यादि की प्रतियां प्राप्त करना आरम्भ कर दिया है और यह उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रापक पुस्तकालय के रूप में इसके द्वारा प्राप्त पठन सामग्री की छानबीन करने और उसका उपयोग करने के लिये एक कानूनी डिपोज़िट (भण्डार) प्रभाग की स्थापना करने जा रहा है।

कार्यात्मक रूपरेखाओं के आधार पर निर्मित और तैयार किए गये सरोजिनी नगर के पुस्तकालय भवन में क्षेत्रीय पुस्तकालय (दक्षिण क्षेत्र), प्रस्तावित कानूनी डिपोजिट प्रभाग और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी तथा दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के कार्यालय स्थापित होंगे। बवाना में पुस्तकालय भवन का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है।

31 मार्च, 1983 को इस पुस्तकालय के पास 705606 खण्डों का संग्रह और उधार लेने वालों की पंजीकृत संख्या 86155 थी। इसने 1982-83 के दौरान 24,88,641 खण्ड जारी किये।

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली

बहावलपुर हाउस में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषा स्कन्ध और रामाकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में एक शाखा पुस्तकालय सहित केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, सरकारी संगठनों, पुस्तकालय के सदस्यों, अनुसन्धान अध्येताओं व अन्यों को अनुसन्धान तथा सन्दर्भ सेवायें प्रदान कर रहा है। अंग्रेजी, हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं में केवल सदस्यों को उधार देने के लिये सामग्री का एक लघु संग्रह रखा गया है।

पुस्तकालय ने 6,00,000 से अधिक खण्डों के अपने मुख्य संग्रह में हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 10,300 से अधिक नई पुस्तकों की वृद्धि की। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय ने राजपत्रों, वैधानिक दस्तावेजों, विधान सभाओं की कार्यवाहियों आदि सहित केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्रकाशनों की 15,539 मदें भी प्राप्त कीं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र, अ० श्र० सं० इत्यादि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अन्य विदेशी सरकारों से इस अवधि के दौरान 4800 से अधिक सरकारी प्रकाशन

प्राप्त किए गए। इस वर्ष से पुस्तकालय को मुद्रित खण्डों के बजाय माइक्रोफिश रूप में अमरीकी सरकार के प्रकाशन प्राप्त होने शुरु हो गए। विभिन्न भाषाओं की नौ सौ पचास पत्रिकायें और 70 दैनिक समाचार पत्र पुस्तकालय में नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं।

पुस्तकालय ने 1983 के दौरान 3730 नये सदस्यों को पंजीकृत किया और 201700 खण्डों को उधार दिया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा अन्तर पुस्तकालय ऋण आधार के रूप में 275 खण्ड उधार दिये और लगभग 4500 फोटो प्रतियां संस्थाओं तथा पाठकों को प्रदान की गई।

1900 ई० तक भारतीय सरकारी प्रकाशनों के वृहद संग्रह से चुने गये 275 खण्डों की एक बहुत ही सफल पुस्तक प्रदर्शनी का 14—16 दिसम्बर, 1983 के दौरान आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शिक्षा सचिव द्वारा उद्घाटन किया गया था। दो विख्यात इतिहासकारों ने जो इस अवधि के विशेषज्ञ थे, अनुसन्धान सामग्री के रूप में उनके महत्व के सम्बन्ध में सार्थक टिप्पणियां प्रस्तुत की।

अकादमियां और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

सृजनात्मक कलाओं, अर्थात् साहित्यिक, अभिनय और रूपंकर कलाओं के परिरक्षण और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने तीन राष्ट्रीय अकादमियों, अर्थात् साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी की स्थापना की है। नाटकीय कला की प्रोन्नति के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की भी स्थापना की गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन संगठनों द्वारा किए गए प्रमुख कार्यकलापों का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली

साहित्य अकादमी के मुख्य कार्यकलाप हैं : अनुवाद के जरिए उनकी भाषा संबंधी सीमाओं के पार साहित्य लेखकों तथा भाषा को लोकप्रिय बनाना, साहित्य कोटि की उत्कृष्ट पुस्तकों को साहित्यिक पुरस्कार प्रदान करना तथा अपने प्रकाशन कार्यक्रम के जरिए फैलोशिप सम्मान प्रदान करना ; साहित्यिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करना तथा अपनी विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रयोगों को प्रोत्साहित करना ; अपनी विभिन्न कार्यशालाओं के जरिए नई पीढ़ी के लेखकों को प्रोत्साहित करना ; यात्रा अनुदान तथा अन्य योजनाएं। अकादमी अपनी 22 मान्यताप्राप्त भाषाओं के 1,000 से अधिक लेखकों की सहायता से भारतीय साहित्य का एक वृहत विश्व कोष संकलित कर रही है।

वर्ष के दौरान अकादमी ने निम्नलिखित सेमिनारों का आयोजन किया :—

(i) जनवरी, 1983 में नई दिल्ली में तमिल कवि सुब्रमण्य भारती की जन्म शताब्दी मनाने के लिए 'कविता तथा राष्ट्रीय पहचान' विषय पर सुब्रमण्यम भारती के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार :

(ii) मई, 1983 में भुवनेश्वर में "भारती उपन्यासों में सामाजिक वास्तविकता" विषय पर उड़ीसा लेखक फकीर मोहन सेनापति के सम्मान में एक सेमिनार।

(iii) सितम्बर, 1983 में त्रिचूर में "ऐतिहासिक कथा साहित्य में दर्शन तथा कौशल" विषय पर विख्यात मलयालम ऐतिहासिक उपन्यासकार जी० वी० रामन पिल्ले की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक सेमिनार।

(iv) दिसम्बर, 1983 में सूरत में '19वीं शताब्दी में सामाजिक जीवन में सामाजिक अथवा साहित्यिक प्रवृतियां' विषय पर प्रसिद्ध गुजराती लेखक नर्मदाशंकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक सेमिनार।

कार्यशालाएं

पुस्तक समीक्षा की कला और कौशल पर मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में साहित्यिक कार्यशालाएं आयोजित की गई। उत्तर भारतीय भाषाओं में लघु कहानी के संबंध में एक अन्य कार्यशाला अप्रैल, 1983 में भोपाल में आयोजित की गई।

अकादमी द्वारा मान्यताप्राप्त भाषाओं के 22 भारतीय लेखकों को साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए।

अकादमी ने, अपने 'भारतीय साहित्य के निर्माता' श्रृंखला के अंतर्गत कई नई पुस्तकें प्रकाशित की तथा पहले के विनिबन्धों के अनुवाद तथा पुर्नमुद्रण प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित किए गए। वर्ष 1983–84 के दौरान लगभग 60 नए प्रकाशनों के प्रकाशित हो जाने की संभावना है। उल्लेखनीय प्रकाशनों में निम्नलिखित शामिल हैं: 'भारतीय लेखकों का परिचय 1983'

'दि एपिक ब्यूटीफुल' तथा 'वाल्मीकी के सुन्दर कांड का अंग्रेजी काव्य तथा ' रामायण में एशियाई भिन्नताएं' (1981 में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में रामायण पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज)।

भारतीय साहित्य (अंग्रेजी पत्रिका) के छः अंक तथा समकालीन भारतीय साहित्य (हिन्दी पत्रिका) के चार अंक भी इसी अवधि के दौरान प्रकाशित किए गए।

संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली

संगीत नाटक अकादमी एक राष्ट्रीय संस्था है, जो मुख्य रूप से भारतीय संगीत, नृत्य तथा रंगमंच कलाओं की प्रोन्नति तथा विकास, प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में प्रशिक्षण के स्तरों को बनाए रखने, संगीत, नृत्य तथा नाटक के शास्त्रीय जनजातीय तथा लोककला स्वरूपों को पुनर्जीवित करके उनके परिरक्षण, प्रलेखबद्ध करने तथा उत्कृष्ट कलाकारों को सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। अकादमी के दो घटक हैं, अर्थात (1) कत्थक केन्द्र, नई दिल्ली (2) जवाहर लाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इम्फाल जहां क्रमशः कत्थक नृत्य और मणिपुरी नृत्य में प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रदर्शन कलाओं की प्रोन्निति के लिए अकादमी द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों में एक मद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण, उनके लिए सहयोग देना, भाग लेना तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अकादमी दिल्ली में मासिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। चालू वर्ष के दौरान आयोजित किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(i) 'हयवादन' नाटक पर पैनल चर्चा;

(ii) मराठी में 'हयवादन' नाटक का प्रदर्शन, जिसका निर्देशन श्रीमती विजया मेहता ने किया था:

(iii) पंडित रविशंकर को शिक्षावृत्ति (फैलोशिप) प्रदान करना तथा श्री विजय राघव राव को पुरस्कार प्रदान करना;

(iv) मुखाकृतियों पर स्लाइडों के माध्यम से श्री विजय तेंदूलकर द्वारा उदाहरण सहित वार्ता;

(v) कुमारी अबन बाना द्वारा यूर्थीथिमी पर व्याख्यान प्रदर्शन।

(vi) 1 अक्तूबर, 1983 को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस समारोह के अवसर पर कलकत्ता युवक गायक मंडली तथा गन्धर्व महा विद्यालय द्वारा समूहगान का कार्यक्रम ;

(vii) कथकली में गोथे के फोस्ट पर श्री एम० के० के० नायर द्वारा व्याख्यान प्रदर्शन ;

(viii) केरल के मानकोम्पू शिवशंकर पिल्ले और दल द्वारा कथकली में डा० फोस्ट का प्रदर्शन ;

(ix) जवाहर लाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल द्वारा नृत्य-नाटक "चैतन्य महाप्रभु" का प्रस्तुतीकरण;

(x) कार्यक्रम नृत्य, नाटक और संगीत ;

(xi) आधुनिक समकालीन नृत्य समारोह ;

(xii) कत्थक केन्द्र द्वारा युवा नर्तकों का समारोह ;

(xiii) कत्थक केन्द्र द्वारा महाराज कालका विन्दादीन कत्थक महोत्सव।

अकादमी ने संगीत समारोह आयोजित करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान पांच विभिन्न राज्यों में पांच संगीत समारोह आयोजित किए।

विभिन्न राज्य सरकारों/अकादमियों के सहयोग से, अन्तर-राज्य सांस्कृतिक दल आदान-प्रदान योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक दल भेजे गए।

22—812 Edu/83

अकादमी ने वर्ष 1982-83 से और 1986-87 के अन्त तक पांच वर्षों की अवधि के लिए ब्लाक अनुदान देने के वास्ते 74 संस्थाओं को चुना था। इसके अतिरिक्त, आलोच्य वर्ष के दौरान 192 संस्थाओं/राज्य अकादमियों को तदर्थ आधार पर अनुदान मंजूर किए गए।

प्रलेखन तथा प्रचार

युसुफ हुसैन खां (कंठ), निसार हुसैन खां, जफर हुसैन खां तथा पार्टी (कंठ), सी० आर० व्यास (कंठ), श्री एस० पीन्नाकपानी, श्रीमती केसरबाई केरकर के कृतों और पदों, नाटक हयवादन पर पैनल चर्चा की रिकार्डिंग की गई।

आकादमी ने वृत्त चित्र 'भूत नृत्य' के निर्माण का कार्य आरंभ किया जिसका निर्देशन श्री बी० वी० करूथ द्वारा किया जा रहा था। अकादमी का, विभिन्न लोक, जनजातीय तथा परम्परागत प्रदर्शन कलाओं पर और अधिक वृत्त चित्रों का निर्माण करने की योजना है। अकादमी ने, फिल्म प्रभाग तथा अन्य प्रसिद्ध निर्माताओं से अपने अभिलेखागार के लिए प्रदर्शन कलाओं पर वृत्त चित्रों के मुद्रण प्राप्त करने का अपना कार्यक्रम भी जारी रखा।

निम्नलिखित प्रिन्टों का आदेश दिया गया :

अडूर गोपाल कृष्णन द्वारा कृष्णनाट्टम, (फिल्म प्रभाग से) भान्दु पाथेर, राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केन्द्र, बम्बई से श्रीमती बाला सरस्वती का 35 एम० एम० प्रिन्ट, श्री मणि कौल द्वारा ध्रुपद पर एक फिल्म और श्रुति देशान सम्मति संस्थान द्वारा ट्रा गाडा भवई।

अकादमी ने, शान्ति निकेतन के श्री शरबारी राय चौधरी से प्रसिद्ध संगीतकारों की 5 मूर्तियां प्राप्त करने का भी आर्डर दिया है। आकादमी के इस वर्ष के दौरान और प्रिन्ट प्राप्त करने तथा प्रसिद्ध संगीतकारों/नर्तकों पर फिल्म बनाने के भी प्रस्ताव हैं। अकादमी, एल० पी० रिकार्ड तथा कैसेट तैयार करने की भी योजना बना रही है।

परम्परागत प्रदर्शन कलाओं के दुर्लभ स्वरूपों की प्रोन्नति तथा परिरक्षण

इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखे गए :—

(i) गुरू मणी माधव चाकियार के अधीन कूडीयाट्टम प्रशिक्षण (9 छात्र)
(ii) गुरू अम्मानूर माधव चाकियार के अधीन कूडीयाट्टम प्रशिक्षण (10 छात्र)
(iii) निम्निलिखितों के अधीन ध्रुपद प्रशिक्षण :—
  (क) उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर
  (ख) पंडित सिया राम तिवारी
  (ग) पंडित राम चतुर मल्लिक
(iv) पंडित राम नारायण के अधीन सारंगी प्रशिक्षण
(v) उस्ताद असद अली खां के अधीन बीन प्रशिक्षण
(vi) गुरू पुरषोत्तम दास जी के अधीन पखावज प्रशिक्षण
(vii) श्री जी० शंकर पिल्लै के पर्यवेक्षण में अष्टपदी गायन में प्रशिक्षण
(viii) श्री नटराज, रामकृष्ण के अधीन नव जर्नादनम में प्रशिक्षण
(ix) श्री के० एल० रामचन्द्र के पर्यवेक्षण में कठपुतली कला में प्रशिक्षण (तोलपावा कूथू, केरल की दास्ताना कठपुतलियां)।

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सतत् कार्यकलाप हैं। आरंभ में ये कार्यक्रम एक वर्ष के लिए मंजूर किए जाते हैं तथा यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा के पश्चात् समयावधि बढ़ाई जाती है।

अष्टपदी गायन तथा नव जनार्दनम को छोड़कर अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जारी रहने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, अकादमी अपने दो घटकों, अर्थात् कत्थक केन्द्र, नई दिल्ली और जवाहर लाल नेहरू मणीपुर नृत्य अकादमी, इम्फाल के माध्यम से कत्थक तथा मणिपुरी नृत्यों के क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर रही है ।

युवा रंगमंच कार्यकर्ताओं को सहायता :

यह योजना वर्ष 1979–80 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, अकादमी ने भोपाल में एक राष्ट्रीय स्ट्रीट थियेटर कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें प्रसिद्ध निदेशकों और प्रेक्षकों ने भाग लिया। शहर के विभिन्न भागों में स्ट्रीट नाटक दिखाए गए। अकादमी ने, बंगलौर तथा लखनऊ में दो क्षेत्रीय समारोह आयोजित करने की भी योजना बनाई है।

कठपुतली कला का परिरक्षण तथा प्रोन्नति :

इस योजना का उद्देश्य है : प्रशिक्षण प्रदान करना, कठपुतलियों में नए-नए परिवर्तन लाना आदि, कठपुतली थियेटर के संबंध में समारोह एवं कार्यशाला आयोजित करना तथा कठ-पुतली कला के संबंध में फिल्में तैयार करना।

निम्नलिखित परम्परागत कठपुतली थियेटर स्वरूपों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:

तोलपावा, कूथु, रावनछाया, गोम्बे अट्टा, तोलु बोम्माल अट्टा, तोगालु गोम्बे अट्टा, साखी कुन्धई, कुन्धई नाटचा ।

स्कूली बच्चों के लिए कठपुतली खेल आयोजित करने तथा कठपुतली आकृतियां बनाने के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं ।

अकादमी ने वर्ष के दौरान इन कार्यकलापों के लिए सहायता देना जारी रखा । देश में प्रचलित विभिन्न कठपुतली स्वरूपों को दर्शाने वाले एक राष्ट्रीय कठपुतली समारोह की भी योजना तैयार की जा रही थी।

जनजातीय संस्कृति का विकास :

इस योजना के अंतर्गत अकादमी देश के विभिन्न भागों में विभिन्न जनजातीय समारोहों की भी सहायता करती रही है। वर्ष के दौरान अकादमी ने भारतीय राष्ट्रीय थियेटर बम्बई के सहयोग से भुज में कच्छ मलधारी जनजातीय समारोह की सहायता की। राजस्थान में भारतीय लोक कला मंडल द्वारा आयोजित एक और जनजातीय समारोह के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई ।

प्रकाशन :

वर्ष 1983–84 के दौरान, अकादमी ने "संगीत नाटक" पत्रिका के तीन अंक (अंक 64 से 66) प्रकाशित किए तथा दो अन्य अंक प्रेस में थे तथा वर्ष की समाप्ति से पहले प्रकाशित कर दिए जाएंगे। त्रैमासिक समाचार बुलेटिन भी छापा जा रहा था। अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रकाशन निम्नलिखित हैं :—

के० एल० कृष्णामुट्टी पुलावर द्वारा "तोलपावा कूथु का अयोध्या कांड",
स्वर्गीय बी० पी० भट्ट द्वारा 'पुष्टि संगीत प्रकाश।

"भारतीय संगीतकारों का परिचय" (दूसरा संस्करण)। तथा 'भावना' का विनिबंध वर्ष की समाप्ति से पहले छप जाने की आशा है।

ललित कला अकादमी, नई दिल्ली

अकादमी के पास एक सुसज्जित पुस्तकालय तथा समकालीन भारतीय कलाओं के रंगीन सलाइडों और फोटोग्राफिक अभिलेखों का एक अभिलेखागार है। यह, कला संगठनों को मान्यता प्रदान करती है तथा राज्यों में कला की प्रोन्नति के लिए प्रत्येक वर्ष सहायक-अनुदान देती है। अकादमी ने कई प्रकाशन भी प्रकाशित किए । इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं : देवगढ़, किशनगढ़ तथा बून्दी के लघु चित्रों के पोर्टफोलिओं तथा सोमन्ती हुरे, सुलतान अली, बी० एस० गायटोंडे तथा जहांगीर सबावाला के मोनोग्राफ। अकादमी ने नंदलाल बोस के संबंध में एक स्मारक खंड तथा कुमारस्वामी स्मारक सेमिनार दस्तावेज प्रकाशित किए।

इस समय अकादमी फरवरी-मार्च, 1984 में एक राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित करने की तैयारी में व्यस्त है। इसने लखनऊ, चंडीगढ़, शिमला तथा पणजी में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी से चुनी हुई वस्तुओं की एक प्रदर्शनी आयोजित की है। 10 नौजवान ब्रिटिश चित्रकारों द्वारा भू-दृश्य के नए पहलूओं की एक प्रदर्शनी, बुल्गेरियाई कलाकारों की कृतियों की प्रदर्शनी तथा 7 जर्मन कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। अकादमी बंगलादेश में दूसरी एशियाई कला द्विवार्षिकी, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी भाग ले रही है।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा एशियाई थियेटर संस्था की स्थापना, संगीत नाटक अकादमी के अधीन वर्ष 1959 में की गई थी। वर्ष 1975 में यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम से एक स्वतंत्र रजिस्टर्ड सोसायटी बन गई। स्कूल का मुख्य उद्देश्य भारत में समकालीन प्रासंगिकता के अनुनादी थियेटर आंदोलन की प्रोन्नति करना है जिससे देश की परम्पराओं और सांस्कृतिक विविधताओं की जड़ें मजबूत होंगी। अपनी स्थापना के छब्बीस वर्षों के दौरान, विद्यालय ने थियेटर आन्दोलन के क्षेत्र में महान कार्य किया है तथा देश के थियेटर संबंधी स्वरूप को एक नई दिशा प्रदान की है। आज यह विद्यालय विश्व में हो रही तुलनात्मक रंगमंच घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। यह विद्यालय, प्रतिभावान तथा उत्साही युवा रंगमंच कार्य-कर्ताओं को नाट्यकलाओं में प्रशिक्षण देता है। नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त स्कूल ने निम्नलिखित कार्यकलाप भी जारी रखे :

1. नाटकों के प्रदर्शन को दिखाना।
2. उन उत्साहियों को, जो नियमित प्रशिक्षण के लिए 3 वर्षों तक स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकते परन्तु जो रंगमंच में रुचि रखते हैं, नाट्य कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में रंगमंच कार्यशालाओं का आयोजन।
3. रंगमंच प्रदर्शनियां लगाना।
4. बाल रंगमंच कार्यकलापों तथा अन्य अंशकालिक पाठ्यक्रमों का संचालन।

समीक्षाधीन शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल तथा इसकी संग्रहकर्ता कंपनी ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनों तथा अन्य कार्यकलापों का आयोजन किया। विद्यालय ने, अपने छात्रों के लाभ के लिए अनेक विस्तार व्याख्यानों, कार्यशालाओं तथा अध्ययन दौरों का आयोजन किया। 7 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के बीच रंगमंच के लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से दिल्ली, बेतूल (मध्य प्रदेश) तथा गोरखपुर (उ० प्र०) में लगभग 3 महीनों की अवधि की कार्यशालाएं भी आयोजित की गई।

रंगमंच में भारतीय एकता की खोज करने के संबंध में, प्रो० जी० शंकर पिल्लै के निर्देशन में कालीकट विश्वविद्यालय के नाट्य विद्यालय के सहयोग से त्रिचूर में आरम्भ की गई एक प्रायोगिक परियोजना अत्यन्त सफल रही।

अध्याय 8

संस्कृति का संवर्धन और प्रसार

(1) संवर्धन और प्रसार

सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जो एक स्वायत्त संगठन है, का सम्पूर्ण वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है । केन्द्र का मुख्य उद्देश्य भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों के अनेकत्व के बारे में छात्रों के बीच ज्ञान तथा जागरुकता पैदा करके तथा पाठ्यचर्या विषयों के साथ इस ज्ञान को जोड़कर शैक्षिक पद्धति को पुनः सजीव रूप देने में सहायता करना है । यह केन्द्र अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न भागों के प्राथमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के सेवारत अध्यापकों के लाभ के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

वर्ष 1983–84 के दौरान, निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजत किए गए :—

1. कला परिबोध संबंधी अनुस्थापना पाठ्यक्रम ।
2. प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ।
3. भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशालाएं तथा सेमिनार ।
4. शिक्षा के लिए कठपुतली कला संबंधी पाठ्यक्रम ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केन्द्र ने नई दिल्ली तथा उदयपुर में दो से पांच सप्ताह तक की अवधि के छः अनुस्थापना पाठ्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा कई कार्यशालाएं आयोजित कीं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य नृत्य, संगीत, रंगशाला, लोक-कला, दस्तकारी इत्यादी के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के विकास के अपेक्षित मूल सिद्धान्तों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए तैयार किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान तथा व्याख्यान-प्रदर्शन, इन कला स्वरूपों में व्यावहारिक प्रशिक्षण, सेमिनार तथा विचार-विमर्श इत्यादि रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली में शिक्षा के लिए कठपुतली कला पर चार पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए ।

अध्यापकों को दिए गए प्रशिक्षण के उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने तथा स्कूली बच्चों के बीच संस्कृति के ज्ञान तथा कदर को विकसित करने के लिए, उन संस्थाओं को जिनके अध्यापकों ने अनुस्थापन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, दृश्य-श्रव्य सामग्री प्रदान की जाती है। वर्ष 1983–84 के दौरान, इन संस्थाओं को बांटने के लिए, दृश्य-श्रव्य सामग्री के 300 सैट तैयार किए जाने का अनुमान है।

इस केन्द्र ने, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यकलापों के कार्यान्वयन में प्रशासकों की भूमिका पर एक सेमिनार भी आयोजित किया । इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रिंसिपलों/प्रधान अध्यापकों के लिए 4 सेमिनार भी आयोजित किए गए।

केन्द्र ने "न्यूजलैटर" नामक अपनी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन जारी रखा । यह पत्रिका विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रशिक्षत अध्यापकों के बीच, शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी विचारों के आदान-प्रदान हेतु एक मंच का कार्य करती है। दृश्य-श्रव्य संसाधन एकत्र करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के भ्रमणों का आयोजन किया गया।

इस अवधि के दौरान, "किन्नौर का लोक", "दि वुमन पेंटर्स आफ मधुबन" और "टेल्स आफ दि फिशरवुमन" पर फिल्में पूरी की जा रही हैं।

स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान

इस योजना का उद्देश्य, भवनों के निर्माण तथा उपस्कर की खरीद के लिए स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान देना है। इस योजना में (धार्मिक संस्थाओं और केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा पूर्णत: वित्त-पोषित सार्वजनिक पुस्कालयों, संग्रहालयों, नगरपालिकाओं, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को छोड़ कर मुख्यत: नृत्य, नाटक, संगीत, ललित कलाओं, भारत-विद्या तथा साहित्य संबंधी सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्यरत संगठन आते हैं।

वर्ष 1983–84 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत, निर्माण प्रयोजनों तथा उपस्कर की खरीद के लिए राज्य सरकार के माध्यम से सांस्कृतिक संस्थाओं से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए गए थे। योजना के अन्तर्गत 14 नए संगठनों को भवन अनुदान स्वीकृत किए गए हैं।

नृत्य, नाटक तथा थिएटर मण्डलियों की वित्तीय सहायता

इस शीर्ष के अन्तर्गत, इस समय वित्तीय सहायता की दो योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली योजना में, ऐसी सुस्थापित संस्थाओं को, जो प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र बनने में सहायाता मिल सके। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983–84 के दौरान 21 संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं।

दूसरी योजना के उद्देश्य हैं :—

> विशिष्ट प्रकार की प्रदर्शन कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक दलों तथा व्यक्तियों, नाट्य दलों, थियेटर दलों, संगीत मंडलियों, आरकेस्टा यूनिटों, बाल थियेटरों, कठपुतली थिएटरों, एकल कलाकारों को वित्तीय सहायता देना। इसके लिए प्रदर्शन कला कार्यकलापों की सभी शैलियों पर विचार किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983–84 के दौरान, अनावर्ती तदर्थ आधार पर लगभग 60 दलों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है तथा कुछ और मामलों में भी सहायता दिए जाने की संभावना है।

भारतोत्सव (प्रदर्शनियां)

भारत सरकार ने वर्ष 1985–86 के दौरान अमरीका तथा फ्रांस में भारतोत्सव आयोजित करने का निर्णय किया है। भारत की प्रधान मंत्री ने, उत्सव के दौरान पेश किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के समेकन के लिए श्रीमती पुपुल जायकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति नियुक्त की है। अमरीका और फ्रांस में भी इसी प्रकार की समितियां स्थापति की गई हैं। यह भारतोत्सव, अतीत से लेकर आज तक के भारतीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलूओं का अधिकतम चित्रण करेगा। इन समारोहों में, प्रदर्शनियों की मालाएं तथा संगीत, नृत्य, नाटकों के कार्यक्रम और फिल्म प्रदर्शन तथा भारतीय साहित्य, कलाओं तथा समाज विज्ञान के विभिन्न पहलूओं पर विचार-विमर्श करने के लिए सेमिनार, संगोष्ठियों, कार्यशालाएं तथा व्याख्यान भी शामिल किए जाएंगे। यह उत्सव भारत की प्रौद्योगिक उपलब्धियों, समकालीन फिल्मों, पुस्तकों लेखाचित्र-कला तथा फोटोग्राफी के साथ-साथ लोक तथा श्रेण्य कलाओं के परम्परागत कौशलों का सातत्य प्रदर्शित करके आधुनिक भारत की विविधता स्वरूप तथा महत्व चित्रित करेगा। यह उत्सव 1985 के वसन्त से आरंभ होगा तथा 1986 तक चलेगा और यह भारत तथा दोनों देशों के बीच सद्‌भाव तथा मेल-मिलाप बढ़ाने के अब तक के कार्यक्रमों में सबसे बड़ा समारोह होगा।

सांस्कृतिक संगठनों का विकास

भारत सरकार ने हाल ही में "सांस्कृतिक कार्यकलापों में रत संस्थाओं/संगठनों/सोसाइटियों को वित्तीय सहायता देना" नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना केअन्तर्गत 20,000 रुपये अथवा कुंल खर्च के 50 प्रतिशत का अनुदान, जो भी कम हो ऐसे संगठनों को दिया जाता है जो सांस्कृतिक कार्यकलापों में लगे हुए हैं। पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुदान दिया जाता है :

(क) महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मामलों पर सम्मेलन, सेमिनार और संगोष्ठियों का आयोजन।

(ख) सर्वेक्षण करने, प्रायोगिक परियोजनाओं इत्यादि के आयोजन जैसे विकास कार्य-कलापों से संबंधित खर्च वहन करना।

ऐसे संगठनों के संबंध में, जो अनुदान के लिए पात्र होंगें, विभागीय विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की जाएगी। इस योजना को विज्ञापित किया गया था और प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है।

सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान

अखिल भारतीय महत्व की उन संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है जो सांस्कृतिक कार्यकलापों के विकास कार्य में लगी हैं ताकि वे अनुरक्षण और विकासात्मक कार्यकलापों संबंधी अपने व्यय के आंशिक रूप को पूरा कर सकें। इन संस्थाओं में "पेन" अखिल भारतीय केन्द्र, बम्बई, रामकृष्ण मिशन, संस्कृति संस्थान, कलकत्ता, एशियाई सोसायटी, कलकत्ता ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान, कलकत्ता, मुद्रा सोसायटी, वाराणसी, भारतीय विद्या भवन, बम्बई तथा पारम्परिक संस्कृति संस्थान, मद्रास शामिल हैं।

(2) प्रशिक्षण तथा अनुसंधान योजनाएं :

सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्र वृत्ति योजना

सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों, से 10--14 आयु वर्ग के 100 प्रतिभावान बच्चों को विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए चुना जाता है। ये छात्रवृत्तियां एक बार एक साल के लिए प्रदान की जाती हैं और शिक्षा के विश्वविद्यालय स्तर की प्रथम डिग्री पूरी होने अथवा 20 वर्ष की आयु पूरा होने तक, जो भी पहले हो, प्रत्येक वर्ष इनका नवीकरण किया जा सकता है बशर्ते कि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ता की प्रगति सन्तोष जनक बनी रहे।

दो वर्षों, अर्थात 1980 और 1981 के लिए 200 छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी थीं, 1982 से इस योजना को कार्यान्वयन के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

विभिन्न क्षेत्रों में युवा, कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियां

इस योजना का उद्देश्य, संगीत, नाटक, नृत्य, चित्रकारी मूर्तिकला इत्यादि के क्षेत्रों में भारत में ही उच्च प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट होनहार कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 18-22 आयु वर्ग के उम्मीदवारों को ये छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की संख्या प्रति वर्ष 75 है। छात्रवृत्ति की राशि 350 रुपए प्रति मास है। एक अप्रैल 1984 से वजीफे की राशि 400 रुपए प्रति मास हो जाएगी।

1983-84 वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या 75 है और 1984-85 के दौरान भी 75 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

निष्पादन साहित्यक तथा रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को शिक्षा-वृत्तियां प्रदान करना

निष्पादन, साहित्यक और रूपंकर कलाओं के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कलाकारों को छात्र-वृत्तियां प्रदान करने की इस योजना के अन्तर्गत या तो अति उच्च प्रशिक्षण के वास्ते अथवा व्यक्तिगत रचनात्मक प्रयासों अथवा निष्पादन साहित्यिक और रूपंकर, कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 50 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की व्यवस्था है, जिनकी अवधि दो वर्ष होती है, जिनमें से एक-एक हजार रुपये प्रति मास की पन्द्रह वरिष्ठ शिक्षावृत्तियां हैं और पांच-पांच सौ रुपये प्रति मास की 35 कनिष्ठ शिक्षा वृत्तियां।

1983-84 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या 50 है।

साहित्य कला और जीवन के अन्य ऐसे ही क्षेत्रों के उन विख्यात व्यक्तियों को वित्तीय

इस योजना के अन्तर्गत साहित्य, कलाओं और जीवन के अन्य ऐसे ही क्षेत्रों में विख्यात उन व्यक्तियों को, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हों, वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किए गए मामलों पर विचार किया जाता है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः

सहायता की योजना जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हों

2:1 के अनुपात में व्यय वहन किया जाता है। कुछ असाधारण मामलों में शतप्रतिशत खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजना के अनुसार, उन व्यक्तियों को, जिनकी आयु 58 वर्ष से अधिक हो और जिनकी मासिक आय 600 रु० से अधिक न हो, 400 रु० प्रति मास तक की मासिक वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

वर्ष 1982-83 के दौरान 226 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी गई थी और 1983-84 के लिए मामलों पर विचार किया जा रहा है।

निष्पादन, साहित्यिक और रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में विख्यात कलाकारों को सेवा मुक्ति शिक्षावृत्तियां

सेवा मुक्ति शिक्षावृत्तियों की योजना इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है कि उन कलाकारों को, जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय श्रेष्ठता प्राप्त की है किन्तु अब व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो गए हैं, वित्तीय सहायता दी जा सके ताकि वे आर्थिक तंगी से मुक्त होकर अपना अभ्यास जारी रख सकें। वर्ष 1983-84 से प्रत्येक वर्ष दस शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक शिक्षावृत्ति की राशि 2000 रु० प्रति मास होगी जो दो वर्षों के लिए होगी किन्तु उसकी अवधि दो वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों का चयन शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त केन्द्रीय चयन समिति द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जिनकी राज्य/संघीय क्षेत्रों की सरकारों और केन्द्रीय अकादमियों द्वारा, सिफारिश की जाएगी।

स्मारक

गांधी दर्शन समिति, नई दिल्ली

दृश्य प्रदर्शों, प्रदर्शनियों, सेमिनारों सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रपिता के जीवन और आदर्शों का प्रचार करने के उद्देश्य से और मंडपों के संचालन व रख-रखाव के लिए गांधी दर्शन समिति प्रदर्शनी की स्थापना सन् 1969 में की गई थी । गांधी दर्शन समिति के तत्वावधान में यह प्रदर्शनी 2 अक्तूबर, 1970 को जनता के लिए पुनः खोल दी गई थी । प्रदर्शनी का उद्देश्य विश्व शान्ति, तालमेल और सहयोग सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र की समाजार्थिक तथा नैतिक उन्नति के लिए गांधी जी के जीवन लक्ष्य के महत्व के विषय में आम जनता को शिक्षित करना है । यह राष्ट्रीय महत्व के दिवसों पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करती है जिसमें आवधिक प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक प्रदर्शन, शैक्षिक कार्यक्रम, सेमिनार, मौके पर ही निबंध लिखना, स्कूली तथा कालेज छात्रों के लिए कला तथा संगीत प्रतियोगिताएं शामिल हैं । इन अवसरों पर स्कूली तथा कालेज छात्रों अथवा पर्यटकों के लिए तथा अनुरोध किए जाने पर किसी कार्य दिवस पर भी, निःशुल्क फिल्म शो आयोजित किए जाते हैं।

दर्शक :

एक अप्रैल से 30 नवम्बर, 1983 तक की अवधि के दौरान गांधी दर्शन प्रदर्शनी को देखने वालों की संख्या कार्य दिवसों पर औसतन लगभग 332 रही। गांधी जयन्ती जैसे विशेष अवसरों अथवा सम्मेलनों आदि के अवसर पर दर्शकों की संख्या हजारों तक पहुंच जाती है।

मण्डप :

पहले की ही भांति मंडपों तथा आस पास के स्थान को साफ और सुन्दर बनाए रखने तथा जनता को अच्छी मार्गदर्शी सेवाएं प्रदान करने पर अधिक बल दिया गया। पुराने तथा फीके पड़े चित्रों के स्थान पर नए चित्र लगाए गए तथा कुछ नए प्रदर्श तथा उपयुक्त चित्र शामिल किए गए। "हाल आफ नेशन बिल्डर्स" नामक एक नए मण्डप का गांधी दर्शन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन किया गया । इस मण्डप में, उन विख्यात शिक्षाविदों, समाज सुधारकों तथा प्रमुख स्वतंत्रता सैनानियों के चित्र रखे हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

स्कूलों में गांधी जी की शिक्षा :

गांधी जयन्ती के अवसर पर एक अक्तूबर, 1983 को एक मौन छात्र रैली आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के 3,000 हजार से अधिक छात्र तथा छात्राओं ने भाग लिया । यह रैली दिल्ली के महवपूर्ण क्षेत्रों से होकर गुजरी तथा इस रैली को दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद, श्री जगप्रवेश चन्द्र ने गांधी दर्शन परिसर में संबोधित किया।

गांधी जी के जीवन तथा उपदेशों के विषय में छात्रों को पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में मदद देने की दृष्टि से 30 नवम्बर, 1983 को सामान्य ज्ञान में एक परीक्षा आयोजित की गई । इस परीक्षा में दिल्ली भर के 245 स्कूलों के 23,652 तथा 35 कालेजों के 225 छात्रों ने भाग लिया।

रुचि रखने वाले छात्रों के लाभ हेतु गांधी दर्शन के परिसर में सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 1983 महीनों के दौरान साप्ताहिक शिक्षा कक्षाएं आयोजित की गई ।

23—812Edu/83

युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

30 सितम्बर, 1983 को एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम (प्रश्नोत्तर मंच) आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली के विभिन्न कालेजों की 16 टीमों ने भाग लिया। विजयी टीमों को पंजाब खादी भंडार, नई दिल्ली से खादी वस्त्र खरीदने के लिए कूपन प्रदान किये गए।

कालेजों के छात्रों के लिए गांधी दर्शन परिसर में शिविर आयोजित किए गए, जिससे कि वे श्रम के महत्व को समझ सकें तथा गांधी दर्शन में अध्ययन के प्रति अपनी रुचि बढ़ा सकें। इस कार्यक्रम में तीन कालेजों से 135 छात्रों ने भाग लिया।

कला तथा प्रदर्शनी :

कालेजों में अस्थायी प्रदर्शनियां आयोजित की गई तथा गांधीजी के विषय में सोवियत रूस के दूतावास में एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई।

गांधी दर्शन समिति ने दिल्ली नगर निगम द्वारा लाल किले पर प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले गांधी मेले में भाग लिया। गांधी मण्डप में 20 सितम्बर से 2 अक्तूबर, 1983 तक की अवधि के दौरान चित्रों, चित्रकलाओं, चार्टों आदि के माध्यम से गांधी जी के जीवन तथा कृतित्व को प्रदर्शित करने वाले गांधी मंडप को लाखों लोगों ने देखा।

नव नालन्दा महा विहार तथा ह्यूनसांग स्मारक हाल, नालन्दा

नालन्दा में ह्यूनसांग स्मारक हाल का निर्माण सरकार द्वारा के० लो० नि० वि० के जरिए किया जा रहा है। निर्माण कार्य इस वर्ष पूरा हो जाने की आशा है। भारत सरकार द्वारा इन दोनों संस्थाओं को मिलाने के एक प्रस्ताव पर बिहार सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

—०—

शताब्दियां और वर्षगांठें

ऐसे लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों की जिन्होंने सांस्कृतिक दाय, विचारों के विकास तथा सामाजिक प्रणालियों में सुधार की दिशा में योगदान किया है, शताब्दियां समय समय पर बनाई जाती हैं। प्रमुख शताब्दियों के लिए सामान्यतः वर्ष भर का कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस प्रकार को प्रत्येक शताब्दी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जिन कार्यक्रमों की सिफारिश की जाती है, उनमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शामिल होते हैं तथा उन्हें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रलयों, विभागों द्वारा, जिनमें शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय भी शामिल है, अपनी अपनी सामान्य तथा चालू योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है। तथापि, जो कार्यक्रम किसी भी विद्यमान योजना के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं उन्हें शताब्दी सैल द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और इसके लिए योजनागत बजट में तदर्थ व्यवस्था की जाती है। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों, समारोहों का आयोजन, प्रकाशन, प्रदर्शनियां, स्मारिका आदि शामिल होते हैं।

संस्कृति विभाग ने वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण व्यक्तियों की निम्नलिखित शताब्दियां आयोजित की :—

नन्दलाल बोस जन्म शताब्दी समारोह :

प्रसिद्ध कलाकार तथा चित्रकार श्री नन्द लाल बोस की जन्म शताब्दी मनाने के लिए दिसम्बर, 1983 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति स्थापति की गई थी।

नन्द लाल बोस से संबंधित राष्ट्रीय समिति की दो बैठकें क्रमशः 24 फरवरी तथा 25 अगस्त, 1983 को हुई थीं। समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रधान मंत्री द्वारा 5 दिसम्बर, 1983 को एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया तथा इसी दिन उनके द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी में एक डाक टिकट जारी किया गया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा एक संस्मारक ग्रन्थ तैयार किया जा रहा है।

जय प्रकाश नारायण स्मारक समिति :

स्वर्गीय श्री जय प्रकाश नारायण की यादगर को बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों का सुझाव देने हेतु भारत की प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक जय प्रकाश नारायण स्मारक समिति का गठन किया गया है।

21 जून 1983 को हुई इसकी पहली बैठक में की गई सिफारिशों के सबंधं में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में जय प्रकाश नारायण से संबन्धित राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक 29 अगस्त 1983 को हुई। दूसरी बैठक में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

डा० राजेन्द्र प्रसाद जन्म शताब्दी :

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद की जन्म शताब्दी 3 दिसम्बर, 1984 को है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय किया गया है। स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं

1 दिसम्बर, 1983 को हुई राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक में, समिति ने कई कार्यक्रमों का सुझाव दिया, जिन्हें संबंधित विभागों/राज्यों तथा अन्य एजेन्सियों के, परामर्श से कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में, डाक टिकट जारी करना डा० राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन, संस्मारक ग्रन्थ तथा पत्राचार का

24—812Edu/83

प्रकाशन, वृत्त अथवा दूरदर्शन फिल्म, प्रदर्शनियां, राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, स्मारक का प्रतिष्ठापन तथा एक विशाल पुस्तकालय एवं संग्रहालय की स्थापना शामिल है।

अन्य शताब्दियाँ

दयानन्द सरस्वती पुण्य शताब्दी :

वर्ष 1983 के दौरान दयानन्द सरस्वती की पुण्य शताब्दी मनाने के लिए, सर्वदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा, रामलीला ग्राउन्ड, नई दिल्ली द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी में 4 वेदों के अनुवाद तथा संस्मारक खण्ड के प्रकाशन के लिए 3 लाख रु० संस्वीकृत किए गए।

हिजरी सन की 1400 वीं वर्षगांठ से सम्बन्धित समारोह :

सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री एम० एस० सैथ्यू को, "भारत की इस्लामी विरासत" विषय पर एक वृत्त चित्र बनाने का काम सौंपा गया। इस फिल्म की लागत 14.00 लाख रु० होगी।

सुब्रह्मण्य भारती शताब्दी समारोह :

वर्ष 1982 के दौरान सुब्रह्मण्य भारती की जन्म शताब्दी मनाने के लिए प्रधान मंत्री के निदेश पर अखिल भारतीय सुब्रह्मण्य भारती शताब्दी समारोह समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष, संसद सदस्य श्री कमलापति त्रिपाठी हैं। वर्ष के दौरान समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की गई जिसमें एक स्मारक खण्ड का प्रकाशन भी शामिल है।

सुब्रह्मण्य भारती की चुनी हुई रचनाओं का अंग्रेजी तथा हिन्दी में एक स्मारक खंड प्रकाशित करने के लिए एक प्रकाशन समिति का गठन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए 2.12 लाख रु० का अनुदान मंजूर किया गया।

उपरोक्त शताब्दियां मनाने के अतिरिक्त, प्रसिद्ध व्यक्तियों की शताब्दियां, जयन्तियां मनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। एक प्रसिद्ध बुद्ध अनुयायी एटीस दीपांकर की 1000 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अनुदान दिए गए।

अध्याय 11

सांस्कृतिक संबंध

सांस्कृतिक करार/सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना पैदा करने के लिए शिक्षा, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा सूचना विनिमय एक महत्वपूर्ण साधन है। एक टिकाऊ विश्व समाज के निर्माण तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक तथा शैक्षिक विनिमय के महत्व को और अधिकाधिक स्वीकार किया जाने लगा है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

मंत्रालय, विश्व के बहुत से देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने की नीति पर सक्रिय रूप से कार्य करता रहा है और यह भारत के सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण अंग है। 1970 तक विदेशों के साथ हस्ताक्षरित केवल 21 सांस्कृतिक करारों की तुलना में अब यह संख्या बढ़कर 70 तक पहुँच गई है, जिसमें इस वर्ष इथोपिया, फिनलैण्ड, मालदीव अपर वोल्टा और यमन अरब गणराज्य के साथ हस्ताक्षरित 5 करार भी शामिल हैं। विदेशों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंधों में हुई प्रगति का यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। सांस्कृतिक करारों से, नए संबंधों की स्थापना, पुराने तथा ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ करने और विद्यमान संबंधों को नई दिशा प्रदान करने में भी सहायता मिलती है।

सांस्कृतिक करारों के अंतर्गत सहयोग के मुख्य सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से, जिनमें विनिमयों के ब्यौरों का उल्लेख होता है, कार्यान्वित किया जाता है। इन कार्यक्रमों को हर दो-तीन साल के बाद तैयार किया जाता है और इनकी समीक्षा की जाती है। अनेक देशों के साथ सांस्कृतिक करारों की रूपरेखाओं के अंतर्गत नियमित विनिमय कार्यक्रम तैयार करने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं, जिनकी फिलहाल संख्या 39 है, जिनमें इस वर्ष यूनान, ट्युनिशिया बंगलादेश, जर्मन संघीय गणराज्य, जोर्डन, कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य, पोलैण्ड, सोवियत रूस, वियतनाम, नार्वे, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, क्यूबा, यमन लोक जन गणराज्य, फिनलेण्ड और मारीशस के साथ हस्ताक्षरित नवीकृत किए गए 16 सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम शामिल हैं। उन देशों के संबंध में, जिनके साथ अभी तक सांस्कृतिक विनिमय के नियमित कार्यक्रम तैयार नहीं किए गए है, प्रदर्शन दलों की यात्राओं, छात्रवृत्तियों की पेशकश आदि जैसे तदर्थ सांस्कृतिक कार्यकलापों के आधार पर द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंध बनाए गए हैं।

प्रदर्शन मण्डलियों, प्रदर्शनियों और विद्वानों के आदान प्रदान के माध्यम से सांस्कृतिक प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमों ने सांस्कृतिक छवि को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विभिन्न देशों के साथ हमारे समग्र संबंधों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिल रही है। तथापि हमारे विनिमय कार्यक्रमों में अब नए क्षेत्रों की खोज की जा रही है और अब यह छात्र, अध्यापक, कला वस्तुओं के विनिमयों की मानक पद्धति तक ही सीमित नहीं है। अब इनमें खेल, जन संचार साधनों, देश और विदेशों में उच्च अध्ययन संस्थाओं के बीच शैक्षिक संबंधों भाषा अध्ययन कार्यक्रमों, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, सम्मेलनों में भाग लेना, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, पुरातत्व आदि जैसे कई और सहयोग के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये कार्यक्रम, हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं।

सदभावना यात्राएं/सरकारी प्रतिनिधि मण्डल

उच्च स्तरीय सदभावना यात्राएं सांस्कृतिक संबंधों के विकास में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। वर्ष के दौरान शिक्षा मंत्री श्रीमती शीला कौल के नेतृत्व में

इथोपिया और केनया में प्रतिनिधि मण्डल भेजे गए । इथोपिया के इस दौरे के दौरान सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए गए जबकि केनया के कार्यक्रम में पारस्परिक हित के मामलों पर वहां के उच्च शिक्षा और बुनियादी शिक्षा मंत्री के साथ चर्चाएं शामिल थीं । उप शिक्षा मंत्री श्री पी० के० थुगन ने वियतनाम का दौरा किया और इस दौरे के दौरान वियतनाम के साथ 1983-84 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए । हंगरी के शिक्षा तथा सांस्कृतिक उप मंत्री (महामहिम डा० फेरेन्क रतकई), यूनान के सांस्कृतिक और विज्ञान मंत्री (महामहिम श्रीमती मेलिना मरकौरी) मिश्र के उप शिक्षा मंत्री (महामहिम डा० मंसूर हुसैन), बंगलादेश के शिक्षा मंत्री (महामहिम डा० ए० मजीद खान) और तन्जानिया के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री (महामहिम श्री जेकसन एम० मकवेट्टा) के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डलों ने भारत का दौरा किया ।

मंत्री स्तर के दौरों के अलावा सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमण्डल निम्नलिखित देशों को भेजे गए : (1) शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी भारत सं० राज्य उपआयोग (2) भारत सं० ज० ग० स्थाई समिति की छठी बैठक में भाग लेने तथा एक नया सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तैयार करने के लिए सं० ज० ग० (3) नए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए भारत सोवियत रूस संयुक्त समिति की बैठक में भाग लेने के लिए सोवियत रूस, (4) एशिया और उत्तरी अफ्रीका में 31 वी अन्तर्राष्ट्रीय मानव विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए जापान, और (5) तीसरे राष्ट्रमण्डलीय कला प्रशासक सम्मेलन में भाग लेने के लिए हांग कांग, और (6) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए यमन लोक जन गणराज्य ।

बेल्जियम, कोरिया, लोकतांत्रिक जन गणराज्य, कोरिया गणराज्य फ्रांस, क्यूबा और फिनलेण्ड के सरकारी प्रतिनिधिमंडलों का, इन देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करने और उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए स्वागत किया गया ।

विभिन्न अध्यायों में वर्णित मदों का वित्तिय आवंटन (लाख रुपए)

क्र० सं०	मद	योजनागत/योजनेतर	बजट प्राक्कलन 1983-84 मूल	बजट प्राक्कलन 1983-84 संशोधित	बजट प्राक्कलन 1984-85
1	2	3	4	5	6
	शिक्षा विभाग				
	स्कूल शिक्षा				
1.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	योजनेतर	112.75	122.51	130.69
2.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	योजनेतर	3490.00	3864.32	4486.27
3.	बाल भवन सोसायटी	योजनागत	22.00	22.00	22.00
		योजनेतर	24.14	27.96	29.36
4.	सामुदायिक गान अभियान	योजनागत	कुछ नहीं	15.63	40.00
5.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (खुला स्कूल परियोजना)	योजनागत	—	—	21.00
*6	विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा की योजना	योजनागत	41.00	41.00	
7.	युद्ध के दौरान मारे गए/स्थायी रूप से विकलांग हुए सशस्त्र सैनिकों/कार्मिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें	योजनेतर	1.70	1.75	1.75
8.	स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम	योजनेतर	1.00	1.00	1.00
9.	शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	योजनेतर	3.15	3.22	5.79
10.	केन्द्रीय पब्लिक तथा आवासीय स्कूलों में एन० सी० सी० जूनियर डिवीजन ट्रूप	योजनेतर	5.50	5.60	5.50
11.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	योजनागत	359.00	359.00	599.00
12.	जनसंख्या शिक्षा	योजनागत	150.00	103.00	150.00
13.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद	योजनागत	310.00	251.35	330.00
		योजनेतर	800.00	912.00	939.00
14.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	योजनागत	10.00	8.50	17.00
15.	अनौपचारिक शिक्षा	योजनागत	475.00	732.00	677.00
16.	शिशु शिक्षा	योजनागत	15.00	15.00	20.00
17.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	योजनागत	—	—	—
18.	गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए कागज के रूप में राज्यों को केन्द्रीय वस्तु सहायता	योजनागत	550.00	144.52	450.00
	शारीरिक शिक्षा				
1.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज	योजनागत	14.00	14.00	22.00
		योजनेतर	27.80	33.00	36.42
2.	शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना	योजनागत	6.00	6.00	8.00
3.	योग की प्रोन्नति	योजनागत	10.00	7.00	8.00
		योजनेतर	6.75	7.85	8.15
	उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान				
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	योजनागत	5722.00	4272.00	6100.00
		योजनेतर	8000.00	8900.00	9320.00
2.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	योजनेतर	35.00	32.53	35.53
3.	भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद	योजनागत	25.00	33.00	32.00
4.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	योजनागत	20.00	22.00	33.00
		योजनेतर	34.50	38.00	39.66

*बजट व्यवस्था समाज कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत/मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजना।

1	2	3	4	5	6
5.	अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	योजनागत	5.00	5.00	25.00
		योजनेतर	10.00	10.00	10.50
6.	भारतीय समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	योजनागत	135.00	148.00	170.00
		योजनेतर	145.00	160.00	166.98
7.	शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान	योजनेतर	18.90	18.90	20.00
8.	विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन	योजनेतर	200.00	200.00	190.00
9.	पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण	योजनागत	25.00	25.00	25.00
10.	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर	योजनेतर	1.40	0.65	1.40
11.	व्यावसायिक संगठनों को सहायता	योजनागत	5.00	5.00	5.00
12.	डा० जाकिर हुसैन कालिज	योजनागत	5.00	5.00	26.00
		योजनेतर	2.00	2.13	2.23
13.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	योजनागत	15.00	25.00	15.00
		योजनेतर	1.52	1.60	1.64
14.	जामिया मिलिया इस्लामिया	योजनागत	15.00	15.00	19.00
		योजनेतर	27.81	29.04	30.09
	तकनीकी शिक्षा				
1.	कोटि सुधार कार्यक्रम (सीधी केन्द्रीय सहायता तथा सामुदायिक पालिटेक्निक)	योजनागत	150.00	200.00	200.00
		योजनेतर	78.00	78.00	85.00
2.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम	योजनागत	40.00	40.00	94.00
		योजनेतर	163.35	175.70	186.78
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	योजनागत	700.00	700.00	800.00
		योजनेतर	2998.82	3306.71	3766.18
4.	उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों और अनुसंधान का विकास	योजनागत	70.00	70.00	100.00
		योजनेतर	130.00	130.00	140.00
5.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	योजनागत	115.00	115.00	250.00
		योजनेतर	676.95	735.15	810.25
6.	केन्द्रीय संस्थान (तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान) आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल रा० औ० ई० प्र० सं० बम्बई और रा० ग० और ढ० प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	योजनागत	125.00	120.00	150.00
		योजनेतर	296.74	316.19	345.09
7.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान	योजनागत	200.00	200.00	225.00
		योजनेतर	311.90	348.22	362.82
8.	प्रशासनिक स्टाफ कालेज	योजनेतर	2.50	3.73	3.50
9.	प्रबन्ध शिक्षा	योजनागत	15.00	15.00	20.00
10.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएं	योजनागत	600.00	575.00	500.00
11.	नई योजनाएं	योजनागत	1000.00	1980.00	2030.00
12.	एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान	योजनेतर	5.00	7.50	8.50
13.	शैक्षिक परामर्शदाता भारत लि०	योजनागत	8.00	13.00	10.00
	प्रौढ़ शिक्षा				
1.	प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करना	योजनागत	110.00	221.00	160.00
2.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	योजनागत	1530.00	1609.00	2870.00
		योजनेतर	130.00	130.00	130.00
3.	प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता (राज्य संसाधन केन्द्रों तथा मूल्यांकन सहित)	योजनागत	135.00	235.00	335.00
		योजनेतर	7.50	7.50	10.71
4.	उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम	योजनागत	180.00	90.00	280.00
5.	श्रमिक विद्यापीठ	योजनागत	20.00	20.00	25.00
		योजनेतर	21.23	21.34	22.28

1	2	3	4	5	6
	6. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (मुद्रण प्रैस सहित)	योजनागत	25.00	14.05	22.00
		योजनेतर	24.78	23.94	24.65
	7. महिला प्रौढ़ साक्षरता के लिए सद्कार्य हेतु राज्यों को पुरस्कार	योजनागत	--	300.00	कुछ नहीं
	8. महिला तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की यूनिसेफ सहायता-प्राप्त परियोजनाएं	योजनागत	--	4.65	3.00
		योजनेतर	1.66	3.76	4.59
छात्रवृत्तियां					
	1. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां योजना	योजनागत	350.00	300.00	420.00
	2. (क) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	योजनेतर	400.00	400.00	400.00
	(ख) वसूल न हुए ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	योजनेतर	8.00	8.20	8.30
	(ग) 1974 से पहले के अध्येताओं से समेकित ऋणों से की गई वसूलियों में राज्य सरकारों का 50% हिस्सा	योजनेतर	16.00	16.00	16.00
	3. अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां	योजनेतर	105.00	105.00	110.00
	4. हिंदी में उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्ति/सहायक-अनुदान	योजनेतर	33.00	33.00	33.00
	5. सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना	योजनेतर	60.00	50.00	60.00
	6. विदेश मंत्रालय की निधि से बंगलादेश के राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियां	योजनेतर	20.00	20.00	20.00
	7. विदेशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां	योजनेतर	80.00	75.00	77.00
	8. संस्कृत को छोड़कर अन्य प्राचीन भाषाओं, अर्थात् अरबी और फारसी के अध्ययन में लगी परम्परागत संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां	योजनागत	1.00	1.00	1.00
	9. ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	योजनागत	150.00	150.00	130.00
	10. विदेश जाने वाले भारतीय अध्येता	योजनेतर	7.50	7.50	8.00
	11. विदेश जाने वाले अध्येताओं को आंशिक वित्तीय सहायता	योजनेतर	0.40	0.40	0.40
	12. भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां	योजनेतर	24.00	17.00	24.00
पुस्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट					
	1. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	योजनागत	20.00	26.00	37.00
	(क) सामान्य कार्यकलाप	योजनेतर	32.91	37.91	42.19
	विश्वपुस्तक मेला	योजनागत	12.00	25.00	0.50
	(ख) आदान-प्रदान	योजनागत	4.00	4.75	6.00
	(ग) नेहरू बाल पुस्तकालय	योजनागत	17.00	17.00	18.00
	(घ) विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के सहायताप्राप्त प्रकाशन की योजना	योजनागत	25.00	25.00	35.00
	(ङ) नेहरू भवन	योजनागत	12.00	5.25	10.00
	2. विदेशी लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के सस्ते संस्करण	योजनागत	1.00	1.00	1.50
	3. राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् तथा पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलाप	योजनागत	3.00	3.00	15.00
	4. पुस्तक निर्यात संवर्धन कार्यकलाप	योजनागत	6.00	6.00	7.00
	5. साहित्यिक और कलात्मक कृतियों तथा सी० ई० पी० की रक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन को अंश-दान	योजनेतर	10.00	10.00	7.00
	6. कापीराइट बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता	योजनेतर	0.20	0.20	0.30
	7. कापीराइट बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को मानदेय	योजनेतर	0.40	0.38	0.40
	8. विशेष कागज, कार्डों, इस्पात अलमारियों आदि की खरीद	योजनेतर	0.50	0.50	1.00
	9. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अनुसंधान ब्यूरो को संग्रहित कृतियों के लिए अनुदान	योजनेतर	0.78	--	0.78
	10. राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान केन्द्र कार्यालय खर्च	योजनागत	1.00	1.00	0.50
भाषाओं का विकास					
	1. गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति	योजनागत	27.00	27.00	20.00
	2. गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना	योजनागत	10.00	10.00	6.00

1	2	3	4	5	6
	3. स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता	योजनागत	35.00	45.00	30.00
		योजनेतर	12.00	12.00	12.00
	4. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय	योजनागत	17.74	17.92	31.77
		योजनेतर	44.88	46.25	47.62
	5. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय में पत्राचार पाठ्यक्रम	योजनागत	9.00	10.65	11.00
	6. गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के हिंदी लेखकों को पुरस्कार	योजनागत	0.40	0.80	कुछ नहीं
	7. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद	योजनेतर	0.40	0.40	0.60
	8. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	योजनागत	6.00	6.00	8.67
	9. केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल	योजनागत	30.00	35.00	45.16
		योजनेतर	43.07	50.00	54.95
	10. विदेशों में हिन्दी का प्रसार	योजनागत	8.00	8.00	10.00
		योजनेतर	4.94	5.25	5.80
	11. क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों को प्रोत्साहन	योजनागत	49.42	25.00	30.00
	12. कोर पुस्तकों के अनुवाद को प्रोत्साहन	योजनागत	3.00	3.00	3.00
	13. क्षेत्रीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों और शैक्षिक संस्थाओं को सहायता	योजनागत	4.50	7.00	6.15
	14. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान	योजनागत	10.65	11.72	25.00
		योजनेतर	35.00	35.53	39.03
	15. क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	योजनागत	6.54	7.19	9.00
		योजनेतर	55.44	62.83	64.63
	16. उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो	योजनागत	24.00	21.00	23.00
		योजनेतर	11.81	11.99	12.34
	17. सिन्धी में पुस्तकों का प्रकाशन	योजनागत	6.00	4.50	6.00
	18. अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता की योजना	योजनागत	5.00	5.00	15.00
	19. सांस्कृतिक तथा भाषा संगठनों को अनुदान	योजनागत	1.00	1.00	1.00
	20. हिन्दी को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों/पाण्डुलिपियों को पुरस्कार की योजना	योजनागत	0.75	0.50	0.75
	21. स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता	योजनागत	40.00	40.00	49.00
	22. संस्कृत शिक्षा का विकास	योजनागत	38.00	38.00	40.00
	23. संस्कृत साहित्य का प्रकाशन	योजनागत	4.50	4.50	5.00
	24. संस्कृत पुस्तकों की खरीद	योजनागत	4.50	4.50	8.00
	25. संस्कृत पाण्डुलिपियों का प्रकाशन	योजनागत	2.00	2.00	2.00
	26. संस्कृत शब्दकोष विभाग	योजनागत	1.00	1.00	1.00
		योजनेतर	6.90	7.00	7.40
	27. आदर्श संस्कृत पाठ्शालाएं	योजनागत	22.50	25.00	30.50
		योजनेतर	2.31	2.31	2.38
	28. संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों के लिए अखिल भारतीय वकतृत्व प्रतियोगिता	योजनागत	0.50	0.50	0.75
	29. अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन	योजनागत	0.50	0.50	0.75
	30. वैदिक पाठ परम्परा का परिरक्षण	योजनागत	1.50	1.50	2.00
	31. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	योजनागत	75.00	75.00	109.00
		योजनेतर	75.88	84.59	87.14
	32. स्वैच्छिक अरबी तथा फारसी संगठनों को वित्तीय सहायता	योजनागत	9.00	9.00	10.00
	33. शास्त्रों के गहन अध्ययन के परिरक्षण के लिए आदर्श संस्कृत पाठशालाओं तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों में विख्यात वरिष्ठ विद्वानों की सेवाओं का उपयोग	योजनागत	10.00	10.00	10.00
	34. पुरालिपि, पुरालेखशास्त्र, प्रतिमा विज्ञान आदि जैसे व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए विशेष अनुस्थापन पाठ्यक्रम	योजनागत	2.00	2.00	2.00
	35. संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों, मैट्रिकोत्तर छात्रों/शास्त्री तथा आचार्य छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना	योजनेतर	9.50	9.50	9.50
	36. संस्कृत/अरबी/फारसी विद्वानों को सम्मान प्रमाण-पत्र प्रदान करना	योजनेतर	6.00	6.50	7.00

1	2	3	4	5	6
यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग					
1.	यूनेस्को को अंशदान	योजनेतर	118.65	118.65	86.15
2.	विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल और शिष्टमंडल	योजनेतर	5.00	5.00	5.00
3.	यूनेस्को की प्रलेखन एवं वितरण तथा अन्य परियोजनाएं	योजनेतर	0.70	0.70	0.60
4.	गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान	योजनेतर	0.36	0.25	0.25
5.	अन्य कार्यक्रम-अतिथ्य तथा जलपान	योजनेतर	0.10	0.10	0.05
6.	यूनेस्को कूरियर के हिन्दी और तमिल संस्करणों के प्रकाशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का खर्च	योजनेतर	6.50	6.50	7.00
7.	ओरोविल प्रबन्ध	योजनेतर	2.75	4.35	5.20
8.	भारतीय राष्ट्रीयय आयोग के पुस्तकालय का एक परिपूर्ण पुस्तकालय के रूप में पुनर्गठन	योजनागत	2.50	2.38	5.50
9.	बैठकों/सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन	योजनागत	2.50	2.50	3.00
10.	यूनेस्को के कार्यक्रमों और कार्यकलापों में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सुदृढ़ करना	योजनागत	1.00	0.50	1.50
अन्य क्रियाकलाप :					
1.	प्रकाशन	योजनेतर	5.50	7.00	7.00
2.	प्रगति मैदान में शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विषयों का मंडप	योजनेतर	10.00	10.00	10.00
3.	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान	योजनागत	40.00	36.00	45.65
		योजनेतर	28.90	29.35	31.82
	संस्कृति विभाग				
1.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	योजनागत	110.00	110.00	245.00
		योजनेतर	773.13	945.13	910.00
2.	स्मारकों आदि के परिरक्षण के लिए संस्थाओं/निकायों को वित्तीय सहायता	योजनागत	1.50	1.50	5.00
3.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	योजनागत	30.00	30.00	42.00
		योजनेतर	57.70	60.85	66.85
4.	भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता	योजनागत	10.00	10.00	22.00
		योजनेतर	34.20	38.88	41.06
5.	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	योजनागत	15.00	15.00	20.00
		योजनेतर	17.61	19.63	23.26
6.	विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता	योजनागत	19.00	19.00	34.00
		योजनेतर	12.36	13.68	14.08
7.	राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी, नई दिल्ली	योजनागत	21.00	21.00	48.00
		योजनेतर	10.88	11.86	12.21
8.	संगठन और विकास के लिए विश्वविद्यालय-संग्रहालयों सहित निजी संग्रहालयों को वित्तीय सहायता	योजनागत	10.00	14.75	10.00
		योजनेतर	0.81	0.90	0.93
9.	नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली	योजनागत	20.00	20.00	22.00
		योजनेतर	46.00	49.18	53.13
10.	इलाहाबाद संग्रहालय	योजनागत	--	--	5.00
11.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता	योजनागत	129.00	129.00	135.00
		योजनेतर	82.47	85.32	87.83
12.	सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ	योजनागत	18.00	18.00	22.00
13.	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण	योजनागत	4.29	4.75	15.00
		योजनेतर	109.46	122.60	127.60
14.	राष्ट्रीय मानव संग्रहालय	योजनागत	12.00	12.00	18.00
15.	भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार	योजनागत	43.00	43.00	62.80
		योजनेतर	49.65	54.59	56.20

1	2	3	4	5	6
16.	खुदाबख्श ओरियण्टल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना–1	योजनागत	20.14	20.14	14.70
		योजनेतर	5.00	5.58	6.08
17.	टी० एम० एस० एस० एम० पुस्तकालय, थंजाबूर–1	योजनागत	6.00	4.06	6.00
18.	रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर	योजनागत	8.00	8.00	8.00
19.	एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता	योजनागत	—	—	13.00
20.	पाण्डुलिपियों का परिरक्षण	योजनागत	15.00	17.00	20.00
21.	पुरालेखशास्त्र सहित विभिन्न विषयों और क्षेत्रों आदि में छात्रवृत्तियां	योजनागत	1.40	0.80	1.50
22.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह	योजनागत	6.00	6.00	35.00
		योजनेतर	12.30	13.93	16.18
23.	केन्द्रीय उच्च तिब्बती–अध्ययन संस्थान, वाराणसी	योजनागत	60.00	60.00	36.00
		योजनेतर	17.50	17.13	22.39
24.	तिब्बती कृतियों और अभिलेखों का पुस्तकालय, धर्मशाला	योजनागत	4.00	4.00	4.00
25.	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता	योजनागत	30.00	31.95	36.00
		योजनेतर	89.71	98.48	104.05
26.	केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई–1	योजनागत	2.75	2.75	3.00
		योजनेतर	3.00	3.05	3.05
27.	केन्द्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता	योजनागत	9.00	9.00	12.00
		योजनेतर	10.15	11.27	11.60
28.	भारतीय विश्व कार्य परिषद्, नई दिल्ली	योजनागत	2.00	2.00	2.00
29.	दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय	योजनागत	14.00	14.00	16.00
		योजनेतर	41.35	43.36	44.66
30.	राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान	योजनागत	28.00	29.00	30.00
		योजनेतर	4.61	5.32	5.57
31.	केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय	योजनागत	6.82	6.82	7.66
		योजनेतर	1.34	1.41	1.45
32.	सार्वजनिक पुस्तकालयों/पाण्डुलिपि पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता	योजनागत	12.00	12.00	12.50
33.	साहित्य अकादमी	योजनागत	16.00	16.00	20.00
		योजनेतर	27.65	28.07	30.07
34.	संगीत नाटक अकादमी	योजनागत	35.00	33.63	40.00
		योजनेतर	41.44	45.95	48.05
35.	ललित कला अकादमी	योजनागत	21.50	21.50	34.85
		योजनेतर	30.16	32.63	45.45
36.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय	योजनागत	24.00	22.99	27.00
		योजनेतर	27.10	28.58	29.40
37.	विद्यमान संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और निष्पादन, प्लास्टिक और साहित्यिक कलाओं की स्थापना	योजनागत	2.00	1.00	2.00
38.	सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र	योजनागत	27.00	29.50	29.00
		योजनेतर	12.00	12.18	12.54
39.	स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान	योजनागत	10.00	12.00	15.00
40.	नृत्य, नाटक और थिएटर मंडलियों को वित्तीय सहायता	योजनागत	30.00	30.00	34.00
		योजनेतर	4.80	4.80	4.80
41.	भारतीय पर्व/प्रदर्शनियां	योजनागत	8.00	10.00	13.15
		योजनेतर	2.00	2.00	3.00
42.	सांस्कृतिक संगठनों का विकास	योजनागत	2.00	2.00	2.50
43.	सांस्कृतिक प्रतिभाखोज छात्रवृत्ति योजना	योजनागत	7.00	4.50	4.50
		योजनेतर	3.75	3.00	2.90
44.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियां	योजनागत	7.00	7.00	7.00
		योजनेतर	3.06	3.06	3.70

1	2	3	4	5	6
45.	निष्पादन, साहित्यिक और प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को अधिछात्रवृत्ति प्रदान करना	योजनागत	8.00	8.39	9.00
		योजनेतर	2.90	2.70	3.00
46.	साहित्य, कला और जीवन के अन्य ऐसे ही क्षेत्रों में व्यक्तियों को, जो विपन्न अवस्था में हो, वित्तीय सहायता की योजना	योजनागत	3.00	3.00	4.00
		योजनेतर	3.00	3.00	3.00
47.	सेवानिवृत्त शिक्षावृत्तियां	योजनागत	1.00	1.00	3.00
48.	गांधीदर्शन समिति	योजनागत	1.00	1.00	2.20
		योजनेतर	16.50	16.74	17.24
49.	शताब्दियां/वर्षगांठ	योजनागत	10.00	10.00	15.00
50.	अभिलेखवेत्ताओं, पुस्तकाध्यक्षों, संग्रहालय वेत्ताओं आदि के दौरों का आदान-प्रदान	योजनागत	0.50	0.50	0.50
51.	दक्षिण पूर्व एशियाई सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र	योजनागत	1.00	--	1.00
52.	विश्व दाय कोष के लिए अंशदान	योजनागत	--	2.63	--
		योजनेतर	--	--	1.50
53.	संस्कृति विभाग का सचिवालय	योजनागत	3.00	3.00	5.10
		योजनेतर	60.86	68.02	70.53
54.	सिक्किम तिब्बती-शास्त्र अनुसंधान संस्थान, गंगटोक	योजनेतर	2.00	4.00	2.00
55.	शंकर अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता	योजनेतर	1.75	1.75	1.75
56.	अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अभिलेखों और भारत-विदेश मैत्री सोसायटी को अनुदान (अन्य मदों सहित)	योजनेतर	9.15	9.25	9.25
57.	अन्तर्राष्ट्रीय परिरक्षण केन्द्र, रोम के लिए अंशदान	योजनेतर	1.20	1.15	1.20
58.	पुस्तकों और कला वस्तुओं का प्रस्तुतीकरण	योजनेतर	3.00	3.00	3.00
59.	साहित्यिक कार्यकलापों में लगी संस्थाएं	योजनेतर	4.86	19.90	15.90
60.	भारत में सांस्कृतिक संगठन	योजनेतर	7.43	107.43	10.15
61.	शिष्टमंडल	योजनेतर	9.50	9.50	9.50

MGIPF—812 Edu/83—27-3-84—1,000.